द्वादश माला, खंड 8, अंक 2

मंगलवार, 23 फरवरी, 1999
4 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय–सूची

[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 23 फरवरी, 1999/4 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	4—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	29—444
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	29—72
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 232	72—444
सभा पटल पर रखे गए पत्र	445—447
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	447—448
सभापति तालिका के लिए नाम निर्देशन	449
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	449—450
समिति के लिए निर्वाचन	
केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड	450
नियम 377 के अधीन मामला	451—452
विद्युत उत्पादन करने के लिए चीनी मिलों की क्षमता का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर पाल सिंह	451

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 23 फरवरी, 1999/4 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या । श्री तथागत सत्पथी

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में बोलना। पहले प्रश्न काल समाप्त हो जाने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जाइए। क्वैशन ऑवर होने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं। हम इस पर प्रश्न काल के बाद विचार करेंगे। मैं खड़ा हूं। कृपया समझिए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल क निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया बात को समझिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : वे विपक्षी सदस्यों के समान आचरण कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : रणवीर सेना बी.जे.पी. का सहोदर भाई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : टेलीकास्ट बन्द करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे स्थान ग्रहण करने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : सदन चलाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं। कृपया आप मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार, इस पर हम प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर सकते हैं।

श्री शरद पवार : मैं आपसे सहमत हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल होगा। कृपया अपने स्थानों पर चले जाइए।

श्री अजात जोगी : सदन को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है।. ..*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमारा नोटिस है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब प्रश्न काल होगा। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। प्रश्न संख्या ।, श्री तथागत सत्पथी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, इस मुद्दे को प्रश्न काल के बाद उठाइए। प्रश्न संख्या ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ।

एक माननीय सदस्य : महोदय, वे पीछे की पंक्ति में बैठे हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मुझ तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंचती है। आखिरकार आप भी मुझ पर कृपादृष्टि नहीं रखते हैं। मैं यहां पर स्तम्भ की आड़ में बैठता हूं। मैं पूरी तरह जनता की दृष्टि से और आपकी दृष्टि से ओझल हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या ।

श्री तथागत सत्पथी : यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। फिर भी अपने दुख के साथ मैं यहां पर खड़ा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या । श्री तथागत सत्पथा।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं यहां पर खड़ा हूं। मैं यह भी कह रहा हूं कि मैं यहां पर उपस्थित हूं। अब माननीय मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देना है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

+

*1. **श्री तथागत सत्पथी :***

डा. शकील अहमद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान देश के अनेक भागों, विशेषरूप से उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर ईसाई समुदाय पर अत्याचार, चर्चों/स्कूलों पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, अपराधवार और सम्प्रदायवार जान-माल की हानि और उन पर हुए हमलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से रिपोर्टें मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मामला दर्ज किया है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक पीड़ित परिवार को कितना-कितना मुआवजा दिया गया;

(छ) प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों पर होने वाले ऐसे हमलों को रोकने और उन पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र गठित करने का भी है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) अल्पसंख्यकों के हितों तथा उनके जीवन की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ञ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ञ) वर्ष 1996 की दो छमाहियों के दौरान ईसाईयों पर हुए हमलों की घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है। अलग-अलग घटनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

2. साम्प्रदायिक सौहार्दता को बढ़ावा देने से संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट है कि जैसे ही कोई साम्प्रदायिक घटना होती है, तो उस राज्य को तुरन्त इसकी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी चाहिए। ईसाईयों के प्रति अभी हाल में हुई हमले की बड़ी घटनाओं के बारे में भी सूचना राज्य सरकारों से मंगाई गई थी। इसके अलावा, राज्य में इसाईयों और उनके संस्थानों पर हुई हमले की कथित घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने तथा स्थिति को काबू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल को गुजरात भेजा गया था। केन्द्रीय दल ने स्थिति को तनावमुक्त करने और साम्प्रदायिक सौहार्दता सुनिश्ति करने के लिए अनेक विश्वास निर्माण उपायों की सिफारिश की। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर समुचित अनुदेश जारी किए गए हैं।

3. यद्यपि, भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी, केन्द्र सरकार, साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रण में रखने तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय करती आ रही है। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(क) राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करना।

(ख) समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह भेजना।

(ग) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल, इत्यादि उपलब्ध करवा कर राज्य सरकारों की मदद करना। (केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों और तनाव को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष बल, नामतः द्रुत कार्रवाई बल का गठन किया है)

(घ) पुलिस के मूलभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को मदद देना।

4. अल्पसंख्यकों संबंधी हाल की घटनाओं के बाद, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों को परेशान करने संबंधी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए जिले की कानून और व्यवस्था प्रर्वतन एजेन्सियों को समुचित अनुदेश जारी करें तथा दोषी व्यक्तियों की पहचान करने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु शीघ्र और प्रभावकारी कार्रवाई शुरू करें।

5. केन्द्र सरकार ने 22/23 जनवरी, 1999 की रात को गांव मनोहरपुर, क्योंझार जिला, उड़ीसा में श्री ग्राह्म स्टीवर्ट स्टेन्स, एक आस्ट्रेलियन राष्ट्रिक और उनके दो पुत्रों की हत्या के संबंध में जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के एक पीठासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वधवा के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया है।

6. संविधान और संसद तथा विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का ग़बोधन करने और केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षापायों का कारगर रूप से कार्यान्वयन करने के लिए सिफारिशें करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पहले से ही मौजूद है।

7. सरकार का यह दृढ़ मत है कि किसी भी समुदाय के प्रति हिंसा के कृत्यों, चाहे वे कहीं भी और किसी भी रूप में किए गए हों, से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए तथा ऐसी हिंसा करने वालों को कड़ी से कड़ी और निवारक सजा दी जानी चाहिए।

अनुलग्नक

वर्ष 1998 की दो छमाही के दौरान ईसाईयों पर हुई हमले की घटनाओं की राज्यवार संख्या।

राज्य	घटनाओं की संख्या		मारे गए व्यक्तियों की सं.		घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	
	1/98 से 6/98 तक	7/98 से 12/98 तक	1/98 से 6/98 तक	7/98 से 12/98 तक	1/98 से 6/98 तक	7/98 से 12/98 तक
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1	–	–	–	–	–
अरुणाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–
बिहार	3	1	1	–	2	–
दादरा और नागर हवेली	1	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	–	1	–	–	–	–
गुजरात	5	43	–	–	4	19
हरियाणा	–	1	–	–	–	–
केरल	2	4	–	–	–	–
कर्नाटक	–	1	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	3	–	–	–	–
महाराष्ट्र	6	3	–	–	–	–
उड़ीसा	3	–	–	–	–	–
पंजाब	1	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	3	–	–	–	6
—— ——	1	1	–	–	5	–
	24	61	1	–	12	25

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या वे मानते हैं कि इसमें भारत से बाहर की किसी शक्ति का हाथ है जोकि वर्तमान में देश की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या देश की कोई राजनीतिक पार्टी इस शक्ति का समर्थन कर रही है जो कि समस्या खड़ी करने का प्रयास कर रही है विशेषकर अल्पसंख्यकों को सामने वह भी ईसाईयों के सामने, जिससे कि पश्चिमी देशों में भारत की छवि बिगड़े और भारत के सभी अल्पसंख्यक समुदायों में यह भावना व्याप्त हो कि वर्तमान सरकार के साथ कुछ गड़बड़ियां हैं। मैं यह बात भी जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यापारिक घराने, जिनके तार विदेशों से जुड़े हैं, इस प्रकार के अत्याचार ढाहने में संलिप्त हैं और वे इस प्रकार के आन्दोलनों का वित्तपोषण भी कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ आशंकाओं, कुछ भय और कुछ अविश्वास को व्यक्त किया है जोकि अधिकांश व्यक्तियों के समूहों में भी व्याप्त है। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, सरकार ने इन घटनाओं के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने संबंद्ध सरकारों से साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़े और तत्काल कदम उठाने को कहा है।

इतना ही नहीं, जब एक अत्यधिक त्रासद घटना उड़ीसा में घटी जिसमें एक आस्ट्रेलियन नागरिक और उसके दो नाबालिग लड़कों की निर्मम हत्या कर दी गई तो इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश को नियुक्त किया, जिससे कि इन घटनाओं—यद्यपि इस मामले में केवल एक घटना हुई है—की सभी कड़ियों को सामने लाया जा सके। यह ऐसी बात है जिसे केवल एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मामले के अलावा कभी भी नहीं अपनाया गया है। वास्तव में, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि जब इस उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने एक पदासीन न्यायाधीश को इस कार्य हेतु दिए जाने में संकोच दर्शाया था। परन्तु उन्होंने सरकार की चिन्ता को समझा और इस बात के मद्देनजर कि इस मामले की प्रकृति ऐसी है जिसमें सभी बातों को सामने लाया जाना आवश्यक है, इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की। मैं एक बार फिर सभा को आश्वस्त करता हूं कि सरकार इन मामलों में जो भी कार्यवाही की जानी आवश्यक है उसे करने में कोताही नहीं बरतेगी।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि यह सरकार इन समस्याओं से निपटने के प्रति गम्भीर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार ने अभी गृह मंत्री द्वारा उल्लेखित जांच आयोग के समक्ष कोई निर्धारित समय सीमा रखी है जिसके अन्तर्गत जांच आयोग को सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मेरी आशंका यह है कि क्योंकि राज्य सरकार एक राजनीतिक दल की है और केन्द्र सरकार विभिन्न दलों के गठजोड़ से बनी है, ऐसी परिस्थिति में यह संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार सफलातापूर्वक कार्यान्वित करने की इच्छुक नहीं है या वह नहीं चाहती कि जांच आयोग इस मामले का निपटारा सफलतापूर्वक करे। क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है? क्या वे समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं या इस पर सतही तौर पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, इन दिनों उड़ीसा में सरकार बदली है...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : मुख्यमंत्री की बदली हुई है सरकार नहीं बदली है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार बदली है हालांकि पार्टी नहीं बदली है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि मुझे नए मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिला था और मैंने उनसे देश को इसकी मूल जानकारी प्राप्त किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा था। यह भेदभावपूर्ण मुद्दा नहीं है।

जहां तक समय-सीमा की बात का संबंध है।...*(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार : परन्तु यह उनके राजनीतिक उद्देश्यों के अनुकूल है कि उड़ीसा के भीतर ईसाईयों को आतंकित किया जाये ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक जांच का प्रश्न है, एक निर्धारित अवधि का सम्बन्ध है, वह दो महीनों की समय-सीमा है।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, पिछले 7-8 महीने से पूरे देश में अल्पसंख्यकों और खास तौर से क्रिश्चियन और मुसलमानों पर जो अटैक हो रहे हैं, उनमें हर जगह कहीं न कहीं आर.एस.एस. का हाथ है।...*(व्यवधान)* क्या आप बिहार की बात कह रहे हैं? बिहार में जिसने मारा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करिए।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, हर जगह जहां भी अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और आर.एस.एस. उसके पीछे है। उनका पॉलिटिकल विंग सरकार में बैठा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखने वाले गृह मंत्री यहां बैठे हैं। पिछले 5-6 महीनों में पूरे भारत में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए हैं, उनकी जांच कराने के लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया है। इन हमलों में खासतौर पर बजरंग दल का क्या रोल है, आर.एस.एस. का क्या रोल है और विश्व हिन्दू परिषद का क्या रोल है, पूरे भारतवर्ष में इसकी जांच कराने का क्या सरकार का कोई प्लान है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इन सारी घटनाओं में जो सबसे घृणित घटनायें हुई हैं, वे उड़ीसा के मनोहरपुर गांव और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक गांव में हुई है...*(व्यवधान)* और जहां तक सरकार का सवाल है, उसने कमीशन को और सभी राज्य सरकारों को भी हिदायत दी है। उसमें दोनों बातें कही हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो अपराधी हो या अगर कोई संगठन या संस्था अपराधी हो तो दोनों को आइडेंटिफाई करके दंडित करे, जो भी हो। इसमें कोई संकोच नहीं है।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष जी, मेरे क्वश्चन का जबाव नहीं मिला। मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंटरी यह है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री शरद पवार का नाम लिया है। डा. शकील अहमद कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, दूसरे अनुपूरक प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं है, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने जो स्टेटमेंट रखा है, उसमें बताया गया है कि जुलाई, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक ऐसे 61 इंसीडेंट्स हुए हैं और उसमें से अकेले गुजरात में 43 इंसीडेंट्स हुये हैं। इस तरह गुजरात में सबसे ज्यादा इंसीडेंट्स हुये हैं। इन सब परिस्थितियों को देखकर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे कौन से खास उपाय किये हैं या प्रीवेंटिव मैजर्स लिए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया टोटा-टाकी मत करें। महोदय, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, गुजरात के बारे में केन्द्र की ओर से एक टीम वहां भेजी गई थी जिसने गुजरात सरकार के सभी कर्मचारियों से बातचीत करके उनको निर्देश दिये हैं उन निर्देशों का पालन भी हुआ है और हमारा लगातार उनसे सम्पर्क बना हुआ है।

श्री सी.डी. गामीत : अध्यक्ष जी, लेकिन हम उनसे मिलने नहीं दिया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : केन्द्रीय दल ने अहुआ का दौरा नहीं किया, जहां पर कई हादसे हुए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता ने गुजरात के बारे में प्रश्न पूछा है। मुझे इस बात का संतोष है कि गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन केसेज चल रहे हैं। यद्यपि उनमें से कुछ इस प्रकार की घटनायें जरूर हैं जहां वैंडेलिज्म हुआ, तोड़-फोड़ हुई तथा अन्य कई स्थानों पर बहुत नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में कहीं भी कोई अपराध हो या किसी कानून का उल्लंघन हो, उसके खिलाफ

समुचित कार्यवाही करने में सरकार कभी संकोच नहीं करेगी। प्रदेश सरकारों को यह हिदायत है।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : महोदय, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उड़ीसा की घटना की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है। परन्तु सूची दर्शाती है कि ऐसी घटनाएं 15 राज्यों में घटित हुई हैं। हालांकि कुछ राज्यों में एक या दो ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में घटी हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आयोग के निदेश-पथ इस प्रकार से होने चाहिए कि इसका कार्यक्षेत्र कोई एक राज्य और एक विषय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पूरे देश भर में यह खतरनाक स्थिति घटित हो रही है और हमारा मूल्यांकन यह है कि ये एक अथवा दो घटनाएं न केवल सामुदायिक भावना के कारण घट रही हैं बल्कि कुछ लोग स्थानीय संगठनों को भ्रमित कर रहे हैं और वे विशेष इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अतः मैं सरकार से ——— चाहता हूं क्या वे सविस्तार इन मुद्दों को विचारार्थ विषय में ———— करेंगे ताकि न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय के ———— ठित न्यायाधीश हैं, न केवल उड़ीसा में बल्कि सभी अन्य राज्यों में भी घटित हो रही ऐसी घटनाओं की गहन साजिश और कारणों का पता लगा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है।

श्री अजित कुमार पांजा : लेकिन, महोदय सूची में 15 राज्यों के नाम दिये गए हैं। चूंकि अब आयोग का गठन किया जा चुका है, मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या विचारार्थ विषयों का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि इन घटनाओं के मूल कारणों का दो महीनों के भीतर पता लगाया जा सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, माननीय सदस्य ने पहले इस मामले को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं माननीय सदस्य श्री पांजा जिन्होंने अभी यह प्रश्न पूछा है, को बताना चाहता हूं कि मंत्रीमंडल इस विषय पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार का आयोग गठित किया जाए और क्या इसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो। जिसमें काफी समय लग जाएगा अथवा इसे एक घटना विशेष तक ही सीमित रखा जाए। जब केन्द्रीय मंत्रीमंडल के तीन मंत्री स्वयं घटनास्थल पर गए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि यह घटना कैसे और क्यों हुई? तब उस प्रकार का सन्देह जो मुख्य सदस्य, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया है, द्वारा प्रकट किया गया है, मेरे दिमाग में आया और यह महसूस किया गया कि जांच के दायरे को बढ़ाने के बजाय हमें इसे एक परीक्षक मामले के रूप में लेकर पता लगाया जाए कि क्या इस घटना के पीछे किसी कतिपय जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान तनाव के अतिरिक्त कोई अन्य बाह्य कारण तो नहीं है क्योंकि ये खास तरह की घटनाएं कतिपय जनजातीय क्षेत्रों में उन कारणों की वजह से हुई हैं जिनकी चर्चा में अभी नहीं करना चाहता। लेकिन इस प्रश्न पर जिसका अभी-अभी जिक्र किया गया है विचार किया गया और सोच विचार कर यह निर्णय लिया गया कि इसे केवल इसी एक घटना तक सीमित रखा जाए ताकि हम निष्कर्षों पर शीघ्रता से पहुंच सके।

श्री सुरेश कुरूप : पिछले सत्र के दौरान ही माननीय गृह मंत्री ने इस देश और इस सभा को आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाएंगे। इसके बावजूद तुरन्त इसके बाद क्रिसमिस दिवस के बाद से गुजरात के डांग जिले में इसाईयों के धार्मिक स्थलों पर नियोजित रूप से धावे बोले गए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि गुजरात भेजे गए केन्द्रीय दल ने डांग जिले का दौरा नहीं किया। वे केवल अहमदाबाद गए और एक रिपोर्ट दे दी और गृह मंत्री ने बजरंग दल और हिन्दू जागरण मंच को जो इस प्रहार के अग्रणी थे, निर्दोष घोषित कर दिया। उड़ीसा के दौरे पर गए तीन केन्द्रीय मंत्रियों ने वहां केवल एक घंटा बिताया और उन्होंने बजरंग दल को निर्दोष ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे इस दल का कोई हाथ नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे समझते हैं कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश है।

श्री सुरेश कुरूप : उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पता चल गया है। यदि इन घटनाओं के पीछे बजरंग दल और हिन्दू जागरण मंच का हाथ नहीं है तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं अथवा कौन सी ताकतें इन घटनाओं के पीछे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां तक मनोहरपुर का संबंध है तो इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा की जा रही है इसलिए किसी को निर्दोष सिद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य आप को इस प्रकार मंत्री जी के बोलने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि बजरंग दल इसके पीछे नहीं है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

श्री तरित बरण तोपदार : तो आपने इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दिया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वक्तव्य को मेरा माना जा रहा है, मैं उसे स्पष्ट करने अथवा इसके बारे में पुनः स्पष्टीकरण देने अथवा उसे काटने का प्रयास नहीं करूंगा। आज जांच आयोग इस मामले की छानबीन कर रहा है अतः इस बारे में मैं बस इतना ही बता सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपने इसका खण्डन भी नहीं किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो बस यह कह सकता हूं कि इस घटना में जो कोई भी अन्तग्रस्त है चाहे वह बजरंग दल अथवा विश्व हिन्दू परिषद अथवा कोई भी हो किसी को नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें दण्ड दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं भी डांग के उस इलाके में गया था, जहां इंस्टीट्यूशन जलाये गये, क्रास भी जलाया गया। वहां लोग भयभीत हैं ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी से वहां के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने...*(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह : हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्या आप राबड़ी देवी की जय बोलते हैं?

श्री लालू प्रसाद : भारत माता की जय, कृष्ण भगवान की जय आप बैठिये।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्रिश्चियन बंधुओं ने लिखकर वहां के प्रशासन को दिया था कि 25 तारीख को हम लोगों का त्यौहार है और हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, क्या यह बात सही है या नहीं? माननीय गृह मंत्री जी आपने स्वयं कहा कि इसमें बजरंग दल का हाथ नहीं है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज श्री वधवा जी से हम इंक्वायरी करा रहे हैं। माननीय डिफैंस मिनिस्टर को हमेशा राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बात सूझती है। इन्होंने कहा कि उड़ीसा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जब आप ऐसा कह चुके हैं, फिर इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है क्या यह बात सत्य नहीं है कि आपके वोट्स का इरोजन हो रहा है, हिंदू कार्ड का इरोजन हो रहा है। आपने चारों तरफ लोगों को फैलाकर रखा है। हम खुराना जी को बधाई देना चाहते हैं खुराना जी ने आपके उस परिवार में रहकर विभीषण का काम किया, रावण परिवार में बैठकर उन्होंने विभीषण का काम किया और शहादत देनी पड़ी। आप जो दुर्दशा की बात करते हैं, यह तो दुनिया-जहान ने माना है कि आप माइनोरिटी के गरीब लोगों को तबाह कर रहे हैं, आप बताइये क्या यह बात सही है कि क्रिश्चियन बंधुओं को लिखकर देने के बाद भी आप उन्हें बचा नहीं सके।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जहानाबाद के बारे में बोलिये।

श्री लालू प्रसाद : जहानाबाद के बारे में मेरा यह कहना है कि समता पार्टी, बी.जे.पी. रणवीर सेना के सगे भाई हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, महोदय इन्होंने खुराना जी की प्रशंसा की है।

मैं भी इससे सहमत हूं कि खुराना जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, वह बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम क्वैश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद : हम लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, फिर आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा : अध्यक्ष महोदय, जो घटित हुआ है और जो अभी भी घटित हो रहा है यह अत्यन्त सुनियोजित लगता है। आयोग जिसका गठन किया गया है इस एक विशेष घटना की छानबीन करेगा लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें प्रतीत होता है कि ये सुनियोजित ढंग से की जा रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं देश में पहले कभी भी घटित नहीं हुई हैं। ईसाई लोगों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ अब यह अचानक क्यों हो गया है? क्या सरकार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि इसके कारण और प्रयोजन क्या है? मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक साम्प्रदायिक सौहार्दता का संबंध है, साम्प्रदायिक सौहार्दता में कोई भी व्यवधान गम्भीर मामला है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि यह सब घटित न होवे। कई वर्षों से हम हिन्दू और मुसलमानों के बीच संघर्ष देखते आए हैं यह उल्लेखनीय है कि दंगा-फसाद वर्ष 1998 इस प्रकार की बड़ी घटनाओं मुक्त रहा है।...*(व्यवधान)*

मैंने दंगा-फसाद की बड़ी घटनाओं की बात की है ...*(व्यवधान)* सिकन्दराबाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी लेकिन इस विशेष प्रकार की घटना, जिस पर चर्चा चल रही है, का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इस समय हमें यह देखकर चिन्ता हो रही है और यदि कोई घटना घटती है तो सरकार तुरन्त कार्यवाही करती है। मैंने पता लगाया है कि ईसाईयों के संबंध में पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं लेकिन ये घटनाएं मुख्य रूप से उड़ीसा ओर अरुणाचल प्रदेश में घटित हुई थीं। मैंने विश्लेषण किया है कि ये घटनाएं जनजातीय क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से हुई थीं। अतः इन हाल के वर्षों में जो कुछ हुआ है और जिस प्रकार से हुआ है वह पहले घटित हुई घटनाओं से व्यापक रूप से संबंधित है। इन सभी बातों का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है और यह प्रक्रिया जारी है।

मैं श्री संगमा जी को आश्वसन देना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं न हो। कुल मिलाकर इससे सरकार की छवि प्रभावित होती है और पूरे विश्व में देश की छवि भी प्रभावित होती है। हम सभी के लिए यह चिन्ता का विषय है। मैं आपकी मनोव्यथा का सहभागी हूं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई भी कसर नहीं रहेगी जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 2 लेते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप मेरा नाम पुकारेंगे और मैं शान्तिपूर्वक बैठा हुआ हूं। कृपया मुझे मौका दीजिए। मैं प्रश्न संख्या एक से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तीसरे प्रश्न पर मैं आपको मौका दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : कई अन्य पहलू भी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य प्रश्न भी है।

(व्यवधान)

कीमतों में वृद्धि

+

ी राम **पाल सिंह** :

श **पुगलीया** :

क्या **खाद्य उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं चावल और चीनी की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका औचित्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजसहायता के रूप में कितनी राशि दी गई और यह निर्णय लेने के बाद राजसहायता में कितनी कमी आने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं की कीमतों में कितनी बार और कुल कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(ङ) इन वस्तुओं की कीमतों को किस तारीख से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या इस निर्णय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के प्रभावित होने की संभावना है;

(छ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(झ) सरकार द्वारा गरीब लोगों के लाभ के लिए इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (झ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

(क) और (ख) (1) गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस देने के परिणामस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार को निष्क्रिय करने और खाद्य सब्सिडी को उचित स्तर तक नियंत्रित रखने की दृष्टि से 29.1.1999 से केवल गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
गेहूं	650	
चावल	700	केवल जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।
ग्रेड "ए"	905	

(2) 15.2.1999 से चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 12.00 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी निम्नानुसार है :—

वर्ष	सब्सिडि की राशि	
	खाद्यान्न	चीनी
1995-96	4960	422
1996-97	5166	900
1997-98	7500	400 (अनंतिम)
1998-99 (संशोधित अनुमान) (फरवरी, 99 तक)	7959	

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सब्सिडी में लगभग 300 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 1999-2000

के दौरान लगभग 2200 करोड़ रुपये की कमी आएगी। चीनी सब्सिडी में 1998-99 के दौरान 34.8 करोड़ रुपये की और 1999-2000 के दौरान 278 करोड़ रुपये की बचत होगी।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार थे :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं निम्न तारीख से	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
1.2.1994	402
1.6.1997	250-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
	450-गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए
29.1.199	250-गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
	650-गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए

चावल निम्न तारीख से	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
1.2.1994	537	617	648	
1.6.1997	350	350	–	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
	–	650	750	गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए
1.12.1997	साधारण	ग्रेड "ए"		
	350	350		गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
	550*	700		गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए
	*गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केवल जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।			
29.1.1999	350	350		गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
		905		गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :—

(रुपये प्रति किलोग्राम)

वित्तीय वर्ष	से	तक	निम्न तारीख से
1996-97	9.05	10.5	10.2.1997
1997-98	10.5	11.4	1.10.1997
1998-99	11.4	12	15.2.1999

(च) चूंकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य को पुनः 29.1.1999 से पूर्व मौजूद मूल्य के स्तर पर ला दिया गया है इसलिए इससे समाज का कमजोर वर्ग प्रभावित नहीं होगा।

(छ) से (झ) गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में की गई वृद्धि के विरुद्ध विभिन्न राज्य सरकारों आदि से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस मंजूर करने के परिणामस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार को निष्क्रिय करने के लिए हाल में केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई थी। पिछले चार वर्षों के दौरान कई बार गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं और गेहूं तथा चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में साथ-साथ वृद्धि किए बिना गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर दो बार बोनस मंजूर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सरकार पर अत्यधिक सब्सिडी का भार पड़ा है।

व्यापक आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को वापस 29.1.1999 से पहले मौजूद मूल्यों के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज सहायता में कमी के कारण क्या मूल्यों में हुई वृद्धि से, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले और प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है जिससे मूल्य में होने वाली वृद्धि का असर उन पर अधिक न पड़े?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : सर, बी.पी.एल. से नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्राइस वही रखी है जो पहले थी, लेकिन बी.पी.एल. से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी बढ़ाई गई है क्योंकि मिनिमम रिपोर्ट प्राइस लगातार चार साल से बढ़ती रही है जबकि इश्यू प्राइस नहीं बढ़ी थी। बी.पी.एल. के लोगों के लिए प्राइस को नहीं बढ़ाया गया है।

श्री रामपाल सिंह : भारत सरकार घाटे में कमी को पूरा करने के कारण सब्सिडी हटा रही है जिससे मूल्य बढ़ रहे हैं और खाद्यान्न की शार्टेज हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कोई योजना तैयार की है?

[अनुवाद]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, खाद्यान्न, विशेष रूप से चावल और गेहूं खुले रूप से उपलब्ध है। खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

महोदय, किसी शार्टेज की या मूल्य बढ़ने की कोई इत्तला हमें कहीं से नहीं मिली है और ऐसी कोई गुंजाइश भी दिखाई नहीं दे रही है कि खाद्यान्न मूल्य बढ़ेंगे।

श्री रामपाल सिंह : क्या मूल्य बढ़ाने से पहले भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों की प्रतिक्रिया भी जानने का प्रयास किया है या उनकी प्रतिक्रिया आमंत्रित की है जिससे मालूम हो सके कि विभिन्न राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ने वाला है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को खाद्यान्न के मूल्य बढ़ाए गए थे, लेकिन जब राज्य सरकारों की तरफ से ऐतराज हुआ, तो वही मूल्य रहने दिए गए जो पहले थे। इसलिए यह उनके एतराज के कारण ही किया गया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि आप बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को सब्सीडाइज्ड रेट पर राशन देने के लिए कमिटेड हैं और विशेषकर फार-फ्लंग एरियाज में, यदि हां, तो मेरा निवेदन यह है कि वहां राशन डिपो में राशन अवेलेबल ही नहीं है जिसके कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? जब गवर्नमेंट की एशोरेंस है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर देना है, लेकिन यदि राशन डिपो में राशन नहीं होगा, तो उसका क्या फायदा है? मैं जानना चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एश्योरेंस है और फूड स्टाक्स हैं, तो फार-फ्लंग एरियाज में लोगों को राशन क्यों अवेलेबल नहीं होता है?

अगर राशन डिपो में जाएं तो वहां भी अनाज नहीं होता है। उसे बिचौलिये खा जाते हैं और जो जैन्युइन लोग हैं, उनके पास नहीं पहुंचता है। वहां हाहाकार मचा हुआ है, खास कर उन लोगों में जो बिलो पावर्टी लाइन के हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आप जो फार फ्लंग एरियाज का जिक्र कर रहे हैं खासकर कश्मीर जैसे एरियाज में, वहां खास प्रबंध किया गया है। जब तक कम्युनिकेशन्स चलता रहा है तब तक 150 ट्रक अनाज के भरकर वहां जाते रहे हैं। वैली में भी जाता रहा है और वैली के आगे जो फार फ्लंग एरियाज, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां भी हमने स्टॉक किया है और उस स्टॉक को हम मॉनीटर करते रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर से हम लगातार रिपोर्ट लेते रहे हैं। उन्होंने हमें सैटिसफैक्ट्री रिपोर्ट दी कि हमें जितना अनाज चाहिए था उतना पहुंच गया है और फार फ्लंग एरियाज में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का इंतजाम किया है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बिलो पावर्टी लाइन वालों की जितनी जरूरियात है, उतना उन्हें एवेलेबल नहीं है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक फूडग्रेन्स का ताल्लुक है, फार फ्लंग एरियाज खासकर कश्मीर, नार्थ ईस्ट और सिक्किम से जो मांग आई है उतनी हम उनको भेजने की कोशिश करते रहे हैं। हमें इसकी रिपोर्ट भी संतोषजनक आती रही है कि हमारे पास अनाज पहुंचा है। जहां अनाज चाहिए वहां भेजने का बंदोबस्त स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। हमें रिपोर्ट आती रही है कि वहां अनाज पहुंचा दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : बिलो पावर्टी लाइन के अन्तर्गत आने वाले आदिवासियों को राशन नहीं मिला रहा है।...*(व्यवधान)* आप उनके लिए कुछ करिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी : माननीय मंत्री महोदय अभी तक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि राज्य सरकारों के खाद्य मंत्रियों द्वारा रिपोर्टें मंगवा कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी की जाती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए कोई विचार अथवा प्रस्ताव अथवा तंत्र है क्योंकि तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है। हाल ही में वहां जनता ने एक विधान सभा के सदस्य को पकड़ लिया था जो राशन की दुकानों का चावल ले जा रहा था। तमिलनाडु में राशन की प्रणाली की असफलता को मद्देनजर रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय जांच का आदेश देने अथवा कोई ऐसा तरीका निकालने के लिए तैयार है जिससे अनाज वास्तव में आम जनता तक पहुंच सके।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह है कि राज्य सरकारें अनाज चाहे वह चावल हो अथवा गेहूं की एक निश्चित मात्रा की मांग करती हैं हम उस मात्रा की आपूर्ति करते हैं। हम राज्य सरकारों को अनाज की वह मात्रा दे देते हैं और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि विशेषरूप से मुझे किसी कठिनाई के बारे में बताया जाता है तो मैं उसकी जांच भी करूंगा। सार्वजनकि वितरण प्रणाली को चलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जैसा कि हम सब जानते हैं केरल राज्य, एक उपभोक्ता राज्य है। हाल ही में केरल सरकार तथा केरल विधान सभा ने गेहूं, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया है। क्या

केन्द्रीय सरकार इस तथ्य के बारे में जानती हैं? क्या केन्द्रीय सरकार को केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प प्राप्त हुआ है, जिसमे केन्द्र सरकार को यथा पूर्व स्तर तक कीमतें घटाने के लिए अनुरोध किया गया है? क्या सरकार उस आधार पर कोई कार्यवाही करेगी क्योंकि जब 1956 में राज्य का गठन हुआ था तब पहले से ही इस बात का समझौता किया गया था कि वैधानिक रूप से राशनिंग की व्यवस्था की जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के छिन्न-भिन्न हो गई है? क्या सरकार उस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : जहां तक चीनी का संबंध है, वास्तव में देश में चीनी की कीमत 100 रु. प्रति टन की दर से कम हुई है। इसलिए, केरल में भी मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी की कीमत कुछ हद तक कम हुई हैं।

जहां तक गेहूं और चावल का संबंध है, हमने केरल को भी गेहूं और चावल की आपूर्ति की है।...*(व्यवधान)* केरल द्वारा जितनी मात्रा की मांग की गई थी हमने उतनी ही आपूर्ति की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में भी केरल को खाद्यान्न की आपूर्ति करने में कोई कमी कमी नहीं आई है। लेकिन जहां तक कीमतों के प्रश्न का संबंध है, हमें कीमतें कम करने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। सरकार ने इस पर विचार किया और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कीमतें कम कर दी गईं।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बयान गलत है।

श्री पी.सी. थॉमस : यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : मेरा प्रश्न विशेष रूप से चीनी के संबंध में है। हमारी सरकार ने खुदरा निर्गम मूल्य 60 पैसे बढ़ा दिया है। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई की जाने वाली चीनी के मूल्य बढ़ गए हैं। दूसरी ओर, सीमा शुल्क की कम दर और चीनी के कम उत्पादन के कारण भारत में पाकिस्तान की चीनी लाए जाने की अनुमति दिए जाने के कारण खुले बाजार में चीनी की कीमतें कम हो रही हैं। मैं सरकार से विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का भविष्य में चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर करने की कोई योजना है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : अभी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की कीमतों में केवल 60 पैसे की वृद्धि की गई है क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया था, देश में चीनी का उत्पादन अब काफी हो गया है और कीमतें कुछ कम हो गई हैं। मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है। केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ही कीमतों में 60 पैसे की वृद्धि की गई है ताकि देश में चीनी की आपूर्ति में स्थिरता आए।

श्री विक्रम देव केशरी : उड़ीसा को गंभीर सूखे की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हाल ही में हुई वृद्धि से छूट देने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : मेरा क्वश्चन सेम है, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : हमारे उड़ीसा से खाद्यान्नों-गेहूं तथा चावल दोनों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं और हम उड़ीसा को उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं। जितनी मात्रा की उन्होंने मांग की है। इसीलिए सूखा ग्रस्त इलाकों से गेहूं तथा चावल की आपूर्ति न होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री विक्रम देव केशरी : लेकिन कीमतों में वृद्धि के संबंध में आप क्या कहेंगे?

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के उत्तर में देख रहा हूं कि इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पी.डी.एस. के अधीन चावल और गेहूं की कीमत में करीब एक रुपया प्रति किलो और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए दो रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का काम किया। अभी गेहूं साढ़े छः रुपये प्रति किलो, चावल सात रुपये प्रति किलो और ग्रेड-। के लिए नौ रुपये पांच पैसे प्रति किलो है। इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए पी.डी.एस. में जो भाव बढ़ाए थे, सहयोगी दलों के भारी विरोध के कारण उसे इन्होंने वापिस कर लिया। देश में करीब छः करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे और दस करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले हैं। उनके लिए दो रुपये प्रति किलो बढ़ाए थे, उसे वापिस नहीं करने पर अड़े हुए हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या यह न्यायसंगत है कि बी.पी.एल. के लिए जो दाम बढ़ाए थे, उसे आपने वापिस लिया लेकिन ए.पी.एल. के लिए जो दाम बढ़ाए थे, उसे वापिस करने की स्थिति में नहीं है, बताते हैं कि सब्सिडी कटौती करना चाहते हैं, सब्सिडी बचाना चाहते हैं? उस हालात में क्या सरकार कम से कम बढ़ी हुई कीमत की आधी करने पर पुनर्विचार करेगी या नहीं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : बी.पी.एल. के लिए जो दस किलो है, उसे पन्द्रह किलो करने के लिए समिति ने अनुशंसा की और देशभर की मांग थी कि पी.डी.एस. के लिए अनाज एक महीने में दस किलो से पन्द्रह किलो किया जाए। मैं इन दोनों बिन्दुओं पर सरकार का उत्तर जानना चाहता हूं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : आपने बी.पी.एल. के अन्तर्गत 10 किलो के बजाय 15 किलो करने की मांग रखी है, यह 10 किलो तो आपने ही फिक्स किया था, यह आपके समय में ही हुआ था।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम 15 किलो करने की सोच रहे थे, इस पर सब लोगों की सहमति हो गई थी।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : सोच रहे थे लेकिन सोचते ही रह गये, उसको अमली जामा नहीं पहना सके। आपको सोचने में ज्यादा टाइम लग गया। यह 10 किलो आपका ही फिक्स किया हुआ है, जिसे हमने जारी रखा है। हमने बिलो पावर्टी लाइन लोगों के लिए वही रख दिया, जो पहले से चला आ रहा था। बाकी ए.पी.एल. के लिए दाम बढ़ाना इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि इसको बढ़े चार साल हो गये थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बढ़ती चली गई, उसमें हर साल कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन सैण्ट्रल इश्यू प्राइस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी। इसलिए जरूरी हो गया था कि इसको बढ़ाया जाये. नहीं तो सब्सिडी बढ़ती चली जा रही थी। इससे फाइनेंशियल [illegible]ना है, इसलिए यह जरूरी हो गया था। अब कोई विचार [illegible]ने का नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. करूणाकरन : महोदय, केरल राज्य में वैधानिक रूप से राशनिंग की आवश्यकता हैं उसके अनेक कारण हैं।

हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि नकदी फसलों जैसी ही फसलों का उत्पादन कर रहा है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं हैं। उस आधार पर भारत सरकार और हमारे बीच परस्पर एक सहमति है। कई वर्ष पहले भारत सरकार ने राज्य को यह आश्वासन दिया था कि वह सभी संबद्ध राज्यों को एक नियत मूल्य पर चावल, गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्न की आवश्यक मात्रा में आपूर्ति करेंगे। आज, जब हम गरीबी रेखा तथा अन्य रेखाओं के नाम पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं तो हम केरल के लोगों को कुछ विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया है। सभी संबद्ध राज्यों को एक नियत मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने चाहिए। यदि आपको कुछ अधिक देना पड़ता है अथवा राज्यों को राजसहायता के रूप में कुछ देना पड़ता है तो मेरा अनुरोध यह है कि वह किया ही जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि हम नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। महोदय, उस कारण भी हम नुकसान उठाने वालों में हैं क्योंकि हम खाद्यान्नों का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः इन विशिष्ट परिस्थितियों में जब भारत सरकार ने राज्यों को आश्वासन दिया था कि वह एक नियत मूल्य पर चावल की निश्चित मात्रा देंगे तो उन्हें देते रहना चाहिए और राज्यों को दी जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा कितनी भी हो उस पर राज सहायता दी जानी चाहिए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि केरल नकदी फसलों का उत्पादन करता है। इसलिए उनको उसके लिए नकद मिलता है...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं, हमें रबड़ और नारियल के लिए उचित कीमतें नहीं मिल रही हैं। महोदय, उनकी इस बात का उद्देश्य हमारा उपहास करना है। उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात करना उनके लिए उचित नहीं है। भारत सरकार ने केरल के लोगों को रबड़ का उत्पादन करने के लिए कहा। हम केवल भारत सरकार के कहने पर ही रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने कहा कि वह केवल नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। फिर मैंने कहा कि चूंकि उनके द्वारा केवल नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है अतः स्वाभाविक है उन्हें खाद्यान्न की पूर्ति की जाए और भारत सरकार उन्हें उनके द्वारा अपेक्षित खाद्यान्नों की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। उनके लिए खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। हम चावल की उसी किस्म की आपूर्ति करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है चाहे वह परमल हो अथवा कच्चे धान से निकले चावल हों अथवा चावल की कोई भी अन्य किस्म हो। हम चावल की उतनी मात्रा की आपूर्ति करते हैं जितनी आपको आवश्यकता है। अब, खाद्यान्नों का सर्वमान्य मूल्य नियत कर लिया गया है। वहां भी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए अलग-अलग मूल्य नियत हैं।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में अनेक वर्षों से 2 रु. प्रति किलोग्राम पर चावल प्रदान करने की योजना कार्यान्वित है। लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद हाल ही में केन्द्र सरकार ने कीमतों में वृद्धि कर दी है। लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के बाद और दस वर्षों से 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर चावल प्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करने के कारण गरीबी रेखा की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के समक्ष आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में लकडावाला समिति की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है। इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्री महोदय तथा हमारे राज्य के संसद सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष अनेक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : इस देश के सभी राज्यों में क्रियान्वित लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट की पुनरीक्षा करने का अब तक तो कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : क्या सरकार जानती है कि वर्ल्ड वाच रिपोर्ट के अनुसार इस देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उत्पादन केवल दो सौ किलोग्राम है जो कि न केवल विकसित देशों से ही बल्कि, विकासशील देशों से भी कम है? इस समय स्थिति यह है कि खाद्यान्न की मात्रा यथातथ्य है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या ऐसी स्थिति नहीं आने वाली जब आपको देश में अकाल का सामना करना पड़ेगा। आप खाद्यान्न की जितनी मात्रा में इस समय समाज के निर्धन वर्ग को आपूर्ति कर रहे हैं, वह भी नहीं कर पाएंगे।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : देश में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। उत्पादकता भी बढ़ रही है। हम पहली बार इस वर्ष 200 मिलियन टन के लक्ष्य को पार करने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस लक्ष्य को पार

कर लेंगे। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और हमें अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : पी.डी.एस. में केन्द्र सरकार द्वारा हजारों-करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराने की योजना प्रदेश सरकारों द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। केन्द्र सरकार घाटा सहती है और प्रदेश सरकारें उसका वितरण करती हैं। उसमें देखा गया है कि काफी भ्रष्टाचार है। आम गरीब आदमी तक जिस मूल्य पर वह सामान पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पाता। बीच में जो बिचौलिए हैं, चाहे वे प्रदेश सरकार के अधिकारी हों, चाहे वह प्रदेश सरकार ही हो, चाहे वहां के व्यापारी हों, वे इसका फायदा उठाते हैं। आम गरीब आदमी के लिए जो हम लोगों का अरबों रुपया टैक्सेशन का जाता है, उसका फायदा उस तक नहीं पहुंच पाता। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसका पुनरीक्षण कराएंगे या उसके वितरण पर पुनर्विचार करेंगे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : पी.डी.एस राज्य सरकारों के जरिए ही चलता है यह काफी पुराना सिस्टम है और जब से शुरू हुआ तब से ऐसा ही चला आ रहा है। कहीं-कहीं इसकी शिकायतें जरूरत आती हैं तो, संबंधित राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको इस बारे में लिखते हैं तथा पड़ताल भी करते हैं कि अगर कहीं सही वितरण नहीं हो रहा है तो उसको सही किया जाए इसमें हम यही कदम उठा सकते हैं और उठाते भी रहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. पी. जे. कुरियन। आप सीधे पूरक प्रश्न पूछिये क्योंकि समय नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि केरल में नकदी फसलें पैदा की जाती हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा। मै, इस कथन का तीव्र प्रतिवाद करता हूं। तथापि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि भारत सरकार ने केरल के लोगों को आश्वासन दिया था कि सार्विधिक राशन व्यवस्था चालू रखी जाएगी और सभी लोगों के लिए सार्विधिक राशन व्यवस्था को चालू रखने के लिए अपेक्षित पर्याप्त गेहूं व चावल की पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। उस आश्वासन के कारण केरल के लागों ने नकदी फसलों की ओर रुख किया। भारत सरकार चाहती थी कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम रबड़ और अन्य नकदी फसलों की खेती करें। मंत्री जी क्या आपको इस आश्वासन की जानकारी है? यदि हां तो क्या आप केरल के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त गेहूं व चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : पहले केरल में एक कानून था कि अनाज की खेती विशेष रूप से चावल की खेती के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर नकदी फसल की खेती नहीं की जानी चाहिए। वहां ऐसा एक कानून था...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं, मैं उस आश्वासन की बात कर रहा हूं। आपने मेरा प्रश्न नहीं समझा है...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मुझे उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन पहले उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : भारत सरकार ने एक आश्वासन दिया था।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : यही तो मैं भी कह रहा हूं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी. जे. कुरियन : भारत सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि केरल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखी जाएगी और चावल की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। मंत्री जी क्या आपको आश्वासन की जानकारी है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : प्रश्न केवल उस आश्वासन की जानकारी होने का नहीं है, मैं स्वयं उसमें भागीदार था। जैसा मैंने पहले कहा है कि वहां पर एक कानून था कि जिस भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही हैं उस पर नकदी फसलें नहीं उगाई जानी चाहिए। इसलिए मैं स्वयं इसमें शामिल हूं। मैंने उनसे पूछा, "आप खाद्यान्न फसलें क्यों नहीं उगाते हैं?" पहले जब मैं कृषि मंत्री था मैं केरल गया था तथा इस मामले पर चर्चा की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जिस भी खाद्यान्न की आवश्यकता होगी केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी आपूर्ति की जाएगी।

मैं उसमें शामिल था। इसलिए उस आश्वासन का हमेशा पालन किया गया। केरल सरकार जब भी जिस भी खाद्यान्न की मांग करती है हम उसकी आपूर्ति करते हैं। कभी-कभी उन्हें आंध्र प्रदेश के चावल की आवश्यकता होती है तो हम आंध्र प्रदेश से आपूर्ति करने का प्रयास करते हैं पहले वे केवल सेला चावल की मांग करते थे और हमने उसकी आपूर्ति की। इसी तरह उन्हें गेहूं की जब भी और जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है हम ऐसी स्थिति में हैं कि उसकी आपूर्ति कर सकें।

आदिवासियों का धर्म बदल कर ईसाई बनाया जाना

***3. श्री मोइनुल हसन अहमद :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने आदिवासियों तथा अन्य व्यक्तियों को धर्म बदल कर ईसाई बनाया गया है;

(ख) हाल ही में कितने आदिवासी ईसाइयों और ईसाई समुदाय के अन्य सदस्यों को पुनः धर्म बदलकर हिन्दू बना दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कुछ घटनाओं की जानकारी है जिनमें जबरन धर्मान्तरण अथवा पुनः धर्मान्तरण कराया गया है;

(घ) क्या ईसाईयों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार देश में जबरन धर्मान्तरण की रोकथाम के लिए कानून में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) ऐसे धर्मान्तरण की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ख) केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं

(ग) से (ङ) कुछ राज्यों ने, जबरन या लालच/प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने को निषिद्ध करते हुए कानून बनाया है। इस संबंध में, केन्द्रीय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मोइनुल हसन अहमद : अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर से हमें पता चला है कि इस संबंध में भारत सरकार कोई आंकड़े नहीं रखती है। मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में मनोहरपुर में कितने लोग अपना धर्म बदल कर हिन्दू से ईसाई हो गए हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य को दिए गए मूल पाठ में उत्तर दिया गया है कि सरकार या देश को विभिन्न क्षेत्रों में धर्मवार जनसंख्या के बारे में उस अवधि में यदि कोई व्यक्ति धर्मान्तरण करता है तो हो सकता है स्थानीय लोग और स्थानीय प्राधिकारियों के पास रिकार्ड हो विशेषरूप से उन राज्यों में जहां पर धर्मान्तरण संबंधी कानून है, किंतु देश के अन्य भागों में यह एक स्वेच्छापूर्ण है अतः जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है इसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मनोहरपुर या देश के अन्य भागों में कितने लोगों ने धर्मान्तरण किया है।

जैसाकि मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि देश में तीन राज्यों में धर्मान्तरण के बारे में कानून हैं। वहां पर बलपूर्वक या प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्मान्तरण प्रतिषिद्ध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मूल अधिकार नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, यह मूल अधिकार नहीं है और इस बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है किसी भी धर्म को मानने, उपदेश देने और प्रचार करने का मूल अधिकार है और अंतः चेतना का मूल अधिकार है किंतु धर्मान्तरण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है यह उच्चतम नयायालय का निर्णय है। मैं केवल यह कहता हूं कि जहां तक उनके इस विशेष प्रश्न का संबंध है कि कितने लोगों ने धर्मान्तरण किया है तो सरकार इस संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

श्री मोइनुल हसन अहमद : महोदय, समाचार पत्रों से मुझे पता चला है कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि गुजरात और उड़ीसा की घटनाएं व्यापक पैमाने पर किए गए धर्मान्तरण का परिणाम थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, मंत्रिमंडल की भी यही राय है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक गुजरात की घटना का संबंध है। इस बारे में मैंने पहले के प्रश्न में उत्तर दे दिया है, इस विशेष मामले में पूछा गया है कि कितने ईसाई हैं, कितनों ने धर्मान्तरण किया है ओर कितनों ने पुनः धर्मान्तरण किया है। जैसा मैंने कहा है कि इस संबध में केन्द्रीय सरकार कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : अध्यक्ष महोदय हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद कुछ वर्गों द्वारा अब ईसाईयों पर हमले किए गए हैं और अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि लोगों का जबरन धर्मान्तरण किया जा रहा है। फिर कुछ जिम्मेदार लोगों और स्वयंसेवी संगठनों ने लोगों को उकसाया भी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह गंभीर मामला नहीं है, सरकार यह क्यों सोच रही है कि वह कार्यवाही करेंगे? सरकार को इस बात का पता लगाने के लिए विशेष जांच के आदेश देने चाहिए कि अफवाहें कैसे फैलाई गई हैं। यदि हम अपने देश के सौ सालों के इतिहास को देखें तो भारत में धर्मान्तरण नहीं हुआ है अर्थात् हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में या इसके विपरीत धर्मान्तरण नहीं हुआ है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अब यह समस्या क्यों पैदा हुई है? धर्मान्तरण के नाम पर भारत में ये हमले हो रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि धर्मान्तरण और सूचना के अभाव के बारे में भ्रांति व अफवाहों को तुरंत रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। जब तक आप अपना प्रश्न पूरा नहीं करते आपको उत्तर नहीं मिल सकता है।

(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : गृह मंत्री को इस समस्या के समाधान के लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाओं के बारे में सभा को आश्वासन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को कोई आपत्ति है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रोजगार सृजन कार्यक्रम

*4. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1998-99 के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.) घटक तथा शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) के अन्तर्गत आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम तथा शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

शहरी मजदूरी रोजगार और शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत राज्यवार राशियों का आबंटन और देश में इसका लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	आवंटित केन्द्रीय राशियां		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत पूर्ण/चालू निर्माण कार्यों के तहत सृजित मानव दिवसों की संख्या	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या
		शहरी मजदूरी कार्यक्रम	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम			
		(लाख रुपयों में)		(आंकड़ा लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	425.63	713.65	शून्य	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.19	39.82	शून्य	*	*
3.	असम	261.81	410.52	शून्य	*	*
4.	बिहार	242.85	407.27	0.10	102	396
5.	गोवा	8.75	14.65	*	*	*
6.	गुजरात	245.88	412.40	0.31	2432	240
7.	हरियाणा	41.78	70.21	0.07	*	137
8.	हिमाचल प्रदेश	20.50	43.44	*	*	*
9.	जम्मू व कश्मीर	10.63	50.68	*	82	*
10.	कर्नाटक	345.56	579.12	शून्य	*	*
11.	केरल	116.94	195.95	शून्य	*	*
12.	मध्य प्रदेश	470.56	788.21	5.61	10662	10012
13.	महाराष्ट्र	616.36	1071.93	0.38	1147	1160
14.	मणिपुर	60.62	94.75	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	37.40	63.15	*	*	*
16.	मिजोरम	38.69	63.15		*	*
17.	नागालैंड	25.79	47.37	*	*	*
18.	उड़ीसा	112.60	188.64	2.8	253	222
19.	पंजाब	42.01	70.21	0.30	10	98
20.	राजस्थान	193.30	323.92	1.86	4485	2827
21.	सिक्किम	5.50	14.48	0.02	*	*
22.	तमिलनाडु	459.53	769.94	28.24	413	613
23.	त्रिपुरा	49.00	78.94	*	*	*
24.	उत्तर प्रदेश	618.87	1036.85	10.85	4211	1759
	पश्चिम बंगाल	255.25	427.75	5.42	141	3898
	द्वीप समूह	75.78	22.35	*	*	*
27.	चंडीगढ़	लागू नहीं	55.88	लागू नहीं	*	*
28.	दादरा व नगर हवेली	13.78	5.59	0.32	19	15
29.	दमण व द्वीव	34.44	11.18	*	*	*
30.	दिल्ली	लागू नहीं	164.61	लागू नहीं	*	*
31.	पाण्डिचेरी	31.00	25.39	*	13	22
	कुल	4875.00	8262.00	56.28	23970	21399

* राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश राज्य सूचना नहीं दी गई।

महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचार

*5. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री यू.वी. कृष्णमराजु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जनवरी, 1999 के "स्टेट्समैन" में "वीमेन अनसेफ डेस्पाइट पुलिस टाल क्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग पर अत्याचार के मामलों की राज्यवार दर्ज संख्या कितनी है;

(ग) क्या महानगरों, विशेषकर दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तथा पुलिस सहायता उपलब्ध कराने या मामले दर्ज करने तक में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन मामलों में कितने लोगों की जान गई है;

(च) इन मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(छ) देश में महिलाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (छ) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों के मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

इसी अवधि के दौरान महानगरीय शहरों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचारों के मामलों की

संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	दिल्ली			मुम्बई		
	महिलाओं	अनु.जाति	अनु जनजाति	महिलाओं	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1996	2295	11	0	1424	0	0
1997	2380	19	0	2386	4	0
1998	2508	11	0	1051	5	1
	कलकत्ता			चेन्नई		
1996	436	0	0	983	0	0
1997	459	0	0	575	0	0
1998	463	0	0	258	0	0

अत्याचारों के परिणामस्वरूप मारे गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित विशिष्ट सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। तथापि, 1996 और 1997 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और 1996 और 1997 के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम		अनु.जाति/ अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.		महिलाएं	
1996	1997	1996	1997	1996	1997
3404	3052	32152	26608	195436	198281

वर्ष 1998 के संबंध में इसी प्रकार की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने और पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों के बारे में निवारात्मक और दण्डात्मक उपाय करने की आवयश्कता पर जोर देते हुए केन्द्र सरकार, समय-समय, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखती रही है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना, पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठों का सृजन, पुलिस में महिलाओं की भर्ती आदि शामिल हैं। केन्द्र सरकार का बलात्कार के लिए मृत्यु दण्ड की सजा देने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव भी है।

जहां तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के लिए कदम उठाने का प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने भी कुछ अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और वह इस बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

विवरण-I

1996, 1997 और 1998 के दौरान महिलाओं के प्रति अपरोधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996	1997	1998	
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	9607	10757	10864	अक्टूबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	106	104	61	अक्टूबर

1	2	3	4	5	
3.	असम	2793	3407	1693	अक्टूबर
4.	बिहार	5349	5888	उ.न.	
5.	गोवा	82	187	105	नवम्बर
6.	गुजरात	5139	5809	5401	नवम्बर
7.	हरियाणा	2335	2314	2599	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	803	801	739	नवम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	1210	1523	1385	अक्टूबर
10.	कर्नाटक	5379	5679	5190	नवम्बर
11.	केरल	2916	4134	4201	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	14959	16170	13238	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	16567	16270	13952	
	[illegible]	94	85	65	नवम्बर
	[illegible]ालय	72	87	31	अगस्त
16.	मिजोरम	104	110	111	नवम्बर
17.	नागालैंड	43	44	13	
18.	उड़ीसा	4163	4446	3036	अगस्त
19.	पंजाब	910	951	1172	
20.	राजस्थान	10575	11221	11438	नवम्बर
21.	सिक्किम	65	50	35	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	9232	9044	8040	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	313	375	291	
24.	उत्तर प्रदेश	13614	11849	13944	अक्टूबर
25.	पश्चिम बंगाल	6453	7923	5987	नवम्बर
	कुल (राज्य)	112883	118328	103591	
26.	अंड. नि. द्वीप समूह	25	27	23	
27.	चंडीगढ़	70	83	170	
28.	दादरा व नगर हवेली	21	15	17	
29.	दमण व द्वीव	3	1	1	नवम्बर
30.	दिल्ली	2673	2725	2508	
31.	लक्षद्वीप	0	0	1	
32.	पाण्डिचेरी	48	79	56	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	2840	2930	2776	
	कुल (समस्त भारत)	115723	121258	106367	

विवरण–II

1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996	1997	1998	
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1629	1880	1530	अक्टूबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	अक्टूबर
3.	असम	0	0	0	अक्टूबर
4.	बिहार	810	710	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	1	2	2	नवम्बर
6.	गुजरात	1764	1831	1720	नवम्बर
7.	हरियाणा	63	93	146	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	66	61	56	नवम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	17	8	13	अक्टूबर
10.	कर्नाटक	1089	1227	1024	नवम्बर
11.	केरल	640	755	690	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	4075	4269	3650	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	1352	831	683	
14.	मणिपुर	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	अगस्त
16.	मिजोरम	0	0	0	नवम्बर
17.	नागालैंड	0	0	0	
18.	उड़ीसा	486	678	522	अगस्त
19.	पंजाब	12	11	23	
20.	राजस्थान	6623	5624	5275	नवम्बर
21.	सिक्किम	14	18	2	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	1812	1403	1719	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	10963	8500	5508	अक्टूबर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	नवम्बर
	कुल (राज्य)	31416	27901	22563	
26.	अंड. नि. द्वीप समूह	0	0	0	
27.	चंडीगढ़	0	1	0	

1	2	3	4	5
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
29.	दमण व द्वीव	0	0	0
30.	दिल्ली	11	19	11
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	13	23	10
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	24	43	21
	कुल (समस्त भारत)	31440	27944	22584

विवरण–III

1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996	1997	1998	
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	252	236	314	अक्टूबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	अक्टूबर
3.	असम	0	0	0	अक्टूबर
4.	बिहार	190	158	उ.न.	उ.न.
5.	गोवा	0	0	1	नवम्बर
6.	गुजरात	369	384	370	नवम्बर
7.	हरियाणा	1	5	28	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	नवम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	6	11	0	अक्टूबर
10.	कर्नाटक	180	78	67	नवम्बर
11.	केरल	122	139	129	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1466	1400	1471	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	337	189	153	
14.	मणिपुर	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	1	13	0	अगस्त
16.	मिजोरम	0	0	0	नवम्बर
17.	नागालैंड	0	0	0	
18.	उड़ीसा	179	238	192	अगस्त
19.	पंजाब	1	0	2	

1	2	3	4	5	
20.	राजस्थान	1393	1445	1061	नवम्बर
21.	सिक्किम	46	31	32	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	85	227	27	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	336	86	97	अक्टूबर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	नवम्बर
	कुल (राज्य)	4972	4641	3945	
26.	अंड. नि. द्वीप समूह	0	2	0	
27.	चंडीगढ़	0	0	0	
28.	दादरा व नगर हवेली	1	1	1	
29.	दमण व द्वीव	0	0	0	
30.	दिल्ली	0	0	0	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	
32.	पाण्डिचेरी	0	0	4	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	3	5	
	कुल (समस्त भारत)	4973	4644	3950	

[हिन्दी]

यूरिया पर राजसहायता

***6. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया पर राजसहायता जारी है;

(ख) उर्वरक कंपनियों द्वारा राजसहायता का स्वयं के लिए लाभ उठाने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए राजसहायता का लाभ किसानों तक पहुंचे, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्राप्त न होने और उनके द्वारा उसके लिए अधिक मूल्य का भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा यूरिया का बिक्री मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार, किसानों को फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। तद्नुसार निर्माताओं/आयातकर्ताओं को सब्सिडी/रियायत का भुगतान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किये गये वहनीय मूल्य पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री करने में समर्थ बनाने के लिये किया जाता है। सब्सिडी प्रक्रिया के माध्यम से हालांकि किसानों को उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से अलग रखा जाता है। फिरभी, निर्माता/आयातकर्त्ता को उस कम मूल्य के लिए मुआवजा दिया जाता है जिस पर उससे सांविधिक रूप से निर्धारित फार्मगेट मूल्य पर यूरिया प्राप्त करने वाले किसानों को इन उर्वरकों को बेचने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता रही है और देश के किसी भी भाग से यूरिया की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। डीएपी तथा एमओपी के मामले में, यद्यपि डीएपी की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि हुई है किन्तु आयातों के देरी से आगमन के कारण डीएपी तथा एमओपी की कभी-कभार कमी हुई है।

रबी 1998-99 के दौरान पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में डीएपी की अस्थाई कमी महसूस की गई थी। नवम्बर 1998 में प. बंगाल में अल्प-अवधि के दौरान एमओपी की कमी की सूचना मिली थी।

स्थानीय किस्म की इन कमियों पर काबू पाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये थे :—

(i) बन्दरगाहों में डीएपी पोतों को लंगरगाही में प्राथमिकता प्रदान की गई थी

(ii) संयंत्रों तथा बन्दरगाहों, दोनों से रेल द्वारा डीएपी के संचलन को प्राथमिकता प्रदान की गई थी।

(iii) ईंडियन पोटाश लि. के माध्यम से जोर्डन से लगभग 55,000 मी. टन डीएपी के अतिरिक्त आयातों की व्यवस्था की गई थी।

पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता

*7. **श्री प्रदीप कुमार यादव** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए और उन्हें राज्यवार कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है;

(घ) ऐसी सहायता के लिए लोगों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 1998-99 में "आकांक्षा" नामक एक प्रायोगिक योजना तैयार की।

(ख) योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) विवरण-I संलग्न है।

(ङ) विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

"आकांक्षा" योजना के ब्यौरे

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को शैक्षिक ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 1996-97 में यह योजना तैयार की गई। गरीबी रेखा से दोगुना नीचे के लोग पात्र हैं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में आवेदक को किसी पाठ्यक्रम में एक खास शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिला लिया होना चाहिए। महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रमों में एम.बी.ए. अथवा समकक्ष, मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुवेर्दिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी सहित चिकित्सा कार्यक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम तथा होटल प्रबंधन में डिप्लोमा हैं। सम्पूर्ण ऋण की वापसी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के 6 महीने बाद अथवा नौकरी मिलने के 3 महीने के बाद, जो भी पहले हो, आरंभ करते हुए 4.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 96 किस्तों में की जाती है।

विवरण-II

वर्षवार तथा राज्यवार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और उन्हें मंजूर राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	वर्ष (राशि हजार में)					
		1996-97		1997-98		1998-99	
		लाभार्थियों की सं.	राज्य माध्यम एजेंसी को निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की सं.	राज्य माध्यम एजेंसी को निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	राज्य माध्यम एजेंसी को निर्मुक्त राशि
1.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	2	59.130
2.	तमिलनाडु	–	–	–	–	9	245.48
	कुल	–	–	–	–	11	304.478

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार प्राप्त आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	बिहार	1
3.	चंडीगढ़	1
4.	दिल्ली	3

1	2	3
5.	गुजरात	1
6.	केरल	8
7.	कर्नाटक	6
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	14
10.	उड़ीसा	1
11.	पांडिचेरी	2
12.	राजस्थान	4
13.	तमिलनाडु	115
14.	उत्तर प्रदेश	2
15.	प. बंगाल	4
	कुल	176

गृह निर्माण उद्योग को बढ़ावा

*8. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री रमेश सी. जिगाजिनागी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गृह निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया के सरलीकरण और स्टाम्प ड्यूटी कम करने के उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या टिप्पणी है;

(ग) क्या इसके लिए राज्यों के आवास मंत्रियों/मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई अनुशंसाएं क्या हैं; और

(ङ) गृह निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) दस्तावेजों के पंजीकरण और बंधकपत्रों के निष्पादन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए राज्यों से कहा गया है। पंजीकरण शुल्क को कम फरने और प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने से आवास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। द्वितीय बंधक बाजार स्थापित करने के लिए प्रतिभूति पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने का भी अनुशंसा की गई है जिससे इस क्षेत्र में अधिक धन का आगमन हो सकेगा।

वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :—

> "स्टाम्प ड्यूटी सुधारों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 4.7.1997 को हुआ था। सम्मेलन के परिणामस्वरूप राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के सरलीकरण की सिफारिश की थी। विशेषज्ञों के दल ने अधिनियम को सरल बनाने के आदर्श कानून का मसौदा पहले तैयार कर लिया है। इस आदर्श कानून को सभी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।"

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मंत्रालय ने आवास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं :—

(1) आयकर अधिनियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन और सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क में रियायतें पिछले वर्ष के बजट में दी गई हैं। इस वर्ष के बजट में और रियायतें मांगी गई हैं।

(2) आवास के लिए कानूनी सुधार शुरू किए गए हैं। अध्यादेश के जरिये नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन कर दिया गया है। आदर्श किराया नियंत्रण कानून बनाया गया है। और उसे राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। राज्यों को इसे अपनाने की सलाह दी गई है। आवास को बढ़ावा देने के लिए नगर नियोजन और भवन निर्माण कानूनों में संशोधन करने की भी राज्यों को सलाह दी गई है। यह मंत्रालय मोचन रोध (फोरक्लोजरलॉ) कानून में भी संशोधन करने जा रहा है ताकि वसूली प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

(3) सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त संस्थानों के साथ परस्पर सहयोग के जरिये इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार नेशनल को-आपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के जरिये सहकारी क्षेत्र को और भी मजबूत बनाना चाहती है।

(4) सरकार उपयुक्त कम लागत और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के जरिये आवास को बढ़ावा देना चाहती है।

राज्यों को अनुदान

***9. श्री ए. गणेश मूर्ति :**

श्री वैको :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) की स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) कपार्ट द्वारा देश में कौन-कौन से कार्यकलाप शुरू किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितना-कितना अनुदान मंजूर किया गया;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार खर्च न किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1986 से अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और आज की स्थिति के अनुसार कितनी परियोजनाएं अपूर्ण हैं;

[illegible] तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितने [illegible] को काली सूची में डाला गया है;

(छ) उसके कारण क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) की स्थापना 1 सितम्बर, 1986 को की गयी थी।

(ख) कपार्ट द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन विकास के लिए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना;

(2) उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना;

(3) ग्राम श्री मेलाओं के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना;

(4) स्वैच्छिक क्षेत्र से संबंधित जानकारी के लिए आंकड़ा बैंक के रूप में कार्य करना; और

(5) स्वैच्छिक संगठनों तथा ग्रामीण समुदायों की क्षमता का निर्माण करना।

(ग) और (घ) सरकार कपार्ट को राज्यवार आधार पर अनुदान मंजूर नहीं करती है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कपार्ट को जारी किये गये अनुदान की राशि तथा कपार्ट के पास खर्च न की गयी बकाया राशि नीचे दी गयी है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	जारी की गयी राशि	खर्च न की गई बकाया राशि
1995-96	48.73	18.08
1996-97	50.00	27.80
1997-98	52.36	34.21

(ङ) 1.9.96 से 31.12.98 तक कपार्ट द्वारा 18,126 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है और 12,356 परियोजनाएं अपूर्ण हैं।

(च) अब तक कपार्ट द्वारा 248 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाला गया है। इसमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार संख्या नीचे दी गयी है :—

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
असम	01	-	-
आंध्र प्रदेश	शून्य	-	-
बिहार	01	-	-
दिल्ली	02	-	-
हरियाणा	02	-	-
कर्नाटक	शून्य	-	-
केरल	शून्य	-	-
मध्य प्रदेश	शून्य	-	-
महाराष्ट्र	शून्य	-	-
मणिपुर	03	-	-
नागालैंड	07	-	-
उड़ीसा	02	-	-
राजस्थान	01	-	-
तमिलनाडु	शून्य	-	-
उत्तर प्रदेश	02	-	-
पश्चिम बंगाल	03	-	-
कुल	24	शून्य	शून्य

(छ) जब कभी स्वच्छिक संगठन के कार्य को असंतोषजनक पाया जाता है तथा निधियों के दुरुपयोग, गलत कथन या नैतिक पतन के दूसरे कार्यों में भागीदारी सहित स्वैच्छिक संगठन की बदनीयती सिद्ध होती है, तो स्वैच्छिक संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है।

(ज) कपार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए 248 स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	की गयी कार्रवाई	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1.	काली सूची में डाले जाने की सूचना भेजी गयी	248
2.	कपार्ट के परियोजनाओं मूल्यांककों द्वारा जांच की गयी	58
3.	न्यायालय में विचाराधीन मामले	02
4.	पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया	01
5.	प्राथमिकी दर्ज की गयी	28
6.	विभागीय प्रक्रियाधीन	133
7.	सी.बी.आई. जांच	26

पंचायतों को धनराशि दिया जाना

*10. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन पंचायतों को दी जाने वाली सहायता रोकने का प्रस्ताव है जहां चुनाव नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों और इस कारण रोकी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों ने आबंटित राशि को दूसरी मदों पर खर्च कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243ड़ में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल यदि जल्दी भंग न की जाय, इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए है। पंचायतों के चुनाव उपर्युक्त 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कराना अपेक्षित है और हर हालत में पंचायतों के भंग होने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले ऐसे चुनाव कराए जाएंगे। यह प्रावधान अनिवार्य है और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग अथवा राज्य सरकारों के किसी भी तरह के विवेकाधिकार की गुंजाइश नहीं है।

निम्नलिखित राज्यों ने संविधान 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव नहीं कराए हैं :—

(1) अरुणाचल प्रदेश—राज्य में चुनाव नहीं कराए गए हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।

(2) असम—अक्तूबर, 1997 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण पंचायतों के चुनाव नहीं कराए गए हैं। राज्य सरकार अनेक कारण बता रही है।

(3) बिहार—राज्य में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं क्योंकि बिहार पंचायती राज अधिनियम के कुछ उपबंधों की वैधता के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अधिनिर्णय किया जाना है। इस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) पांडिचेरी—संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं क्योंकि पांडिचेरी पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी। चेन्नई उच्च न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो गया है और संघ राज्य प्रशासन इसके निहितार्थों की जांच कर रहा है।

(5) कर्नाटक—इस राज्य में पंचायतों के चुनाव मार्च, 1999 में होने हैं। यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने पंचायतों के चुनाव मार्च/अप्रैल, 1999 में नहीं कराने का निर्णय लिया है जबकि इस अवधि में चुनाव होने अपेक्षित हैं, जिसका कारण यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित मुद्दों पर नए पंचायत चुनावों से पहले विचार किए जाने की जरूरत है।

असम, कर्नाटक तथा पांडिचेरी सरकारों से अपने राज्यों में यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने उनसे पंचायत चुनावों के संबंध में संवैधानिक उपबंधों का पालन करने का अनुरोध किया है और उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि यह उन राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्धारित निधियों का हस्तांतरण जारी नहीं रख सकेगी जहां पर पंचायतें गठित नहीं हुई हैं। अभी इस निर्णय पर अमल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

आबंटित निधियों को दूसरे कामों में लगाने के संबंध में ऐसी कोई विशेष सूचनाएं नहीं मिली हैं कि निधियों का दूसरे कामों में उपयोग किया गया है। राज्य सरकारों को निधियां रिलीज करने के मंजूरी आदेश में निश्चित रूप से यह शर्त होती है कि रिलीज की गई निधियां केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी जिनके लिए ये मंजूर की गई हैं। राज्य सरकारों को अनेक बार और विभिन्न स्तरों पर यह भी परामर्श दिया गया है कि आबंटित निधियों का केवल उन उद्देश्यों, जिनके लिए ये रिलीज की गई हैं, के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के

लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि सामाजिक आडिट करने के लिए ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाएं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का खरीद मूल्य

*11. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**

प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1999 सहित गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं चावल और चीनी के खरीद मूल्य में अनेक बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मदों का किस तारीख से तथा कितना-कितना बढ़ाया गया

(ग) क्या सरकार ने खरीद मूल्य में वृद्धि करने से पहले उत्पादन लागत का कोई मूल्यांकन कराया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि के समय उत्पादन लागत कितनी थी; और

(ङ) इस संबंध में मूल्य वृद्धि के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) (1) सरकार प्रत्येक मौसम से पहले गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। केवल केन्द्रीय पूल के लिए चावल की आपूर्ति करने हेतु चावल मिल मालिकों/व्यापारियों को देय लेवी चावल के मूल्य प्रत्येक मौसम में निर्धारित किए जाते हैं।

पिछले तीन विपणन मौसमों के लिए गेहूं और धान के निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	गेहूं	न्यूनतम समर्थन मूल्य धान		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
1	2	3	4	5
1996-97	380	380 साधारण	395 ग्रेड "ए"	415
1997-98	415*	415		445
1998-99	455*	440		470

*बोनस को छोड़कर

विपणन वर्ष : अक्तूबर-सितम्बर-धान/चावल
अप्रैल-मार्च-गेहूं

(2) पिछले तीन विपणन मौसमों के लिए निर्धारित किए गए लेवी चावल के राज्यवार मूल्य बताने वाला विवरण-I और II संलग्न हैं।

(3) पिछले तीन वर्षों में रहे लेवी चीनी के निकासी-मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर)	लेवी चीनी के निकासी मूल्य
1996-97	1000.77
1997-98	1022.46
1998-99	अभी निर्धारित किए जाने हैं लेकिन अनुमानों से पता चलता है कि 52.70 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर लेवी चीनी का निकासी मूल्य 1079.52 रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) जी, हां।

गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। अपनी सिफारिशें देते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग अनेक महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करता है। उत्पादन लागत अति महत्वपूर्ण और ठोस घटक हैं। मुख्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत और प्रोत्साहन के रूप में किसानों के लिए लाभ का संगत मार्जिन दर्शाते हैं।

लेवी चावल के मूल्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक प्रभार गैर-सांविधिक प्रभार और धान के आउट-टर्न अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार ज्ञात किए गए लेवी चावल के मूल्य मुख्यतया चावल मिल-मालिकों/डीलरों द्वारा धान को चावल में बदलने की रूपांतरण लागत दर्शाते हैं।

विवरण-I

1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चावल (रॉ व सेला) के वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण 1996-97		बढ़िया 1996-97		उत्तम 1996-97	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
1. आन्ध्र प्रदेश	676.90	680.60	701.50	704.80	734.40	737.20
2. असम	637.20	641.50	660.30	664.20	691.00	694.50
3. हरियाणा/दिल्ली	671.70	675.50	696.10	699.50	728.70	731.60
4. कर्नाटक	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30
5. म.प्र.	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30
6. महाराष्ट्र	627.10	631.50	649.70	653.80	679.80	683.40
7. उड़ीसा	654.20	658.30	677.90	681.60	709.60	712.80
8. पंजाब	678 30	681.90	702.90	706.30	735.90	738.70
9. राजस्थान	663.30	667.20	687.40	690.90	719.50	722.60
10. उत्तर प्रदेश*	651.40	655.50	675.00	678.70	706.50	709.80
11. प. बंगाल	623.00	627.50	645.65	649.70	675.50	679.20
12. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	659.90	663.80	683.80	687.40	715.80	719.00
13. पांडिचेरी	620.20	624.70	–	–	–	–
14. बिहार	–	–	–	–	–	–

* उत्तर प्रदेश में यदि धान पर 4 प्रतिशत की दर पर मंडी शुल्क लगाया जाता है तो लेवी मूल्य निम्नानुसार होंगे :—

	1996-97	
	रॉ	सेला
साधारण	662.70	666.60
बढ़िया	686.80	690.30
उत्तम	718.90	722.00

विवरण-II

1997-98 व 1998-99 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चावल (रॉ व सेला) के वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण				ग्रेड "ए"			
	1997-98		1998-99		1997-98		1998-99	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	735.10	738.70	783.40	786.30	784.40	787.20	832.70	834.80
2. असम	691.80	696.00	737.50	741.00	737.90	741.40	783.60	786.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. हरियाणा/दिल्ली	729.40	733.10	780.70	783.60	778.20	781.20	829.80	831.90
4. कर्नाटक	679.40	683.80	724.30	728.10	724.60	728.30	769.60	772.60
5. म.प्र.	679.40	683.80	724.30	728.10	724.60	728.30	769.60	772.60
6. महाराष्ट्र	680.50	684.90	725.50	729.20	725.70	729.40	770.60	773.70
7. उड़ीसा	710.30	714.30	757.20	760.40	757.80	761.00	804.60	807.20
8. पंजाब	736.60	740.20	788.40	791.20	786.00	788.80	838.00	840.10
9. राजस्थान	720.20	724.00	767.70	770.80	768.40	771.50	815.90	818.20
10. उत्तर प्रदेश*	707.20	711.20	757.20	760.40	754.50	757.80	804.60	807.20
11. प. बंगाल	676.30	680.70	721.00	724.80	721.30	725.00	766.00	769.20
12. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	716.50	720.40	763.70	766.90	764.40	767.60	811.60	814.10
13. पांडिचेरी	673.20	677.70	717.80	721.60	717.90	721.80	762.50	765.70
	–	–	721.00	724.80	–	–	766.00	769.20

... यदि धान पर 4 प्रतिशत की दर पर मंडी शुल्क लगाया जाता है तो लेवी मूल्य निम्नानुसार होंगे :–

	1996–97		*1997–98*	
	रॉ	*सेला*	*रॉ*	*सेला*
साधारण	662.70	666.60	719.60	723.40
ग्रेड "ए"	–	–	767.80	770.80

प्रौढ़ शिक्षा की दर

***12. श्री रामचन्द्र बैंदा :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा दर क्या है;

(ख) प्रौढ़ शिक्षा दर के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है;

(ग) क्या सरकार का देश में प्रौढ़ शिक्षा दर में वृद्धि करने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, देश की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अभी हाल ही में 53वें दौर के आंकड़ों को प्रकाशित किया है। इसके अनुसार, वर्ष 1997 के अन्त में देश की साक्षरता दर 62 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के निष्कर्षों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए जो मानव संसाधन विकास रिपोर्ट 1998 में प्रकाशित की गई थी, उस रिपोर्ट में तालिकाबद्ध 174 देशों की सूची में भारत की साक्षरता दर 146वें स्थान पर थी। तथापि, यह स्थान वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है।

(ग) और (घ) देश में प्रौढ़ साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कोई नया कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को पुनर्गठित तथा पुनः निर्धारित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संगठनों को अधिकाधिक शामिल करना, राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक विद्यापीठों को खोलना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों को विकेन्द्रित करना, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा आदि कार्यक्रमों के विस्तार के जरिए बेहतर अनुवर्ती कार्यवाही तथा समेकन सुनिश्चित करना शामिल है।

विवरण–I

भारत/राज्य अथवा संघ राज्य	साक्षरता दर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4
भारत	51.21	64.13	39.29
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72
2. अरुणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69
3. असम	52.89	61.87	43.03
4. बिहार	38.48	52.49	22.89
5. गोवा	75.51	83.64	67.09
6. गुजरात	61.29	73.13	48.64
7. हरियाणा	55.85	69.10	40.47
8. हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.13
9. कर्नाटक	56.04	67.26	44.34
10. केरल	89.81	93.62	86.17
11. मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85
12. महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32
13. मणिपुर	59.89	71.63	47.69
14. मेघालय	49.10	53.12	44.85
15. मिजोरम	82.27	85.61	78.60
16. नागालैंड	61.65	67.62	54.75
17. उड़ीसा	49.09	63.09	34.68
18. पंजाब	58.51	65.66	50.41
19. राजस्थान	38.55	54.99	20.44
20. सिक्किम	56.94	35.74	46.69
21. तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33
22. त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65
23. उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31
24. पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46
2. चंडीगढ़	77.81	82.04	72.34
3. दादरा और नगर हवेली	40.71	53.56	26.98
4. दमन और द्वीव	71.20	82.66	59.40
5. दिल्ली	75.29	82.01	66.99
6. लक्षद्वीप	81.78	90.18	72.89
7. पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63

इसमें जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वर्ष 1991 में वहां जनगणना नहीं हुई थी।

विवरण–II

वर्ष 1997 के अन्त में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 53वें दौर के सर्वेक्षण के परिणाम

भारत/राज्य	साक्षरता दर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4
भारत	62	73	50
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	54	64	43
2. अरुणाचल प्रदेश	60	69	48
3. असम	75	82	66
4. बिहार	49	62	34
5. दिल्ली	85	91	76
6. गोवा	86	93	79
7. गुजरात	68	80	57
8. हरियाणा	65	76	52
9. हिमाचल प्रदेश	77	87	70
10. जम्मू और कश्मीर	59	71	48
11. कर्नाटक	58	66	50
12. केरल	93	96	90
13. मध्य प्रदेश	56	50	41
14. महाराष्ट्र	74	84	63
15. मणिपुर	76	86	66

1	2	3	4
16. मेघालय	77	79	74
17. मिजोरम	95	96	95
18. नागालैंड	84	91	77
19. उड़ीसा	51	64	38
20. पंजाब	67	72	62
21. राजस्थान	55	73	35
22. सिक्किम	79	86	72
23. तमिलनाडु	70	80	60
24. त्रिपुरा	73	79	67
25. उत्तर प्रदेश	56	69	41
26. पश्चिम बंगाल	72	81	63

सुपर बाजार

*13. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने सुपर बाजार के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार, दिल्ली को दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रु. में)

वर्ष	अंश पूंजी	ऋण	राजसहायता	योग
1995-96	16.00	16.00	8.00	40.00
1996-97	16.00	16.00	–	32.00
1997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	32.00	32.00	8.00	72.00

यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि सुपर बाजार एक स्वायत्तशासी सहकारी संगठन है, व्यापार और प्रशासकीय मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिसका अपना निदेशक मंडल है। तथापि, सामान्य क्रियाकलाप के एक हिस्से के रूप में सरकार समय-समय पर सुपर बाजार, दिल्ली के काम की समीक्षा करती है। पिछली समीक्षा 29.6.1998 को की गई थी और उस बैठक के दौरान सुपर बाजार के कामकाज में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे :—

(1) सुपर बाजार 1995-96 और 1996-97 के परीक्षित लेखा विवरणों को शीघ्र प्रस्तुत करें;

(2) अपनी बिक्री में वृद्धि करें;

(3) शहरी क्षेत्रों में अपनी अलाभकारी शाखाओं, जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, को बंद करें;

(4) जहां कहीं संभव हो, अपने व्यय में कटौती करें;

(5) गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में सुधार करें;

(6) क्रय समिति का पुनर्गठन करें और प्रबंधकों को जबावदेही के साथ अधिकार का प्रत्यायोजन करें; और

(7) 8.50 करोड़ रुपए की बकाया उधार बिक्री की वसूली करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने सुपर बाजार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है और उसके कार्य की समीक्षा भी नहीं की है।

अंतर्राज्यीय परिषद्

*14. **श्री वी.वी. राघवन :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राज्यीय परिषद् की जनवरी, 1999 में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 355 तथा 356 के विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैठक में क्या आम सहमति हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय पर क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्। अंतर्राज्यीय परिषद की पांचवीं बैठक 22 जनवरी, 1999 को नई दिल्ली में हुई।

(ख) से (घ) इस बैठक में कार्य-सूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श हुआ :—

(1) सरकारिया आयोग रिपोर्ट, अध्याय-VI-आपातकालीन उपबन्ध, संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने के लिए सिफारिश और अन्य संबंधित सिफारिश;

(2) परिषद और इसकी समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया और मुद्दों की पहचान और चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त;

(3) अध्याय XI, आर्थिक और सामाजिक योजना;

(4) सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद के निर्णयों पर क्रियान्वयन रिपोर्ट।

विचार-विमर्श के दौरान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 पर एक राय नहीं थी।

(ङ) अन्तर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेजी जाएंगी।

गोदामों/भाण्डागारों का निर्माण

*15. **श्री विठ्ठल तुपे :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए देशभर में नए गोदामों/भाण्डागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों में गोदामों के निर्माण तथा वैनों/ट्रकों की खरीद हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना जारी रखने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ देश में 1775 पहचान किए गए ब्लाकों में प्रचालित समुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनावश्यक हो गई है। तथापि, पूर्व के सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित गोदामों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नए गोदामों का निर्माण करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

(ग) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने और वेनों/ट्रकों की खरीददारी करने की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना जारी है।

(घ) गोदामों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से दुर्गम, पहाड़ी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 2000 टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों तक जिन्सों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वैनों/ट्रकों की योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सें विशेष रूप से दूर-दराज, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वितरित करने के लिए वैनों/ट्रकों की खरीदारी हेतु वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है जहां स्थायी उचित दर दुकानें व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं। दोनों योजनाओं के वित्त पोषण का पैटर्न 50 प्रतिशत सहायता अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है।

(ङ) गोदामों और मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीदारी की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित निधियां क्रमशः संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

पूर्व की सं.सा.वि.प्र. के क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित गोदामों के स्थान-वार ब्यौरे

क्र.सं.	स्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	पोर्ट ब्लेअर	अंडमान निकोबार	2500
2.	गुमला	बिहार	5000
3.	बारामूला	जम्मू व कश्मीर	5000
4.	कुपवाड़ा	-वही-	5000
5.	पुलवामा	-वही-	2500
6.	बडगांव	-वही-	2500
7.	किश्तवार	-वही-	5000
8.	मीनांगड़ी	केरल	5000

1	2	3	4
9.	अराकुलम	केरल	5000
10.	परलेकमुंडी	उड़ीसा	10000
11.	पडरौना	उत्तर प्रदेश	2500
12.	पिथौरागढ़	–वही–	2500
13.	सिमली	–वही–	2500

विवरण–II

सा.वि.प्रा. के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गोदाम निर्माण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1983 से 19.2.99 तक रिलीज की गई वित्तीय सहायता

राज्य क्षेत्र	राशि (लाख रुपये में)	क्षमता (टन में)	गोदामों की संख्या
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	137.40	5400	18
2. अरुणाचल प्रदेश	27.70	800	5
3. असम	283.70	23300	12
4. बिहार	106.40	9000	9
5. गोवा	0.00	0	0
6. गुजरात	395.72	16000	29
7. हरियाणा	165.29	16570	7
8. हिमाचल प्रदेश	102.76	3500	12
9. जम्मू व कश्मीर	555.54	14200	53
10. कर्नाटक	132.00	8200	31
11. केरल	71.50	3000	3
12. मध्य प्रदेश	522.88	32000	32
13. महाराष्ट्र	206.16	10442	21
14. मणिपुर	194.80	5000	25
15. मेघालय	46.00	2400	3
16. मिजोरम	296.25	13200	39
17. नागालैण्ड	92.82	2050	37
18. उड़ीसा	208.00	13000	52
19. पंजाब	0.00	0	0
20. राजस्थान	697.65	52050	30
21. सिक्किम	64.50	2600	7
22. तमिलनाडु	50.00	2480	18
23. त्रिपुरा	113.02	3250	11
24. उत्तर प्रदेश	837.76	24750	65
25. पश्चिम बंगाल	96.46	6000	12
26. अं. निकोबार	46.00	1000	2
27. चंडीगढ़	0.00	0	0
28. दादरा नगर हवेली	0.00	0	0
29. दमन व दीव	0.00	0	0
30. दिल्ली	0.00	0	0
31. लक्षद्वीप	7.50	500	1
32. पांडिचेरी	0.00	0	0
	जोड़	5457.81	270692	534

विवरण–III

सा.वि.प्रा. के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए वाहनों/ट्रकों की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995 से 19.2.1999 तक रिलीज की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रुपये में)	वाहनों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	325.00	71
2.	अरुणाचल प्रदेश	158.64	34
3.	असम	136.13	37
4.	बिहार	216.73	86
5.	गोवा	0.00	0
6.	गुजरात	0.00	0
7.	हरियाणा	65.00	20
8.	हिमाचल प्रदेश	365.00	69

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	492.17	83
10.	कर्नाटक	713.00	38
11.	केरल	282.78	66
12.	मध्य प्रदेश	617.00	164
13.	महाराष्ट्र	1085.90	229
14.	मणिपुर	156.50	46
15.	मेघालय	41.00	13
16.	मिजोरम	132.76	32
17.	नागालैण्ड	50.00	17
18.	उड़ीसा	590.50	135
19.	पंजाब	10.00	4
20.	राजस्थान	394.50	122
21.	सिक्किम	25.73	8
22.	तमिलनाडु	136.74	36
23.	त्रिपुरा	128.00	26
24.	उत्तर प्रदेश	280.00	97
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	25
26.	अं. निकोबार	20.00	5
27.	चंडीगढ़	5.00	2
28.	दादरा नगर हवेली	0.00	0
29.	दमन व दीव	0.00	0
30.	दिल्ली	0.00	0
31.	लक्षद्वीप	4.00	1
32.	पांडिचेरी	0.00	0
	जोड़	5932.08	1466

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

***16. श्री एम. बागा रेड्डी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने गन्ने के न्यूनतम सरकारी मूल्य और गेहूं व चावल के न्यूनतम रक्षित भण्डार स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गन्ने के संबंध में की गई वृद्धि कितनी है;

(ग) गेहूं व चावल के लिए कुल कितना रक्षित भंडार निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के रक्षित भण्डार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने गेहूं और चावल का आयात न करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी मौसम, 1997-98 के लिए गन्ने के 48.45 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के प्रति चीनी मौसम 1998-99 के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 52.70 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जिसमें इस स्तर से ऊपर रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 0.62 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

(ग) नौवीं योजनावधि के लिए गेहूं और चावल के बफर स्टाक का न्यूनतम स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

(मिलियन टन में)

तारीख	गेहूं	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	4.0	11.8	15.8
पहली जुलाई	14.3	10.0	24.3
पहली अक्तूबर	11.6	6.5	18.1
पहली जनवरी	8.4	8.4	16.8

(घ) और (ङ) खाद्यान्नों के आवंटन और उठान के स्तर पर निर्भर करते हुए, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक घटता-बढ़ता रहता है। तथापि, 1.1.1999 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में कुल 24.38 मिलियन टन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का स्टाक था जबकि बफर स्टाक रखने के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार पहली जनवरी को 16.80 मिलियन टन खाद्यान्नों का स्टाक होना चाहिए।

(च) और (छ) गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मार्च, 1994 से खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी का आयात किया जाता है। तथापि, 1997-98 और 1998-99 के दौरान अब तक सरकारी खाते पर चीनी की कोई आयात नहीं किया गया है।

विज्ञान के लिए निधियों का आबंटन

*17. **श्री प्रसाद बाबू राव तनपुरे :**

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विज्ञान के लिए किया गया आबंटन विश्व में औद्योगिकीकृत राष्ट्रों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो विश्व में कुछ औद्योगिकीकृत राष्ट्रों के साथ-साथ भारत में इस समय विज्ञान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या गत वर्ष हैदराबाद में सम्पन्न हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 85वें सत्र में निधियों के आबंटन में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) के 2 प्रतिशत तक वृद्धि करने की सिफारिश की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

— द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या अथवा उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विभिन्न देशों में अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) व्यय के तुलनात्मक आंकड़े को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी) की प्रतिशतता के रूप में रखा जाता है। समग्र रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया गया आबंटन पहली योजनावधि में 20 करोड़ रुपये की तुलना में आठवीं योजना के अंत में 17,529 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। यह आवंटन भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 प्रतिशत पर स्थिर रहा जबकि विकसित देशों में यह 1 से 3 प्रतिशत तक रहा। जहां तक भारत का संबंध है, आंकड़ों में व्यापारिक घरानों तथा कंपनियों सहित उन स्रोतों के व्यय को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवदेन नहीं किया है। एक आकलन के अनुसार यदि ऐसे स्रोतों, व्यापारिक घरानों तथा कंपनियों के अंशदान को शामिल कर लिया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय 2 प्रतिशत के करीब होगा जैसा कि इस संबंध में भारतीय विज्ञान कांगेस के 85वें सत्र के दौरान सिफारिश की गई थीं।

(घ) और (ङ) भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 85वें सत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने, शैक्षिणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने, राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने, वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए अतिरिक्त पुरस्कार शुरू करने आदि के लिए अनुसंधान तथा विकास सहयोग को बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की गई। जहां एक ओर चल् रहे कार्यक्रमों द्वारा विज्ञान कांग्रेस द्वारा की गई कई सिफारिशों को समायोजित किया गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा शुरू किये गये नए कार्यक्रमों में इन सिफारिशों का भी ध्यान रखा गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान

*18. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रियान्वयन की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए खोले गए संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार अगले दो वर्षों में राज्यों में ऐसे और संस्थान खोलने का है; और

(घ) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच. एफ.डी.सी.) के माध्यम से न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा उद्यमीय विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना।

(2) विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य रोजगार कार्यालयों अथवा विशेष रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठों को चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

(3) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना।

(4) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजनाएं, विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास, जनशक्ति विकास के लिए कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों, प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों का पुनर्वास। तथापि, दिनांक 20.1.1999 से इन योजनाओं को "विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना" के अंतर्गत मिला दिया गया है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित संस्थान खोले गए हैं :—

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश।

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

(3) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई, महाराष्ट्र।

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दरबाद, आन्ध्र प्रदेश।

(5) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, जिला-कटक, उड़ीसा।

(6) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय बहु विकलांग संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु स्थापित करने का एक प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की संभलाई पर खर्च

*19. **डा. चिन्ता मोहन :**

श्री वीरेन्द्र वर्मा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की निर्धारित आर्थिक और अतिरिक्त लागत गत तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान वर्षवार और खाद्यान्नवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है;

(घ) ऐसे खर्चों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रशासनिक तथा संभलाई प्रभारों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) 1995-96 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की भारतीय खाद्य निगम की इकानामिक लागत और उपरि लागत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

रुपये/प्रति क्विंटल

		1995-96	1996-97 अंनतिम/ वास्तविक	1997-98 (संशोधित अनुमान)	1998-99 (बजट अनुमान)
	गेहूं				
(क)	अनाज की एकीकृत लागत	351.04	390.73	497.02	517.05
(ख)	**उपरि लागत**				
(1)	राज्य एजेंसियों के लिए वसूली प्रासंगिक खर्च और रख-रखाव लागत	120.31	134.37	127.86	136.00
(2)	वितरण लागत	112.60	115.06	175.62	154.90
(ग)	इकानामिक लागत (क+ख)	583.95	640.16	800.50	807.95
	चावल				
(क)	अनाज की एकीकृत लागत	581.38	627.99	686.70	743.98
(ख)	**उपरि लागत**				
(1)	राज्य एजेंसियों के लिए वसूली प्रासंगिक खर्च और रख-रखाव लागत	54.10	61.41	64.15	65.50
(2)	वितरण लागत	127.34	158.29	189.50	170.88
(ग)	इकानामिक लागत (क+ख)	762.82	847.69	940.40	980.36

(घ) मुख्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य/अनाज की खर्च रहित लागत में वृद्धि होने, सांविधिक प्रभारों में यथा-मूल्य वृद्धि होने और 50 किलोग्राम की बोरियों में पैकिंग लागू करने के परिणामस्वरूप अन्नाज की एकीकृत लागत में वृद्धि होने के कारण अधिग्रहण लागत में वृद्धि हुई है। भाड़े में वृद्धि होने और हैंडलिंग लागतों में वृद्धि होने, वेतन संशोधन होने, श्रमिकों का प्रगामी विभागीकरण होने के कारण वितरण लागत में वृद्धि हुई है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन लागतों को कम करने/नियंत्रित रखने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम की इकानामिक लागत कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(2) यद्यपि अनाज की वसूली मौसमी होती है लेकिन भारतीय खाद्य निगम भंडारण लागत में कमी करने के प्रतिशत औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

(3) भाड़े के खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली और संचलन के 1:1.35 के अनुपात की अनुपालन की जा रही है।

(4) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में कमियों में गिरावट लाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) रेलवे डेमरेज प्रभारों में कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(6) केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊंचे मूल्यों पर खुले बाजार में अतिरिक्त स्टाक को निर्मुक्त किया जा रहा है।

(7) भारतीय खाद्य निगम परिणामी प्रवेश स्तर के पदों पर भर्ती में प्रतिबंध लगाकर प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है और अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग प्रतिवर्ष 800 कर्मचारी कम कर रहा है।

[अनुवाद]

भारत द्वारा जीते गए पदक

*20. **श्री के. येरननायडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सम्पन्न हुए एशियाई खेलों में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए;

(ख) क्या सरकार खेलकूद में किए गए प्रदर्शन से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारत ने दिनांक 6 से 20 दिसंबर, 1998 तक बैंकाक में आयोजित एशियाई खेलों में 35 पदक (7 स्वर्ण, 11 रजत और 17 कांस्य पदक) प्राप्त किए थे जो 1994 और 1990 के एशियाई खेलों में प्राप्त पदकों की संख्या की तुलना में काफी अधिक हैं जिनमें भारत ने क्रमशः 4 और 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और प्रत्येक एशियाई खेलों में पदकों की कुल संख्या क्रमशः 23 पदक थी।

(ख) और (ग) जी, हां। खेलों के विद्यमान प्रदर्शन में सुधार लाने एवं उसे संघटित करने की दृष्टि से, सरकार ने खेलों का स्तर बढ़ाने हेतु प्रत्येक राष्ट्रीय खेल परिसंघ से एक विस्तृत दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है। प्रतिभा का पता लगाने के लिए सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर स्तरों पर टूर्नामेंट आयोजित करने पर बल दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि सृजित करने में नयी पहल की है। इसने होनहार खिलाड़ियों के लिए एक योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत अलग-अलग खिलाड़ियों को खेलों में अपना स्तर सुधारने के लिए 5.00 लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। सरकार द्वारा संचालित वर्तमान सभी खेल संबंधी योजनाओं को उचित रूप से संशोधित कर दिया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण से नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और अपेक्षित वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को चयनात्मक आधार पर भी नियुक्त किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा जारी धनराशि

1. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से उपरोक्त वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बालासौर और भद्रक जिलों में इस श्रेणी के किसी भी लाभार्थी को ऋण नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उड़ीसा को निर्मुक्त किए गए आवधिक ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि
1995–96	शून्य
1996–97	शून्य
1997–98	441.41 लाख रुपए

(ग) भद्रक जिले के एक लाभग्राही को ऋण दिया गया था लेकिन बालासौर जिले के किसी भी लाभग्राही ने ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(घ) उड़ीसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की उत्सुकता की कमी के कारण इस अवधि के दौरान कम लाभग्राहियों को शामिल किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा निर्मुक्त धनराशि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्त पोषित लाभग्राहियों की संख्या					
		1995–96 लाभग्राहियों की संख्या		1996–97 लाभग्राहियों की संख्या		1997–98 लाभग्राहियों की संख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नयागढ़	1	–	–	–	–	–
2.	कालाहांडी	1	–	1	–	2	2
3.	बोलनगीर	2	–	–	–	5	3
4.	भद्रक	1	–	–	–	–	–
5.	झारसूगोडा	–	1	–	–	–	–
6.	बौद्ध	1	–	–	–	1	–
7.	नासपाडा	1	–	–	–	–	–
8.	पुरी	3	–	1	–	–	–
9.	संभलपुर	–	–	1	–	1	1
10.	केन्द्रपाडा	–	–	1	–	7	–
11.	रायागढ़	–	–	1	–	–	–
12.	धनकना	–	–	1	–	–	–
13.	कटक	–	–	–	–	7	–
14.	जगत सिंहपुर	–	–	–	–	5	–
15.	जजपुर	–	–	–	–	5	1
16.	गंजम	–	–	–	–	7	–
17.	दियोगढ़	–	–	–	–	–	–
18.	बारगढ़	–	–	–	–	2	–

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	फुलवनी	–	–	–	–	–	3
20.	सुन्दरगढ़	–	–	–	–	5	9
21.	मेलकानगिरी	–	–	–	–	–	1
22.	खुर्दा	–	–	–	–	6	–
23.	मयूरभंज	–	–	–	–	2	3
24.	कांझेर	–	–	–	–	5	10
25.	सोनपुर	–	–	–	–	2	–
	कुल	10	1	6	–	62	34

विकास हेतु उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क

श्री **अजय कुमार एस. सरनायक :**

श्री सी.डी. गामीत :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी योजना की रिपोर्ट के प्रारूप में ग्रामीण विकास कार्यों के लिए उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क का प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें "वेब टक्नोलॉजी, इन्टरैक्टिव मल्टीमीडिया, वीडियो कान्फ्रेसिंग, इन्फॉर्मेशन किलयिरिंग हाउसेस" जैसी अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं ताकि प्रशिक्षण हेतु पूर्ण समाधान न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराया जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(1) ग्रामीण विकास कार्यों की मदद के लिए विकसित सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा का निर्माण।

(2) योजना और कार्यक्रम की प्रभावी आनलाइन प्लानिंग निगरानी और प्रबन्ध, के लिए सभी स्तरों पर प्रबन्ध, निर्णय और प्लानिंग सहायता प्रणालियों का सृजन।

(3) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी इंटरफेस का समावेश।

(4) लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्यक्रमों और योजनाओं की जागरूकता और समझ तथा कार्यान्वयन के मामले पर एकरूपता बनाए रखने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों, ब्लाक स्तर के कार्यकर्ताओं, जिला स्तर के अधिकारियों, राज्य स्तर के अधिकरियों जैसे विभिन्न स्तरों के लक्षित समूह के पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण आन लाइन, निरन्तर प्रशिक्षण की अत्यधिक मांग है।

एगमार्क प्रमाणन

3. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध कृषि खाद्य उत्पाद एगमार्क प्रमाणन के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार हाल के ड्राप्सी प्रकोप को देखते हुए सभी खाद्य उत्पादों के लिए एगमार्क प्रमाणन को अनिवार्य बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नाकन) अधिनियम, 1937 में संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का बंद किया जाना

4. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राशन की दुकानों के माध्यम से इन स्थानों पर अनाजों के वितरण में बाधा पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में राशन प्रणाली के वितरण तथा बेरोजगार लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास में 80,000 टन की क्षमता वाले ब्रुकलीन डिपो और भारतीय खाद्य निगम के आसनसोल स्थित 40,000 टन की क्षमता वाले गोदाम को खाली करने का निर्णय इस वजह से लिया गया है क्योंकि ये गोदाम भंडारण योग्य नहीं थे और इनका उपयोग भी कम हो रहा था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए सार्वजनिक वितरण हेतु खाद्यान्नों को नजदीकी डिपुओं से जारी किया जाएगा।

स्टाफ के किसी भी सदस्य अथवा कामगार की छंटनी नहीं होगी क्योंकि उन्हें निगम के अन्य डिपुओं में खपा लिया जाएगा।

नशीले पदार्थों की तस्करी

5. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) नशीले पदार्थों की तस्करी का कार्य चोरी-छिपे किया जाता है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता है कि इसकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(कि.ग्रा. में)

नशीले पदार्थ	1996	1997	1998 (अनन्तिम)
अफीम	2875	3221	1614
हैरोईन	1257	1332	520
गांजा	62992	80866	56331
भांग	6520	3285	7774
मथाकालोन	2212	1740	2081
मामले	12917	13958	9641
गिरफ्तारियां	13554	14565	10426

(ग) भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता रखना तथा प्रवर्तन के प्रयासों को तेज करना; अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ताकि उनकी कारगरता में सुधार लाया जा सके; भारत-पाक सीमा पर बाड़ और फ्लड लाईट लगाना; नशीले पदार्थों के निषेधादेश के अधिकारों के साथ सीमा सुरक्षा बल और तट रक्षकों को तैनात करना; मुखबिरों/प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना लागू करना; प्रवर्तन एजेन्सियों की तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित करना, द्विपक्षीय समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ बैठकें करना; म्यांमार सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता शुरू करना, इत्यादि।

चंडीगढ़ में अवैध बस्तियों का निर्माण

6. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में वैध और अवैध रूप से बनी श्रमिक बस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन कालोनियों को बसाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन सभी बस्तियों को कब तक बसाया जाएगा और जीवन की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में 23 अधिकृत और 20 अनधिकृत कालोनियां हैं। 20 अनधिकृत कालोनियों में से 11 (संलग्न विवरण-I) सरकारी भूमि पर

हैं और 9 (संलग्न विवरण–II) गैर सरकारी भूमि पर (अलग सूची संलग्न)।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अब तक पुनर्वासित कालोनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में है। क्रम सं. 22 में उल्लिखित कालोनी, नामतः एसबीएस कालोनी, कारसन को वर्ष, 1998 में सेक्टर 52, चंडीगढ़ में पुनर्वासित कर दिया गया है। क्र. सं. 4 (विवरण–I) में उल्लिखित मजदूर (लेबर) कालोनी, सेक्टर 31 और क्र.सं. 6 (विवरण–II) में उल्लिखित इंदिरा आवास कालोनी, कारसन के पुनर्वास की प्रक्रिया चालू है और यह प्रक्रिया 31 मार्च, 99 तक पूरी हो जाएगी।

(ग) सरकारी भूमि पर शेष 9 मजदूर (लेबर) कालोनियों के पुनर्वास और बसाव के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की अभी कोई नीति नहीं है। तथापि इन मजदूर कालोनियों में बिजली, पेयजल, सड़क लाइट, चल–शौचालय, शिक्षण सुविधाएं आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। शेष 9 कालोनियां (विवरण–II) गैर सरकारी भूमि पर हैं और इन्हें निजी भू–स्वामियों द्वारा छोटे प्लाट देकर उनके लिए वे इन झुग्गी निवासियों से किराया ले रहे हैं द्वारा बसाई गई इन अनधिकृत कालोनियों में सुविधाएं देने का प्रशासन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण–I

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सरकारी भूमि पर मौजूद अनधिकृत मजदूर कालोनी की सूची

क्रम सं.	कालोनी का नाम
1	2
1.	गांधी कालोनी और मदरासी कालोनी, बापू धाम सेक्टर 26, चंडीगढ़
2.	मजदूर कालोनी, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, चंडीगढ़
3.	कालोनी सं. 4, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, चंडीगढ़
4.	मजदूर कालोनी, फेज–III/सेक्टर 31, चंडीगढ़
5.	कालोनी सं. 5, बुरेल
6.	इंदिरा आवास कालोनी, कारसन, निकट 3 बीआरडी एअर फोर्स
7.	हॉटीमिक्स प्लाट हाल्लो–माजरा के निकट कालोनी
8.	मजदूर कालोनी सं. 2 पीर कालोनी, पल्सोरा
9.	एल बी एस कालोनी, पल्सोरा
10.	नेहरू कालोनी, कज्हेरी
11.	कुम्हार और जनता कालोनी, सेक्टर, 25 चंडीगढ़

विवरण–II

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में गैर सरकारी भमि पर मौजूद अनधिकृत मजदूर कालोनियों की सूची

क्रम संख्या	कालोनी का नाम
1.	पंडली कालोनी, मजदूर कालोनी, गांव–कज्हेरी
2.	कुलदीप कालोनी, गांव कज्हेरी
3.	आदर्श कालोनी, निकट बसल थियेटर, चंडीगढ़
4.	बाजीबर कालोनी, झुमडू (फैदन) निकट सेक्टर 40
5.	गुरूनानक कालोनी सेक्टर 40/40, चंडीगढ़
6.	राजीव कालोनी, गांव शाहपुर
7.	मजदूर कालोनी, गांव खुदाजसू
8.	मजदूर कालोनी (भट्टल फार्म) गांव कैम्बवाला
9.	गुर सागर कालोनी (सिसू फार्म), गांव कैम्बवाला

विवरण–III

1979 की स्कीम के तहत अधिकृत/पुनर्वासित मजदूर कालोनियों की सूची

क्र.सं.	सैक्टर	आबंटित स्थलों की कुल संख्या		पुनर्वासित मजदूर कालोनियां	पुनर्वास वर्ष
1	2	3		4	5
1.	25	960	टैनामेंट	लेबर कालोनी, सैक्टर–26	1978–79
2.	29–बी	840	,,	लेबर कालोनी, 2 व 3 औद्योगिक क्षेत्र	1976

1	2	3		4	5
3.	30	584	टैनामेंट	लेबर कालोनी, नं. 1 व 2 औद्योगिक क्षेत्र	1975-76
4.	32	612	,,	लेबर कालोनी, 26 व 31	1979
5.	37	542	,,	लेबर कालोनी, 14	1978
6.	36	659	,,	लेबर कालोनी, 25 व 14	1980
7.	कारसन फेज-II	1046	स्थल व सेवाएं	लेबर कालोनी, 26 व 31	1986
8.	दादूमाजरा 38 वेस्ट	1628	,,	लेबर कालोनी, 25 व 14	1980
9.	इंदिरा कालोनी एम माजरा	754	,,	लेबर कालोनी, 26	1987-88
10.	धनस	516	,,	लेबर कालोनी, अटावा एवं लेबर का बुरेल	1984-85
11.	सेक्टर 55 व 56 निकट मुहाली	4151	,,	लेबर कालोनी, पल्सोराव कालम सं. 4 का भाग, औद्योगिक क्षेत्र	1994-95, 1995-96
12.	इंदिरा कालोनी एम माजरा	1281	डीएचएस	लेबर कालोनी, 26 व रंघावा कालोनी म. माजरा	1993-94
13.	मौलीजगरांव	3055	,,	लेबर कालोनी, 26 संजय कालोनी, औद्यो. क्षेत्र	1993-94
14.	दादूमाजरा	2138	,,	लेबर कालोनी, 25	1979-80
15.	मालोया	2943	,,	लेबर कालोनी, से. 42, ले.का. 14/25, ले.का. 43 व अटावा	1988-89 व 1989-90
16.	26 फेज-1 व 3 (बापू धाम)	875	खाली स्थल	लेबर कालोनी, 1, 2, 3, 4 औद्योगिक क्षेत्र व ले.का. 26 ग्रेन बाजार	1974-75
17.	26, फेज-II	438	,,	लेबर कालोनी, ग्रेन बाजार के पीछे कालोनी, से. 26	1979-80
18.	कारसन फेज-I	1507	,,	लेबर कालोनी, 32 व 33	1976
19.	दादूमाजरा	440	,,	लेबर कालोनी, 24 व 25	1990
20.	खूडालहोरा	400	,,	लेबर कालोनी, 25	1980
21.	मौलीजगरांव	814	खाली स्थान	लेबर कालोनी, बुरेल ले.का. 31 का भाग, ले.का. 45 व औद्योगिक क्षेत्र	1989-90
22.	सेक्टर 52	1700	,,	एसबीएस कालोनी कारसन निकट 3 बीआरडी एयर फोर्स	1998
23.	मौलीजगरांव	2565	,,	लेबर कालोनी, 31 व फेस-II, औद्योगिक क्षेत्र	1998-99

राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता पर राष्ट्रीय नीति

7. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता पर एक नीति बनाने और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं हेतु कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड रखने हेतु कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

देशद्रोह के मामले

8. श्री मित्रसेन यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान समय में कितने लोगों के विरुद्ध देशद्रोह के मामले लंबित हैं;

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) इस प्रकार के मामलों में संलिप्त भारतीय और विदेशियों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सामरिक योजना

पी. **शंकरन : क्या गृह मंत्री** सामरिक योजना के बार म 22 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1989 में केन्द्रीय पूल के सेना बलों में कुछ सिविलियन संवर्ग को युद्धपरक बनाने के लिए कोई आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रोन्नति के अवसरों के बारे में सिविलियन कर्मचारियों के साथ-साथ सैन्य और मंत्रालयीय कर्मचारियों के मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में अनुसचिवीय स्टाफ के कम्बाटाइजेशन के लिए सितम्बर, 1989 में आदेश जारी किए गए थे। तत्कालीन मौजूदा सिविलियन स्टाफ को तीन माह के अन्दर कम्बाटाइजेशन के लिए विकल्प दिया गया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में निम्नलिखित मुकदमे लम्बित हैं

(क) *केन्द्रीय प्रशासनिक-न्यायाधिकरण में सिविलियन अनुसचिवीय स्टाफ द्वारा दायर मामले।*

(1) ओ.ए. संख्या 247/89 अशोक कुमार बनाम भारत का संघ व अन्य। ओ.ए. को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 11.1.1991 के निर्णय के तहत ग्रहण करने के समय ही खारिज कर दिया था।

(2) *उपर्युक्त (1) में पुनरीक्षा आवेदन संख्या 36/91*

पुनरीक्षा आवेदन प्रधान पीठ, के.प्र.न्या. द्वारा 7.11.1991 को रद्द कर दिया गया।

(3) *ओ.ए.सं. 406/97 अनुसचिवीय स्टाफ तथा अन्य बनाम भारत का संघ व अन्य*

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ का मत था कि यह प्रश्न कि क्या जहां पर वे हैं, वहीं पर रहने का विकल्प देने के बाद भी उनकी प्रोन्नति का अधिकार क्या अब भी शेष रह जाता है।

(4) *ओ.ए. संख्या 376/96 अनुसचिवीय स्टाफ एसोसिएशन और दुर्गादास अनाम भारत का संघ*

निर्णय आरक्षित।

(5) ओ.ए.सं. 1897/97-अन्तिम सुनवाई हेतु लम्बित।

(2) *दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामले*

केन्द्रीय अनुसचिवीय स्टाफ द्वारा ओ.ए. संख्या 406/97 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय की चुनौती देने वाली एक रिट याचिका ग्रहण करने हेतु लंबित हैं।

कम्बाटाइज्ड अनुसचिवीय स्टाफ द्वारा

श्री जे.सी. जोशी बनाम महानिदेशक, भा.ति.सी. पु. तथा अन्य रिट याचिका सं. 2383/91।

अन्तिम निर्णय हेतु मामला लम्बित पड़ा है।

भूमि संबंधी मामलों का निपटारा

10. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 7 दिसंबर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटारे की क्या समय सीमा तय की गई है;

(ख) इसके क्या कारण रहे और कब तक विचाराधीन मामलों पर निर्णय लेना संभावित है; और

(ग) तहसीलदारों के विचाराधीन निष्पादन के लिए विचाराधीन पड़े स्वामित्व वारंट का ब्यौरा क्या है और उनका निष्पादन अब तक नहीं हो पाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) विलम्ब के मुख्य कारण लम्बी जिरह और साक्ष्य तथा प्रतिवादियों द्वारा बार-बार स्थगन आदेश प्राप्त करना है। दिसम्बर, 1998 तक विभिन्न राजस्व जिलों में लगभग 4,000 मामले लम्बित थे। शीघ्र निष्पादन हेतु सभी मामलों की नियमित रूप से मानिटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती

11. **श्री राजो सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में विशेषत: राज्य के उन क्षेत्रों में जहां विधि एवं व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह प्रभावित है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) राज्य में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल काफी समय से बिहार सरकार के पास उपलब्ध हैं। ऐसे बलों की संख्या हाल ही में बढ़ाई गई है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना

12. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य का क्या कार्य-निष्पादन रहा;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के लिए राज्यवार आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां। इस कार्यक्रम की सबसे पहले 1993-94 के दौरान समीक्षा कर इसे सरल और कारगर बनाया गया था तथा ऐसा पुन: 1995-96 में किया गया था।

(ख) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अवधि में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (1+2 स्ट्रीम) वित्तीय प्रगति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	14.95 को अव्ययित शेष	कुल आबंटन केन्द्र	कुल आबंटन राज्य	कुल आबंटन कुल	जारी की गयी राशि केन्द्र	जारी की गयी राशि राज्य	जारी की गयी राशि कुल	उपलब्ध राशि (अव्ययित शेष + दी गई राशि)	खर्च की गई राशि	उपयोग का प्रतिशत	रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन) लक्ष्य	रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन) उपलब्धि	उपलब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	4743.07	29785.92	7446.48	37232.40	28746.57	7186.64	35933.21	40676.28	34556.90	84.96	700.08	701.57	100.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	149.66	243.66	65.92	329.58	243.58	60.90	304.48	456.14	357.12	78.64	7.99	8.24	103.13
3.	असम	2743.72	8656.14	2164.04	10820.18	7719.76	1929.94	9649.70	12393.42	9583.33	77.33	178.63	179.08	100.25
4.	बिहार	29829.67	62878.54	15719.64	78.598.18	54418.13	13604.58	68022.66	97852.33	62281.95	63.65	1245.86	1197.03	96.08
5.	गोआ	167.50	284.87	71.22	356.09	284.87	71.22	356.09	523.59	363.47	69.42	7.94	8.38	105.54
6.	गुजरात	3185.65	11803.29	2950.82	14754.11	11085.63	2771.40	13857.04	17042.69	12824.42	75.25	213.23	209.42	98.21
7.	हरियाणा	6181.12	2718.62	671.66	33981.28	2988.62	747.06	3735.70	4353.90	3304.78	75.90	34.63	33.50	96.74
8.	हिमाचल प्रदेश	486.90	919.27	229.82	1149.09	977.02	244.20	1221.23	1708.18	1001.19	58.61	24.27	21.45	88.38
9.	जम्मू व कश्मीर	1395.00	27040.80	676.20	3381.00	2043.49	510.87	2554.36	3949.36	2534.38	64.17	90.96	48.23	53.03
10.	कर्नाटक	5969.58	19537.93	4884.48	24422.41	19088.77	4772.19	23860.96	29830.54	24908.78	83.50	491.56	524.89	106.78
11.	केरल	0.00	6423.47	1605.87	8029.34	7785.29	1946.32	9731.61	9731.61	8888.24	91.33	108.01	127.75	118.28
12.	मध्य प्रदेश	12539.11	40895.57	10223.89	51119.46	35283.66	8820.52	44104.58	56643.69	47377.25	74.81	849.29	759.46	89.42
13.	महाराष्ट्र	12410.60	33327.03	8331.76	41658.79	32701.36	8175.34	40876.70	53287.30	39801.56	76.69	910.75	1014.47	111.39
14.	मणिपुर	423.86	340.36	85.09	425.46	275.83	68.96	044.79	768.65	506.22	65.86	5.78	9.34	161.59
15.	मेघालय	588.33	397.05	99.26	496.31	332.20	83.05	415.25	1003.48	200.28	19.96	7.88	4.86	61.68
16.	मिजोरम	17.17	166.43	41.61	208.04	183.20	45.80	229.00	246.17	284.56	115.59	4.15	5.20	125.30
17.	नागालैण्ड	220.40	421.02	105.26	526.28	599.49	149.87	749.36	969.76	264.07	27.23	11.82	5.76	48.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	उड़ीसा	11000.96	24514.35	6128.59	30642.94	22017.83	5504.46	27522.29	38523.25	28671.68	74.43	623.47	678.31	108.80
19.	पंजाब	1863.95	1575.94	393.99	1969.93	787.97	196.99	984.96	2848.91	408.38	14.33	28.25	6.44	22.80
20.	राजस्थान	5089.85	16660.08	4165.02	20825.10	15060.74	3765.19	18825.93	23915.78	18204.39	76.12	300.89	361.72	120.22
21.	सिक्किम	92.69	273.54	68.39	341.93	442.52	110.63	553.15	645.55	618.83	95.86	5.38	9.27	172.30
22.	तमिलनाडु	1024.63	26107.25	6526.81	32634.06	29419.48	7354.87	36774.35	37708.98	39615.70	104.28	853.09	1069.75	125.40
23.	त्रिपुरा	63.59	446.92	11.74	558.65	671.68	167.92	839.60	903.19	788.23	87.27	12.40	18.43	148.63
24.	उत्तर प्रदेश	16241.13	69750.84	17437.71	87188.55	69536.78	17384.20	86920.98	102162.11	83562.10	81.79	1320.54	1532.66	116.05
25.	पश्चिम बंगाल	8325.98	26630.17	6657.54	33287.71	25496.47	6374.12	31870.59	40196.57	30492.80	75.86	433.38	416.75	95.70
26.	अं. त नि. निकोबार द्वीप समूह	0.00	154.18	0.00	154.18	151.14	0.00	151.14	151.14	161.26	106.70	2.26	2.59	114.60
27.	दादरा नगर हवेली	1.93	83.92	0.00	83.92	93.92	0.00	93.92	95.85	33.18	34.62	1.42	0.64	45.07
28.	दमन व दीव	42.44	69.28	0.00	49.28	59.28	0.00	59.28	101.72	55.02	54.09	1.55	1.11	71.61
29.	लक्षद्वीप	15.97	76.70	0.00	76.70	86.70	0.00	86.70	102.67	40.86	39.80	1.45	1.05	72.41
30.	पांडिचेरी	231.95	151.86	0.00	151.86	77.12	0.00	77.12	309.07	199.85	64.66	3.16	3.10	98.10
	कुल	118483.02	387999.00	96870.77	484869.77	368659.10	92047.74	460706.84	579189.86	446690.62	77.12	8480.05	8958.25	105.64

1996–97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रूपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.96 को अथशेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	कुल आबंटन			जारी की गयी राशि			उपलब्ध राशि (अखर्चित शेष+ जारी की गई राशि)	खर्च की गयी राशि	उपयोग का प्रतिशत
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1547.44	13897.51	3474.48	17372.31	14594.96	3648.74	18243.70	19791.14	17488.47	88.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.84	142.64	35.66	178.30	103.88	25.97	129.85	271.69	198.33	73.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	2230.47	4574.54	1143.64	5718.18	3186.93	6.73	3583.66	6214.13	4543.21	73.11
4.	बिहार	12350.34	27260.46	6015.12	34075.58	22856.07	14.02	28570.00	40920.43	30563.53	74.69
5.	गोवा	14.73	154.12	38.53	192.65	226.81	29.22	146.10	160.83	234.36	146.90
6.	गुजरात	1201.38	5101.00	1275.25	6376.25	4418.33	1104.83	5524.26	6725.54	6280.49	93.31
7.	हरियाणा	207.33	1225.45	306.36	1532.61	1195.38	298.85	1194.23	1701.56	1371.79	80.62
8.	हिमाचल प्रदेश	304.40	489.73	122.43	612.16	381.12	97.03	485.15	789.55	745.94	94.41
9.	जम्मू व कश्मीर	230.69	995.14	248.79	1243.93	1191.75	299.94	1499.65	1730.38	994.37	57.47
10.	कर्नाटक	2854.63	9332.27	2333.07	11665.30	8871.18	2218.30	11091.40	13946.16	12015.30	86.15
11.	केरल	812.95	3395.33	84813	4244.16	3285.60	821.65	4108.25	4921.20	4458.15	90.51
12.	मध्य प्रदेश	3804.03	17611.61	4402.90	32014.51	15433.15	3865.29	19316.44	23120.47	19720.06	85.31
13.	महाराष्ट्र	2510.38	15150.04	3787.51	18937.55	14338.51	3584.63	17323.14	20434.02	18664.14	91.31
14.	मणिपुर	66.26	282.82	45.71	228.53	129.92	32.48	162.40	228.56	186.36	81.54
15.	मेघालय	143.78	213.92	53.18	267.40	106.95	36.74	133.65	277.47	365.90	131.87
16.	मिजोरम	5.90	90.12	22.53	112.65	84.21	21.05	105.26	111.18	138.26	124.35
17.	नागालैण्ड	51.72	229.31	57.33	286.64	210.66	52.67	53.33	315.05	485.57	154.13
18.	उड़ीसा	2063.47	11274.49	2818.62	14093.11	10709.94	2677.49	13387.43	15455.90	14426.64	93.314
19.	पंजाब	150.07	871.51	211.83	1089.59	801.26	202.32	1011.58	1161.65	705.63	60.74
20.	राजस्थान	153.43	7317.12	1029.33	9145.40	7231.81	1807.95	9039.76	9193.11	8766.70	98.31
21.	सिक्किम	30.13	83.49	20.17	104.36	81.37	20.34	101.71	140.84	167.26	118.76
22.	तमिलनाडु	2087.15	12563.97	3140.99	15704.96	12088.51	3022.13	15110.64	18097.79	18040.02	99.68
23.	त्रिपुरा	273.27	237.46	59.37	296.83	237.45	59.36	296.81	570.08	566.92	99.44
24.	उत्तर प्रदेश	12758.27	33467.93	8466.98	42334.91	32442.65	8110.57	40553.36	53311.63	42123.49	79.01
25.	पश्चिम बंगाल	6485.62	12455.47	3113.17	15569.34	9564.86	2391.22	11956.03	18441.70	12837.59	69.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	अं. निकोबार	24.47	84.41	0.00	84.41	42.21	0.00	42.21	66.68	54.95	82.41
27.	दादरा नगर हवेली	9.41	45.81	0.00	45.81	44.57	0.00	44.57	53.98	49.75	92.16
28.	दमन व दीव	3.70	26.99	0.00	26.91	28.99	0.00	20.99	30.69	27.61	89.96
29.	लक्षद्वीप	66.49	42.32	0.00	42.32	21.16	0.00	21.16	87.65	43.22	56.16
30.	पांडिचेरी	238	82.64	0.00	82.64	64.61	0.00	64.68	67.06	121.96	181.87
	कुल	53500.7	179000.00	44679.16	333679.48	163905.91	40927.59	204837.57	258338.17	216357.86	83.77

* रद्द की गई परियोजनाओं के लिए अभिनव जवाहर रोजगार योजना की निधियों की रिलीज शामिल है (केरल के लिए 13.49 लाख रुपए, मध्य प्रदेश के लिए 33.00 लाख रुपए, उड़ीसा के लिए 16.66 लाख रुपए तथा पश्चिम बंगाल के लिए 10.00 लाख रुपए)

1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.97 को अखर्चित शेष	आबंटन			जारी			उपलब्ध राशि (अखर्चित शेष+ जारी की गई राशि)	खर्च की गयी राशि	उपयोग का प्रतिशत
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2302.71	15528.39	3882.10	19410.49	16685.84	4171.46	20857.30	23160.01	18745.52	80.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.60	159.37	39.84	199.21	102.06	25.52	127.58	228.18	241.82	105.98
3.	असम	1694.46	5111.22	1277.81	6389.03	5524.15	1381.04	6905.19	8599.65	5546.71	64.50
4.	बिहार	7523.01	30458.60	7614.65	38073.25	29322.77	7330.69	36653.48	44176.47	36250.75	82.06
5.	गोवा	5.83	172.20	43.05	215.25	104.38	26.10	130.48	136.31	155.77	114.28
6.	गुजरात	726.19	5699.44	1424.86	7124.30	5747.72	1436.93	7184.65	7910.84	6999.43	88.48
7.	हरियाणा	457.43	1369.22	342.31	1711.53	1624.75	406.19	2030.94	2488.37	1995.94	80.21
8.	हिमाचल प्रदेश	192.78	547.18	136.80	683.98	403.46	100.87	504.33	697.11	693.88	99.54
9.	जम्मू व कश्मीर	487.99	1111.89	277.95	1389.86	974.62	243.66	1218.28	1706.27	1475.73	86.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कर्नाटक	2117.00	10427.12	2606.78	13033.90	10353.99	8.50	12942.49	15059.49	12578.33	83.52
11.	केरल	427.19	3793.66	948.42	4742.08	3734.12	933.53	4667.65	5094.84	3655.38	71.75
12.	मध्य प्रदेश	4540.41	19077.78	4919.45	24597.23	18977.15	4744.29	23721.44	28261.85	24574.06	86.95
13.	महाराष्ट्र	2598.80	16927.42	4231.86	21159.28	16816.09	4204.02	21020.11	23618.91	21438.52	90.77
14.	मणिपुर	37.24	204.27	51.04	255.34	248.52	62.13	310.65	347.89	114.80	33.00
15.	मेघालय	68.54	239.02	59.76	298.78	159.58	39.90	199.48	268.02	247.74	92.44
16.	मिजोरम	0.95	100.69	25.17	125.86	102.87	25.72	128.59	129.54	124.18	95.86
17.	नागालैण्ड	60.29	256.21	64.05	320.26	243.23	60.78	303.91	364.20	383.06	105.18
18.	उड़ीसा	1566.62	12597.20	3149.30	15746.50	13421.32	3355.33	16776.65	18343.27	15073.72	82.18
19.	पंजाब	213.46	973.75	243.44	1217.19	892.79	223.20	1115.99	1329.45	1310.34	98.56
20.	राजस्थान	483.30	8175.55	2043.89	10219.44	8351.86	2087.97	10439.83	10923.13	10330.83	94.58
21.	सिक्किम	32.48	93.28	23.32	116.60	96.78	24.20	120.98	153.46	185.97	121.19
22.	तमिलनाडु	1616.89	14037.96	3509.49	17547.45	14564.38	3641.10	18205.48	19822.37	20699.98	104.43
23.	त्रिपुरा	5.19	265.32	66.33	331.65	476.35	119.09	595.44	600.63	351.51	58.52
24.	उत्तर प्रदेश	11333.45	37841.25	9460.31	47301.56	35894.15	8973.54	44867.69	56201.14	48122.11	85.62
25.	पश्चिम बंगाल	5926.95	13916.74	3479.19	17395.93	9066.99	2266.75	11333.74	17260.69	12404.99	71.87
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	29.59	94.31	0.00	94.31	50.70	0.00	50.70	80.29	14.36	17.89
27.	दादरा नगर हवेली	4.23	51.18	0.00	51.18	50.22	0.00	50.22	54.45	46.94	86.21
28.	दमन व दीव	9.95	30.16	0.00	30.16	16.21	0.00	16.21	26.16	30.28	115.75
29.	लक्षद्वीप	38.43	47.28	0.00	47.28	25.41	0.00	25.41	63.84	78.98	123.72
30.	पांडिचेरी	22.30	92.34	0.00	92.34	74.37	0.00	74.37	96.67	66.55	68.84
	कुल	44624.26	200000.00	49921.18	249921.18	194106.73	48472.46	242579.19	287203.45	243938.18	84.94

विवरण-II

1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (1+11 स्ट्रीम) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.95 को अखर्चित शेष	कुल आबंटन केन्द्र	कुल आबंटन राज्य	कुल आबंटन कुल	जारी की गयी राशि केन्द्र	जारी की गयी राशि राज्य	जारी की गयी राशि कुल	उपलब्ध राशि अखर्चित शेष + दी गई राशि	खर्च की गई राशि	उपयोग का प्रतिशत	रोजगार का सृजन लाख श्रमदिन लक्ष्य	रोजगार का सृजन लाख श्रमदिन उपलब्धि	उपब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	4743.07	29785.92	7446.48	37232.40	28746.57	7186.64	35933.21	40676.28	34556.90	84.96	700.08	701.57	100.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	149.66	263.66	65.92	329.58	243.58	60.90	304.48	456.14	357.12	78.64	7.99	8.24	103.13
3.	असम	2743.72	8656.14	2164.04	10820.18	7719.76	1929.94	9649.70	12393.42	9583.33	77.33	178.63	179.08	100.25
4.	बिहार	29829.67	62878.54	15719.64	78598.18	54418.13	13604.53	68022.66	97852.33	62281.95	63.65	1245.86	1197.03	96.08
5.	गोवा	167.50	284.87	71.22	356.09	284.87	71.22	356.09	523.59	363.47	69.42	7.94	8.38	105.54
6.	गुजरात	3185.65	11803.29	2950.82	14754.11	11085.63	2771.41	13857.04	17042.69	12824.42	75.25	213.23	209.42	98.21
7.	हरियाणा	618.12	2718.62	679.66	3398.28	2988.62	747.16	3735.78	4353.90	3304.78	75.90	34.63	33.50	96.74
8.	हिमाचल प्रदेश	486.90	919.27	229.82	1149.09	977.02	244.26	1221.28	1708.18	1001.19	58.61	24.27	21.45	88.38
9.	जम्मू व कश्मीर	1395.00	2704.80	676.20	3381.00	2043.49	510.87	2554.36	3949.36	2534.38	64.17	90.96	48.23	53.03
10.	कर्नाटक	5978.58	19537.93	4884.48	24422.41	19088.77	4772.19	23860.96	29830.54	24908.76	83.50	491.56	524.89	106.78
11.	केरल	0.00	6423.47	1605.87	8029.34	7785.29	1946.32	9731.61	9731.61	8888.24	91.33	108.01	127.75	118.28
12.	मध्य प्रदेश	12539.11	40895.57	10223.89	51119.46	35283.66	8820.92	44104.58	56643.69	42377.25	74.81	849.29	759.46	89.42
13.	महाराष्ट्र	12410.60	33327.03	8331.76	41658.79	32701.36	8175.34	40876.70	53287.30	39801.56	76.69	910.75	1014.47	111.39
14.	मणिपुर	423.86	340.36	85.09	425.45	275.83	68.96	344.79	768.65	506.22	65.86	5.78	9.34	161.59
15.	मेघालय	588.23	397.05	99.26	496.31	332.20	83.05	415.25	1003.48	200.28	19.96	7.88	4.86	61.68
16.	मिजोरम	17.17	166.43	41.61	208.04	183.20	45.80	229.00	246.17	284.56	115.59	4.15	5.20	125.30
17.	नागालैण्ड	220.40	421.02	105.26	526.28	529.49	149.87	749.36	969.76	264.07	27.23	11.82	5.76	48.73
18.	उड़ीसा	11000.96	24514.35	6128.59	30642.94	22017.83	5504.46	27522.29	38523.25	28671.68	74.43	623.47	678.31	108.80
19.	पंजाब	1863.95	1575.94	393.99	1969.93	787.97	196.99	984.96	2848.91	408.38	14.33	28.25	6.44	22.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15
20.	राजस्थान	5089.85	16660.08	4165.02	20825.10	15060.74	3765.19	18825.93		18204.39	76.12	300.89	361.72	120.22
21.	सिक्किम	92.60	273.54	68.39	341.93	442.52	110.63	553.15		618.83	95.86	5.38	9.27	172.30
22.	तमिलनाडु	1024.63	26107.25	6526.81	32634.06	29419.48	7354.87	36774.35	37798.98	39615.70	104.28	853.09	1069.75	125.40
23.	त्रिपुरा	63.59	446.92	111.73	558.65	671.68	167.92	839.60	903.19	788.23	87.27	12.40	18.43	148.63
24.	उत्तर प्रदेश	15241.13	69750.84	17437.71	87188.55	69536.78	17384.20	86920.98	102162.11	83562.16	81.79	1320.54	1532.66	116.05
25.	पश्चिम बंगाल	8325.98	26630.17	6657.54	33287.71	25496.47	6374.12	31870.59	40196.57	30492.80	75.86	433.38	416.75	95.70
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0.00	154.18	0.00	154.18	151.14	0.00	151.14	151.14	161.26	106.70	2.26	2.59	114.60
27.	दादर व नगर हवेली	1.93	83.92	0.00	83.92	93.92	0.00	93.92	95.85	33.18	34.62	1.42	0.64	45.07
28.	दमन व दीव	42.44	69.28	0.00	49.28	59.28	0.00	59.28	101.72	55.02	54.09	1.55	1.11	71.61
29.	लक्षद्वीप	15.97	76.70	0.00	76.70	86.70	0.00	86.70	102.67	40.86	39.80	1.45	1.05	72.41
30.	पांडिचेरी	231.95	151.86	0.00	151.86	77.12	0.00	77.12	309.07	199.85	64.66	3.16	3.10	98.10
	कुल	118483.02	387999.00	96870.77	484869.77	368659.10	92047.74	460706.84	579189.86	446690.62	77.12	8480.05	8958.25	105.64

1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	क्षेत्रीय उपलब्धि					
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु. जाति + अनु. जनजाति	अन्य	भूमिहीन	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	373.67	329.75	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.42	2.79	63.12	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00	0.39
3.	असम	98.77	91.54	92.68	16.08	29.05	45.13	46.41	29.01	12.97
4.	बिहार	489.25	460.02	94.03	186.79	96.90	283.59	176.33	304.60	117.41
5.	गोवा	4.39	5.30	120.73	0.08	0.00	0.08	5.22	0.00	1.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	109.14	105.20	96.39	14.61	46.13	60.74	44.46	43.70	31.46
7.	हरियाणा	15.73	13.08	83.15	7.96	0.00	7.96	5.12	12.85	2.50
8.	हिमाचल प्रदेश	7.63	10.62	139.19	4.74	1.93	5.57	3.95	0.00	0.91
9.	जम्मू व कश्मीर	47.27	18.36	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	295.74	250.94	98.12	69.10	24.25	93.35	157.59	99.40	78.39
11.	केरल	59.73	55.45	92.83	16.76	2.92	19.52	35.83	5.63	18.35
12.	मध्य प्रदेश	444.97	349.02	78.44	52.20	129.63	221.83	127.19	135.02	114.86
13.	महाराष्ट्र	469.32	455.08	96.97	126.99	96.92	223.91	231.17	176.38	152.97
14.	मणिपुर	3.20	3.49	109.06	0.05	2.64	2.73	0.76	0.35	0.97
15.	मेघालय	4.35	6.56	160.00	0.00	6.96	5.96	0.00	0.79	1.75
16.	मिजोरम	2.29	2.46	107.42	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00	6.86
17.	नागालैण्ड	6.54	11.65	178.13	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	2.89
18.	उड़ीसा	321.32	314.19	97.78	56.65	115.09	211.74	102.45	74.22	102.77
19.	पंजाब	15.62	7.85	58.26	5.71	0.00	5.71	2.14	7.85	0.00
20.	राजस्थान	162.92	168.12	103.19	64.02	44.19	105.21	59.91	28.76	51.04
21.	सिक्किम	1.49	2.63	170.51	0.51	1.02	1.13	1.10	0.23	0.78
22.	तमिलनाडु	406.90	488.60	120.08	268.58	15.41	273.99	212.61	386.08	182.54
23.	त्रिपुरा	6.35	10.38	163.36	2.11	5.19	7.30	3.00	2.34	3.12
24.	उत्तर प्रदेश	603.21	650.18	109.11	347.66	7.23	354.99	303.29	179.08	182.08
25.	पश्चिम बंगाल	221.86	178.53	80.47	67.67	23.32	93.99	87.54	110.00	45.10
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	1.25	0.82	65.60	0.00	0.48	0.48	0.34	0.09	6.12
27.	दादरा व नगर हवेली	0.65	1.02	156.92	–	1.02	1.02	–	0.00	0.62
28.	दमन व दीव	0.85	0.50	58.82	0.03	0.29	3.32	0.18	0.17	0.24

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
29.	लक्षद्वीप	0.80	0.88	110.00	0.00	88	3.88	0.00	0.00	0.29
30.	पांडिचेरी	1.74	2.91	167.24	1.35	0.00	1.35	1.56	2.90	–
	कुल	4141.37	4006.32	96.74	1381.63	668.35	2049.98	1608.23	1599.45	1106.84

टिप्पणी : जम्मू व कश्मीर के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का ब्यौरा नहीं मिला और आंध्र प्रदेश के संबंध में आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं।

1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	क्षेत्रीय उपलब्धि					
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु. जाति + अनु. जनजाति	अन्य	भूमिहीन	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	336.97	310.98	92.29	95.65	45.09	140.74	170.24	207.69	109.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.94	2.88	58.3	0	2.88	2.88	0	0	1.03
3.	असम	110.36	107.69	97.58	18.63	31.99	50.62	57.07	35.12	11.41
4.	बिहार	546.64	533.04	97.51	212.91	113.87	326.78	206.26	342.15	150.28
5.	गोवा	3.32	2.55	0.56	0	0	0	2.55	0	0.19
6.	गुजरात	69	82.81	120.01	14.91	39.43	54.34	28.47	28.62	21.41
7.	हरियाणा	16.11	16.01	99.38	9.61	0	9.61	6.4	13.64	3.12
8.	हिमाचल प्रदेश	8.52	10.11	118.66	4.25	2.04	6.29	3.82	0	0.97
9.	जम्मू व कश्मीर	22.64	24.05	106.23	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	222.78	265.91	119.36	73.86	28.79	102.64	163.27	108.48	67.54
11.	केरल	66.74	41.82	62.66	13.84	2.22	16.06	25.76	6.22	14.44
12.	मध्य प्रदेश	329.89	347.10	105.23	87.88	134.55	222.43	124.72	124.15	123.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	624.38	627.74	100.64	142.19	114.48	256.67	271.07	138.89	178.17
14.	मणिपुर	3.15	2.16	68.57	0.15	1.6	1.75	0.41	0.03	0.52
15.	मेघालय	4.87	4.54	93.22	0	4.54	4.54	0	1.46	1.14
16.	मिजोरम	1.50	1.91	120.13	0	1.91	1.91	0	0	0.69
17.	नागालैण्ड	7.53	9.21	126.16	0	9.21	9.21	0	0	4.34
18.	उड़ीसा	290.18	299.82	100.21	92.47	111.72	204.19	95.63	63.71	93.33
19.	पंजाब	11.95	12.83	107.36	9.73	0	9.73	3.1	12.83	0
20.	राजस्थान	182.03	196.14	107.75	71.61	56.19	127.8	68.34	28.67	67.83
21.	सिक्किम	1.66	2.65	159.64	0.68	1.12	1.8	0.85	0.12	0.63
22.	तमिलनाडु	312.56	388.81	124.4	191.17	8.92	200.09	188.72	300.57	140.42
23.	त्रिपुरा	5.91	7.31	123.69	1.78	3.19	4.97	2.34	1.62	2.19
24.	उत्तर प्रदेश	561.71	599.49	106.73	296.54	5.32	301.86	297.63	110.34	111.82
25.	पश्चिम बंगाल	206.58	154.62	74.85	62.77	20.72	83.49	71.13	88.51	39.68
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	1.04	0.15	14.42	0	0.08	0.08	0.07	0.04	0.02
27.	दादरा व नगर हवेली	0.73	0.86	117.81	0	0.86	0.86	0	0	0.62
28.	दमन व दीव	0.45	0.56	124.44	0.05	0.35	0.4	0.16	0.2	0.32
29.	लक्षद्वीप	0.9	1.46	162.22	0	1.46	1.46	0	0	0.44
30.	पांडिचेरी	1	0.63	63	0.28	0	0.28	0.35	0.63	0.19
	कुल	3864.9	3955.89	102.35	1400.95	742.53	2143.48	1788.36	1613.69	1145.35

नोट : जम्मू व कश्मीर द्वारा श्रेणीवार ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया गया।

विवरण–III

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन 1997–98	1998–99
1.	आंध्र प्रदेश	155.28	117.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.59	2.57
3.	असम	51.11	66.86
4.	बिहार	304.59	383.41
5.	गोआ	1.72	1.72
6.	गुजरात	56.99	44.06
7.	हरियाणा	13.69	25.92
8.	हिमाचल प्रदेश	5.47	10.92
9	जम्मू व कश्मीर	11.12	13.51
		104.27	88.38
		37.94	39.66
12.	मध्य प्रदेश	196.78	194.34
13.	महाराष्ट्र	169.27	174.71
14.	मणिपुर	20.4	4.48
15.	मेघालय	2.39	5.02
16.	मिजोरम	1.01	1.16
17.	नागालैण्ड	2.56	3.44
18.	उड़ीसा	125.97	133.87
19.	पंजाब	974	12.60
20.	राजस्थान	81.76	67.11
21.	सिक्किम	0.93	1.29
22.	तमिलनाडु	140.38	103.49
23.	त्रिपुरा	2.65	8.09
24.	उत्तर प्रदेश	378.41	421.94
25.	पश्चिम बंगाल	139.17	148.77
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.94	1.18
27.	दादरा नगर हवेली	0.51	0.78
28.	दमन व दीव	0.3	0.38
29.	लक्षद्वीप	0.47	0.59
30.	पांडिचेरी	0.92	1.15
	कुल	1999.97	2078.44

[हिन्दी]

परिसंपत्तियों की घोषणा

13. श्री मोतीलाल वोरा : क्या गृह मंत्री 1.12.98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा करने के संबंध में लिए गये निर्णय के बाद किन–किन केन्द्रीय मंत्रियों ने अपनी ओर अपने परिवारों की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रधान मंत्री को सौंप दिया है;

(ख) इसे अब तक सार्वजनिक न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन विवरणों को कब तक सार्वजनिक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) केन्द्रीय परिषद के सभी सदस्यों ने अपनी परिसंपत्तियां और देनदारियां, प्रधान मंत्री को घोषित कर दी थी। चूंकि मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां अलग–अलग प्रपत्रों में थी, अतः प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों से अपनी–अपनी विवरणियां, 31.3.98 को स्थिति के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए लिखा है ताकि प्रत्येक विवरणीय की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी जा सके।

[अनुवाद]

विकास कार्यक्रमों के लिए कल्याणकारी धनराशि

14. श्री अमर राय प्रधान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल में बंजरभूमि विकास योजना के अन्तर्गत मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र के पास इस स्वीकृति के लिए विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) इन कार्यों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है; और

(घ) बंजरभूमि विकास योजना के अन्तर्गत विदेशी एजेंसियों की संख्या क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा "गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता" योजना और "समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना" स्कीम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दिया गया है।

(ख) और (ग) "गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता योजना" और "समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम" के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) शून्य।

विवरण–I

पश्चिम बंगाल राज्य में सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में) (क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र.सं.	स्वयंसेवी एजेंसी का नाम	संचालन का जिला	कुल स्वीकृत	परियोजना क्षेत्र	जारी 1992–93	जारी 1993–94	जारी 1994–95	जारी 1995–96	जारी 1996–97	जारी 1997–98	जारी 1998–99	कुल जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य : पश्चिम बंगाल											
1.	ग्राम कल्याण सोसायटी	हावड़ा	5.61	60 है. स. भूमि	1.44	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3.31
2.	कंचनजंगा टी प्लांटेशन को–आपरेटिव सोसाइटी लि.	दार्जिलिंग	2.43	120 है. निजी भूमि	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00		9.61
3.	विवेकानंद ग्रामीण विकास संगठन	पुरूलिया	4.53	184 है. निजी भूमि	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00		0.90
4.	मलिओर समाज उन्नयन समिति	हावड़ा	7.95	120 है. सा. भूमि	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00		2.65
5.	श्री कृष्ण क्लब	मिदनापुर	6.03	168 है. निजी भूमि	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1.79
6.	रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन (आर. ई. सी. एच. ए.)	जलपाईगुडी	1.12	25 है. निजी भूमि	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.54
7.	विवेकानंद आदिवासी कल्याण समिति	बांकुरा	5.80	150 है. निजी भूमि	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	1.93		5.79
8.	अग्रगति	हावड़ा	4.31	65 है. सा. भूमि	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	1.39		4.31
9.	कारोखाली जन सेवाश्रम	द. 24 परगना	5.24	120 है. निजी भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31		2.62
10.	शेरपा देशबंधु क्लब	24 परगना	8.16	114 है. स.रा. भूमि	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.38
11.	पर्यावरण एवं जनजारूकता विकास परिषद	वर्दमान सदर	3.18	50 है. स.रा. भूमि	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00		3.18
12.	धोरानिनगर ग्रामीण विकास सोसाइटी	बीरभूमि	1.35	30 है. निजी भूमि	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.55
13.	लिबरल एसो. फार मूवमेट आफ पीपुल्स	बांकुरा	1.20	56.72 है. निजी भूमि	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
14.	अमोरागोरी जुबा संघ	हावड़ा	2.27	67 है. सा. भूमि		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.0
15.	बलीतिकुरी विकास भवन	हावड़ा	6.08	100 है. सा. भूमि	0.00	1.94	2.59	0.00	0.00	0.00		4.53
16.	धरणी राय मेमोरियल सैल्फ इम्पलायमेंट ट्रेनिंग स्कूल	बीरभूम	2.15	60 है. निजी भूमि	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.65
17.	हनसोला हारा पारवती क्लब	पुरुलिया	3.61	184 है. निजी भूमि	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1.61
18.	लोक सेवा परिषद	मिदनापुर	6.38	180 है. निजी भूमि	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00		4.26
19.	अमर सेवा संघ	मिदनापुर	3.44	50 है. स. भूमि	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00		0.69
20.	पुरुलिया शाबुज संघ	पुरुलिया	4.25	77.6 है. निजी भूमि	0.00	0.00	0.00	2.0	0.00	0.00		2.00
	योग		85.10	1980.32 है.	896	17.11	8.87	5.03	2.77	463	0.00	47.37

विवरण–II

1992–93 से 1998–99 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (है. में)	कुल लागत (लाख रुपये में)	जारी 1992–93 (लाख रुपये में)	जारी 1993–94 (लाख रुपये में)	जारी 1994–95 (लाख रुपये में)	जारी 1995–96 (लाख रुपये में)	जारी 1996–97 (लाख रुपये में)	जारी 1997–98 (लाख रुपये में)	जारी 1998–99 (लाख रुपये में)	कुल जारी (लाख रुपये में)
राज्य : पश्चिम बंगाल											
बांकुरा–1	1992–93 से 1996–97	3600	256.98	28.36	40.50	75.00	60.00	0.00	0.00	0.00	283.86
पुरुलिया–1	1992–93 से 1994–95	1348	93.83	27.31	20.00	30.0	0.00	0.00	0.00	0.00	77.31
बांकुरा–2	1992–94 से 1997–98	4000	256.52	0.00	41.32	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	196.32
पुरुलिया–2	1993–94 से 1995–96	2759	137.75	0.00	36.50	35.00	22.00	0.00	0.00	0.00	93.50
दार्जिलिंग	1993–94 से 1996–97	5400	469.74	0.00	86.58	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	236.50
उप योग		17107	1214.82	55.67	224.82	140.0	312.00	75.00	0.00	0.00	807.49
योग		17107	1214.82	55.67	224.82	140.0	312.00	75.00	0.00	0.00	807.49

'एस्मा' का दुरुपयोग

15. **श्री किशन सिंह सांगवान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के दौरान राज्य सरकार के कितने कर्मचारियों को आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा एस्मा के दुरुपयोग, विशेषकर अपने कर्मचारियों के विरुद्ध, की जांच करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय

16. **श्री जयसिंह जी चौहान : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) क्या इन सभी विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) गुजरात में 41 केन्द्रीय विद्यालय तथा 12 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय : केन्द्रीय विद्यालय संगठन, स्कूलों के लिए 29 भवनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें परियोजना स्कूलों/उच्च शिक्षा संस्थान स्थित स्कूलों को शामिल नहीं किया गया है। 29 स्कूल भवनों में से 17 स्कूल भवनों का निर्माण कर लिया गया है। शेष 12 स्कूलों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :—

जिन भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है : 6

जिन भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई है : 4

प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा जिनकी भूमि अभी तक हस्तान्तरित नहीं की गई . 2

शेष स्कूल भवनों का निर्माण भूमि तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नवोदय विद्यालय

संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि के हस्तान्तरण तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्कूल भवनों के निर्माण कार्यों तथा विकास कार्यों, जिसमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं, को दो चरणों में संस्वीकृत किया जाता है। जहां भी जवाहर नवोदय विद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण आरम्भ हो गया है वहां आवश्यक अवसंरचना की व्यवस्था की जा रही है। सभी 12 विद्यालयों के स्थायी भवनों के विभिन्न चरणों में निर्माण की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

गुजरात में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थान-वार सूची

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1	2
1.	अहमदाबाद कैण्ट
2.	अहमदाबाद नं. 1 (एम. आर. कैम्पस)
3.	अहमदाबाद (एस ए सी)
4.	अंकलेश्वर (ओर एन जी सी)
5.	बड़ौदा नं. 1 (हर्नी रोड)
6.	बड़ौदा नं. 2 (ई एम ई कैम्पस)
7.	बड़ौदा नं. 3 मकरपुरा (ए एफ सी)
8.	बड़ौदा नं. 4 (ओ एन जी सी)
9.	भावनगर पाडा
10.	भुज नं. 1 (एयर फोर्स स्टेशन)
11.	भुज नं. 2 (छावनी)
12.	काम्बे (ओ एन जी सी)
13.	चांद खेडा (ओर एन जी सी)
14.	दांतीवाडा (बी एस एफ)
15.	धरंगधरा
16.	गांधी धाम (इफको)
17.	गांधी धाम (रेलवे कॉलोनी)
18.	गांधी नगर कैण्ट
19.	गांधी नगर नं. 1 (सेक्टर-30)

1	2
20.	गांधी नगर (सी आर पी एफ)
21.	हिम्मत नगर
22.	जामनगर नं. 1 (एयर फोर्स स्टेशन)
23.	जामनगर नं. 2 (आई एन एफ - लाइन्स)
24.	जामनगर नं. 3 (ए एफ-2)
25.	झन्नौर (एन टी पी सी)
26.	जूनागढ़
27.	महसाणा (ओ एन जी सी)
28.	नलिया (ए एफ सी)
29.	ओखा
	[illegible]
	[illegible]कोट
32.	साबरमती
33.	असमाना (ए एफ एस)
34.	सूरत नं. 1 (1 चचनाथ)
35.	सूरत नं. 2 हजीरा (कृभको)
36.	सूरत नं. 3 के जी पी पी (एन टी पी सी)
37.	सूरत नं. 4 हजीरा (ओ एन जी सी)
38.	वी.वी. नगर (नियर यू.एस. क्वार्टरस)
39.	वालसुरा (आई एन सी)
40.	वीरम गांव
41.	वडसर (एयर फोर्स स्टेशन)

गुजरात राज्य में स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालयों का विवरण

1. कोडीनगर जिला
   अमरेली
   गुजरात-362720

2. रूपनगर, वालिया
   जिला-भरूच,
   गुजरात-393133

3. अलीबाबा,
   जिला जामनगर
   गुजरात-361110

4. पोरबन्दर पोस्ट बॉक्स नं. 3,
   जिला-जूनागढ़,
   गुजरात-360575

5. कथलाल,
   जिला-खेड़ा,
   गुजरात-387630

6. डूमरा,
   जिला-कच्छ,
   गुजरात-370490

7. लानवे, पोस्ट ऑफिस लानवे,
   जिला-महसाणा (पाटन),
   गुजरात-344229

8. दहोड़,
   जिला-पंचमहल, (दहोड़),
   गुजरात-389151

9. लखजीराज स्कूल नं. 6,
   दीवानपाडा, ओल्ड खण्डपीठ,
   जिला-राजकोट, गुजरात-360001

10. धनसुरा,
    जिला-साबरकांझा,
    गुजरात-383310

11. भोरखादी,
    जिला-सूरत,
    गुजरात-394690

12. दोरंगधरा,
    जिला-सुरेन्द्र नगर,
    गुजरात-363310

[अनुवाद]

दिल्ली यातायात पुलिस

17. **डा. विजय सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात नियमन को पुलिस नियंत्रण कक्ष के हाथ में सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मोटर चालकों से घटना स्थल पर ही जुर्माना वसूली सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए पी.सी.आर. वाहनों पर तैनात कार्मिकों सहित दिल्ली पुलिस की अन्य यूनिटों द्वारा यातायात प्रवर्तन कार्य में अनेक बार दिल्ली यातायात पुलिस की सहायता की जाती है।

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को कुछेक यातायात अपराधों में कम्पाउण्ड करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यातायात प्रवर्तन कर्मचारियों के कार्यों पर आवश्यक निगरानी भी रखी जाती है।

कर्नाटक को अनुदान

18. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए कितना अनुदान जारी किया गया है;

(ख) क्या कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को रिलीज किए गए अनुदान नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
1996-97	406.11
1997-98	465.34
1998-99	355.90 (15.2.99 तक)

(ख) और (ग) वर्षवार उपयोग नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
1996-97	577.40
1997-98	734.89
1998-99	397.86 (15.2.99 तक)

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विपणन

19. **श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करने, इसका उन्नयन करने और विस्तार करने के लिए नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब के स्वयंसेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को सहायता

20. **श्री सतनाम सिंह कैंथ** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक पंजाब में वर्तमान समय में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या पंजाब में गैर सरकारी संगठनों को धनराशि जारी करने के लिए कुछ आवेदन गत तीन वर्षों से लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि
1995-96	97.41
1996-97	64.23
1997-98	93.05
1998-99 (18.2.1999 तक)	154.05

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टों सहित सब प्रकार से पूर्ण दस्तावेजों के उपलब्ध न होने के कारण जैसा कि लागू है।

(घ) अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर लम्बित प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा सकेगी, जिन्हें मंगाया जा रहा है।

दिल्ली में "सी आई ए" और अन्य आतंकवाद विरोधी एजेन्सियों के शिविर

21. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की "सीआईए" "एफ.बी.आई." और अन्य आतंकवाद विरोधी एजेन्सियों के सदस्य दिसम्बर, 1998 से दिल्ली में शिविर लगाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबधं में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, भारत की, अमेरिका सहित अनेक देशों के साथ ...था है, जिसके अंतर्गत अपराध जांच-पड़ताल ... विशिष्ट मामलों के लिए एक दूसरे देशों में जाते ... बाद लौट जाते हैं।

[हिन्दी]

जल प्रदाय और मल व्ययन परियोजनाएं

22. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहानाबाद, बिहार में पेयजल उपलब्ध करवाने और मल व्ययन की परियोजना को लागू करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को नौंवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक या कोई अन्य एजेंसी इन परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहमत हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) बिहार सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयू डब्ल्यू एस पी) केवल एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है, जो 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों के लिए है। 1991 की जनगणना के अनुसार जहानाबाद नगर की जनसंख्या 52,332 है अतः यह उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत जहानाबाद को शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संतरागाची मुद्रणालय का आधुनिकीकरण

23. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत सरकार मुद्रणालय-संतरागाची, हावड़ा की प्रपत्र इकाई और प्रकाशन इकाई के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस आधुनिकीकरण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत सरकार मुद्रणालय, संत्रागाछी हावड़ा के फार्म्स यूनिट तथा प्रकाशन यूनिट के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनधिकृत बस्तियां

24. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अनधिकृत बस्तियों को विनियमित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) दिल्ली के अंतर्गत कितने गांवों को अब तक शहरी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है; और

(ग) भविष्य में कितने गांवों को शहरी क्षेत्र घोषित किए जाने की सम्भावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से 31.3.93 को यथा मौजूद

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सिफारिश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, मामले में निर्णय लेने से पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी डब्ल्यू पी सं. 4771/93 कॉमन कॉज (पंजी) सोसाइटी बनाम भारत सरकार और अन्य के भारत सरकार सहित प्रतिवादी पर दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने पर अगले आदेश होने तक रोक लगा दी है। मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली कैन्टोनमेन्ट बोर्ड द्वारा यथा सूचित शहरी गांवों का विवरण निम्न अनुसार है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण व दिल्ली नगर निगम

1. असलतपुर
2. अजादपुर
3. बसंत गांव
4. बसई धारापुर
5. बेगमपुर
6. बैर सराय
7. भारौला
8. बुधेला
9. धीरपुर
10. गढ़ी झरिया मारिया
11. पीरा गढ़ी
12. गाजीपुर
13. घोंडा
14. हैदरपुर
15. हरीनगर आश्रम
16. हसनपुर
17. होज खास
18. हुमायुपुर
19. झिलमिल तिहारपुर
20. जोगाबाई
21. ज्वाला हेडी
22. कच्चीपुर
23. कालू सराय
24. कडकड डूमा
25. कटवारिया सराय
26. ख्याला
27. खिरकी
28. खिजराबाद
29. खुरेजी खास
30. किलोकरी
31. किशनगढ़
32. कोटलामुबारकपुर
33. लाडो सराय
34. मादीपुर
35. मकसूदपुर
36. मंगोलपुर खुर्द
37. मंडावली फैजलपुर
38. मसी गढ़
39. मस्जीद मोठ
40. मौजपुर
41. महरोली
42. मुनिरका
43. नांगलराय
44. नागलोई जलेब
45. नागलोई सयद
46. नारायणा
47. ओखला
48. पीपलथाला
49. पीतमपुरा
50. औसंगीपुर
51. रामपुरा
52. साहीपुर
53. सरायझुलियाना
54. सहापुर जाट
55. शकरपुर खास
56. शकरपुर
57. शालीमार
58. शेख सराय
59. तैमूरनगर

60. तातारपुर
61. तेहखंड
62. बजीरागार
63. अदचिनी
64. अरकपुर बाग मोची
65. बदरपुर
66. बादली
67. बहलोलपुर
68. चौखंडी
69. चिराग दिल्ली
70. ढाका
71. घोंडा निमका
    घोंडली
    जरानी
74. जसौला
75. जय सराय
76. कैटवारा
77. केशोपुर
78. खामपुरराया
79. खानपुर (भाग)
80. खरारा
81. कोटला
82. मदनगीर
83. मदनपुरखादर
84. मलिकपुर छावनी
85. मंडोली कच्ची
86. मंगोल पुर कलां
87. महिपालपुर
88. मोहम्मदपुर
89. नाहरपुर
90. नगली राजापुर
91. राजपुर छावनी
92. रीठाला
93. सबोली
94. सधौरा कलां
95. समयपुर
96. सराय कालेखां
97. सराय शाहजी
98. शादीपुर
99. सीलमपुर
100. तिहाड़
101. तुगलकाबाद
102. शाहदरा
103. उस्मानपुर
104. वजीराबाद
105. यूसुफ सराय
106. जमरूदपुर
107. सथोरा खुर्द
108. चौकरी मुबरकाबाद
109. निमडी
110. सलिमपुर मजौरा मादीपुर
111. नजफगढ़
112. मसूदाबाद
113. हैदरपुर
114. लाडो सराय
115. खिचड़ी पुर
116. पालम
117. मिर्जापुर
118. डाबड़ी
119. नसीरपुर
120. सागरपुर
121. बगदोला
122. साहपुरा
123. मटियाला
124. बिन्दापुर
125. ककरोला
126. लोहारहर
127. टोगनपुर
128. अम्बर हाई
129. शाहबाद मोहम्मदपुर
130. धरथल

131. नवादा
132. पोचनपुर
133. दमनोली
134. धूल सिरस
135. बिजवासन

एन.डी.एम.सी. – पिलंजी गांव

दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड – दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में छः गांव हैं।

शहरीकरण हेतु प्रस्तावित गांव

दिल्ली नगर निगम

1. सिरसपुर
2. पीरागढ़ी
3. लिबासपुर
4. सुलतानपुर माजरा
5. हस्ताल
6. सैदुल्ला अजायब
7. चिल्ला सरोदा बांगर
8. चिल्ला सरोदा खादर
9. त्रिलोकपुरी
10. दुल्लुपुरा
11. कोंडली
12. घटौली
13. शकरपुर बरमेद
14. समयपुर
15. भलेस्वा जहांगीरपुरी

दिल्ली विकास प्राधिकरण

1. रोहिणी विस्तार

1. बेगमपुर
2. बरवाला
3. पनसाली
4. पहलाद पुर बांगर
5. सुलतानपुर माजरा (+सुलतानपुर एक्सटेंशन)
6. सहिबाबाद दौलतपुर
7. लिबासपुर
8. सिरसपुर
9. पूककला
10. मुबारकपुर
11. नीठारी
12. किरारी-सुलेमान

2. नरेला

1. नरेला
2. कुरेनी
3. टिकरी खुर्द
4. सिंघोला
5. भोरगढ़
6. सनोठ
7. शाहपुर गढ़ी
8. होलाम्बी खुर्द
9. इरदात नगर
10. खेड़ा खुर्द
11. खेड़ा कलां
12. होलम्बी कलां
13. बुधपुर-बृजापुर
14. सिरसपुर
15. बंकनेर
16. अलीपुर
17. सिंधु
18. बंकोली
19. नगली पुनः
20. बवाना

3. यूई फेस-II ए (नरेला)

1. बाकरवाला (पी)
2. हस्ताल
3. कमरूद्दीन नगर
4. मुंडका
5. नवादा खेड़ा
6. नांगलोई जाट (+नागलोई विस्तार)

7. निलोठी

8. रमहोला

9. राजपुर खुर्द (विरान)

10. तिलंगपुर कोटला

11. बकराजा (पी)

4. यूई (साउथ दिल्ली) फेस-I बी

1. आदिलाबाद

2. छतरपुर

3. चंदन होला

4. देवली

5. हौजरानी

[illegible]पुर

8. लाल कुआं

9. मैदान गढ़ी

10. नेब सराय

11. पुल प्रहलाद

12. राजपुर खुर्द

13. शामपुर खुर्द

14. सतबारी

15. सैद-उल-अजैब

5. फेस + नरेला व उत्तर पश्चिम दिल्ली

1. घेवड़ा

2. रसूलपुर

3. रानी खेड़ा

4. मदनपुर डबास

5. कंझावला

6. कराला

7. चांदपुर कलॉं (पी)

8. पूथ खुर्द

9. सुलतापुर डबास

10. बवाना (पी)

योग : 68 अदद

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आतंकवादी गतिविधियां

25. **श्री कांची पन्नीरसेल्वम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1998 को तमिलनाडु में आई.एस.आई. द्वारा कितने बम-विस्फोट किए गए और आतंकवादी हमले किए गए;

(ख) क्या तमिलनाडु में हुई इन घटनाओं की कोई खुफिया रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लिट्टे-उल्फा-आई.एस.आई. के बीच कोई संबंध है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के संगठनों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या तमिलनाडु सरकार को उन गतिविधियों से निबटने में धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) तमिलनाडु में जनवरी, 1998 से ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है जिसमें आई एस आई का हाथ हो।

(घ) उनके संबंधों के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) एल टी ई और उल्फा विधि विरूद्ध संगठन घोषित कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से इन संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(च) से (ज) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना के तहत, सरकार उनके पुलिस बलों का उन्नयन करने के लिए राज्यों को धन देती है। तमिलनाडु सरकार को इस योजना के तहत वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान 1091.875 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

प्रतिबंधित कीटनाशक

26. **श्रीमती रमा देवी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों और कीटनाशकों के अति-प्रयोग या दुरुपयोग के कारण नदियों, महासागर, भूमिगत जल का प्रदूषण जारी है;

(ख) इस हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन कीटनाशकों का उत्पादन जारी है जो कई देशों में प्रतिबंधित हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकसित और विकासशील देशों को कीटनाशकों का निर्यात जारी है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक से अर्जित विदेशी मुद्रा दर्शाते हुए देशवार या कीटनाशकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है। यह सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेयजल योजना

27. **श्री जी. गंगा रेड्डी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पेय जल योजना के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 100/- करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1998-99 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 9991.36 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 9920.46 लाख रुपए राज्य को रिलीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा उप-मिशन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य को 9361.44 लाख रुपए भी रिलीज किए गए हैं, जो कि वर्ष 1998-99 के लिए देश में जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में शुद्ध जल प्रदान करने के उप-मिशन के अन्तर्गत रिलीज की गई कुल निधियां का 81.38 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

भारत में कुश्ती

28. **श्री इन्द्रजीत मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खेलने वालों को छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे कि कुश्ती को देश में बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार क्या कुश्ती खेलने वालों के लिए कुछ पद सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कुश्ती खेलने वालों के लिए घोषणा किए जाने हेतु अन्य प्रस्तावित पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, हां। कुश्ती समेत पता लगाई गई खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर 450/- रुपये प्रति मास तथा राष्ट्रीय स्तर पर 600/-, रुपये प्रतिमास तथा विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर 750/- रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों में समूह "ग" और "घ" पदों में रिक्त स्थानों में से 5 प्रतिशत पद खिलाड़ियों द्वारा, जिनमें पहलवान भी सम्मिलित हैं, भरे जा सकते हैं बशर्ते कि वे आयु व शैक्षिक योग्यता से संबंधित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(ङ) सरकार का पहलवानों के लिए कोई पृथक पुरस्कार रखने के लिए प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा नकद पुरस्कार भी देश के उत्कृष्ट पहलवानों के लिए उपलब्ध हैं जो अन्य खिलाड़ियों को प्रदान किए जा रहे हैं।

डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. योजना

29. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. योजना के अंतर्गत कितने विकास खण्ड कार्यरत हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने दल कार्य कर रहे हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. योजना के अंतर्गत आय सृजन संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेने से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(घ) कुल लाभार्थियों मे से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाएं हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के 45 जिलों में 459 विकास खंड हैं। डवाकरा कार्यक्रम को सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारम्भ से अब तक 2290 समूहों का गठन किया गया है तथा 34503 महिलाओं को लाभ मिला है जिनमें 2566 अनुसूचित जाति की महिलाएं और 15926 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

30. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत 6 माह से कानपुर शहर और कानपुर देहात में सिर पर मैला ढोने की प्रथा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा [illegible] करने के लिए वचनबद्ध है और इस संबंध में शुष्क [illegible]-वाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और सफाई [illegible] वैकल्पिक ट्रेडों में प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित करने संबंध योजनाओं के माध्यम से सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं। इस संबंधी में कानपुर शहर में 756 सफाई कर्मचारियों तथा कानपुर देहात में 950 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास के लिए 1993-94 से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा वित्तीय रूप से सहायता की गई है।

[अनुवाद]

परती भूमि का आबंटन

31. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में कृषि-आधारित उद्योगों को परती भूमि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) गुजरात के कच्छ जिले में कृषि-आधारित उद्योगों को बंजरभूमि के आबंटन का विषय गुजरात की राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कच्छ जिले में बंजरभूमि के आबंटन हेतु विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों ने आवेदन किया है। तथापि, उन्हें अभी तक कोई बंजरभूमि आबंटित नहीं की गयी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आवेदकों से आवश्यक कागजात और सूचना प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार करेगी।

विवरण

गुजरात में बंजरभूमि के आबंटन के लिए विभिन्न आवेदकों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	स्थल का नाम	सवेक्षण संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात एग्री जेंटिस लिमिटेड, अहमदाबाद	21.10.94	कच्छ जिला	–	800 हैक्टेयर	कृषि हेतु	लम्बित, क्योंकि कम्पनी ने सूचना नहीं दी है।
2.	श्री एग्री बिजनेस क्रोनो लिमिटेड, अहमदाबाद	5.5.95	भयाडा तहसील अबदासा	–	500 हैक्टेयर	ईजराइली प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि तथा कपास की खेती हेतु	आवेदक द्वारा सूचना नहीं दी गई।
3.	ओयसिस एग्री टेक. लिमिटेड, वड़ौदरा	9.7.96	तहसील अबदासा	–	1000 एकड़	–वही–	–वही–
4.	सूरज एग्रीकल्चरल सर्विस	14.2.95	कच्छ जिला	–	–	ईजराइली प्रौद्योगिकी के द्वारा वृक्षारोपण हेतु	–वही–
5.	श्री आनंद कास्टपिन लिमिटेड, अहमदाबाद	23.5.95	–वही–	–	200 एकड़	सूती यार्न हेतु	–वही–
6.	श्री ग्रीनवेल ग्रोवेल प्राइवेट, लि. अहमदाबाद	22.8.94	निरोना, तहसील नखातराना, जिला कच्छ	554	800 हैक्टेयर	कपास की खेती हेतु	–वही–
7.	ग्रीनहुड एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद	2.3.95	छादुडा,	707	253 हैक्टेयर	–वही–	–वही–
			तहसील अबदासा अमारा तहसील नखातराना		240 हैक्टेयर	–वही–	–वही–
8.	एवरग्रीन ग्रोव फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद	22.8.94	निरोना तहसील नखातराना	–	800 हैक्टेयर	–वही–	–वही–
9.	एन.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद	10.9.94	कच्छ	–	–	शरीफा के बीज (कस्टर्ड सीड)	–वही–
10.	सांघी प्लान्टेसन, हैदराबाद	31.5.95	कच्छ	–	800 हैक्टेयर	वृक्षारोपण	–वही–
11.	गुजरात दाहेद फूड्स, अहमदाबाद	30.4.93	कच्छ	–	–	कृषि हेतु	–वही–
12.	श्री इंस्कॉन फिनलीज एन्ड इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद	1.10.95	कच्छ	–	–	–वही–	–वही–
13.	सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद	31.5.95	अबदासा	–	800 हैक्टेय	वृक्षारोपण हेतु	–वही–
14.	ग्रीनवर्ड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	22.8.94	निरोना	554	800 हैक्टेयर	कपास की खेती हेतु	–वही–

1	2	3	4		6	7	8
15.	जूनागढ़ रिजनल आयलसीड मैन्यूफैक्चरर कॉपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड, जूनागढ़।	22.1.95	कच्छ	-	-	कपास एवं अन्य फसलों की खेती हेतु	आवेदक द्वारा सूचना नहीं दी गई
16.	अरविन्द ग्रोवेल कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद	22.8.94	नखातराना निरोना छाद्डा तहसील अबदास	-	253 हैक्टेयर	-वही-	-वही-
17.	मधुवन किंगरोज एक्सपोर्ट लिमिटेड, अहमदाबाद	22.9.95	मान्दडी	-	200-1000 हैक्टेयर	बागवानी हेतु	-वही-
18.	एडमिरल वेस्टलैंड डेवलपमेंट लिमिटेड, अहमदाबाद	9.10.95	-वही-	-	-वही-	-वही-	-वही-
19.	इंडो पल्स ऑयल एस्पोर्ट लिमिटेड, अहमदाबाद।	30.10.95	कच्छ मुन्दडा	-	2000-10000 हैक्टेयर	-वही-	आवेदक द्वारा सूचना न दिये जाने के कारण आवेदन फाइल कर दिया गया।
20.	श्री शाह ऑयल टेक. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	11.11.97	रापड़	-	-	कृषि औद्योगिक प्रयोजन हेतु	-वही-

ईसाईयों की जनसंख्या

32. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951, 1981 और 1991 में ईसाईयों की जनसंख्या कितनी थी और और उन वर्षों में देश की कुल जनसंख्या कितनी थी;

(ख) उक्त वर्षों में गुजरात में ईसाईयों और हिन्दुओं की जनसंख्या कितनी थी और इसकी तुलना में गुजरात में गैर-ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या कितनी थी;

(ग) 1951, 1981 और 1991 में डांग जिले में ईसाईयों की संख्या कितनी थी; और

(घ) क्या सरकार ने गुजरात, विशेषकर डांग के आदिवासी क्षेत्र में ईसाईयों की जनसंख्या में वृद्धि की दर के कारणों का विश्लेषण किया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1951, 1981 और 1991 में देश की कुल जनसंख्या और ईसाईयों की जनसंख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	देश की कुल जनसंख्या	ईसाईयों की जनसंख्या
1951@	349,510,673	8,231,660
1981	658,064,150	16,088,797
1991	814,497,323	18,748,542

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित कारणों से अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों की तुलनात्मकता बनाए रखने के लिए उपर्युक्त विवरण में दिए गए आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर तथा पाण्डिचेरी के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं;

   (i) जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं की गई थी। अतः धर्म-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार 1951 की जनगणना के भी धर्म-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

   (ii) असम के संबंध में 1981 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उस समय उस राज्य में जनगणना नहीं कराई गई थी।

   (iii) अरुणाचल प्रदेश के संबंध में 1951 की जनगणना के जनसंख्या के धर्म-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

   (iv) पाण्डिचेरी के संबंध में वर्ष 1951 की जनसंख्या के धर्म-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

2. @ पंजाब राज्य के 268,602 व्यक्तियों का धर्म-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथा कालम 3 में दिए गए आंकड़ों में इस जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) 1951, 1981 और 1991 में गुजरात की ईसाई, हिन्दू और गैर-ईसाई आदिवासी जनसंख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	जनसंख्या		
	हिन्दू	ईसाई	गैर-ईसाई आदिवासी
1951	14,328,446	78,026	उपलब्ध नहीं
1981	30,518,500	132,703	-वही-
1991	36,964,228	181,753	-वही-

(ग) 1951, 1981 और 1991 में डांग जिले की ईसाईयों की संख्या नीचे दी गई है :

जिले का नाम	वर्ष	ईसाई
डांग	1951	427
	1981	1,514
	1991	7,824

(घ) सरकार ने डांग जिले सहित गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में ईसाईयों की जनसंख्या में आए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारणों के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया है।

शैक्षिक संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

33. **श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** 14 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4096 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

अतिथि शिक्षक योजना

34. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीमावर्ती राज्यों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अतिथि शिक्षक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई अतिथि शिक्षक योजना तैयार नहीं की है। तथापि, इसने कश्मीर विश्वविद्यालय तथा इससे संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को शिक्षण/अनुसंधान कार्य देने के लिए 1990-91 से विश्वविद्यालय में विजिटिंग संकाय के कुछ पद सृजित किये हैं। 31 मार्च, 2000 या कश्मीर घाटी में स्थिति ठीक होने तक योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया "क", "ख" तथा "ग" श्रेणियों में विभाजित किये क्रमशः 2500/- रुपये प्रतिमाह, 3000/- रुपये प्रतिमाह तथा 4000/- रुपये प्रतिमाह के हिसाब से एक समेकित मानदेय दिया जाता है। ये शिक्षक उपर्युक्त मानदेय के अलावा अपने-अपने विश्वविद्यालय/कॉलेजों से अपना-अपना वेतन ले रहे हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत ऐतिहासिक स्मारक

35. **श्री ए. सी. जोस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संघ सरकार ने राज्यवार इन ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों की देख-रेख और इनके विकास हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3598 ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों का संरक्षण किया जाता है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा इन स्मारकों एवं स्थलों के अनुरक्षण एवं विकास के लिए किया गया कुल आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	134
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	49
4.	बिहार	79
5.	दिल्ली	166
6.	दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र)	10
7.	गोआ	25
8.	गुजरात	199
9.	हरियाणा	91
10.	हिमाचल प्रदेश	37
11.	जम्मू एवं कश्मीर	64
12.	कर्नाटक	504
13.	केरल	28
14.	मध्य प्रदेश	326
15.	महाराष्ट्र	288
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	6
18.	नागालैण्ड	4
19.	उड़ीसा	72
20.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	8
21.	पंजाब	25
22.	राजस्थान	157
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	410
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	785
27.	पश्चिम बंगाल	117
	कुल योग	3598

विवरण–II

विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर किया गया आबंटन दिया गया है

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995–96 रुपये	1996–97 रुपये	1997–98 रुपये
1.	आंध्र प्रदेश	48,89,000	58,39,000	83,93,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	11,98,000	26,52,000	31,82,000
3.	असम	05,35,000	73,000	–
4.	बिहार	37,08,000	87,00,000	1,38,67,000
5.	दिल्ली	2,78,00,000	2,64,00,000	2,61,11,000
6.	दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्र)	13,76,000	25,85,000	23,70,000
7.	गोआ	15,95,000	23,03,000	32,91,000
8.	गुजरात	41,21,000	55,02,000	59,19,000
9.	हरियाणा	50,97,000	80,85,000	81,13,000
10.	हिमाचल प्रदेश	57,92,000	62,56,000	42,51,000
11.	जम्मू एवं कश्मीर	60,57,000	64,00,,000	73,79,000
12.	कर्नाटक	70,94,000	1,00,00,000	1,67,44,000
13.	केरल	13,08,000	12,52,000	45,78,000
14.	मध्य प्रदेश	78,54,000	1,22,42,000	1,43,45,000
15.	महाराष्ट्र	30,59,000	57,00,000	81,47,000
16.	मणिपुर	66,000	–	–
17.	मेघालय	30,000	01,000	–
18.	नागालैण्ड	24,000	02,09,000	02,20,000
19.	उड़ीसा	66,40,000	93,84,000	37,52,000
20.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	02,67,000	03,10,000	02,58,000
21.	पंजाब	23,05,000	51,59,000	76,39,000
22.	राजस्थान	57,98,000	70,00,000	1,73,00,000
23.	सिक्किम	01,20,000	03,38,000	14,87,000
24.	तमिलनाडु	59,48,000	80,00,000	1,00,77,000
25.	त्रिपुरा	03,30,000	03,01,000	06,99,000
26.	उत्तर प्रदेश	1,48,71,000	1,70,18,000	2,83,58,000
27.	पश्चिम बंगाल	47,58,000	61,31,000	97,91,000

तकनीकी शिक्षा परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता

36. श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से तकनीकी शिक्षा परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनको स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही तकनीशियन शिक्षा परियोजना से पॉलिटैक्निक शिक्षा में हासिल लाभों को बनाए रखने के लिए इस मंत्रालय ने चार प्रमुख पहलों के लिए नई विदेशी सहायता की मांग की है जिसमें चलाई जा रही तकनीशियन शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शामिल न किये गये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ करना भी शामिल है। निधियों की आवश्यकता संबंधी अनुमान आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से मांगे गये थे। विश्व बैंक से सहायता के लिए एक समेकित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

विकास और रोजगार गारण्टी योजना

37. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान "ग्रामीण विकास और रोजगार गारण्टी योजना" के अंतर्गत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) रायगढ़ जिले में केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी है; और

(घ) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) "ग्रामीण विकास और रोजगार

गारंटी योजना" नामक कोई भी स्कीम महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कार्यान्वित नहीं की जा रही है तथापि जिलें में कार्यान्वित होने वाली ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की विकास योजनाएं इस प्रकार हैं :—

(1) जवाहर रोजगार योजना

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना

(3) दस लाख कुओं की योजना

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(5) डवाकरा

(6) ट्राइसेम

(7) इन्दिरा आवास योजना

(8) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

(9) बंजर भूमि विकास

वर्ष 1998-99 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) रायगढ़ जिले से प्राप्त समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना से संबंधित एक परियोजना लम्बित है जिसके संबंध में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रायगढ़ के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	योजना	फरवरी, 99 तक केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	दिसम्बर, 98 तक कुल व्यय
	जवाहर रोजगार योजना	389.49	549.97	372.07
	इन्दिरा आवास योजना	181.72	266.14	99.46
3.	दस लाख कुओं की योजना	58.04	90.02	32.45
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	141.00	322.43	142.37
5.	डवाकरा	13.92	15.52	0
6.	ट्राइसेम	5.89	13.66	9.37
7.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	118.67	164.85	109.94
8.	टूलकिट्स	6.12	6.12	0
9.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	716.00	716.00	677.24
	कुल	1630.85	2144.71	1443.4

घाटे में चल रही उर्वरक फैक्टियां

38. **श्री गंगा चरण राजपूत :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्रों की उर्वरक इकाइयां घाटे में चल रही हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान तथा आज की स्थिति तक लाभ अर्जित करने वाली/घाटे में चल रही ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 (जनवरी 1999 तक) के दौरान उर्वरक विभाग के अधीन उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों/सहकारी समितियों की लाभ/हानि निम्नानुसार रही है :

(रुपये/करोड़)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सहकारी समितियों के नाम	1997-98	1998-99 (अप्रैल 98-जनवरी 99) अनंतिम
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	189.01	52.14
2.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	53.94	(-) 47.00
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	189.37	171.00
4.	पारादीप फास्फेट लिमिटेड (पीपीएल)	(-) 105.53	(-) 14.91
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	(-) 55.35	(-) 39.68
6.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पीपीसीएल)	(-) 53.41	(-) 47.41
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआई)	(-) 724.93	(-) 712.50
8.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पीडीआईएल)	(-) 647.83	(-) 578.79
9.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	06.09	(-) 7.28
10.	कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	299.61	206.82
11.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	438.85	265.45

उर्वरक विभाग निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों को मोनिटर नहीं करता है।

1997-98 में, 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् एचएफसी, एफसीआई, पीपीसीएल, पीपीएल तथा एमएफएल को हानि हुई। 1997-98 के दौरान पीडीआईएल को भी हानि हुई है। एफसीआई तथा एचएफसी द्वारा उठाई जा रही हानियों के मुख्य कारंणों में से पुराने उपकरण, पावर की कमी तथा अधिक जनशक्ति है। पीपीसीएल के मामले में पाइराइट्स पर आधारित सल्फयूरिक एसिड उत्पादन की अन्तरभूत लागत हानि तथा मसूरी में गहरी भूमिगत खनन की बढ़ती लागतें महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। जहां तक पीपीसीएल का संबंध है सॅविदा, श्रम समस्याएं तथा फास्फोरिक एसिड संयंत्र के कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन की ऊंची लागत तथा विनिमय में उतार-चढ़ाव मुख्य कारण हैं। पुनर्वास परियोजना के आरम्भण में विलम्ब तथा बढ़ी हुई फीड स्टाक लागतें एमएफएल द्वारा उठाई जा रही हानियों के लिए प्रमुख कारणों में से है। पीडीआईएल को उत्प्रेरकों के कम आर्डर के कारण तथा किसी नई/विस्तार उर्वरक परियोजना के न होने के कारण कार्य आर्डर के अभाव में हानि हुई है।

(घ) सरकार का अनिवेश आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले पुनरुद्धार पैकेज जैसा भी मामला हो के साथ-साथ इन एककों की प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखने के पश्चात् उपयुक्त उपाय करने का प्रस्ताव है। विशेषरूप से एफसीआई और एचएफसी को बीआईएफआर को निर्दिष्ट किया गया है और विस्तृत पुनरुद्धार प्रस्तावों को अंतरमंत्रालयीय परामर्श के लिए परिचालित किया गया है। उन्हें सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी तथा बीआईएफआर के अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अनिवेश आयोग ने एनएफएल, एफएसीटी, एमएफएल तथा पीपीसीएल के लिए भी सिफारिशें की हैं। एमएफएल के मामले में इसने प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनुकूल भागीदारों को 50 प्रतिशत शेयर बेचने की सिफारिश की है। सरकार ने सिद्धान्त रूप से इसकी सिफारिश मंजूर कर ली है। एफएसीटी और एनएफएल के मामले में सरकार ने अनिवेश के प्रस्ताव को टाल दिया है। पीपीसीएल के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्ष 1994 में पीपीएल को पर्याप्त राहतें दी गई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इसकी पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना शामिल है। योजना ऋणों का पुनर्भुगतान तथा 1997-98 के दौरान बाकी ब्याज भुगतान एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिए गए। इसके सल्फयूरिक एसिड संयंत्र ने क्षमता उपयोग में बाधा को दूर करने के लिए एक योजना भी बनाई गई है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का दुरुपयोग

39. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के अनेक गोदामों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर कोई छापा मारा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जी नहीं। तत्कालीन माननीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री ने निरीक्षण के प्रयोजन से बिहार में फुलवारीशरीफ और दीघाघाट का क्रमशः 30.10.1997 और 1.11.1997 को दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्नों और चीनी का कुछ ऐसा पुराना स्टाक पाया गया था जिसका निपटान निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था। इसकी जांच की गई थी और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और इस प्रकार की चूकों से संबंधित एफ.एस.डी. फुलवारीशरीफ और दीघाघाट के ... कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

...टक योजना और आदिवासी उपयोजना

40. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष घटक योजना और आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना बजट आवंटन में से 22 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इस संबंध में सरकार द्वारा कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी विशेष संघटक योजनाएं तथा आदिवासी उप योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में संसाधन आबंटित करने पर जोर देती रही है। इसी प्रकार, वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय इन समूहों की जनसंख्या के अनुपात में संसाधन आबंटित करने के लिए योजना आयोग से भी अनुरोध किया जाता है। तथापि, अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन समूहों की जनसंख्या के अनुपात में संसाधन आबंटित नहीं कर पाए हैं क्योंकि विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप-योजना का प्रवाह केवल विभाज्य क्षेत्रों में परिव्यय से संभव है। राज्य योजना परिव्यय का मुख्य भाग अविभाज्य क्षेत्रों को चला जाता है। इसी प्रकार, अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को लाभ सुनिश्चित करना संभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी योजना स्कीमों में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

आवास क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

41. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर ने अनिवासी भारतीयों को आवास क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अनिवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने 16 आवासीय क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

(ख) सरकार ने अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के नागरिकों के, शहरी विकास तथा आवास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। यह स्कीम व्यक्तिगत तथा मुख्यतया अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के नागरिकों के स्वामित्व वाले विदेशी निगमित निकायों (ओबीसी) के लिए खुली है। इस स्कीम के अन्तर्गत निवेश योग्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :—

(1) विकसित भूखंडों का और विकास तथा निर्मित रिहायशी परिसरों का निर्माण;

(2) स्थावर सम्पदा (रीयल एस्टेट), जिसमें रिहायशी तथा वाणिज्यिक परिसरों, व्यवसायिक केन्द्रों तथा कार्यालयों का निर्माण शामिल है;

(3) शहरी कृत कस्बों का विकास;

(4) सड़कें तथा पुलों सहित शहर व क्षेत्र स्तरीय शहरी अवस्थापना सुविधाएं;

(5) भवन सामग्रियों का निर्माण;

(6) (1) से (5) के भारतीय भवन निर्माताओं/उद्यमियों के साथ साझे उद्यम लगाना;

(7) आवास वित्त कम्पनियों में निवेश;

(8) निवेश लाभ की वापसी सहित अधिकतम दो रिहायशी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण;

(9) निवेश लाभ की वापसी सहित वाणिज्यिक अचल परिसम्पत्तियों का अधिगृहण; तथा

(10) दो रिहायशी परिसम्पत्तियों को किसी रिश्तेदार को उपहार में देना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से मिली सूचना के अनुसार, 1993 में इस स्कीम की शुरुआत से लेकर सितम्बर, 1998 तक धन की कुल प्राप्ति 515.59 करोड़ रु. रही।

[अनुवाद]

आदिवासियों को ईसाई बनाना

42. श्री तेजवीर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951, 1981 और 1991 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ईसाईयों, आदिवासियों और ईसाई धर्म परिवर्तन आदिवासियों की अलग-अलग कितनी आबादी थी;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इनकी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है अथवा अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जनगणना में केवल उन्हीं जनजातियों के ब्यौरे एकत्रित किए जाते हैं जो अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित की गई हैं। जनगणना में सामान्यतया आदिवासियों से संबंधित जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है। इसी प्रकार, धर्मान्तरित आदिवासियों के बारे में भी जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है। अतः 1951, 1981 और 1991 के दौरान आदिवासियों और धर्मान्तरित आदिवासियों की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1951, 1981 और 1991 के दौरान नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में ईसाईयों की जनसंख्या के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सरकार ने न तो कोई अध्ययन कराया है और न ही कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 1951, 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार ईसाईयों की जनसंख्या तथा 1951-81 और 1981-91 के दौरान प्रतिशत अन्तर दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ईसाईयों की जनसंख्या			प्रतिशत अन्तर	
		1951	1981	1991	1951-81	1981-91
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	1,232,621	1,433,327	1,216,348	16.28	-15.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	अनु.	27,306	89,013	अनु.	225.98
3.	असम	अनु.	अनु.	744,367	अनु.	अनु.
4.	बिहार	415,548	740,186	843,717	78.12	13.99
5.	गोआ	231,206	315,902	349,225	36.63	10.55
6.	गुजरात	78,026	132,703	181,753	70.08	36.96
7.	हरियाणा	अनु.	12,215	15,699	अनु.	28.52
8.	हिमाचल प्रदेश	317	3,954	4,435	अनु.	12.16
9.	जम्मू और कश्मीर	अनु.	8,481	अनु.	अनु.	अनु.
10.	कर्नाटक	418,453	773,500	859,478	84.85	11.12
11.	केरल	2,825,720	5,233,865	5,621,510	85.22	7.41

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	81,004	351,972	426,598	334.51	21.20
13.	महाराष्ट्र	433,290	795,464	885,030	83.59	11.26
14.	मणिपुर	68,394	421,702	626,669	516.58	48.60
15.	मेघालय	149,378	702,854	1,146,092	370.52	63.06
16.	मिजोरम	177,575	413,840	591,342	133.05	42.89
17.	नागालैण्ड	98,068	621,590	1,057,940	533.84	70.20
18.	उड़ीसा	141,934	480,426	666,220	238.49	38.67
19.	पंजाब @	98,858	184,934	225,163	अनु.	21.75
20.	राजस्थान	11,421	39,568	47,989	246.45	21.28
21.	सिक्किम	304	7,015	13,413	2,207,57	91.20
		1,427,382	2,798,048	3,179,410	96.03	13.63
23.	त्रिपुरा	5,262	24,872	46,472	372.67	86.84
24.	उत्तर प्रदेश	123,876	162,199	199,575	30.94	23.04
25.	पश्चिम बंगाल	181,775	319,670	383,477	75.86	19.96
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	9,494	48,274	67,211	408.47	39.23
2.	चंडीगढ़	अनु.	4,470	5,030	अनु.	12.53
3.	दादरा और नगर हवेली	870	2,025	2,092	132.76	3.31
4.	दमन और दीव	2,197	2,347	2,904	6.83	23.73
5.	दिल्ली	18,685	61,609	83,152	229.72	34.97
6.	लक्षद्वीप	2	266	598	13,200.00	124.81
7.	पांडिचेरी	अनु.	49,914	58,362	अनु.	16.93

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं कराई गई थी। अतः धर्म-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार 1951 की जनगणना के धर्म-वार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

2. असम के मामले में 1981 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य में उस समय जनगणना नहीं कराई गई थी।

3. असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी के संबंध में ईसाईयों के 1951 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1951 की जनगणना नहीं कराई गई थी।

4. @ पंजाब राज्य के 1951 की जनगणना के 268,602 व्यक्तियों का धर्म-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। पंजाब के 1951 के आंकड़ों में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के भागों के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

5. अनु. का तात्पर्य "अनुपलब्ध" से है।

लाटरियों की बिक्री के लिए लगाए गए प्रतिबंध पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

43. **श्री विजय गोयल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाटरियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई स्थगन आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में कोई आवेदन-पत्र भी दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में लाटरी व्यापार का कितना व्यापार हुआ; और

(च) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान लाटरी के व्यापार से राज्यों द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लाटरी चलाने वाले राज्य	कुल बिक्री (रु. करोड़ों में) 1995-96	लाटरियों से आमदनी (करोड़ रु. में) 1995-96	1996-97	1997-98
अरुणाचल प्रदेश	304.71	3.97	1.33	2.25
गोवा	312.82	2.58	2.18	4.01
हरियाणा	2355.24	80.18		
हिमाचल प्रदेश	240.68	4.88	7.83	8.87
कर्नाटक	70.00	5.00		
केरल	93.71	11.83	13.41	12.25
महाराष्ट्र	37.61	5.23	7.78	2.78
मणीपुर		15.86	20.50	15.09
मिजोरम	20,000.00*	10.00	15.06	18.07
नागालैंड		15.00	15.00	15.00
पंजाब	2500.00	2.24	9.13	6.05
राजस्थान	979.50	21.80	66.01	37.94 (22-7-98 से बन्द)
सिक्किम	3500.00*	20.00		
तमिलनाडु	72.00	4.60	6.31	8.94
पश्चिम बंगाल	9.80	2.35		

* अनुमानित

नोट स : बिक्री के आंकड़े केवल वर्ष 1995-96 के संबंध में ही उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

उर्वरक का उत्पादन और आपूर्ति

44. श्री अरविंद कांबले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरकों की वास्तविक मांग की तुलना में उत्पादन तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ख) दोनों क्षेत्रों में उर्वरकों की उत्पादन क्षमता को राज्यों की मांग के अनुसार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निजी क्षेत्र उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया

(ङ) धनराशि आबंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं.

(च) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुमान लगाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (छ) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की क्षेत्रवार स्थापित क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। उर्वरक की मांग आपूर्ति अन्तर को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। यूरिया के अलावा सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त तथा असरणीबद्ध हैं। विभिन्न संयंत्रों/बन्दरगाहों से यूरिया का वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किये गये राज्यवार आबंटन के अनुसार किया जाता है। आयातित यूरिया का वितरण प्रत्येक राज्य की (समय और स्थान दोनों में) आवश्यकताओं तथा मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के समग्र अन्तर को पूरा करने हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

उर्वरक एककों को निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध हैं :—

(1) नये संयंत्रों की स्थापना/मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूंजीगत मालों का निःशुल्क आयात।

(2) उर्वरक परियोजनाओं को पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के तहत की जाती है।

(3) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्तियों का निःशुल्क आयात।

(4) वर्तमान में यूरिया पर लागू प्रतिधारण मूल्य-सह-सबसिडी स्कीम के तहत उद्यमियों को निवेश पर यथोचित लाभ।

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में सभी उर्वरक कम्पनियों के लिये उत्पादन लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। पोषकों के रूप में समग्र उत्पादन लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण की जिम्मेवारी प्रवर्तकों की है और इस प्रयोजनार्थ कोई बजटीय आबंटन नहीं किया जाता। प्रत्येक एकक के उत्पादन-निष्पादन पर साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर निगरानी रखी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक मौसम के लिए उर्वरक की आवश्यकता का मूल्यांकन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

विवरण

नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों की क्षेत्रवार स्थापित क्षमता तथा उत्पादन

(000 मी.टन)

	1996-97		1997-98		1998-99	अप्रैल 98-जनवरी, 99
	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	स्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
	1	2	3	4	5	6
नाइट्रोजन (एन)						
सार्वजनिक...						
(1) व्यवहार्य एकक	3230.5	2374.2	3308.8	3041.6	3308.8	2486.0
(2) हानि उठाने वाले एकक	1010.9	359.6	1010.9	299.3	1010.9	238.8
योग (1+2) :	4241.4	2733.8	4319.7	3340.9	4319.7	2724.8

	1	2	3	4	5	6
	UU	UU	UU	UU	U	UU
सहकारी...	1864.6	1728.1	2267.6	2310.7	2267.6	1846.0
निजी...	3670.8	4137.5	3910.5	4434.3	3932.4	3728.3
योग :	9776.8	8599.4	10497.8	10085.9	10519.7	8299.1
फास्फेट (पी)						
सार्वजनिक...	796.2	623.1	826.9	728.0	826.9	587.6
सहकारी...	309.5	350.4	309.5	477.7	309.5	400.2
निजी...	1799.8	1582.4	1814.8	1770.2	2033.7	1469.1
योग	2905.5	2555.9	2951.2	2975.9	3170.1	2456.9
सकल योग	12682.3	11155.3	13449.0	13061.8	13689.8	10756.0

यातायात संबंधी शिकायतें

45. **श्री रामपाल उपाध्याय :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली में यातायात से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार ने दिल्ली में सड़कों पर यातायात नियंत्रण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) दिल्ली और अन्य महानगरों में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली पुलिस को यातायात प्रबंधन के बारे में बड़ी संख्या में पत्र/शिकायतें प्राप्त होती हैं। दिल्ली यातायात पुलिस के अधीन एक हैल्प-लाईन-सेल भी काम कर रहा है और टेलीफोन पर भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक, सिविल प्राधिकारियों को भेजी गयी इस प्रकार की शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1996	48
1997	83
1998	27
1999 (15.2.99 तक)	11

(ख) शिकायतों का विस्तृत स्वरूप और उन पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

(1) **गति सीमा अवरोधकों का निर्माण**

इस प्रकार की शिकायतें, गतिसीमा अवरोधक समिति के समक्ष रखी जाती हैं। जिसकी अध्यक्षता अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) द्वारा की जाती है और इसकी सिफारिशें संबंधित सिविल एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

(2) **साईकिल पथ, भूमिगत पथ, सड़कों को चौड़ा करने, पटरियों, सड़कों के मध्य विभाजिका में गैप को खोलना/बंद करना, उपरगामी पुल इत्यादि**

इन पर विचार किया जाता है और संबंधित सिविल एजेंसियों को योजना बनाने/कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं।

(3) **यातायात सिगनलों की स्थापना**

अंतर्विभागीय अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है; और

(4) **बाधाकारी पार्किंग/अतिक्रमण को हटाना**

फील्ड स्टाफ के जरिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे धौलाकुंआ, पूसा रोड, इत्यादि में कुछ कम लागत वाली प्रबन्धन योजनाएं शुरू की हैं। इसी प्रकार की योजनाएं कनाट प्लेस, चांदनी चौक और कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में भी चल रही है।

(घ) दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्नाधीन अवधि के दौरान सड़क

दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	चेन्नई
1996	2361	1361	474	615
1997	2342	1337	471	679
1998	2123	संबंधित राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को सबंधित आंकड़े अभी तक नहीं भेजे हैं।		
1999 (15.2.99 तक)	236			

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती

46. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न कर्मचारियों की (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन रिक्तियों की कुल संख्या अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियत प्रतिशत के सापेक्ष विभाजित करता है जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, 50.5 प्रतिशत के अनारक्षित कोटे के चयन से वंचित हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती करते समय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के अनुदेशों को आवश्यक परिवर्तन के साथ पालन करता है। तदनुसार 200 प्वाइंट के रोस्टर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को 30, 15 तथा 54 रिक्तियां नियत की जाती हैं। शेष 101 रिक्तियां अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी जाती हैं।

उर्वरकों पर राजसहायता

47. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों में संतुलन बनाए रखने के लिए फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है और राजसहायता पर कितनी राशि बढ़ाई जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) फास्फेटिक और पौटेशिक उर्वरक जो कि अनियंत्रित हैं पर रियायतें रियायत योजना के अंतर्गत दी जाती है ताकि समर्थ मूल्यों पर उन्हें किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। रियायत की मात्रा किसानों को अधिकतम फुटकर मूल्य और आयातों की लागत के अतिरिक्त कच्चे माल/मध्यमवर्तियों के मूल्यों पर निर्भर है। 1999-2000 के लिए इनका मूल्यांकन किया जा रहा है और इस प्रकार दरों में संभावित वृद्धि/कमी के बारे में बताना कठिन है।

[अनुवाद]

स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम

48. **श्री चेंगारा सुरेन्द्रन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने नियोजन तथा गहन औद्योगिक प्रशिक्षण के प्रावधानों सहित स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने 23.1.1999 को आयोजित अपनी बैठक में चार रोजगारोन्मुख/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात विश्व व्यापार प्रक्रिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, वित्तीय विश्लेषण में स्नातक, बी.एस. सी. (आनर्स) जैव-चिकित्सा विज्ञान और जन प्रचार और संचार माध्यम में बी.ए. (आनर्स) अनुमोदित किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के नियोजन तथा गहन औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान हैं। आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि एक मानीटरिंग समिति होगी जो इन पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न कालेजों में गुणवत्ता तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी।

उड़ीसा के जनजातीय व्यक्ति

49. **श्री भर्तृहरि मेहताब :**

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 90 प्रतिशत जनजातीय समुदाय के व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जनजातीय व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु कोई उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इन जनजातीय व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गरीबी के बारे में योजना आयोग के आकलन, 1993-94 के अनुसार, आदिवासियों का 71.26 प्रतिशत तथा 64.85 प्रतिशत अभी भी क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे हैं।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों की स्थलाकृति संबंधी प्रतिकूल परिस्थिति, कम विकसित अर्थव्यवस्था आदि आधारित वन तथा पहाड़ आदिवासियों की गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों सहित विभिन्न गरीब उपशमन कार्यक्रमों को आदिवासी उप योजना कार्यनीति के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, अनन्य राज्य योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को भी अनुसूचित आदिवासी जनसंख्या के दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है।

उड़ीसा में बंगलादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ

50. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और पुरी जिलों में बहुत अधिक संख्या में बंगलादेशी शरणार्थी आ गए हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में बंगलादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) बंगलादेश के साथ लम्बी और सुभेद्य सीमा और घुसपैठ के विभिन्न कारणों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को यह जानकारी है कि बंगलादेशी घुसपैठिए उड़ीसा सहित विभिन्न स्थानों में घुसने में कामयाब हो गए हैं।

(ग) बंगलादेशी राष्ट्रिकों की भारत में घुसपैठ करने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में सम्मिलित हैं :—सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों की बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा पर गश्त गहन करना, सीमा सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करना इत्यादि। यह मामला अनेक अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा अनेक स्तरों पर लगातार की जाती है।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी सभी अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और अपने क्षेत्राधिकार में यात्रियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय के अलावा आने वाले किसी भी नए आदमी के बारे में अग्रिम आसूचना एकत्र करें। जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि मतदाता सूचियां तैयार करते समय और राजस्व एकत्र करते समय बंगलादेशी आवासियों के परिवार के सदस्यों की जांच करें। उनसे, अवैध रूप से बसे व्यक्तियों को निष्कासित करने का अनुरोध भी किया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना

51. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों की बिक्री में अनियमितताएं और कालाबाजारी के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो मानसून के प्रारंभ होने से पहले अनियमितताओं और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है। रबी 98-99 के लिए यूरिया की राज्यवार मांग का मूल्यांकन किया गया और स्वदेशी तथा आयात दोनों स्त्रोतों से राज्यों की आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई। चूंकि अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं अतः उनकी उपलब्धता कृषि एवं सहकारिता विभाग की रियायत योजना के मानदण्डों के भीतर प्रचलित मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा विनियमित होती हैं।

(ख) और (ग) चालू मौसम के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान में उर्वरकों की कालाबाजारी का एक मामला तथा केरल में निम्न स्तरीय उर्वरक मिश्रणों की बिक्री के 13 मामले सूचित किए गए हैं। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर सतर्कता के उपाय किए हैं और

उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसे कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं।

[अनुवाद]

ईसाई मिशनरियों को धमकियां

52. **श्री पी.सी. थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई मिशनरियों को नासिक में कुछ संगठनों द्वारा धमकी दी गई है कि वे महाराष्ट्र या उस क्षेत्र को किसी निर्धारित समय के भीतर छोड़ दें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों या संगठनों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस तरह की धमकियां दी हैं;

कुछ संगठनों ने ऐसा दावा किया है कि महाराष्ट्र के शीघ्र ही "ईसाई मुक्त" जिले बना दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में किसी संभाव्यात को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार धर्म रक्षा समिति ने 5 जनवरी, 1999 को पेठ, जिला नासिक में आयोजित एक सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया कि विदेशी धर्म संघ अपनी गतिविधियां बन्द करें और 31 मार्च, 1999 तक पेठ तालाक में अपने कार्यालय बंद करें अन्यथा इस तारीख के पश्चात् घटने वाली किसी भी घटना के लिए विदेशी धार्मिक संस्थान जिम्मेदार होंगे। ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों को अपने मूल धर्म में वापिस आने के लिए भी कहा गया था। इस बारे में एक मामला पुलिस स्टेशन पेठ में दर्ज किया गया है।

दोहरी नागरिकता

53. **श्री एस.एस. ओवेसी :**

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री सुरेश वरपुडकर :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेश किए जाने के लिए लम्बे समय से लंबित मांग थी;

(घ) अनिवासी भारतीयों को इस दोहरी नागरिकता से उपलब्ध होने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश किए जाने में किस हद तक वृद्धि होगी;

(च) क्या इस उद्देश्य हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) दोहरी नागरिकता देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) और (छ) समिति अभी गठित की जानी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बाबरी मस्जिद को ढहाने में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज मामले

54. **डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने में शामिल लोगों के विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप दायर किए गए हैं;

(ग) क्या कोई जांच आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आयोग से कब तक रिपोर्ट मिल जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले के संबंध में 49 लोगों के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए हैं।

(ग) से (ङ) निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) के अन्तर्गत तारीख 16 दिसम्बर, 1992 की गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सिंह लिब्राहन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया था :—

(क) 6 दिसम्बर, 1992 को अध्योध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित

सभी तथ्य और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे का गिराया जाना भी है;

(ख) राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराए जाने में या उसके संबंध में मुख्य मंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और व्यक्तियों, संबंधित संगठनों और अभिकरणों द्वारा निभाई गई भूमिका;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथाविहित या व्यवहार में लागू किए गए सुरक्षोपायों और अन्य व्यवस्थाओं में कमी जिनके परिणामस्वरूप 6 दिसम्बर, 1992 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर, अयोध्या नगर और फैजाबाद में उन घटनाओं की परिणति हुई जो वहां हुई;

(घ) 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में प्रचार माध्यम से संबद्ध व्यक्तियों पर हमले में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित तथ्य और परिस्थितियां; और

(ङ) जांच के विषय से संबंध कोई अन्य विषय।

आयोग का वर्तमान कार्यकाल 30.6.1999 तक है।

देश में जनजातियों की स्थिति

55. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लागू हो रही जनजातीय उपयोजना के विकास के बावजूद जनजातियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना के विकास के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा व्यय की गई है;

(घ) सरकार द्वारा धनराशि के आबंटन तथा कार्यों पर निगरानी रखने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण-I से III संलग्न है।

(घ) आदिवासी उप-योजना कार्यनीति के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को विकास की मंजिल तक लाने के लिए अनेक विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इस कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण अंग आदिवासी उप योजना के लिए धनराशि को निर्धारित करने का प्रयास रहा है जिसे कम से कम संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता के बराबर होना चाहिए। विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान क्रमशः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आदिवासी उप-योजना के प्रति एक योगज के रूप में और प्रशासन के स्तर में सुधार के लिए पिछड़ेपन तथा आदिवासी बहुलता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए प्रदान किए जाते हैं।

निधियों के व्ययवर्तन को रोकने के लिए राज्यों से महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण आदिवासी उप-योजना निधि को राज्य कल्याण विभाग को सौंप दिया जाता है जो अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता और निधियों के आबंटन के लिए उत्तरदायी होगी।

कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के पास कार्यक्रमों को मानीटर करने के लिए मानीटरिंग प्रकोष्ठ हैं, जिन्हें क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य योजना संसाधनों में से आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत आबंटित तथा खर्च की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार राशि।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 आबंटित राशि	1995-96 खर्च की गई राशि	1996-97 आबंटित राशि	1996-97 खर्च की गई राशि	1997-98 आबंटित राशि	1997-98 खर्च की गई राशि	1998-99 आबंटित राशि	1998-99 खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	125.88	69.89	55.19	55.20	191.93	$	$	आदिवासी उप-योजना बैठक वर्ष 1998-99 में नहीं हुई।
2.	असम	147.00	114.65	113.68	116.07*	132.65	$	$	
3.	बिहार	687.02	$	-	$	–	$	$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	गुजरात	308.76	259.16	339.70	339.71	489.06	$	$	आदिवासी उप-योजना बैठक वर्ष 1998-99 में नहीं हुई।
5.	हिमाचल प्रदेश	67.50	$	81.00	83.19	90.72	90.72	122.67	
6.	जम्मू व कश्मीर	119.57	$	–	$	231.12	$	$	
7.	कर्नाटक	67.68	$	79.81	$	84.98	$	$	
8.	केरल	24.32	$	30.45	$	19.42	$	$	
9.	मध्य प्रदेश	685.66	507.66	623.24	490.79	622.21	531.68	634.32	
10.	महाराष्ट्र	412.50	$	535.00	$	550.00	$	$	
11.	मणिपुर	119.88	92.88	126.93	126.93	160.77	$	$	
12	उड़ीसा	568.85	$	432.35	$	576.62	$	$	
13.	राजस्थान	305.45	$	342.22	$	390.17	$	$	
	सिक्किम	13.12	$	–	$	11.56	$	$	
		36.39	24.63	39.42	30.00	$	$		
16.	त्रिपुरा	93.84	86.21	107.98	107.98	118.39	111.80	120.51	
17.	उत्तर प्रदेश	2.87	$	–	$	32.00	$	$	
18	पश्चिम बंगाल	75.67	$	54.86	$	102.79	$	$	
19.	अं. नि. द्वीप समूह	30.74	1.55	–	1.62	25.52	23.74	41.22	
20.	दमन व दीव	2.80	2.28	3.06	3.06	2.73	2.00	–	
	कुल	3895.50	1159.61	2964.19	1619.45	3857.74	759.94	935.96	

$ सूचित नहीं

* प्रत्याशित व्यय

– आदिवासी उप योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया

विवरण-II

आदिवासी उप-योजना-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आबंटन और व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त राशि	व्यय	नि. रा.	व्यय	नि. रा.	व्यय	नि. रा.	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2140.32	2166.31	2287.52	1885.95	2581.54	1992.17	2078.47	
2.	असम	1545.19	1763.69	1524.71	939.89	1460.00	938.11	2042.56	870.68
3.	बिहार	274.22	8.30	3364.00	–	–	–		
4.	गुजरात	3060.26	2559.24	2642.95	2948.24	2632.77	2964.20	2989.70	522.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	हिमाचल प्रदेश	541.62	493.35	622.44	541.62	521.89	605.82	489.44	378.72
6.	जम्मू व कश्मीर	756.64	989.15	681.54	787.37	521.80	195.55	412.97	
7.	कर्नाटक	659.99	411.47	569.50	391.98	500.00	–	293.32	
8.	केरल	181.20	153.16	153.71	164.69	196.12	231.78	208.17	
9.	मध्य प्रदेश	957.66	6635.34	7695.71	8532.99	9207.83	7184.15	7309.00	4647.62
10.	महाराष्ट्र	2930.82	2752.52	3160.78	2259.32	3400.89	2861.77	2832.21	2446.02
11.	मणिपुर	574.53	575.64	653.22	660.14	950.00	762.10	289.76	–
12.	उड़ीसा	4958.10	5489.66	4411.44	4411.44	5576.27	4376.27	4871.86	883.12
13.	राजस्थान	2819.04	2993.91	2469.32	2461.44	2341.13	2184.71	2775.71	60.00
14.	सिक्किम	100.19	82.91	138.41	–	60.00	121.91	60.00	–
15.	तमिलनाडु	274.44	274.44	238.81	232.01	243.71	243.71	226.31	
16.	त्रिपुरा	564.97	564.97	594.48	671.32	885.00	610.00	516.76	10.00
17.	उत्तर प्रदेश	104.08		90.39	82.12	112.91	–	57.54	
18.	पश्चिम बंगाल	1763.21	1763.21	1558.07	1654.04	1600.39	1600.39	1675.20	
19.	अं. नि. द्वीप समूह	112.21	89.11	95.18	105.78	118.00	97.13	113.03	44.66
20.	दमन व दीव	59.31	59.31	49.82	49.82	50.75	50.61	66.10	
	कुल	33000.00	29825.69	33000.00	28177.17	32961.00	27025.38	29308.12	10413.08

** जनवरी 1999 तक सूचित

विवरण–III

पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी विकास प्रभाग (केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना) में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के आबंटन तथा व्यय का योजनावार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाओं का ब्यौरा	1995–96		1996–97		1997–98		1998–99	
		आबंटन	वास्तविक लक्ष्य	आबंटन	वास्तविक लक्ष्य	आबंटन	वास्तविक लक्ष्य	आबंटन	वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	329.61	380.00	293.08
2.	अनुच्छेद 275(1)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	49.85
3.	गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	5.50	5.30	5.50	5.02	6.00	7.00	20.00	9.92
4.	टी डी सी सी की सहायता अनुदान	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.23	6.25	3.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	अ.ज.जा. लड़कियों के लिए होस्टल	3.50	3.70	3.50	3.19	3.80	3.57	8.00	2.52
6.	अ.ज.जा. लड़कों के लिए होस्टल	3.50	3.65	3.50	2.11	3.80	3.53	8.00	4.23
7.	टी एस पी श्रेणी में आश्रम स्कूल	3.00	2.80	3.00	3.88	4.75	4.70	9.00	6.43
8.	निम्न साक्षरता पाकेटों में एस टी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर	2.00	1.50	2.00	1.23	2.80	2.20	7.00	2.15
9.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	3.00	2.85	3.00	2.98	3.50	3.45	6.75	3.16
10.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	1.75	1.69	1.75	1.70	2.50	2.87	7.00	1.18
[illegible]	[illegible]फेड को मूल्य समर्थन	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	6.00	
[illegible]	[illegible] की शेयर पूंजी [illegible]वश	10.75	10.75	10.75	10.75	23.00	23.00	10.00	6.00
13.	ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना	–	–	–	1.50	1.80	1.80	3.00	–
14.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	–	–	–	–	–	–	5.00	2.33
	कुल	442.50	441.75	442.50	441.86	465.95	465.73	551.00	384.38

* रिपोर्ट किए गए व्यय आंकड़े

** जनवरी 1999 तक रिपोर्ट की गई।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को सहायता

56. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार शुरू करने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितना धन दिया गया है; और

(ग) योजना को सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां। गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को आय सृजित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जाती है। ग्रामीण गरीबों को बैंकों से मियादी ऋण तथा सरकार से सब्सिडी के रूप में उत्पादक परिसम्पतियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को मंजूर की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए लाख में)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज
1995-96	54950.00	51422.22
1996-97	54950.00	51240.11
1997-98	56768.00	54501.53
1998-99	72915.00	48944.07*

*(31.1.99 तक)

(ग) योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं :—

1. प्रति परिवार उच्चतम निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. ऋण लक्ष्यों के निर्धारण के माध्यम से ऋण जुटाने के उपाय किए गए हैं।
3. शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं के लिए सब्सिडी की उच्चतम सीमा 75,000 रुपए निर्धारित की गई है।
4. बुनियादी सुविधा पर खर्च के लिए अधिकतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) निर्धारित की गई है।
5. कार्योत्तर सब्सिडी शुरू की गई है।
6. देश में सभी ब्लाकों में नगद वितरण योजना का विस्तार
7. सामूहिक गतिविधियों के लिए सब्सिडी की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति समूह करना अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत करना, इनमें जो भी कम हो।
8. ग्राम सभाओं के माध्यम से लाभार्थियों का चयन।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए आरक्षण

57. **श्री चेतन चौहान :**

श्री बिक्रम केशरी देव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विभागों और उपक्रमों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा निश्चित किए गए मानदण्डों/शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार के विभिन्न तथा उपक्रमों में नौकरी दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न विभागों और उपक्रमों में नौकरी उपलब्ध कराके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार निर्धारित प्रक्रियाओं/नियमों में छूट देते हुए, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/प्रतिष्ठानों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए समूह "ग" और समूह "घ" के पदों में 5 प्रतिशत तक रिक्तियों का प्रावधान रखती है। ऐसे सभी संगठनों में जिन खिलाड़ियों को अब तक नौकरी दी गई है, उनकी संख्या से संबंधित ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में जवाहर रोजगार योजना का कार्य निष्पादन

58. **श्री अभय सिंह एम. भोंसले :**

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री राम टहल चौधरी :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जवाहर रोजगार योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई कमी सरकार की जानकारी में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना का जून, 1993 से मई, 1994 तक समवर्ती मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू किया था जिसमें 470 जिले, 933 विकास खण्ड तथा 4700 ग्राम पंचायतें शामिल थी।

(ख) संक्षेप में रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :—

मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित सकारात्मक पहलू निम्न प्रकार हैं :—

* लगभग 82.16 प्रतिशत उपलब्ध निधियों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर खर्च किया गया था।
* ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गयी।
* अकुशल मजदूरों को प्रति श्रमदिवस के लिए दी गई औसत मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी के लगभग बराबर थी।
* व्यय का मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक 53:47 था।

* कुल मिलाकर, जवाहर रोजगार योजना के मजदूरों को भुगतान दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर किया गया था।
* 86.8 प्रतिशत मामलों में मस्टर रोल बनाये गए थे तथा ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध थे।
* कुल सृजित परिसम्पत्तियों में से 76.11 प्रतिशत को अच्छी संतोषजनक स्थिति में पाया गया था।
* रोजगार सृजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अंश संतोषजनक था।
* संदर्भित अवधि के दौरान रोजगार के लगभग 11 श्रमदिवसों का सृजन किया गया था। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व के अंतिम दिनों के दौरान मजदूरों के परिवार के सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त हुआ।
* ग्राम पंचायत द्वारा सृजित 76.96 प्रतिशत परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता अच्छी थी।

... में उल्लिखित कमियां

* ...नत पंचायत प्रधानों में से 50 प्रतिशत से अधिक को जवाहर रोजगार योजना के कार्यों को कार्यान्वित करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
* रोजगार सृजन में महिलाओं का हिस्सा निर्धारित 30 प्रतिशत से कम था।
* निधियों की कमी के कारण 49.47 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं किया जा सका।
* पुरुष तथा महिला मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में कुछ विसंगतियां पाई गई थीं।
* पंचायतों द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यों में स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) अध्ययन से यह पता चला कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। यह भी पता चला कि अकुशल पुरुष मजदूरों को दी गई मजदूरी अकुशल महिला मजदूरों को दी गई मजदूरी से अधिक थी।

(ङ) सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के शुरू से अब तक इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। पहली बार 1993-94 में तथा दूसरी बार 1995-96 में कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा इसे सुप्रवाही बनाया गया था। किसी भी पंचायत को आबंटित निधियों के 25 प्रतिशत से ज्यादा राशि को आगे ले जाने की अनुमति नहीं है। यह राशि 25 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो अगले वर्ष में दूसरी किस्त जारी करते समय अधिक राशि के बराबर आबंटन में कटौती कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए राज्य सरकारों को ग्राम, विकास खण्ड तथा जिला स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। सभी राज्यों से यह बार-बार कहा गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (1976 के अधिनियम सं. 25) की धारा 4 एवं 5 के अंतर्गत पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान मजदूरी दी जानी चाहिए।

विवरण-I

1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (I+II स्ट्रीम) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	14.95 को अखर्चित शेष	कुल आबंटन			जारी की गयी राशि			उपलब्ध राशि (अखर्चित शेष + दी गई राशि)	खर्च की गई राशि	उपयोग का प्रतिशत	रोजगार का सृजन (लाख श्रम दिन)		
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल				लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	4743.07	29785.92	7446.48	37232.40	28746.57	7186.64	35933.21	40676.28	34556.90	84.96	700.08	701.57	100.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	149.66	243.66	65.92	329.58	243.58	60.90	304.48	456.14	357.12	78.64	7.99	8.24	103.13
3.	असम	2743.72	8656.14	2164.04	10820.18	7719.76	1929.94	9649.70	12393.42	9583.33	77.33	178.63	179.08	100.25
4.	बिहार	29829.67	62878.54	15719.64	78598.18	54418.13	13604.53	68022.66	97852.33	62281.95	63.65	1245.86	1197.03	96.08
5.	गोवा	167.50	284.87	71.22	356.09	284.87	71.22	356.09	523.59	363.47	69.42	7.94	8.38	105.54
6.	गुजरात	3185.65	11803.29	2950.82	14754.11	11085.63	2771.41	13857.04	17042.69	12824.42	75.25	213.23	209.42	98.21
7.	हरियाणा	618.12	2718.62	679.66	3398.28	2988.62	747.16	3735.78	4353.90	3304.78	75.90	34.63	33.50	96.74
8.	हिमाचल प्रदेश	486.90	919.27	229.82	1149.09	977.02	244.26	1221.28	1708.18	1001.19	58.61	24.27	21.45	88.38
9.	जम्मू व कश्मीर	1395.00	2704.80	676.20	3381.00	2043.49	510.87	2554.36	3949.36	2534.38	64.17	90.96	48.23	53.03
10.	कर्नाटक	5969.58	19537.93	4884.48	24422.41	19088.77	4772.19	23860.96	29830.54	24908.76	83.50	491.56	524.89	106.78
11.	केरल	0.00	6423.47	1605.87	8029.34	7785.29	1946.32	9731.61	9731.61	8888.24	91.33	108.01	127.75	118.28
12.	मध्य प्रदेश	12539.11	40895.57	10223.89	51119.46	35283.66	8820.92	44104.58	56643.69	42377.25	74.81	849.29	759.46	89.42
13.	महाराष्ट्र	12410.60	33327.03	8331.76	41658.79	32701.36	8175.34	40876.70	53287.30	39801.56	76.69	910.75	1014.47	111.39
14.	मणिपुर	423.86	340.36	85.09	425.45	275.83	68.96	344.79	768.65	506.22	65.86	5.78	9.34	161.59
15.	मेघालय	588.23	397.05	99.26	496.31	332.20	83.05	415.25	1003.48	200.28	19.96	7.88	4.86	61.68
16.	मिजोरम	17.17	166.43	41.61	208.04	183.20	45.80	229.00	246.17	284.56	115.59	4.15	5.20	125.30
17.	नागालैण्ड	220.40	421.02	105.26	526.28	599.49	149.87	749.36	969.76	264.07	27.23	11.82	5.76	48.73
18.	उड़ीसा	11000.96	24514.35	6128.59	30642.94	22017.83	5504.46	27522.29	38523.25	28671.68	74.43	623.47	678.31	108.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	पंजाब	1863.95	1575.94	393.99	1969.93	787.97	196.99		2848.91	408.38	14.33	28.25	6.44	22.80
20.	राजस्थान	5089.85	16660.08	4165.02	20825.10	15060.74	3765.19	1882[illegible].93	23915.78	18204.39	76.12	300.89	361.72	120.22
21.	सिक्किम	92.60	273.54	68.39	341.93	442.52	110.63	553.15	645.55	618.83	95.86	5.38	9.27	172.30
22.	तमिलनाडु	1024.63	26107.25	6526.81	32634.06	29419.48	7354.87	36774.35	37798.98	39615.70	104.28	853.09	1069.75	125.40
23.	त्रिपुरा	63.59	446.92	111.73	558.65	671.68	167.92	839.60	903.19	788.23	87.27	12.40	18.43	148.63
24.	उत्तर प्रदेश	15241.13	69750.84	17437.71	87188.55	69536.78	17384.20	86920.98	102162.11	83562.16	81.79	1320.54	1532.66	116.05
25.	पश्चिम बंगाल	8325.98	26630.17	6657.54	33287.71	25496.47	6374.12	31870.59	40196.57	30492.80	75.86	433.38	416.75	95.70
26.	अं. निकोबार द्वीप समूह	0.00	154.18	0.00	154.18	151.14	0.00	151.14	151.14	161.26	106.70	2.26	2.59	114.60
27.	दादरा व नगर हवेली	1.93	83.92	0.00	83.92	93.92	0.00	93.92	95.85	33.18	34.62	1.42	0.64	45.07
28.	दमन व दीव	42.44	69.28	0.00	49.28	59.28	0.00	59.28	101.72	55.02	54.09	1.55	1.11	71.61
29.	लक्षद्वीप	15.97	76.70	0.00	76.70	86.70	0.00	86.70	102.67	40.86	39.80	1.45	1.05	72.41
30.	पांडिचेरी	231.95	151.86	0.00	151.86	77.12	0.00	77.12	309.07	199.85	64.66	3.16	3.10	98.10
	कुल	118483.02	387999.00	96870.77	484869.77	368659.10	92047.74	460706.84	579189.86	446690.62	77.12	8480.05	8958.25	105.64

1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.96 को अधशेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	कुल आबंटन			जारी की गयी राशि			उपलब्ध राशि (अखर्चित शेष जारी की गई राशि)	खर्च की गयी राशि	उपयोग का प्रतिशत
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1547.44	13897.91	3474.48	17372.31	1459.96	3648.74	18243.70	19791.14	17488.47	88.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	141.84	142.64	35.66	178.30	103.88	25.97	129.85	271.69	198.33	73.00
3.	असम	2230.47	4574.54	1143.64	5718.18	3186.93	796.73	3583.66	6214.13	4543.21	73.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	12350.34	27260.46	6815.12	34075.58	22856.07	5714.02	28570.09	40920.43	30563.53	74.69
5.	गोवा	14.73	154.12	38.53	192.65	116.81	29.22	146.10	140.83	234.26	146.90
6.	गुजरात	1201.38	5101.00	1275.25	6376.25	4418.33	1104.83	5524.16	6725.54	6280.49	93.31
7.	हरियाणा	207.33	1225.45	306.36	1531.81	1195.38	298.85	1494.23	1701.56	1371.79	80.62
8.	हिमाचल प्रदेश	304.40	489.73	122.43	612.16	381.12	97.03	485.15	789.55	745.94	94.41
9.	जम्मू और कश्मीर	230.69	995.14	248.79	1243.93	1199.75	299.94	1499.65	1730.38	994.37	57.47
10.	कर्नाटक	2854.63	9332.27	2333.07	11665.34	8873.18	2218.30	11091.40	13946.16	12015.30	86.15
11.	केरल	812.95	3395.33	848.83	4244.16	3286.60	821.65	4108.25	4921.20	4458.15	90.51
12.	मध्य प्रदेश	3804.03	17611.61	4402.90	22014.51	15453.15	3863.29	19316.44	23120.47	19724.06	85.31
13.	महाराष्ट्र	2510.88	15150.04	3787.51	18937.55	14338.51	3584.63	17323.14	20434.02	18664.14	91.34
14.	मणिपुर	56.16	182.82	45.71	228.53	129.92	32.48	162.40	228.56	186.36	81.54
15.	मेघालय	143.78	213.92	53.48	267.40	106.95	26.74	133.69	277.47	365.90	131.87
16.	मिजोरम	5.93	90.12	22.53	112.65	84.21	21.05	105.26	111.18	138.26	124.35
17.	नागालैण्ड	51.72	229.31	57.33	286.64	210.66	52.67	263.33	315.05	485.57	154.13
18.	उड़ीसा	2063.47	11274.49	2818.62	14093.11	10709.94	2677.49	13387.43	15455.90	14426.64	93.34
19.	पंजाब	150.07	871.51	217.83	1089.39	803.26	202.32	1011.58	1161.65	705.63	60.74
20.	राजस्थान	153.43	7317.12	1829.23	9146.40	7231.81	1807.95	9039.76	9193.11	8766.70	95.31
21.	सिक्किम	30.13	83.49	20.17	104.36	81.37	20.34	101.71	140.84	167.26	118.76
22.	तमिलनाडु	2987.15	12563.97	3140.99	15704.96	12088.51	3022.13	15110.64	18097.79	18040.02	99.61
23.	त्रिपुरा	273.27	237.46	59.37	296.83	237.45	59.36	296.81	570.08	566.92	99.44
24.	उत्तर प्रदेश	12758.27	33467.93	9466.98	42334.91	32442.69	8110.67	40553.36	53311.63	42123.49	79.01
25.	पश्चिम बंगाल	6485.62	12455.47	3113.87	15569.34	9564.86	2391.22	11956.03	18441.70	12837.59	69.61
26.	अं. निकोबार द्वीप समूह	24.47	84.41	0.00	84.41	42.21	0.00	42.21	66.68	54.95	82.41

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
27.	दादरा व नगर हवेली	9.41	45.81	0.00	45.81	44.57		44.57	53.98	49.75	92.16
28.	दमन व दीव	3.70	26.99	0.00	26.91	28.99	0.00	20.99	30.69	27.61	89.96
29.	लक्षद्वीप	66.49	42.32	0.00	42.32	21.16	0.00	21.16	87.65	49.22	56.16
30.	पांडिचेरी	2.38	82.64	0.00	82.64	64.68	0.00	64.68	67.06	121.96	181.87
	कुल	53500.60	179000.00	44679.46	223679.48	163905.98	40927.59	204837.57	258338.17	216357.86	83.77

* - रद्द परियोजनाओं के लिए संशोधित जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि सम्मिलित है (केरल के लिए 13.49 लाख, मध्य प्रदेश के लिए 33.00 लाख, उड़ीसा के लिए 16.66 लाख और पश्चिम बंगाल के लिए 10.10 लाख रुपए)

1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1.4.97 को अखर्चित शेष	आबंटन			जारी			उपलब्ध राशि (अखर्चित शेष+जारी)	खर्च की गयी राशि	उपयोग का प्रतिशत
				केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	2302.71	15528.39	3882.10	19410.49	16685.84	4171.46	20857.30	23160.01	18745.52	80.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	AR	100.60	159.37	39.84	199.21	102.06	25.52	127.58	228.18	241.82	105.98
3.	असम	03	1694.46	5111.22	1277.81	6389.03	5524.15	1381.04	6905.19	8599.65	5546.71	64.50
4.	बिहार	03	7523.01	30458.60	7614.65	38073.25	29322.77	7330.69	36653.46	44176.47	36250.75	82.06
5.	गोवा	03	5.83	172.20	43.05	215.25	104.38	26.10	130.48	136.31	155.77	114.28
6.	गुजरात	03	726.19	5699.44	1424.86	7124.30	5747.72	1436.93	7184.65	7910.84	6999.43.	88.48
7.	हरियाणा	3	457.43	1369.22	342.31	1711.53	1624.75	406.19	2030.94	2488.37	1995.94	80.21
8.	हिमाचल प्रदेश	03	192.78	547.18	136.80	683.98	403.46	100.87	504.33	697.11	693.88	99.54
9.	जम्मू व कश्मीर	03	487.99	1111.89	277.97	1389.86	974.62	243.66	1218.28	1706.27	1475.73	86.49
10.	कर्नाटक	03	2117.00	10427.12	2606.78	13033.90	10353.99	2588.50	12942.49	15059.49	12578.33	83.52

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	03	427.19	3793.66	948.42	4742.08	3734.12	933.53	4667.65	5094.84	3655.38	71.75
12.	मध्य प्रदेश	03	4540.41	19677.78	4919.45	24597.23	18977.15	4744.29	23721.44	28261.85	24574.06	86.95
13.	महाराष्ट्र	03	2598.80	16927.42	4231.86	21159.28	16816.09	4204.02	21020.11	23618.91	21438.52	90.77
14.	मणिपुर	03	37.24	204.27	51.07	255.34	248.52	62.13	310.65	347.89	114.80	33.00
15.	मेघालय	03	68.54	239.02	59.76	298.78	159.58	39.90	199.48	268.02	247.74	92.44
16.	मिजोरम	AR	0.95	100.69	25.17	125.86	102.87	25.72	128.59	129.54	124.18	95.86
17.	नागालैण्ड	3	60.29	256.21	64.05	320.26	243.13	60.78	303.91	364.20	383.06	105.18
18.	उड़ीसा	03	1566.62	12597.20	3149.30	15746.50	13421.32	3355.33	16776.65	18343.27	15073.72	82.18
19.	पंजाब	03	213.46	973.75	243.44	1217.19	892.79	223.20	1115.99	1329.45	1310.34	98.56
20.	राजस्थान	03	483.30	8175.55	2043.89	10219.44	8351.86	2087.97	10439.83	10923.13	10330.83	94.58
21.	सिक्किम	AR	32.48	93.28	23.32	116.60	96.78	24.20	120.98	153.46	185.97	121.19
22.	तमिलनाडु	03	1616.89	14037.96	3509.49	17547.45	14564.38	3641.10	18205.48	19822.37	20699.98	104.43
23.	त्रिपुरा	03	5.19	265.32	66.33	331.65	476.35	119.09	595.44	600.63	351.51	58.52
24.	उत्तर प्रदेश	03	11333.45	37841.25	9460.31	47301.56	35894.15	8973.54	44867.69	56201.14	48122.11	85.62
25.	पश्चिम बंगाल	03	5926.95	13916.74	3479.19	17395.93	9066.99	2266.75	11333.74	17260.69	12404.99	71.87
26.	अं. निकोबार द्वीप समूह	03	29.59	94.31	0.00	94.31	50.70	0.00	50.70	80.29	14.36	17.89
27.	दादरा व नगर हवेली	3	4.23	51.18	0.00	51.18	50.22	0.00	50.22	54.45	46.94	86.21
28.	दमन व दीव	03	9.95	30.16	0.00	30.16	16.21	0.00	16.21	26.16	30.28	115.75
29.	लक्षद्वीप	AR	38.43	47.28	0.00	47.28	25.41	0.00	25.41	63.84	78.98	123.72
30.	पांडिचेरी	03	22.30	92.34	0.00	92.34	74.37	0.00	74.37	96.67	66.55	68.84
	कुल		44624.26	200000.00	49921.18	249921.18	194106.73	48472.46	242579.19	287203.45	243938.18	84.94

1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (I+II स्ट्रीम) के अंत   विक प्रगति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	14.95 को अखर्चित शेष	कुल आबंटन केन्द्र	कुल आबंटन राज्य	कुल आबंटन कुल	जारी की गयी राशि केन्द्र	जारी की गयी राशि राज्य	जारी की गयी राशि कुल	उप[illegible] राशि अखर्चित शेष + दी गई राशि	खर्च की गई राशि	उपयोग का प्रतिशत	रोजगार का सृजन (लाख श्रमदिन) लक्ष्य	रोजगार का सृजन (लाख श्रमदिन) उपलब्धि	रोजगार का सृजन (लाख श्रमदिन) उपलब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	4743.07	29785.92	7446.48	37232.40	28746.57	7186.64	35933.21	40676.28	34556.90	84.96	700.08	701.57	100.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	149.66	263.66	65.92	329.58	243.58	60.90	304.48	456.14	357.12	78.64	7.99	8.24	103.13
3.	असम	2743.72	8656.14	2164.04	10820.18	7719.76	1929.94	9649.70	12393.42	9583.33	77.33	178.63	179.08	100.25
4.	बिहार	29829.67	62878.54	15719.64	78598.18	54418.13	13604.53	68022.66	97852.33	62281.95	63.65	1245.86	1197.03	96.08
5.	गोआ	167.50	284.87	71.22	356.09	284.87	71.22	356.09	523.59	363.47	69.42	7.94	8.38	105.54
6.	गुजरात	3185.65	11803.29	2950.82	14754.11	11085.63	2771.41	13857.04	17042.69	12824.42	75.25	213.23	209.42	98.21
7.	हरियाणा	618.12	2718.62	679.66	3398.28	2988.62	747.16	3735.78	4353.90	3304.78	75.90	34.63	33.50	96.74
8.	हिमाचल प्रदेश	486.90	919.27	229.82	1149.09	977.02	244.26	1221.28	1708.18	1001.19	58.61	24.27	21.45	88.38
9.	जम्मू व कश्मीर	1395.00	2704.80	676.20	3381.00	2043.49	510.87	2554.36	3949.36	2534.38	64.17	90.96	48.23	53.03
10.	कर्नाटक	5969.58	19537.93	4884.48	24422.41	19088.77	4772.19	23860.96	29830.54	24908.76	83.50	491.56	524.89	106.78
11.	केरल	0.00	6423.47	1605.87	8029.34	7785.29	1946.32	9731.61	9731.61	8888.24	91.33	108.01	127.75	118.28
12.	मध्य प्रदेश	12539.11	40895.57	10223.89	51119.46	35283.66	8820.92	44104.58	56643.69	42377.25	74.81	849.29	759.46	89.42
13.	महाराष्ट्र	12410.60	33327.03	8331.76	41658.79	32701.36	8175.34	40876.70	53287.30	39801.56	76.69	910.75	1014.47	111.39
14.	मणिपुर	423.86	340.36	85.09	425.45	275.83	68.96	344.79	768.65	506.22	65.86	5.78	9.34	161.59
15.	मेघालय	588.23	397.05	99.26	496.31	332.20	83.05	415.25	1003.48	200.28	19.96	7.88	4.86	61.68
16.	मिजोरम	17.17	166.43	41.61	208.04	183.20	45.80	229.00	246.17	284.56	115.59	4.15	5.20	125.30
17.	नागालैण्ड	220.40	421.02	105.26	526.28	599.49	149.87	749.36	969.76	264.07	27.23	11.82	5.76	48.73
18.	उड़ीसा	11000.96	24514.35	6128.59	30642.94	22017.83	5504.46	27522.29	38523.25	28671.68	74.43	623.47	678.31	108.80
19.	पंजाब	1863.95	1575.94	393.99	1969.93	787.97	196.99	984.96	2848.91	408.38	14.33	28.25	6.44	22.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.	राजस्थान	5089.85	16660.08	4165.02	20825.10	15060.74	3765.19	18825.93	23915.78	18204.39	76.12	300.89	361.72	120.22
21.	सिक्किम	92.60	273.54	68.39	341.93	442.52	110.63	553.15	645.55	618.83	95.86	5.38	9.27	172.30
22.	तमिलनाडु	1024.63	26107.25	6526.81	32634.06	29419.48	7354.87	36774.35	37798.98	39615.70	104.28	853.09	1069.75	125.40
23.	त्रिपुरा	63.59	446.92	111.73	558.65	671.68	167.92	839.60	903.19	788.23	87.27	12.40	18.43	148.63
24.	उत्तर प्रदेश	15241.13	69750.84	17437.71	87188.55	69536.78	17384.20	86920.98	102162.11	83562.16	81.79	1320.54	1532.66	116.05
25.	पश्चिम बंगाल	8325.98	26630.17	6657.54	33287.71	25496.47	6374.12	31870.59	40196.57	30492.80	75.86	433.38	416.75	95.70
26.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	0.00	154.18	0.00	154.18	151.14	0.00	151.14	151.14	161.26	106.70	2.26	2.59	114.60
27.	दादरा व नगर हवेली	1.93	83.92	0.00	83.92	93.92	0.00	93.92	95.85	33.18	34.62	1.42	0.64	45.07
28.	दमन व दीव	42.44	69.28	0.00	49.28	59.28	0.00	59.28	101.72	55.02	54.09	1.55	1.11	71.61
29.	लक्षद्वीप	15.97	76.70	0.00	76.70	86.70	0.00	86.70	102.67	40.86	39.80	1.45	1.05	72.41
30.	पांडिचेरी	231.95	151.86	0.00	151.86	77.12	0.00	77.12	309.07	199.85	64.66	3.16	3.10	98.10
	कुल	118483.02	387999.00	96870.77	484869.77	368659.10	92047.74	460706.84	579189.86	446690.62	77.12	8480.05	8958.25	105.64

1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रमदिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	क्षेत्रीय उपलब्धि					
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु. जाति + अनु. जनजाति	अन्य	भूमिहीन	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	373.67	329.75	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.42	2.79	63.12	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00	0.39
3.	असम	98.77	91.54	92.68	16.08	29.05	45.13	46.41	29.01	12.97
4.	बिहार	489.25	460.02	94.03	186.79	96.90	283.59	176.33	304.60	117.41
5.	गोवा	4.39	5.30	120.73	0.08	0.00	0.08	5.22	0.00	1.06

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
6.	गुजरात	109.14	105.20	96.39	14.61	13	60.74	44.46	43.70	31.46
7.	हरियाणा	15.73	13.08	83.15	7.96	00	7.96	5.12	12.85	2.50
8.	हिमाचल प्रदेश	7.63	10.62	139.19	4.74	1.93	5.57	3.95	0.00	0.51
9.	जम्मू व कश्मीर	47.27	18.36	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	255.74	250.94	98.12	69.10	24.25	93.35	157.59	99.40	78.39
11.	केरल	59.73	55.45	92.83	16.70	2.92	19.52	35.83	5.63	18.35
12.	मध्य प्रदेश	444.97	345.02	78.44	52.20	129.63	221.83	127.19	135.02	114.86
13.	महाराष्ट्र	469.32	455.08	96.97	126.99	96.92	223.91	231.17	176.38	152.97
14.	मणिपुर	3.20	3.49	109.06	0.09	2.64	2.73	0.76	0.35	0.97
15.	मेघालय	4.35	6.96	160.00	0.00	6.96	5.96	0.00	0.79	1.75
16.	मिजोरम	2.29	2.46	107.42	0.00	2.46	2.46	0.00	0.00	0.86
17.	नागालैण्ड	6.54	11.65	178.13	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	2.89
18.	उड़ीसा	321.32	314.19	97.78	56.65	115.09	211.74	102.45	74.22	102.77
19.	पंजाब	15.62	7.85	50.26	5.71	0.00	5.71	2.14	7.85	0.00
20.	राजस्थान	162.92	168.12	103.19	64.02	44.19	105.21	59.91	28.76	51.04
21.	सिक्किम	1.49	2.63	176.51	0.51	1.02	1.53	1.10	0.23	0.78
22.	तमिलनाडु	406.90	488.60	120.08	260.58	15.41	275.99	212.61	386.08	182.94
23.	त्रिपुरा	6.35	10.38	163.46	2.11	5.19	7.30	3.08	2.34	3.12
24.	उत्तर प्रदेश	603.21	658.18	109.11	347.66	7.23	354.89	303.29	179.08	182.08
25.	पश्चिम बंगाल	221.86	178.53	80.47	67.67	23.32	93.99	87.54	110.00	45.10
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	1.25	0.82	65.60	0.00	0.48	0.48	0.34	0.09	0.12
27.	दादरा व नगर हवेली	0.65	1.02	156.92	-	1.02	1.02	-	0.00	0.62
28.	दमन व दीव	0.85	0.50	58.82	0.03	0.29	3.32	0.18	0.17	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	लक्षद्वीप	0.80	0.88	110.00	0.00	0.88	3.88	0.00	0.00	0.29
30.	पांडिचेरी	1.74	2.91	167.24	1.35	0.00	1.35	1.56	2.90	–
	कुल	4141.37	4006.32	96.74	1381.63	668.35	2349.98	1608.23	1599.45	1106.84

टिप्पणी : जम्मू व कश्मीर के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति का ब्यौरा नहीं मिला और आंध्र प्रदेश के संबंध में आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं।

1997-98 जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रमदिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	क्षेत्रीय उपलब्धि					
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु. जाति + अनु. जनजाति	अन्य	भूमिहीन	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	336.97	310.98	92.29	95.65	45.09	140.74	170.24	207.69	109.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.94	2.88	58.30	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	1.03
3.	असम	110.36	107.69	97.58	18.63	31.99	50.62	57.07	35.12	11.41
4.	बिहार	546.64	533.04	97.51	212.91	113.87	326.78	206.26	342.15	150.28
5.	गोवा	3.32	2.55	0.56	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.19
6.	गुजरात	69.00	82.81	120.01	14.91	39.43	54.34	28.47	28.62	21.41
7.	हरियाणा	16.11	16.01	99.38	9.61	0.00	9.61	6.40	13.64	3.12
8.	हिमाचल प्रदेश	8.52	10.11	118.66	4.25	2.04	6.29	3.82	0.00	0.97
9.	जम्मू व कश्मीर	22.64	24.05	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	222.78	265.91	119.36	73.86	28.79	102.64	163.27	108.48	67.54
11.	केरल	66.74	41.82	62.66	13.84	2.22	16.06	25.76	6.22	14.44
12.	मध्य प्रदेश	329.89	347.15	105.23	87.88	134.55	222.43	124.72	124.15	123.41

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	624.38	527.74	100.64	142.19	48	256.67	271.07	138.89	178.17
14.	मणिपुर	3.15	2.16	68.57	0.15	1.60	1.75	0.41	0.03	0.52
15.	मेघालय	4.87	4.54	93.22	0.00	4.54	4.54	0.00	1.46	1.14
16.	मिजोरम	1.59	1.91	120.13	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.69
17.	नागालैण्ड	7.30	9.21	126.16	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	4.34
18.	उड़ीसा	299.18	299.82	100.21	92.47	111.72	204.19	95.63	63.71	93.33
19.	पंजाब	11.95	12.83	107.36	9.73	0.00	9.73	3.10	12.83	0.00
20.	राजस्थान	182.03	196.14	107.75	71.61	56.19	127.80	68.34	28.67	67.83
21.	सिक्किम	1.66	2.65	159.64	0.68	1.12	1.80	0.85	0.12	0.63
22.	तमिलनाडु	312.56	358.81	124.40	191.17	8.92	200.09	188.72	300.57	140.42
23.	त्रिपुरा	5.91	7.31	123.69	1.78	3.19	4.97	2.34	1.62	2.19
24.	उत्तर प्रदेश	561.71	599.49	106.73	296.54	5.32	301.86	297.63	110.34	111.82
25.	पश्चिम बंगाल	206.58	154.62	74.85	62.77	20.72	83.49	71.13	88.51	39.68
26.	अं. निकोबार द्वीप समूह	1.04	0.15	14.42	0.00	0.08	0.08	0.07	0.04	0.02
27.	दादरा व नगर हवेली	0.73	0.86	117.81	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.62
28.	दमन व दीव	0.45	0.56	124.44	0.05	0.35	0.40	0.16	0.20	0.32
29.	लक्षद्वीप	0.90	1.46	162.22	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.44
30.	पांडिचेरी	1.00	0.63	63.00	0.28	0.00	0.28	0.35	0.63	0.19
	कुल	3864.90	3955.89	102.35	1400.95	742.53	2143.48	1788.36	1613.69	1145.35

नोट : जम्मू व कश्मीर द्वारा श्रेणीवार ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया गया।

आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी

59. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संगठन की ओर से आन्ध्र प्रदेश में एफ.सी.आई. के नए गोदामों के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघों से आंध्र प्रदेश में गोदामों के निर्माण हेतु कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने नेल्लौर जिले में काकातूर (30,000 टन) और निजामाबाद जिले में दीछपापल्ली (10,000 टन) में गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

भारतीय खेलों में अनियमितता

60. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1998 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इंडियन बाबूज बंगल आल द वे एट एशियाड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए चैम्पियन का चयन करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और सुचारू बनाने एवं भारतीय खेलों को बढ़ावा देने तथा इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार में मुख्यतः चयन संबंधी मापदण्डों, एशियाई खेलों में बड़ी संख्या में विभिन्न परिसंघों के अधिकारियों की सहभागिता और खेल किट की समय से आपूर्ति न करने के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं। जहां तक अलग-अलग प्रतियोगिताओं के लिए टीमों और खिलाड़ियों के चयन का संबंध है, यह सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त कार्य के रूप में किया जाता है। सामान्यतया उन टीमों और अलग-अलग खिलाड़ियों को स्वीकृति दी जाती है जो पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पदक जीतने के योग्य समझे जाते हैं; ऐसी टीमें, जिनके पदक जीतने की कम संभावनाएं होती हैं उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाती है। इसी आधार पर, एशियाई खेलों के लिए टीमों को स्वीकृति प्रदान की गयी थी फुटबाल और वालीबाल जैसी टीमों को भाग लेने के लिए मंजूरी नहीं दी गयी थी। इस प्रकार, स्वीकृति प्रदान किए गए भारतीय दल में कुल मिलाकर 311 व्यक्ति (सरकारी लागत पर 202 खिलाड़ी,, 45 प्रशिक्षक, 1 प्रबंधक, 15 सहायक कार्मिक, 6 आई.ओ.ए. कार्मिक और आई.ओ.ए. के 18 तकनीकी अधिकारी व 4 अन्य, बिना सरकारी लागत के-15 प्रबंधक और 5 अन्य) शामिल थे। इस खेल के लिए अधिकारी शिष्टमंडल में केवल 6 व्यक्ति शामिल थे। तथापि, लेख में उल्लिखित बड़ी संख्या में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य परिसंघों के अधिकारी न तो सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं और न ही सरकार उनकी सहभागिता के लिए कोई अनुमति दे रही है। उनके मामले में पूरा व्यय अधिकारियों अथवा उनके परिसंघों द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय खेल परिसंघों से विशेष खेलों के संवर्धन संबंधी आवश्यकता का ब्यौरा शामिल करते हुए प्रत्येक खेल विधा के लिए एक चार वर्षीय दीर्घकालिक विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) तैयार करने को कहा गया है। दीर्घकालिक विकास योजना के कार्यान्वयन पर दो स्तरों पर निगरानी की जा रही है। राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित की गयी है। इसके अलावा, खेल विधा-वार निगरानी समिति की बैठकें होती हैं जिनमें भारतीय ओलंपिक संघ, सम्बद्ध परिसंघों, महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ भी सब-जूनियरों, जूनियरों तथा सीनियरों के लिए राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण, चुनिंदा टीमों और एथलीटों के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है। परिसंघों को उपस्करों, विदेश में प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं। खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए चुनिंदा खेल विधाओं में विदेशी प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है।

जनजातियों के लिए धनराशि जारी करना

61. **श्री आर.एस. गवई** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए हाल ही में गठित "शबरी" जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए अपने हिस्से की पूंजी जारी करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य निगम द्वारा शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को जनजातियों के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की है; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा अपनाई गई उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए केन्द्रीय निधि आबंटित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध का हटाया जाना

62. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है जैसा कि 19 जनवरी, ...स स्टेन्डर्डस" में प्रकाशित हुआ है;

... इस मुद्दे पर कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय के बीच विवाद है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) प्याज की कीमतों में और आगे गिरावट को रोकने तथा प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ङ) बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात और साथ ही श्रीलंका को 3000 मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति देकर प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध 21.1.99 को आंशिक रूप से उठा लिया गया था। बाद में सरकार ने 9.2.99 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पदनामित की जाने वाली एजेंसियों अथवा ऐसी एजेंसियों के पास पंजीकृत एसोसिएट नौभारवाहकों के जरिए अगले तीन महीनों में प्रति महीने 25,000 मी. टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हों और देश के भीतर प्याज उचित मूल्यों पर उपलब्ध रहे।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के खरीद केन्द्र

63. **श्री एम. सेल्वारासु** : क्या खाद्य और उपभोक्ता के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के कई खरीद केन्द्र आजकल निरुद्योग पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का ये केन्द्र राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य में इन केन्द्रों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) चूंकि तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की वसूली नहीं कर रहा है इसलिए इस राज्य में भारतीय खाद्य निगम का कोई वसूली केन्द्र नहीं है। इस राज्य में धान की वसूली राज्य सरकार द्वारा अपने खाते पर की जाती है और यह भारत सरकार के केन्द्रीय पूल में अंशदान नहीं करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास

64. **श्री रामनारायण मीणा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजना के अंतर्गत अभी तक विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए कितने छात्रावास बनाए गए हैं;

(ख) ऐसे छात्रावासों से अभी तक अनुसूचित जनजाति के कितने लड़कों और लड़कियों को फायदा पहुंचा है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए बने छात्रावासों पर अनेक राज्यों में समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार लड़कों तथा लड़कियों के होस्टलों तथा उनमें बनाई गई सीटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः विवरण-I तथा II पर सलंग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें इन होस्टलों को चलाने तथा रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस संबंध में मंत्रालय को कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण–I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लड़कों के होस्टलों तथा उनमें बनाई गई सीटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96		1996–97		1997–98	
		होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या	होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या	होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8	800			3	312
2.	असम	–	–	32	160	29	145
3.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	50	
4.	दादरा और नगर हवेली	1	120	1	120	–	–
5.	केरल	1	–	3	180	–	–
6.	मणिपुर	–	–	4	85	1	30
7.	मेघालय	5	100	5	100	5	200
8.	उड़ीसा	9	270	8	240	8	240
9.	राजस्थान					46	1150
10.	तमिलनाडु			3	150	–	–
11.	त्रिपुरा	4	200	2	100	1	50
12.	पश्चिम बंगाल	6	460	–	–	–	–
13.	जम्मू और कश्मीर	1	48	1	50	–	–
14.	कर्नाटक	–	–	–	–	4	200
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	5	300
	कुल	34	1998	59	1185	103	2677

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार लड़कियों के होस्टलों तथा उनमें बनाई गई सीटों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995–96		1996–97		1997–98	
		होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या	होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या	होस्टलों की संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9	900	10	1000	4	416
2.	असम	7	35	28	150	30	150
3.	हिमाचल प्रदेश	1	100	–	–	1	50

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	दमन और दीव	1	60	–	–	1	60
5.	दादर और नगर हवेली	1	120	–	–	–	–
6.	केरल	–	–	2	120	–	–
7.	मणिपुर	–	–	3	75	1	15
8.	मेघालय	5	100	5	100	5	200
9.	उड़ीसा	12	360	12	360	11	330
10.	राजस्थान	4	200	2	100	46	
11.	तमिलनाडु	–	–	1	50	–	–
12.	त्रिपुरा	2	100	2	100	–	–
13.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	1	–
	— बंगाल	1	80	–	–	–	–
	कश्मीर	2	98	–	–	–	–
16.	कर्नाटक	–	–	3	172	2	100
17.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	4	340
	कुल	45	2153	68	2227	106	1661

[हिन्दी]

साक्षरता दर

65. **श्री थावर चन्द गहलोत :**

श्री के. पी. मोहन :

श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता अभियानों पर आज तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश की साक्षरता-दर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) संपूर्ण साक्षरता अभियानों तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए निरक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत 531.15 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गई है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 वर्ष की आयु-वर्ग में चरणबद्ध रूप से 100 मिलियन व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। संपूर्ण साक्षरता अभियान देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अन्तर्गत आज तक 72.56 मिलियन व्यक्ति कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने तथा नए ढंग से संचालित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को अधिकाधिक शामिल करना, राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक विद्यापीठों को खोलना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों को विकेन्द्रित करना, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा आदि कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से बेहतर अनुवर्ती तथा समेकन की कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों में जनजातीय लोग

66. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इनके कल्याण के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आदिवासी अधिकतर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हैं। उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आदिवासी उप-योजना की कार्यनीति विकसित की गई है, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से चल रही है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के और अधिक विकास के लिए आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक, कोचिंग तथा सम्बद्ध, लड़के और लड़कियों के लिए होस्टलों, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना आदि जैसी कतिपय केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। योजना आयोग भी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

जनजातियों के कल्याण योजनाएं

67. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1999 तक सरकार द्वारा जनजातियों, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं और उन को राज्य-वार उपलब्ध कराई गई तथा उन पर खर्च की गई राशि क्या है;

(ख) इन योजनाओं से सरकार को प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में अन्य सामाजिक समूहों सहित जनजाति-बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जनजाति कल्याण योजना के दौरान सरकार को संसद सदस्यों के पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक विकास और अधिकारिता के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसके ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1997-98 में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर-पूर्व छात्रवृत्ति

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(4) अन्य पिछड़े वर्गों में लड़के और लड़कियों के लिए होस्टल

(5) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(6) आदिम आदिवासी समूहों का विकास

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में तथा 1998-99 के दौरान जनवरी, 1999 तक राज्यवार तथा वर्षवार निर्मुक्त राशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्तमान में कोई ऐसी सूचना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) लागू नहीं।

(च) जी, हां।

(छ) सुझावों को प्राप्त किया जाता है और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने के समय ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

साक्षरता मिशन की लक्षित समय-सीमा

68. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री मदन पाटील :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना से प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ख) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनका इस संबंध में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा है;

(ग) पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य

(घ) क्या सरकार ने साक्षरता मिशन के लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा को परिवर्तित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी बार लक्ष्य परिवर्तित किया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(च) इन साक्षरता लक्ष्यों को किस प्रकार हासिल करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता हासिल करने के लिए वर्षवार तथा राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता का मूलभूत लक्ष्य वर्ष 1995 तक 80 मिलियन व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से साक्षरता प्रदान करना था। आठवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय, वर्ष 1997 तक 100 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य पुनः निर्धारित किया गया था।

शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई कि हम निरक्षरता का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मौजूदा कार्यनीति को नौवीं योजना के दौरान भी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों का पुनः निर्धारण करने वाले कई उपायों के साथ जारी रखने का प्रस्ताव है जिनमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक शामिल करना, राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक विद्यापीठों को खोलना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों को विकेन्द्रित करना, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रमों के विस्तार के जरिए बेहतर अनुवर्ती कार्रवाई तथा समेकन सुनिश्चित करना शामिल है।

पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति

69. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के कारण अत्यधिक प्रभावित हुए अथवा विस्थापित हुए व्यक्तियों अथवा परिवारों के पुनर्वास और पुनःस्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त मंत्रियों के एक समूह द्वारा राष्ट्रीय नीति के मसौदे की समीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेलकूद विद्यालय

70. **श्री के. पी. मोहन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार खेलकूद विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में और खेलकूद विद्यालय खोलने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) भारत सरकार द्वारा अब तक कोई खेलकूल स्कूल नहीं खोला गया है।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक-एक खेलकूद स्कूल खोलने की एक योजना इस समय बनाई जा रही है।

(घ) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खेलकूद नीति

के संशोधन, एक राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि स्थापित करने और बुनियादी सुविधाएं तैयार करने, प्रतिभा का पता लगाने एवं पोषित करने, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहयोग और राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता जैसे खेलकूद में विश्व मानक तय करने संबंधी अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है।

तमिलनाडु में जनजाति

71. **डा. सरोजा वी.** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु की जनजाति क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में जनजातियों के विकास के लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) निधियों के आबंटन के लिए निर्धारित मापदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई गई निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

तथापि, सरकार तमिलनाडु राज्य सहित देश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित करती रही है।

(ख) और (ग) चल रही योजनाओं के नाम, निर्मुक्त धनराशि तथा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) लड़कों के होस्टलों, लड़कियों के होस्टलों तथा आश्रम स्कूलों के निर्माण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अंतर्गत 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है जो प्रस्ताव के प्राप्त होने और राज्य बजट में राज्य शेयर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत केन्द्रों/परिसरों की स्थापना करने और चलाने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। गैर सरकारी संगठनों आदि को सहायता अनुदान.जैसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत सरकारी संगठनों को शैक्षिक परिसर, बालवाड़ियों, कम्प्यूटर केन्द्रों आदि की स्थापना करने और चलाने संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(ङ) से (छ) वर्ष 1996-97 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 6.80 लाख रुपए की राशि को छोड़कर निधियों के पूरी तरह उपयोग किए जाने की सूचना है।

(ज) इस अवधि के दौरान राज्य सरकार से राज्य के शेयर सहित समस्त सहायता राशि को उस उद्देश्य के लिए खर्च करने हेतु बार-बार आग्रह किया जाता है जिसके लिए यह अनुदान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई उपयोग न की गई राशि को भविष्य के अनुदानों से काट लिया जाता है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	274.44	274.44	238.81	238.81	243.71	243.77
2.	अनुच्छेद 275(1)	63.00	63.00	63.00	63.00	121.00	121.00
3.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	–		–		–	
4.	आश्रम स्कूल	–		–		–	
5.	लड़कियों के होस्टल	शून्य		8.04	प्राप्त नहीं	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	लड़कों के होस्टल	–		35.24	प्राप्त नहीं	–	
7.	आदिवासी लड़कियों के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर	शून्य		शून्य		शून्य	
8.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	16.53	16.53	9.30	9.30	30.50	30.50
9.	ग्राम अन्न बैंक की स्थापना	शून्य		शून्य		शून्य	
10.	गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान	17.81	17.81	30.00	30.00	17.03	17.03

उत्तर प्रदेश में लेवी चीनी के मूल्यों को समान बनाना

72. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक लेवी चीनी के मूल्यों को समान बनाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) "लेवी चीनी के मूल्यों को समान बनाने" के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

73. **श्री बासवराज पाटील सेडाम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने पर्यटक श्रीनगर आए;

(ग) शरणार्थियों को कब तक वापस उनके घर भेजे जाने की संभावना है;

(घ) अब तक कितने शरणार्थी वहां जा बसे हैं;

(ङ) राज्य में आतंकवादियों के चल रहे प्रतिबंधित संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(च) अब तक कितने अपराधी पकड़े गए हैं; और

(छ) पिछले एक वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उग्रवादियों द्वारा इस क्षेत्र में हिंसा को बढ़ाने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों के बावजूद, श्रीनगर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

(ख) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्नप्रकार है :—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या
1997	16138
1998 (नवम्बर, 98 तक)	109435

(ग) और (घ) जम्मू क्षेत्र, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में रह रहे कश्मीरी प्रवासी परिवारों की कुल संख्या 51122 है। जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी का मुद्दा, उनकी कार्यसूची में सबसे ऊपर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार ने राजस्व, विधि, वित्त और पर्यटन मंत्रियों की एक उप-समिति का गठन किया है जो संपूर्ण मामले की जांच कर उस पर अपनी सिफारिशें देगी। इस बीच, एक सामाजिक सम्पर्क कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसके तहत प्रवासियों के दलों ने घाटी के विभिन्न जिलो का दौरा किया है जहां उन्होंने प्रवासियों की वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से स्थानीय जनता के साथ बातचीत की है।

(ङ) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(च) वर्ष 1997, 1998, 1999 (31.1.99 तक) के दौरान जम्मू व कश्मीर में मूल कानूनों के अधीन गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों/संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों/संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या
1997	299
1998	457
1999 (31.1.99 तक)	16

(छ) जम्मू व कश्मीर राज्य में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी क्षेत्रों में प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, इत्यादि शामिल है। स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना

74. श्री रामशकल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1998 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजनाएं कौन सी हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र रोजगार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित अध्ययन किए हैं :—

1. जुलाई, 1995 से जून, 1996 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (5वां दौर) का समवर्ती मूल्यांकन
2. उड़ीसा राज्य के के.बी.के. जिलों में रोजगार परक कार्यक्रम (मार्च, 1997 से जून 1997)
3. इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना का प्रभाव विश्लेषण (फरवरी 1997 से अगस्त 1997 तक)
4. भारत वर्ष के चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन (फरवरी 1998 से सितम्बर 1998 तक)

इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना के संबंध में समवर्ती मूल्यांकन देश के सभी जिलों में, जहां कहीं भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, इस समय प्रगति पर हैं। इन अध्ययनों में लाभार्थियों को भी कवर किया जाता है।

(ग) विभिन्न स्व-रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों की आपूर्ति (सिट्रा), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा) को मिलाकर एक ऐसी योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए ऋण तथा सब्सिडी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरूद्ध चलायी जा रही स्व सक्रिय नीति

75. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरूद्ध चलायी जा रही स्व सक्रिय नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, भीतरी क्षेत्रों में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रमों को तेज करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना इत्यादि शामिल है। सुरक्षा बलों तथा राज्य प्रशासन के सतत् दबाव और सक्रिय कार्रवाई के कारण, राज्य में तथा विशेष रूप से घाटी में उग्रवाद संबंधी घटनाओं में कमी आयी है। 1 जून 1998 से 31 जनवरी 1999 के दौरान

जम्मू व कश्मीर में कुल 812 उग्रवादी मारे गए। स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, यद्यपि, जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उग्रवाद से निपटने के लिए निरन्तर और तरीकेबद्ध प्रयासों के किए जाने की आवश्यकता है।

पटना में पेय जल सुविधा

76. **डा. सी. पी. ठाकुर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में पेय जल सुविधा पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पटना के निवासियों को पर्याप्त तथा सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) बिहार राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार से पटना के लिए 158.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति, सीवरेज तथा कूड़ा-कचरा प्रबंधन की एकीकृत परियोजना प्राप्त हुई है। ओईसीएफ, जापान से विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना का पता लगाया गया था। तथापि, इसे मूर्त रूप नहीं किया जा सका।

ऐसी कोई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम नहीं है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए सहायता दे सके। अतः हडको से ऋण सहायता मिलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले

77. **श्री अमर पाल सिंह :**

श्री विक्रम केशरी देव :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार की इस प्रकार के जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सामान्य रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता नहीं लगाया गया है। तथापि, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार करना संस्थापित मानदंडों में एक है। जिलावार महिला साक्षरता दरें इस मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

(ख) और (ग) शैक्षिक विकास को उन्नत करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम इत्यादि जैसे बहुत से केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय योजनाओं के ब्यौरे इस मंत्रालय की विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं।

प्याज और आलू का उत्पादन/आयात

78. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में प्याज और आलू का उत्पादन कितना रहा;

(ख) किस मूल्य पर इनकी खरीद की गई है;

(ग) गत वर्ष के दौरान आज तक किन-किन देशों से अलग-अलग कितनी मात्रा में और किस दर पर इनका आयात किया गया;

(घ) भारतीय बाजार में किस मूल्य पर इनकी बिक्री की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में आयातित प्याज और आलू नष्ट हो गए थे;

(च) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/अथवा किए जाने का विचार है;

(छ) क्या प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार ने बाजार में उचित दर पर इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के लिए प्याज और आलू का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 44.5 लाख टन और

235.6 लाख टन है और इन मदों के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार ने नेफेड के जरिए सरकारी खाते में आवश्यकता के आधार पर 10,000 मी. टन प्याज के आयात को प्राधिकृत किया था। इस प्राधिकार के प्रति नेफेड केवल 687 मी. टन का आयात कर पाया। यह मात्रा दुबई (ईरानियन) और किरगिजस्तान से आयात की गई। 687 मी. टन प्याज के आयात की कुल लागत 1.61 करोड़ रुपए थी। आलू का आयात नहीं किया गया।

(घ) आयात प्याज का वितरण दिल्ली में सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के बिक्री केंद्रों के जरिए 10 रु. प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्राप्त दर पर किया गया था।

(ङ) आलू का कोई आयात नहीं किया गया। नेफेड द्वारा आयात किया गया प्याज अच्छी हालत में था और उसमें कोई क्षति नहीं हुई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात और साथ ही श्रीलंका को 3000 मी. टन अन्य प्याज के निर्यात की अनुमति देकर प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध 21.1.99 को आंशिक रूप से उठा लिया गया था। बाद में सरकार ने 9.2.99 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पदनामित की जाने वाली एजेंसियों अथवा ऐसी एजेंसियों के पास पंजीकृत एसोसिएट नौभारवाहकों के जरिए अगले तीन महीनों में प्रति महीने 25,000 मी. टन प्याज का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया। ये कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हों और देश के भीतर प्याज उचित मूल्यों पर उपलब्ध रहे।

(झ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता की निगरानी के लिए एक विशेष मूल्य निगरानी कक्ष स्थापित किया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसे ही कक्ष स्थापित करने तथा उचित मूल्यों पर प्याज और आलू की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में बाजार दखल कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं।

तिरुअनंतपुरम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय संस्थान

79. **प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से तिरुअनंतपुरम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकासात्मक अध्ययन स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। त्रिवेन्द्रम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विकास अध्ययन के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है तथा इसके लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अत्याचारों के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

80. **श्री सी. डी. गामीत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में इसाईयों पर हुए हमलों की जांच में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या भूमिका रही;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका से संतुष्ट हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) गुजरात राज्य में ईसाई अल्पसंख्यकों और उनकी संस्थाओं पर सूचित किए गए हमलों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक दल अगस्त, 1998 के दौरान उस राज्य को भेजा था। तदान्तर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने और आगे जांच के लिए एक विशेष बैंच का गठन किया जहां तक मामले का संबंध राज्य सरकार से है, राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग की रिपोर्टें समुचित कार्रवाई करने के लिए गुजरात राज्य सरकार को प्रेषित की गई हैं।

राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अंतर्गत, राज्य सरकार की धारा 9(1)(ग) के तहत की गई सिफारिशों को की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। उपयुक्त रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही है। उपर्युक्त अधिनियम की

धारा 9(2) के तहत केन्द्र सरकार को धारा 9(1)(ग) के अधीन की गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत इन रिपोर्टों को यथा समय संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की उपलब्धियां

81. **श्रीमती कमल रानी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों और आज तक प्राप्त किये गये लक्ष्यों, उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम द्वारा धनराशि के [illegible] के संबंध में शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

[illegible] हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में और आज तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1995-96	4906	1327.85	3228	1026.21
1996-97	2556	541.89	773	222.76
1997-98	2100	651.36	1039	340.61
1998-99	5000	2169.19	2679	995.11

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद

82. **श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद :**

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री सतनाम सिंह कैंथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब और जम्मू व कश्मीर में विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष वार तथा देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा अब तक जम्मू व कश्मीर और पंजाब में कितनी आतंकवाद संबंधी घटनाएं हुई;

(घ) उपयुक्त अवधि के दौरान सेना-अर्ध सैनिक बलों, स्थानीय पुलिस तथा नागरिकों में अलग-अलग राज्यवार कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में सुरक्षा बलों द्वारा कितने और किन-किन मूलों के आतंकवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए; और

(च) सरकार द्वारा देश में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद में भाड़े के विदेशी सैनिकों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। पंजाब में उग्रवाद, पाकिस्तान में उपस्थित उग्रवादियों, कुछ अन्य देशों और उनके आका आई.एस.आई. द्वारा जारी रखा गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब दोनों में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या में कमी हुई है।

(ख) स्थानीय उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों की संलिप्तता से संबंधित अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1996, 1997, 1998 और 31.1. 1999 तक जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में हुई आतंकवाद संबंधी घटनाओं की संख्या और उपर्युक्त अवधि के दौरान हताहत हुए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों, स्थानीय पुलिस और सिविलियनों की संख्या दर्शाने वाला *विवरण-I* संलग्न है।

(ङ) 1996, 1997, 1998 और 31.1.1999 तक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए/गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या दर्शाने वाला *विवरण-II* संलग्न है।

(च) सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ सम्मिलित है-सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, भीतरी क्षेत्रों में उनके विरूद्ध प्रतिकारी कदम उठा कर उग्रवादियों की योजना को निष्क्रिय करना और सुरक्षा बलों की चौकियों की स्थापना करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, उन्नत/अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली, प्रशिक्षण आदि के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना।

विवरण–I

वर्ष 1996, 1997, 1998 और 31.1.1999 तक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों से संबंधित घटनाओं की संख्या और हताहत हुए सिविलियन, सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों और स्थानीय पुलिस के कार्मिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	वर्ष	आतंकवाद संबंधी घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या			
			सिविलियन		सुरक्षा बल	
			मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
जम्मू और कश्मीर	1996	5,014	1336	1560	185	542
	1997	3,420	938	1060	186	390
	1998	2,932	867	1187	232	479
	1999 (31.1.99 तक)	179	61	70	13	17
पंजाब	1996	3	1	2	शून्य	शून्य
	1997	5	54	115	2	शून्य
	1998	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	1999 (31.1.99 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण–II

वर्ष 1996, 1997, 1998 और 31.1.1999 तक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए और गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	देश/गुट जिनसे भाड़े के विदेशी सैनिक/उग्रवादी संबंध रखते हैं	अवधि							
		1996		1997		1998		1999 (31.1.1999 तक)	
		मारे गए	गिरफ्तार किए गए	मारे गए	गिरफ्तार किए गए	मारे गए	गिरफ्तार किए गए	मारे गए	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और	स्थानीय उग्रवादी	1209	2567	1075	1049	999	1228	47	108
कश्मीर	पाक/पाक अधिकृत कश्मीर	15	16	29	1	79	10		
	अफगानिस्तान	13	शून्य	12	8	7	शून्य		
	सूडान	2	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य		
	यमन	2	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य		
	चेचनिया	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
	बोसनिया	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
	अन्य	105	शून्य	156	शून्य	229	शून्य		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	आई.एस.वाई.एफ. (गिल), के.एल.टी.एफ. आई.एस.वाई.एफ. (रोड), आई.एस.वाई.एफ. (चहेरु) आई.एस.वाई.एफ. (बिट्टू), बी.आई.एफ.के. (मनोचहल), बी.आई.एफ.के. (जिंदा), के.जेड.एफ., के.एल.एफ., के.सी.एफ. (पंजवार), के.सी.एफ., (जफ्फरवाल), बी.के.आई., बब्बर खालसा	3	77	1	64	शून्य	92	1	9

...ार माध्यमों से जुड़े लोगों पर हमला

83. **श्री ई. अहमद :**

श्री मोहन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा आज तक संचार माध्यमों के लोगों/पत्रकारों और प्रेस छायाकारों पर हुए हमलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे हमलों में मारे गए, आहत हुए पत्रकारों और छायाकारों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है; जिन्हें गिरफ्तार किया गया तथा जिनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए; और

(घ) संचार माध्यमों के लोगों/पत्रकारों, प्रेस-छायाकारों पर ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है। अतः अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। मीडिया/पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों पर हुए हमलों की घटनाओं के संबंध में प्रश्न में मांगी गई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्न भण्डार का उपयोग

84. **श्री अजीत जोगी :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न भंडार आवश्यकता से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके अधिकतम उपयोग हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाए रखे गए केन्द्रीय पूल में पहली जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल के स्टाक की स्थिति पहली जनवरी, 1999 को न्यूनतम बफर स्टाक रखने के विहित मानदंडों के स्तर की तुलना में निम्नानुसार हैं :—

(मिलियन टन में)

	चावल	गेहूं	जोड़
1.1.99 को स्थिति के अनुसार स्टाक	11.7	12.7	24.4
1.1.99 को बफर स्टाक संबंधी मानदंड	8.4	8.4	16.8

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में रखे खाद्यान्नों के स्टाक का उपयोग भूटान, रक्षा सेवाओं अर्ध सैनिक बलों और विभिन्न कल्याण योजनाओं सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु किया जाता है। उपलब्धता को देखते हुए बाजार हस्तक्षेप के रूप में खुली बिक्री योजनाओं और निर्यात हेतु भी खाद्यान्न का निपटान किया जाता है। दिसम्बर 1998 से मार्च, 1999 तक की अवधि के दौरान निर्धारित मूल्यों पर खुली बिक्री के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त करने हेतु 40 लाख टन गेहूं की मात्रा निर्धारित की गई है। चूंकि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के

दौरान पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम वसूली हुई और 1.10.99 को स्टाक बफर मानदंडों से मामूली रूप से अधिक होगा इसलिए चावल की कोई खुली बिक्री नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

सी.आई.पी.ई.टी. की स्थिति

85. **श्री पवन सिंह घाटोवार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित "सेन्ट्रल इन्डस्ट्री ऑफ प्लास्टिक इन्क्वायरी एंड टेक्नोलोजी" की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार से अपेक्षित कोई निर्णय अथवा स्पष्टीकरण अभी भी लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त केन्द्र के लिए जमीन का चुनाव कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त केन्द्र के लिए स्थायी आधार-भूत सुविधाओं के ढांचे के निर्माण को पूरा करने हेतु क्या समय-सारिणी तैयार की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (ङ) गुवाहाटी (असम राज्य) में 10.35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक पूर्णरूपेण सिपेट विस्तार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव अंतिम अवस्था में है। परियोजना अवस्था के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के लिए इस परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा असम राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में समान रूप से वहन करेंगी। इस केन्द्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान 1998-99 के बजट में किया गया है। असम राज्य सरकार इस परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए अपनी सहमति दे चुकी है। सिपेट ने गुवाहाटी के इर्द-गिर्द तीन स्थलों का अनौपचारिक तौर पर निरीक्षण किया है। स्थानीय प्राधिकारियों की सलाह से एक स्थल को इनमें से अंतिम रूप दिया जाएगा। सिपेट को भूमि सौंप देने की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर इस परियोजना को पूरा कर लिए जाने की आशा है।

विदर्भ राज्य

86. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पृथक विदर्भ राज्य बनाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) एक पृथक विदर्भ राज्य का सृजन करने हेतु विभिन्न संगठनों, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य इन्दिरा कांग्रेस कमेटी (तिवारी), मुम्बई, विदर्भ संघर्ष परिषद, नागपुर और विदर्भ राज्य कांग्रेस कृति समिति, नागपुर, से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछेक संसद सदस्यों और विख्यात नेताओं से भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

नए राज्य बनाना

87. **श्री रामविलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये राज्य बनाने के क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या लंबे समय से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अंडमान और निकोबार को भी दिल्ली की भांति राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) इस समय सरकार, राज्य का दर्जा देने के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार कर रही है, जिनमें संबंधित राज्य विधान मंडलों ने नए राज्यों के सृजन की सिफारिश करते हुए संकल्प पारित किए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने की मांग है। तथापि, सामरिक, आर्थिक और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, इस समय इस द्वीप क्षेत्र के वर्तमान दर्जे को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई में मानव खोपड़ियों का पाया जाना

88. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में जनवरी 1999 में मानव खोपड़ी पायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई एस आई की गतिविधियों पर श्वेत-पत्र

89. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आई एस आई की आतंकवादी गतिविधियों पर एक श्वेत-पत्र जारी करने का प्रस्ताव है;

तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों का पता लगाया है, जहां आई एस आई आतंकवादी गतिविधियां चला रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी आतंकवादी ग्रुप को आई एस आई से आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई सहायता मिल रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सीमाओं पर अन्य देशों के आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) देश में, पाक आई.एस.आई. की आतंकवादी गतिविधियों पर एक "श्वेत-पत्र" तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर, पंजाब, कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों और देश के कतिपय अन्य भागों में पाक आई.एस.आई. की गतिविधियां ध्यान में आई हैं, जहां पर समय-समय पर आई.एस.आई. के मोड्यूल्स का पता लगा है।

(ङ) और (च) पाकिस्तान, प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता, इत्यादि के रूप में भारत में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित/समर्थन दे रहा है।

(छ) सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित है :—सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ सम्पर्क में सुधार करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना, ग्राम रक्षा समितियों का गठन करना, उन्नत/अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना इत्यादि।

बलात्कार के मामले

90. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार बालिग और नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के अलग-अलग कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार बलात्कार के कितने मामलों में परिवार के सदस्य/सगे-संबंधी लिप्त पाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करने और कठोर व्यवस्था लागू करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों में दोषी लोगों के विरूद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से कानूनी कार्यवाही की जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे अपराधों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस बारे में वर्ष 1995, 1996, और 1997 से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मांगी गई सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

(ग) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1995	18,848
1996	19,623
1997	20,048

(घ) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने और उनकी रोकथाम सहित पता लगाने की जिम्मेवारी अनिवार्य रुप से राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार इस समय बलात्कारियों के लिए मृत्यु दण्ड की सजा देने की व्यवस्था संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

विवरण

वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान बालिग और नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार के शिकार					
		1995		1996		1997	
		16 वर्ष से कम	16 वर्ष से अधिक	16 वर्ष से कम	16 वर्ष से अधिक	16 वर्ष से कम	16 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य :							
1.	आंध्र प्रदेश	322	534	269	543	347	600
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	25	14	23	27	16
3.	असम	157	431	147	433	195	522
4.	बिहार	349	963	217	1236	198	1259
5.	गोवा	11	8	5	5	8	7
6.	गुजरात	96	213	117	189	130	245
7.	हरियाणा	112	199	127	209	156	217
8.	हिमाचल प्रदेश	53	63	52	80	48	81
9.	जम्मू और कश्मीर	12	97	20	137	0	166
10.	कर्नाटक	79	184	88	134	71	173
11.	केरल	102	164	135	254	167	421
12.	मध्य प्रदेश	935	2184	893	2372	1016	2500
13.	महाराष्ट्र	506	856	453	991	501	745
14.	मणिपुर	3	9	7	7	3	6
15.	मेघालय	7	10	10	23	4	33
16.	मिजोरम	7	34	29	20	11	41
17.	नागालैण्ड	0	16	0	9	3	14
18.	उड़ीसा	101	452	83	534	122	557
19.	पंजाब	81	65	106	72	75	109
20.	राजस्थान	124	912	118	1044	143	1112
21.	सिक्किम	3	0	4	5	4	3
22.	तमिलनाडु	56	212	107	228	108	216
23.	त्रिपुरा	18	57	20	70	23	75
24.	उत्तर प्रदेश	484	1324	535	1319	472	985
25.	पश्चिम बंगाल	360	443	251	604	273	551
	कुल (राज्य)	3928	9455	3807	10533	4107	10654

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ शासित क्षेत्र							
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	1	4	4	3	6	3
27.	चंडीगढ़	2	3	1	8	3	6
28.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	3	1	1
29.	दमन और दीव	1	1	0	1	0	1
30.	दिल्ली	134	242	269	218	295	255
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	1	2	0	2	2
	कुल (संघ शासित)	139	252	276	233	307	268
	(कुल समस्त भारत)	4067	9707	4083	10766	4414	10922

अपराध आंकड़े।

नोट : 1997 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों को वित्तीय सहायता

91. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड ने गैस पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उच्चतम न्यायालय में कितनी धनराशि जमा कराई है और यह धनराशि किस तिथि को जमा कराई गयी है;

(ख) इसमें से अब तक कितनी धनराशि मुआवजा भुगतान के लिए खर्च कर दी गई है अथवा अब तक कितनी बची है; और

(ग) क्या इस धनराशि के वितरण की गति को ध्यान में रखते हुए शेष धनराशि पूरी तरह से खर्च कर दी जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन और यूनियन कार्बाइड इंडिया लि. द्वारा भुगतान के रूप में क्रमशः 420 मिलियन अमरीकी डालर और 68.99 करोड़ रु. की राशि फरवरी, 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम में जमा करा दी गई थी।

(ख) कल्याण आयुक्त द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31.12.1998 तक संवितरित कुल मुआवजा राशि लगभग 996.00 करोड़ रु. थी।

(ग) चूंकि दावे अभी तक अधिनिर्णय के अधीन हैं, अतः उपयोग की जाने वाली राशि के बारे में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम हेतु स्कूलों को मान्यता

92. **श्री हीरा लाल राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के लिए स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सी. बी.एस.ई. द्वारा कितने स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड उन स्कूलों को संबंधन प्रदान करता है जो बोर्ड के संबंधन उपनियमों में निर्धारित विभिन्न शर्तों के साथ-साथ भूमि, भवन, प्रबन्ध, शिक्षण कर्मचारी, वेतन, पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं।

(ख) 1.4.1996 से अब तक 862 स्कूलों को संबंधन प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

आवास वित्त निगम

93. श्री तारिक अनवर : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास वित्त निगम सार्वजनिक निक्षेपों को स्वीकार कर रहा है अथवा उनका नवीकरण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां। आवास वित्त निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक जमा को स्वीकार करते हैं।

(ख) वे वित्त निगम, जिनका निवल निधि स्वामित्व 25 लाख रुपये से अधिक है और जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम से कम "ए" है, 1.1.99 से अपने निवल निधि स्वामित्व से 5 गुना तक की जमा स्वीकार कर सकते हैं।

वे आवास वित्त निगम जिन्होंने 1.1.99 से पूर्व राशियां जमा की हैं और वे उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें जमा राशियों का स्तर नीचे लाने के लिए सितम्बर, 2000 तक का समय दिया गया है तथा परिपक्वता पर जमा राशि का नवीकरण न करने की सलाह दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुरू घासीदास का जन्मदिवस

94. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुरु घासीदास के जन्मदिवस, 18 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भूमि की उपलब्धता

95. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :

डा. संजय सिंह :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक महानगर में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के निरसन के पश्चात अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को कुल कितने एकड़ भूमि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) फालतू भूमि का मूल्य किस सीमा तक कम लाए जाने की संभावना है; और

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के निरसन के कारण मुक्त कराई गई भूमि को लोगों के पास जमा होने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 दिनांक 11.1.99 को अधिसूचित एक अध्यादेश द्वारा निरस्त किया गया था। यह अध्यादेश पहले हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा सभी संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है तथा यह ऐसे राज्यों में लागू होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के तहत इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा इस अध्यादेश को अपनाएंगे। चूंकि निरसन अधिनियम प्रारंभ में 2 राज्यों तथा सभी संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है अतः सभी महानगरों पर निरसन के प्रभाव के बारे में पहले से कुछ बताना कठिन है। अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कुल कितनी भूमि उपलब्ध होगी तथा आधिक्य भूमि के मूल्य कहां तक कम होंगे।

(ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम के निरसन के कारण उपलब्ध भूमि के जुटाव को रोके तथा साथ ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियों के लोगों के हितों की रक्षा करें। दिशानिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के पश्चात सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 को एक अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा निरसित कर दिया गया है।

अधिनियम निरसन विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। अधिनियम के निरसन की सिफारिश करते हुए समिति ने पाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम आय वर्ग श्रेणियों के लिए आश्रय आपूर्ति को बाजार प्रतिस्पर्धा के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और यह सिफारिश की है कि अधिनियम के निरसन के बाद केन्द्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम आय वर्ग श्रेणियों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की जरूरत पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों पर जोर डाले। उपर्युक्त अध्यादेश को प्रख्यापित करते समय कैबिनेट ने अपने निर्णय में इस मंत्रालय को निदेश दिया है कि उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएं। सावधानी पूर्वक जांच करने के पश्चात यह मंत्रालय निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश करता है। ये दिशा-निर्देश नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप सुलभ भूमि के लिए लागू होंगे :—

[illegible] कर :

[illegible]मतें अनेक शहरों में बेतहाशा रूप से बढ़ गई हैं लेकिन नगरपालिकाएं भूमि की कीमतों में इस वृद्धि का कुछ भी अंश प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायी। नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के निरसन के बाद नगर-पालिकाओं में आधिक्य भूमि सुलभ होगी। नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के निरसन के कारण सुलभ आधिक्य भूमि का प्रयोग सट्टेबाजी प्रयोजनों के लिए न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश की जाती है कि ऐसी भूमि पर खाली भूमि कर इस प्रकार से लगाया जाए कि भूमि को खाली रखना भूस्वामी के लिए हानिकर हो। यह कर क्रमिक वृद्धि वाला होगा। पहले वर्ष में कोई कर नहीं होगा ताकि भूस्वामी यह निर्णय कर सके कि उसे आवास निर्माण करना है या नहीं और उसके पश्चात यदि भूमि खाली रखी जाती है तो प्रत्येक [illegible] लिए खाली भूमि कर क्रमिक रूप से ज्यादा कर होगा। खाली भूमि कर आधार निर्धारित करने के लिए पंजीकरण विभाग में स्टाम्प ड्यूटी हेतु उपलब्ध अधिसूचित भूमि मूल्य आंकड़ा लिया/प्रयोग कि[illegible]ता है। यदि किसी शहर में पंजीकरण विभाग द्वारा भूमि मूल्य अधिसूचित नहीं किया गया है तो सरकार समय-समय पर भूमि मूल्य के लिए आंचलिक मूल्य अधिसूचित कर सकती है।

2. भवन निर्माताओं को कहा जा सकता है कि नगरों में उनकी परियोजनाओं के लिए अधिक एफ.ए.आर./एफ.एस.आई. के रूप में प्रोत्साहन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग आवास में सब्सिडी दें; अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति दे सकती है जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वर्ग के आवास भी हों। मिश्रित भूमि उपयोग से निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। यह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए।

3. भवन निर्माण उप-नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि विकासक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. मकानों के निर्माण के लिए कुल भूमि क्षेत्र का निर्धारित प्रतिशत मुहैया करा सके। यदि विकासक चाहता है तो इसके एवज में उससे भूमि के बाजार मूल्य का नियत मूल्य वसूल किया जा सकता है। और उसे सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाए गए कोष में रखा जा सकता है। इस कोष ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास के लिए उपयोग किया जाए।

4. यदि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 के निरसन के बाद उपलब्ध होने वाली भूमि के लिए भू-उपयोग प्लान का स्थानीय प्लान में उल्लेख नहीं किया गया हो या ऐसी भूमि का उपयोग आवास गतिविधि से इतर उपयोग के लिए हो तो राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों के आंकलन और बुनियादी सुविधा की उपलब्धता और पर्यावरणीय मंजूरी पर आवास प्रयोजनों के लिए भू-उपयोग में परिवर्तन के मामले पर विचार किया जा सकता है ताकि आवास स्टाक में बढ़ोत्तरी हो सके।

इससे स्वतः ही विशेष रूप से गठित कोष के प्रावधान का पालन होता है और इसलिए ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए आवास संशोधित भू-उपयोग की एक जरूरी आवश्यकता होगी।

5. नगरों में भूमि मंहगी होगी। इसलिए राज्यों को भूमि बैंक बनाने चाहिए।

(क) पहले से उपलब्ध सरकारी भूमि को इंगित करके और

(ख) इस समय जो भूमि अधिक मंहगी नहीं है उसका अधिग्रहण करके।

भूमि बैंक का उपयोग भवन निर्माताओं या किसी अन्य एजेंसियों जैसे राज्य आवास बोर्डों, राज्य विकास प्राधिकरणों, सहकारी समितियों और ऐसे गैर सरकारी संगठनों को लागत मूल्य पर भूमि का आबंटन करके किया जा सकता है जिनके बारे में राज्य सरकारें समझती हैं कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए मकान बनाने के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

6. मिश्रित आवास और ई. डब्ल्यू. एस./एल. आई. जी. आवास निर्माण हेतु कालोनी बनाने की स्कीम का कुछ राज्यों/नगरों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। राज्य सरकार भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने पर विचार कर सकती है और इसके बदले कालोनी विकासकर्ता ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. मकानों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी स्कीमें बनाते समय हरियाणा और महाराष्ट्र आदि के सफल माडलों को ध्यान में रखा जा सकता है।

यह दिशानिर्देश अनुशंसात्मक किस्म के हैं और राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें उपयुक्त संशोधन और संवर्द्धन करने का अ[illegible]ार होगा। मूल उद्देश्य सामाजिक समानता होगा।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. मार्क का दुरुपयोग

96. श्री प्रभाष चंद्र तिवारी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 और 1998-99 के दौरान सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि कुछ उद्योग भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना अपने उत्पादों पर आई.एस.आई. मार्क का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी फर्मों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 (31 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार) के दौरान आई.एस.आई. चिह्न के कथित दुरुपयोग के बाबत फर्मों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या 108 है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो के ध्यान में जब भी आई.एस.आई. चिह्न के दुरुपयोग का कोई मामला आता है, दोषी पार्टियों के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऊपर उल्लेखित कुल 108 मामलों में से अब तक 42 मामलों में अभियोजन चलाया गया है और 18 मामलों को सक्षम आदि के अभाव में बंद कर दिया गया है।

महात्मा बुद्ध का अस्थि कलश

97. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वैशाली में खुदाई के दौरान महात्मा बुद्ध का पवित्र अस्थिकलश पाया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्थिकलश को रखने के लिए भवन निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस भवन का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वैशाली में 1957-58 के दौरान खुदाई के समय एक अस्थि कलश प्राप्त हुआ जिसमें ऐसा समझा जाता है कि महात्मा बुद्ध के स्मृतिचिह्न थे।

(ख) अस्थिकलश पटना संग्रहालय, बिहार सरकार की सम्पत्ति है। अस्थिकलश के लिए भारत सरकार के पास भवन निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

98. श्री दत्ता मेघे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनकी स्थिति में सुधार करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में कोई ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप-योजना की कार्यनीति के अंतर्गत विभिन्न गरीबी उपशयन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक प्रगति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से अनेक केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसके ब्यौरे संसद पुस्तकालय में रखे गए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1997-98 में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के उत्थान के लिए अनन्य राज्य योजना कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा लक्ष्य समूहों में आर्थिक तथा विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए वित्त तथा विकास निगमों की स्थापना भी की है।

विवरण

राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता—1993-94 (सरकारी प्रणाली विज्ञान के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	आंध्र प्रदेश	26.02	25.66	43.82	46.68
2.	असम	45.38	41.44	14.34	7.11
3.	बिहार	70.66	69.45	55.16	35.76
4.	गुजरात	32.26	31.20	44.99	35.47
5.	हरियाणा	46.56	41.55	2358	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	36.89	63.94	18.52	0.00
7.	कर्नाटक	46.36	37.33	61.59	62.05
8.	केरल	36.43	37.34	31.59	1.08
	देश	45.83	56.69	65.00	65.28
10.	महाराष्ट्र	51.64	50.58	52.56	61.06
11.	उड़ीसा	48.95	71.26	47.45	64.85
12.	पंजाब	22.08	27.00	27.96	0.00
13.	राजस्थान	38.38	46.23	48.63	13.21
14.	तमिलनाडु	44.05	44.37	61.50	30.08
15.	उत्तर प्रदेश	58.99	37.11	58.02	36.89
16.	प. बंगाल	45.29	61.95	37.73	19.41
	अखिल भारतीय	48.11	51.94	49.48	41.14

नोट : (1) आंकड़े गरीबों के अनुपात तथा संख्या के आकलन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में दिए गए प्रणाली-विज्ञान पर आधारित हैं।

(2) पूरी जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है।

(3) अखिल भारतीय गरीबी रेखा को राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन के व्यक्ति वितरण तथा (अन्तर्निहित) अखिल भारतीय गरीबी रेखा से निकाला गया है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

99. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में और अधिक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रस्तावित विद्यालय किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हां। नवोदय विद्यालय समिति को जिला वैनाद में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिला वैनाद में एक नवोदय विद्यालय खोलने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय किया गया है बशर्ते समिति के मानदण्डों के मुताबिक अपेक्षित भौतिक सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएं।

इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड

100. **श्री महबूब जहेदी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड में जीवन-रक्षक औषधियों का उत्पादन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने आई डी पी एल में जीवन-रक्षक औषधियों के उत्पादन के पैकेज के पुनरोद्धार हेतु क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) आई डी पी एल द्वारा विनिर्मित औषधों का उत्पादन अक्तूबर, 1996 से बहुत ही कम स्तर पर हुआ है और इस बीच यह बन्द हो गया है।

आई डी पी एल के लिए एक पुनरूद्धार योजना 1994 में मंजूर की गई थी और योजना में परिकल्पना से अधिक वित्तीय सहायता सरकार ने कम्पनी को दी थी। इसके बावजूद, आई डी पी एल बिक्री उत्पादन और लाभदेयता के लक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर सकी। बी आई एफ आर ने घोषित किया था कि योजना असफल हो गई है और उसने आई डी पी एल की नए सिरे से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आई डी बी आई को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। आई डी बी आई ने सूचित किया था कि आई डी पी एल के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य पुनरूद्धार योजना तैयार नहीं की जा सकती। फिलहाल, आई डी पी एल द्वारा जून, 1998 में पेश किए गए पुनरूद्धार प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

सबरीमाला में तीर्थयात्रियों की मृत्यु

101. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले मौसम के दौरान कितने तीर्थ यात्रियों ने केरल स्थित सबरीमाला का दर्शन किया;

(ख) सबरीमाला में हाल ही में कितने यात्रियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले अवसर के दौरान लगभग 3 करोड़ तीर्थयात्रियों ने सबरीमाला की यात्रा की।

(ख) पिछली तीर्थ यात्रा के दौरान सबरीमाला में करीब 53 लोगों की मृत्यु हुई बताई गई है।

(ग) से (च) प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मरने वाले तीर्थयात्री के निकट संबंधी को 50,000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

नौवीं योजना के दौरान रसायन उद्योग

102. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रसायन उद्योग का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-सी परियोजना कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि रसायन उद्योग के विकास में सहायता की जाए और यह दृष्टिकोण पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी रहेगा। उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास पर और अधिक जोर देना होगा, पर्यावरण नीति के अनुरूप चलना होगा, गुणवत्ता नियंत्रण पर और ज्यादा ध्यान देना होगा और मूल्य कम करके प्रतिस्पर्धात्मक बनना होगा। उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था में सरकार को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुविधादाता के रूप में कार्य करना होगा।

स्कूल में दोपहर का भोजन

103. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में दोपहर का भोजन देने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में वर्ष 98 तक इस योजना के अन्तर्गत कितने स्कूल शामिल किए गए;

(ग) अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1999 में कितने स्कूल शामिल किए जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के क्रमशः 61,305 तथा 64,900 स्कूलों को शामिल किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

यह विभाग भारतीय खाद्य निगम को सीधे ही खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करता है। इसलिए इस योजना के दौरान निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्यों को राष्ट्रीय एकता के लिए सहायता

104. **श्री राजो सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यों को राष्ट्रीय एकता की मजबूती प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) जिन संस्थानों को यह कार्यभार सौंपा गया, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भा.सी. योजना के अधीन स्वयं सेवी संगठनों/संस्थानों/ और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय एकता और भाइचार को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से भेजना अपेक्षित है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस योजना के तहत जारी की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1996-97	2,78,600/- रु.
1997-98	4,96,000/- रु.

उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन संगठनों को अनुदान जारी किया गया, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एन.आई.सी. योजना के तहत 1996-97 और 1997-98 के दौरान जिन संगठनों को सहायता अनुदान जारी किया गया, उनके नाम।

क्र. सं.	संगठन का नाम	जारी धन राशि
1	2	3
	1996-97	
1.	कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश, लाल कुंआ, लखनऊ	1,20,000
2.	श्री संजय प्रसाद सिंह, ग्रामीण निमसनी समिति, सारन, बिहार	30,500
3.	भगत सिंह यूथ क्लब एण्ड रीडिंग रुम, कोजीकोड, केरल	32,600
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद मैमोरियल सोसायटी, हैदराबाद	45,500
5.	अधिवक्ता जन सेवा संस्थान, न्यू हैदराबाद, लखनऊ	30,000
6.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	20,000
	कुल जोड़ रु.	2,78,600
	1997-98	
1.	अखिल भारत रचनात्मक समाज, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	1,55,000
2.	यंग उत्कल प्रोजेक्ट, जिला बालासौर, उड़ीसा	46,000
3.	नेशनल थियेटर आर्ट्स सोसायटी, पटियाला, पंजाब	70,000
4.	पैफ्रो, रूरल डैवलपमेंट एनवायरमैंट प्रोटेक्शन, पटना	50,000
5.	भारत सोशल सर्विस सेंटर, थीरूवनंतापुरम, केरल	15,000
6.	राजीव गांधी सेंटर, थीरूवनंतापुरम, केरल	15,000
7.	लोकनायक क्लब, जिला कटक, उड़ीसा	15,000
8.	वूमेंस फोरम कृष्णा एजूकेशन एण्ड कल्चरल सोसायटी, जिला मालापुरम, केरल	15,000
9.	सेक्यूलर पीपुल्स फोरम, चंचलगुडा, हैदराबाद	40,000
10.	अरासन रूरल डैवलपमैंट सोसायटी, थीरूनेलवेली जिला तमिलनाडु	20,000
11.	अर्श भारत, डा. नाथमकुन्नी, जिला वायानाड, केरल	25,000
12.	आल इण्डिया युवजन समाज, गोण्डा, दिल्ली	30,000
	कुल जोड़ रु.	4,96,000

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा आन्दोलन

105. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक :**
श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में फरवरी अंत से चरणबद्ध तरीके से आन्दोलन शुरू करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। मान्यता प्राप्त शिक्षक एशोसियेशनों में से एक एसोसिएशन, राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जगत) ने 21 मांगों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ योग और संगीत शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ग्रेड प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षक (प्रविष्टि, वरिष्ठ और चयन वेतनमान) के वेतनमान में संशोधन, सभी शिक्षकों को उच्चतर योग्यता के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि, सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना, सभी स्नातकोत्तर शिक्षकों को बोनस प्रदान करना है।

(ग) इन मांगों पर सुसंगत नियमों और प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया है। योग शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ग्रेड प्रदान कर दिया गया है। कुछ मांगें जो सिद्धांत : स्वीकार करने योग्य हैं वे विचार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अन्य मांगों की स्थिति के बारे में शिक्षकों की मान्यता प्राप्त एशोसियनों को उनके साथ औपचारिक बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया गया है।

गैराज का किराए पर देना

106. **श्री अमर राय प्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20-26 दिसंबर, 1998 के "नेबरहुड फलैश" में "रेन्ट अ गैराज-इनोसेंट आउटसाइडर्स, इनसिक्योर रेजिडेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि पुष्प विहार सेक्टर-I के कुछ निवासियों ने पहाड़ी लोगों को अपने गैराज दिए हुए हैं जो अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे हैं और इसके बदले वे गैराज के मालिकों के लिए कार्य करते हैं। यह लोग उपद्रव करते हैं और अस्वास्थ्यकर माहौल बनाते हैं।

(ग) और (घ) जब कभी संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा कर्मचारियों या अन्य माध्यम से गैराजों के किराए पर देने/दुरुपयोग के बारे में सूचनाएं/शिकायतें प्राप्त होती हैं, संपदा निदेशालय द्वारा जांच की जाती है और यदि जांच के दौरान किराए पर देने या दुरुपयोग की बात साबित होती है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जिसमें आबंटन का रद्द करना भी शामिल है।

दालें

107. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष और अगले वर्ष में दालों की अत्यधिक कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इस समय दालों का कितना उत्पादन होता है और कितना भंडार है; और

(घ) इस संबंध में किसी घटना का सामना करने के लिए पहले से ही क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) 1997-98 के लिए 13.07 मिलियन टन के अन्तिम उत्पादन अनुमान के प्रति 1998-99 फसल वर्ष के दौरान 14.78 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन के कारण देश में दालों की उपलब्धता में सुधार होने की संभावना है।

(ग) देश में 1998-99 फसल वर्ष के दौरान दालों का कुल उत्पादन 14.78 मिलियन टन होने की संभावना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन दालों की वसूली नहीं की जा रही है और सरकार के खाते पर दालों का आयात नहीं किया जा रहा है तथा केन्द्रीय पूल में दालों का स्टाक नहीं है।

(घ) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दालों का आयात शून्य उत्पाद शुल्क के साथ स्वतंत्र रूप से अनुमत है। दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 1998-99 मौसम हेतु दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाए गए हैं। देश में दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना प्रचालन में है।

भारतीय पुलिस सेवा

108. **श्री सतनाम सिंह कैंथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अधिक संख्या में भर्ती करने के लिए कोई केश कार्यक्रम चलाने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारतीय पुलिस समय 618 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों, आरक्षण नीति के अनुसार भरी जाती हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. विषय के रूप में तमिल

109. **श्री कांची पन्नीरसेल्वम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल भाषा को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम के अध्ययन के एक विषय के रूप में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विश्वविद्यालयों द्वारा तमिल में पी.एच.डी. डिग्री प्रदान किए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साम्प्रदायिक हिंसा

110. **श्री तथागत सत्पथी :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

श्री ई. अहमद :

श्री तारिक अनवर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार साम्प्रदायिक हिंसा की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) हिंसा के दौरान हुई जान-माल की क्षति और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में बढ़ती साम्प्रदायिक हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस समिति ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) इस बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) हालांकि भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और पुलिस राज्य के विषय हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रित करने और अल्प संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई उपाय करती रही है। इनमें से कुछ उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है :—

(1) राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान।

(2) समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह भेजना।

(3) अर्ध सैनिक बल आदि उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों की सहायता करना (साम्प्रदायिक दंगों और तनाव पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष बल अर्थात द्रुत कार्रवाई बल भी गठित किया है)।

(4) पुलिस के मूल-भूत ढांचे में सुधार लाने के लिए मदद देना।

अल्पसंख्यकों संबंधी हाल की घटनाओं के बाद, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यकों को परेशान करने संबंधी शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए जिले की कानून और व्यवस्था प्रवर्तन एजेंसियों को उचित अनुदेश जारी करें तथा दोषी व्यक्तियों की पहचान करने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु शीघ्र और प्रभावकारी कार्रवाई शुरू करें।

सरकार का यह दृढ़ मत है कि किसी भी समुदाय के प्रति हिंसा के कृत्यों चाहे वे कहीं भी और किसी भी रूप में किए गए हों, से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए तथा ऐसी हिंसा करने वालों को कड़ी-से-कड़ी और निवारक सजा दी जानी चाहिए।

विवरण

साम्प्रदायिक घटनाएं-राज्यवार/वर्षवार

	1996			1997			1998		
	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	32	10	117	27	7	107	18	12	122
असम	5	2	8	7	1	92	6	3	3
बिहार	150	66	318	115	62	224	92	52	221
दिल्ली	19	5	25	28	4	88	15	3	60
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	86	19	210	83	18	224	71	14	177
हरियाणा	0	0	0	1	0	11	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3	1	4	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	0	0	0	2	1	3	2	4	1
कर्नाटक	23	4	113	31	15	160	38	14	322
केरल	19	3	40	9	1	17	8	1	23
मध्य प्रदेश	43	7	179	43	11	146	36	13	68
महाराष्ट्र	89	12	221	66	15	403	77	19	145
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	1	2	39	0	0	0
उड़ीसा	32	1	62	22	2	35	19	2	43
पंजाब	0	0	0	1	0	0	1	0	2
राजस्थान	17	4	36	45	6	160	50	8	213
तमिलनाडु	38	9	125	52	50	208	36	9	98

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	3	0	6	2	0	3	2	0	2
उत्तर प्रदेश	129	39	374	148	49	439	118	41	338
पश्चिम बंगाल	43	28	223	39	19	140	37	12	227
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	728	209	2057	725	264	2503	626	207	2065

भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर हमला

111. **श्री नरेश पुगलीया :**
श्री वी.वी. राघवन :
डा. शकील अहमद :
श्री एस. सुधाकर रेड्डी :
श्री एम. सेल्वारासु :
माधवराव सिंधिया :
श्री के. डी. सुल्तानपुरी :
श्री सोडे रमैया :
श्री गुरूदास कामत :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री तारिक अनवर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ शरारती लोगों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुम्बई स्थित मुख्यालय पर हमला किया था और दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड के पिच को खोद दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त अथवा बर्बाद हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मंगायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपद्रवियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (च) सूचना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.), गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा

112. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय को गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महानगर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय को दिए गए अनुदानों के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं अपितु विश्वविद्यालय के सांविधिक लेखा परीक्षकों अर्थात परीक्षक, स्थानीय निधि लेखाओं/असम, गुवाहाटी द्वारा की जाती है। तथापि गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है कि वह अपेक्षित सूचना भेजे।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडागार निगम

113. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय भंडागार निगम के गोदामों की स्थानवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और कारगर बनाने का है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में स्थानवार कितने गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है और ये कब तक निर्मित होंगे?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) देश में केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार विशेषकर देश के दूर-दराज/दुर्गम/पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में 2000 टन तक के छोटे गोदामों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सहायता अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया करती है।

(ग) 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम का विभिन्न राज्यों में 1.89 लाख टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.1.1999 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध भांडारण क्षमता पर भंडागारों की राज्यवार संख्या

(क्षमता) लाख टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भांडागारों की संख्या	अपनी	किराये की	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	53	9.75	1.12	10.87
2.	असम	6	0.44	0.01	0.45
3.	बिहार	16	1.14	0.46	1.60
4.	गोवा	1	0.17	–	0.17
5.	गुजरात	26	2.00	0.67	2.67
6.	हरियाणा	19	1.46	0.81	2.27
7.	हिमाचल प्रदेश	2	0.05	–	0.05
8.	कर्नाटक	23	1.43	0.51	1.94
9.	केरल	5	0.68	–	0.68
10.	मध्य प्रदेश	39	5.76	1.36	7.12
11.	महाराष्ट्र	59	4.49	2.30	6.79
12.	मिजोरम	1	0.02	--	0.02
13.	नागालैण्ड	1	0.13	–	0.13
14.	उड़ीसा	9	1.29	0.03	1.32
15.	पंजाब	28	4.88	1.70	6.58
16.	राजस्थान	20	1.37	0.54	1.91
17.	तमिलनाडु	27	5.23	0.58	5.81
18.	त्रिपुरा	2	0.24	–	0.24
19.	उत्तर प्रदेश	55	8.33	0.62	8.95
20.	पश्चिम बंगाल	45	3.09	1.79	4.88
21.	चंडीगढ़	1	0.10	0.03	0.13
22.	दिल्ली	11	1.05	0.25	1.30
23.	पांडिचेरी	1	0.07	0.03	0.10
24.	जम्मू व कश्मीर	1	–	0.06	0.06
	जोड़	450	53.17	12.87	66.04

विवरण-II

1999-2000 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित भांडागारों की संख्या का ब्यौरा

क्षमता (लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	भांडागारों की संख्या	सृजित्त की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता		
			ढकी हुई	खुली	जोड़
1.	दिल्ली	1	0.10	-	0.10
2.	उत्तर प्रदेश	2	0.09	0.11	0.20
3.	राजस्थान	3	0.11	0.07	0.18
4.	मध्य प्रदेश	2	0.15	-	0.15
5.	हरियाणा	3	0.19	-	0.19
	[illegible]डीसा	2	0.16	-	0.16
	[illegible] बंगाल	3	0.13	-	0.13
8.	महाराष्ट्र	2	0.19	-	0.19
9.	कर्नाटक	1	0.13	-	0.13
10.	आंध्र प्रदेश	4	0.26	-	0.26
11.	पंजाब	1	0.20	-	0.20
	जोड़	24	1.71	0.18	1.89

आई.पी. एस. अधिकारियों के विरूद्ध आरोप

114. **श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्यवार उन आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उनके विरूद्ध विभागीय जांच की गई है या की जा रही है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के मामले बढ़ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

भारतीय सेवा अधिकारियों जिनके खिलाफ पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई विभागीय जांच या की जा रही विभागीय जांच सहित केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, के बारे में राज्य-वार सूचना

राज्य	1996	1997	1998
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3	3	3
असम	2	3	-
बिहार	-	1	2
गुजरात	5	2	3

1	2	3	4
हरियाणा	1	1	3
हिमाचल प्रदेश	1	2	1
जम्मू व कश्मीर	–	–	1
कर्नाटक	–	2	–
केरल	3	6	3
मध्य प्रदेश	2	5	4
महाराष्ट्र	6	2	1
मणिपुर	–	1	–
मेघालय	–	–	–
नागालैण्ड	–	–	–
उड़ीसा	6	3	7
पंजाब	5	2	2
राजस्थान	1	2	–
सिक्किम	–	–	1
तमिलनाडु	6	5	9
त्रिपुरा	3	–	–
उत्तर प्रदेश	1	7	10
पश्चिम बंगाल	3	3	5
ए जी एम यू	–	–	–
कुल	48	50	55

[अनुवाद]

चीनी का आयात

115. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किस वर्ष से चीनी का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस समय देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में चीनी के पर्याप्त भंडार को देखते हुए सरकार चीनी का आयात बंद करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 1980-81 से 1989-90 तक सरकार के खाते में चीनी का आयात किया गया था। 1990-91 से 1993-94 के दौरान सरकार के खाते में कोई आयात नहीं किया गया। मार्च 1994 से चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है।

(ख) मौसम 1997-98 के 53.7 लाख टन पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा वर्तमान मौसम 1998-99 के दौरान 150 लाख टन अनुमानित चीनी के उत्पादन के कारण देश में चीनी की आवश्यकता को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ग) और (घ) सरकार ने मार्च, 1994 में शुल्क रहित चीनी के आयात की अनुमति दी थी। तथापि, 28.4.98 से 13.1.99 तक सरकार ने आयात का बढ़ावा रोकने के उद्देश्य से आयातित चीनी पर 5 प्रतिशत का एक मौलिक सीमा शुल्क तथा 850 रु. प्रति टन के दर से सममुल्य कर लगाया था। 14.1.99 से 850 रु. प्रति टन के समतुलय कर को जारी रखने के साथ-साथ आयात शुल्क 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

दंडकारण्य परियोजना (मध्य प्रदेश) से संबंधित लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र

116. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1987-88 से 1989-90 तक पूर्वी पाकिस्तान और 1985-86 से 1989-90 तक दण्डकारण्य परियोजना से संबंधित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार के पुनर्वास विभाग को मुआवजे के रूप में कब तक धनराशि दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों पर 1987-88 से 1989-90 तक और दण्डकारण्य परियोजना पर 1985-86 से 1989-90 तक किए गए व्यय के संबंध में, निर्धारित प्रोफार्मों में, वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को निर्धारित प्रोफार्मों में वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित सूचना, जोकि व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक है, भिजवाने के लिए स्मरण करवाया गया है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, निर्धारित प्रोफार्मा में लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर की जाएगी।

अवैध प्रवासी

117. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधिकरण अधिनियम द्वारा अवैध प्रवासी निर्धारण को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम में अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना दूर करने हेतु इस अधिनियम को निरस्त नहीं करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ह।

[हिन्दी]

चीनी के आयात शुल्क में वृद्धि

118. **श्री विठ्ठल तुपे :**

श्री कमलनाथ :

श्री मदन पाटील :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** चीनी के आयात शुल्क में वृद्धि के बारे में । दिसम्बर 1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीनी पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग ने चीनी पर कम से कम 40 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का चीनी उद्योग में भारी हानि को देखते हुए देश में चीनी आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीनी के आयात पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करने के बाद चीनी उद्योग से उसके इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एन.एफ.सी.एस.एफ.) नामक दो शीर्ष संगठनों के माध्यम से सरकार को एक अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पाकिस्तान द्वारा दी जा रही अत्यधिक सब्सिडि और ब्राजील की मुद्रा का अवमूल्यन होने के कारण आयात शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके हाल में की गई वृद्धि पूर्णतया निष्प्रभावी हो गई है और इस वजह से आयातित चीनी की असीमित मात्रा में आमद हो रही है और चीनी के घरेलू मूल्य कम हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग ने आयात शुल्क को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।

(घ) चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) घरेलू मूल्यों को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाना वांछनीय नहीं है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से ऊपर/नीचे के लोगों को खाद्यान्नों का आबंटन करना

119. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

डा. चिन्ता मोहन :

डा. उल्हास वासुदेव पाटील :

श्री टी. गोविन्दन :

श्रीमती शीला गौतम :

डा. सुशील इंदौरा :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री माधव राव पाटील :

श्री चमन लाल गुप्त :

श्री अजीत जोगी :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर/नीचे के लोगों के लिए अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की आपूर्ति की गई;

(ख) इन वस्तुओं पर दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग कुल कितनी राजसहायता का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के कोटे को बढ़ाने के लिए राज्यों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के

दौरान गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेलों के राज्यवार आबंटन और उठान का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, से IV में दिया गया है। जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को चावल और गेहूं की आपूर्ति की जाती है। जून, 1997 से मार्च, 1998 और अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 की अवधि में चावल और गेहूं के आबंटन और उठान का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण V से VIII में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त मदों पर अदा की गई कुल सब्सिडी निम्नानुसार है :—

वर्ष	खाद्यान्न	चीनी	खाद्य तेल
1	2	3	4
1995-96	4960	422	100
1996-97	5166	900	50
1997-98	7500@	400	20
1998-99	7959*@	463.2**	105***

@ गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

* जनवरी, 1999 तक

** संशोधित अनुमान

*** प्रत्याशित

(ग) और (घ) इन जिन्सों के आबंटन बढ़ाने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और सब्सिडी संबंधी बाधाओं की दृष्टि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू दरों पर अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं जिसके ब्यौरे सलंग्न विवरण IX में दिये गये हैं।

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1995-96 में गेहूं, चावल, खाद्य तेल और चीनी के राज्यवार आवंटन और उठान।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	192.00	102.70	2620.00	2159.31	321.37		66.60	39.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.20	102.70	90.60	4.14			
3.	असम	360.00	351.90	568.00	436.30	120.34		1.20	0.68
4.	बिहार	705.60	227.20	381.60	23.50	426.81		0.20	
5.	गोवा	42.40	21.40	78.00	44.80	6.30		4.00	3.13
6.	गुजरात	835.50	424.90	409.00	208.60	206.15		49.00	46.08
7.	हरियाणा	209.48	62.50	53.56	8.40	81.54		0.20	0.26
8.	हिमाचल प्रदेश	144.00	98.20	131.00	45.20	24.73		1.50	1.18
9.	जम्मू व कश्मीर	360.00	116.00	528.00	249.20	35.20		0.70	0.39
10.	कर्नाटक	360.00	219.50	1443.12	942.90	225.59		11.00	6.63
11.	केरल	585.00	557.30	1800.00	1170.50	148.40			0.20
12.	मध्य प्रदेश	583.92	136.70	580.16	204.20	321.77		2.50	
13.	महाराष्ट्र	1100.00	610.60	858.00	359.50	383.87		30.00	15.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मणिपुर	32.40	31.80	120.00	33.00	9.37		0.90	0.30
15.	मेघालय	28.00	27.70	172.00	164.20	8.64		0.20	0.01
16.	मिजोरम	24.00	23.40	94.00	93.63	3.69		1.30	0.40
17.	नागालैण्ड	18.20	20.00	72.50	70.80	5.86		4.10	2.99
18.	उड़ीसा	420.00	238.60	790.00	365.80	157.69		12.00	3.50
19.	पंजाब	155.00	7.60	16.65	1.80	100.98			
20.	राजस्थान	1453.92	459.30	52.00	9.10	217.13		0.40	
21.	सिक्किम	12.30	10.10	57.60	43.80	2.11		0.84	0.63
22.	तमिलनाडु	310.00	162.40	1590.00	1587.92	281.95		8.00	5.08
23.	त्रिपुरा	21.60	9.60	194.40	148.60	13.32		0.70	0.04
	[illegible] देश	1185.60	225.90	549.60	209.50	677.82			
	[illegible] ल	1098.60	842.20	856.00	457.10	333.33		17.00	14.92
26.	अं. निकोबार	9.00		30.00		3.28		0.17	0.06
27.	चंडीगढ़	21.60	0.90	3.60	1.10	4.97		0.10	
28.	दादरा नगर हवेली	2.75	0.50	6.00	1.20	0.65		0.64	0.42
29.	दमन व दीव	2.15		6.70	1.00	0.49		0.89	0.46
30.	दिल्ली	840.00	153.30	240.00	26.40	130.36		3.30	2.66
31.	लक्षद्वीप	0.50		6.30	4.70	0.94		0.29	0.24
32.	पांडिचेरी	9.00		24.00	1.90	4.46		4.30	3.05
	जोड़	11129.72	5147.40	14434.49	9164.56	4263.25		221.99	148.25

लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत हुआ माना जाता है।

विवरण–II

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1996–97 में गेहूं, चावल, खाद्य तेल और चीनी के राज्यवार आवंटन और उठान।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	126.80	2490.00	1946.70	354.69		49.00	44.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.50	109.20	100.70	4.67			
3.	असम	355.50	301.80	648.70	520.80	121.71		1.00	0.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	697.60	738.70	389.60	37.60	464.12		0.70	
5.	गोवा	37.20	32.60	90.00	59.50	6.34		3.20	2.68
6.	गुजरात	690.90	624.30	376.00	276.40	213.76		40.00	43.35
7.	हरियाणा	208.16	130.20	52.00	21.50	86.17			
8.	हिमाचल प्रदेश	140.00	119.20	122.80	86.50	26.49		1.40	0.91
9.	जम्मू व कश्मीर	360.00	149.00	528.00	353.70	46.70		0.70	0.43
10.	कर्नाटक	356.00	286.70	1453.12	1110.00	240.00		10.00	11.39
11.	केरल	572.50	544.00	1847.00	1530.80	151.63		2.00	0.97
12.	मध्य प्रदेश	605.62	431.10	613.68	302.80	353.50			
13.	महाराष्ट्र	1010.00	849.80	858.00	553.70	407.35		34.00	33.39
14.	मणिपुर	32.40	31.30	120.00	58.90	10.36		2.10	1.90
15.	मेघालय	29.50	26.60	190.00	181.90	9.65		0.70	0.23
16.	मिजोरम	23.50	21.10	92.05	88.60	3.96		1.40	0.45
17.	नागालैण्ड	8.60	8.70	81.20	89.40	7.04		2.80	1.94
18.	उड़ीसा	451.00	419.70	1012.00	585.10	170.11		7.00	3.18
19.	पंजाब	121.00	61.94	18.00	2.00	109.96			
20.	राजस्थान	1358.37	1141.30	59.00	16.60	235.79		0.35	
21.	सिक्किम	10.70	11.20	60.10	61.10	2.19		0.77	0.74
22.	तमिलनाडु	287.20	217.10	1903.50	1865.90	298.58		7.00	6.44
23.	त्रिपुरा	21.60	14.70	194.40	150.00	15.02		0.70	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	1140.40	893.60	532.20	356.80	743.45			
25.	पश्चिम बंगाल	1071.00	904.80	790.00	517.10	364.73		18.50	19.27
26.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	9.00	7.28	30.00	2.47	3.53		0.23	0.08
27.	चंडीगढ़	21.60	7.91	3.60	2.20	4.96			
28.	दादरा और नगर हवेली	3.00	2.20	6.00	4.11	0.76		0.56	0.54
29.	दमन और दीव	2.40	1.13	7.20	3.43	0.51		0.91	0.49
30.	दिल्ली	700.00	576.90	240.00	113.60	149.70		3.60	2.95
31.	लक्षद्वीप	0.50	0.22	6.30	6.60	1.02		0.28	0.19
32.	पांडिचेरी	8.34	2.85	20.90	14.90	5.83		4.00	3.45
	जोड़	10520.79	8390.22	14944.55	11021.41	4614.39		192.88	179.86

लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत हुआ माना जाता है।

विवरण–III

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1997–98 में गेहूं, चावल, खाद्य तेल और चीनी के राज्यवार आवंटन और उठान।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	183.00	125.29	2309.00	1999.90	348.82		28.00	11.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.11	5.76	107.85	91.20	4.57			
3.	असम	323.08	193.94	590.86	456.50	116.41			
4.	बिहार	788.40	513.74	489.80	156.30	447.36		0.30	0.60
5.	गोवा	32.30	27.10	76.80	51.80	6.26		3.50	1.37
	———	741.65	519.31	308.00	178.80	215.94		20.00	
		178.55	98.44	5.00	4.10	86.21			
8.	हिमाचल प्रदेश	131.00	115.66	135.00	90.10	26.24		1.40	0.60
9.	जम्मू व कश्मीर	290.60	167.74	430.75	280.90	44.62		0.40	0.02
10.	कर्नाटक	260.00	248.84	1024.52	833.90	235.02		10.00	4.89
11.	केरल	389.04	370.93	1827.40	1607.30	136.16			
12.	मध्य प्रदेश	584.90	308.91	463.50	293.10	346.00			
13.	महाराष्ट्र	1251.80	987.43	678.40	552.30	411.81		30.00	25.01
14.	मणिपुर	25.66	27.61	101.40	45.10	9.98		0.80	0.80
15.	मेघालय	26.54	28.70	199.30	152.90	9.45			
16.	मिजोरम	16.94	17.70	106.18	95.10	3.84		0.80	0.15
17.	नागालैण्ड	28.73	29.24	108.97	92.20	6.86		1.60	1.04
18.	उड़ीसा	299.00	207.19	715.40	560.10	164.38		7.30	4.29
19.	पंजाब	91.30	14.18	12.00	1.70	107.57			
20.	राजस्थान	901.30	451.44	56.86	4.40	230.71			
21.	सिक्किम	5.68	5.32	77.38	54.10	2.14		0.88	0.56
22.	तमिलनाडु	244.60	124.48	1359.71	1262.80	291.79		4.00	3.95
23.	त्रिपुरा	17.96	14.49	167.33	153.60	14.81			
24.	उत्तर प्रदेश	1214.82	867.20	521.59	321.10	722.64		1.70	0.01
25.	पश्चिम बंगाल	1193.20	927.66	536.90	318.30	356.90		20.00	3.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	9.00	0.10	30.00	0.20	5.41		0.11	
27.	चंडीगढ़	17.58	5.27	2.94	2.20	4.10			
28.	दादर और नगर हवेली	1.98	1.26	4.95	4.00	0.73		0.32	0.30
29.	दमन और दीव	1.50	0.69	4.38	2.00	0.45		0.52	0.48
30.	दिल्ली	661.47	532.02	174.30	100.40	147.34		2.12	1.40
31.	लक्षद्वीप	0.50	0.85	8.70	3.00	1.00		0.40	0.20
32.	पांडिचेरी	4.82		20.14	0.00	5.28		2.00	1.68
	जोड़	9924.01	6938.49	12655.91	9769.40	4510.80		136.15	62.43

लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत हुआ माना जाता है।

विवरण–IV

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1998–99 में गेहूं, चावल, खाद्य तेल मिट्टी का तेल और चीनी के राज्यवार आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गेहूं		चावल		चीनी		खाद्य तेल	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	111.00	101.23	1967.00	1725.97	347.19		56.00	36.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	4.49	91.00	74.97	4.66			
3.	असम	303.00	258.66	545.00	457.27	117.36			
4.	बिहार	704.20	590.09	422.80	187.74	449.16		0.80	
5.	गोवा	28.10	27.60	63.30	50.80	6.26		2.00	1.52
6.	गुजरात	395.00	319.53	300.00	207.69	215.92		28.00	24.16
7.	हरियाणा	130.50	66.63			86.16		0.40	
8.	हिमाचल प्रदेश	115.94	105.92	120.41	90.19	26.91		1.30	1.19
9.	जम्मू व कश्मीर	303.80	128.78	322.10	268.29	45.00		0.52	0.17
10.	कर्नाटक	245.00	239.10	790.00	751.30	235.64		8.00	6.36
11.	केरल	377.20	368.06	1498.20	1392.51	148.51			
12.	मध्य प्रदेश	419.90	256.92	348.50	256.67	345.90			
13.	महाराष्ट्र	976.80	909.01	595.40	544.95	411.86		40.23	33.79
14.	मणिपुर	27.20	25.74	102.52	37.98	10.16		1.60	0.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	24.60	24.80	175.00	147.85	9.44		0.40	0.03
16.	मिजोरम	20.14	19.54	104.20	94.21	3.82		0.27	0.13
17.	नागालैण्ड	32.60	29.78	105.00	95.15	7.19		2.40	1.59
18.	उड़ीसा	355.00	354.44	534.90	482.96	164.52		9.00	4.60
19.	पंजाब	51.30	6.59	9.60	0.69	107.48			
20.	राजस्थान	696.30	405.93	41.52	4.84	230.81		2.00	0.32
21.	सिक्किम	8.90	7.11	73.10	50.91	2.12		1.00	0.46
22.	तमिलनाडु	300.00	183.80	1092.30	1070.09	291.86		5.00	3.81
23.	त्रिपुरा	18.00	15.80	164.50	151.39	27.06		0.20	0.09
24.	उत्तर प्रदेश	1066.70	846.24	517.00	386.67	719.22		5.00	1.75
25.	पश्चिम बंगाल	868.85	809.03	481.65	232.51	356.89		14.00	6.37
	निकोबार द्वीप समूह	6.00	0.02	25.00		2.26		0.29	
		18.00	4.54	3.00	1.66	4.85			
28.	दादर और नगर हवेली	2.50	1.80	5.50	3.41	0.73		0.50	0.27
29.	दमन और दीव	2.00	0.50	6.00	1.36	0.45		0.79	0.43
30.	दिल्ली	574.00	492.97	138.90	102.31	147.25		6.06	5.30
31.	लक्षद्वीप	0.16	0.17	2.12	2.37	0.65		0.29	0.22
32.	पांडिचेरी	7.50	0.31	22.00	1.22	5.23		4.00	2.20
	जोड़	8196.19	6605.13	10667.52	8875.93	4532.52		190.13	132.11

लेवी चीनी का उठान 100 प्रतिशत हुआ माना जाता है।

गेहूं और चावल के आवंटन तथा उठान की सूचना जनवरी, 99 तक की मिली है।

विवरण–V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 1997 से मार्च, 1998 तक चावल के आवंटन, उठान और उठान प्रतिशत को बताने वाला विवरण।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन			उठान		
		बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़	बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	348.84	1540.16	1889.00	326.00	1288.37	1614.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.94	79.72	86.66	6.40	64.01	70.41

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	183.57	297.28	480.85	132.74	216.77	348.51
4.	बिहार	343.60	79.20	422.80	146.90	2.21	149.11
5.	दिल्ली	7.20	127.10	134.30	0.00	78.04	78.04
6.	गोवा	2.60	59.20	61.80	0.16	43.29	43.45
7.	गुजरात	0.00	238.00	238.00	0.96	130.49	131.45
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	112.19	112.19	0.00	69.47	69.47
10.	जम्मू व कश्मीर	40.19	302.57	342.76	31.40	225.86	257.26
11.	कर्नाटक	230.00	550.00	780.00	229.06	405.58	634.64
12.	केरल	153.50	1357.86	1511.36	177.16	1137.52	1314.68
13.	मध्य प्रदेश	240.00	103.50	343.50	160.98	65.39	220.37
14.	महाराष्ट्र	211.60	323.80	535.40	184.97	268.00	450.97
15.	मणिपुर	12.02	69.38	81.40	6.52	28.17	34.69
16.	मेघालय	12.78	152.50	165.28	10.52	108.97	117.49
17.	मिजोरम	4.66	85.53	90.19	3.47	73.98	77.45
18.	नागालैण्ड	7.52	89.45	96.97	6.06	73.76	79.82
19.	उड़ीसा	318.20	197.20	515.40	297.52	82.92	380.44
20.	पंजाब	6.80	2.80	9.60	1.36	0.16	1.52
21.	राजस्थान	2.50	44.36	46.86	0.57	1.10	1.67
22.	सिक्किम	3.36	63.42	86.78	5.61	35.74	41.35
23.	तमिलनाडु	457.90	571.81	1029.71	381.28	556.54	937.82
24.	त्रिपुरा	22.92	116.73	139.65	16.48	103.83	120.29
25.	उत्तर प्रदेश	315.00	128.59	441.59	193.66	85.92	259.58
26.	पश्चिम बंगाल	241.96	164.94	406.90	158.89	74.49	231.18
27.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	1.80	28.20	30.00	0.00	0.00	0.00
28.	चंडीगढ़	0.20	2.14	2.34	0.00	1.48	1.48
29.	दादर और नगर हवेली	1.20	2.75	3.95	0.80	1.98	2.78
30.	दमन और दीव	0.20	2.98	3.18	0.30	2.94	3.24
31.	लक्षद्वीप	0.24	8.46	8.70	0.00	3.11	3.11
32.	पांडिचेरी	6.50	9.64	16.14	0.00	0.00	0.00
	जोड़	3183.80	6909.46	10093.26	2477.55	5205.09	7682.64

विवरण–VI

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 1997 से मार्च, 1998 तक गेहूं के आवंटन, उठान और उठान प्रतिशत को बताने वाला विवरण।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन			उठान		
		बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़	बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	150.00	153.00	2.82	96.47	99.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.67	5.24	5.91	0.00	5.16	5.16
3.	असम	7.02	256.08	283.08	0.00	140.74	140.74
4.	बिहार	515.40	158.80	874.20	382.98	57.16	440.14
5.	दिल्ली	22.40	509.07	531.47	0.00	423.12	423.12
6.	गोवा	1.20	24.90	26.10	0.00	22.00	22.00
		200.00	407.50	607.50	178.59	222.72	401.31
		73.30	77.20	150.50	37.01	36.23	73.24
9.	हिमाचल प्रदेश	38.93	88.09	107.02	21.77	69.99	91.76
10.	जम्मू व कश्मीर	14.47	216.11	230.59	10.59	109.35	119.94
11.	कर्नाटक	57.50	142.50	200.00	57.26	137.68	194.94
12.	केरल	0.00	304.04	304.04	0.00	292.33	292.33
13.	मध्य प्रदेश	293.40	171.50	464.90	168.83	75.58	244.41
14.	महाराष्ट्र	393.00	668.80	1061.80	266.47	555.46	821.93
15.	मणिपुर	0.31	20.75	21.06	0.00	20.41	20.41
16.	मेघालय	1.22	20.32	21.54	1.46	20.24	21.70
			0.00				
17.	मिजोरम	0.04	13.90	13.94	0.05	13.95	14.00
18.	नागालैण्ड	1.87	25.66	27.53	1.78	25.58	27.34
19.	उड़ीसा	0.00	199.00	199.00	0.00	103.49	103.49
20.	पंजाब	36.20	15.10	51.30	5.55	1.53	7.08
21.	राजस्थान	214.50	426.80	641.30	108.99	180.05	289.04
22.	सिक्किम	0.04	4.44	4.48	0.00	4.12	4.12
23.	तमिलनाडु	0.00	200.00	200.00	4.87	85.51	90.38
24.	त्रिपुरा	0.00	14.88	14.88	0.00	11.29	11.29
25.	उत्तर प्रदेश	840.00	367.22	1007.22	486.44	208.56	693.00

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	पश्चिम बंगाल	217.00	766.20	983.20	186.88	628.18	812.86
27.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	0.84	8.16	9.00	0.00	0.00	0.00
28.	चंडीगढ़	1.60	12.38	13.98	0.16	2.51	2.67
29.	दादर और नगर हवेली	0.30	1.18	1.48	0.19	1.13	1.32
30.	दमन और दीव	0.10	1.00	1.10	0.01	0.88	0.69
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.50	0.50	0.00	0.29	0.29
32.	पांडिचेरी	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00
	जोड़	2734.32	5260.62	7994.94	1922.50	3547.49	5469.99

विवरण–VII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 तक चावल के आवंटन, और उठान प्रतिशत को बताने वाला विवरण।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन			उठान		
		बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़	बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	367.23	1599.77	1967.00	355.78	1370.19	1725.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	84.00	91.00	8.00	66.98	74.98
3.	असम	190.60	354.40	545.00	167.35	289.92	457.27
4.	बिहार	343.60	79.20	422.80	184.36	3.38	187.74
5.	दिल्ली	4.32	134.58	136.90	0.00	102.31	102.31
6.	गोवा	2.60	60.70	63.30	0.49	50.32	50.81
7.	गुजरात	100.00	200.00	300.00	87.12	120.58	207.70
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	120.41	120.41	1.76	88.43	90.18
10.	जम्मू व कश्मीर	47.01	275.10	322.11	47.00	221.28	268.28
11.	कर्नाटक	230.00	560.00	790.00	229.64	521.65	751.30
12.	केरल	153.50	1344.70	1498.20	182.15	1210.35	1392.50
13.	मध्य प्रदेश	240.00	108.50	348.50	182.17	74.48	256.66
14.	महाराष्ट्र	211.60	383.80	595.40	194.01	350.93	544.94

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मणिपुर	13.00	89.52	102.52	11.10	26.89	37.99
16.	मेघालय	14.30	160.68	174.98	11.02	136.83	147.85
17.	मिजोरम	5.30	98.92	104.22	5.05	89.16	94.21
18.	नागालैण्ड	7.70	97.30	105.00	7.13	88.03	95.16
19.	उड़ीसा	318.20	216.70	534.90	314.69	168.28	482.97
20.	पंजाब	6.80	2.80	9.60	0.69	0.00	0.69
21.	राजस्थान	2.50	39.02	41.52	1.21	3.62	4.83
22.	सिक्किम	3.40	69.70	73.10	2.72	48.19	50.90
23.	तमिलनाडु	457.90	634.40	1092.30	404.18	665.92	1070.09
24.	त्रिपुरा	23.10	141.40	164.50	21.77	129.59	151.36
25.	उत्तर प्रदेश	315.00	202.00	517.00	270.26	116.41	386.67
	पश्चिम बंगाल	244.35	237.30	481.65	84.00	148.51	232.51
	निकोबार द्वीप समूह	1.20	23.80	25.00	0.00	0.00	0.00
28.	चंडीगढ़	0.20	2.80	3.00	0.02	1.64	1.66
29.	दादर व नगर हवेली	1.20	4.30	5.50	1.34	2.07	3.41
30.	दमन व दीव	0.20	5.80	6.00	0.12	1.25	1.36
31.	लक्षद्वीप	0.08	2.03	2.11	0.00	2.37	2.37
32.	पांडिचेरी	6.50	15.50	22.00	0.00	1.22	1.22
	जोड़	3318.39	7349.14	10667.52	2775.14	6100.76	8875.90

विवरण-VIII

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 तक गेहूं के आवंटन, और उठान को बताने वाला विवरण।

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	आवंटन			उठान		
		बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़	बी.पी.एल.	ए.पी.एल. अति सहित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	111.00	111.00	0.00	101.22	101.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.70	5.30	6.00	0.00	4.49	4.49
3.	असम	0.00	303.00	303.00	8.20	250.46	258.66
4.	बिहार	515.40	188.80	704.20	460.87	129.23	590.11

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दिल्ली	13.44	560.56	574.00	0.00	492.96	492.96
6.	गोवा	1.20	26.90	28.10	0.00	27.60	27.60
7.	गुजरात	100.00	295.00	395.00	109.99	209.55	319.53
8.	हरियाणा	73.30	57.20	130.50	36.19	30.44	66.63
9.	हिमाचल प्रदेश	42.37	73.59	115.95	21.53	84.38	105.91
10.	जम्मू व कश्मीर	14.79	289.00	303.79	14.80	113.99	128.79
11.	कर्नाटक	57.50	187.50	245.00	57.41	181.69	239.09
12.	केरल	0.00	377.20	377.20	0.00	368.06	368.06
13.	मध्य प्रदेश	293.40	126.50	419.90	171.71	85.22	256.93
14.	महाराष्ट्र	393.00	583.80	976.80	326.15	582.86	909.01
15.	मणिपुर	0.00	27.20	27.20	0.00	25.74	25.74
16.	मेघालय	0.00	24.60	24.60	0.03	24.78	24.80
17.	मिजोरम	0.00	20.14	20.14	0.62	18.91	19.53
18.	नागालैण्ड	1.90	30.70	32.60	1.62	28.16	29.78
19.	उड़ीसा	0.00	355.00	355.00	0.00	354.45	354.45
20.	पंजाब	36.20	15.10	51.30	6.59	0.00	6.59
21.	राजस्थान	214.50	481.80	696.30	115.19	290.74	405.93
22.	सिक्किम	0.00	8.90	8.90	0.00	7.11	7.11
23.	तमिलनाडु	0.00	300.00	300.00	2.27	181.53	183.79
24.	त्रिपुरा	0.00	18.00	18.00	0.00	16.01	16.01
25.	उत्तर प्रदेश	640.00	426.70	1066.70	609.58	236.65	846.24
26.	पश्चिम बंगाल	212.85	656.00	863.85	195.82	613.23	809.05
27.	अं. व निकोबार द्वीप समूह	0.56	5.44	6.00	0.00	0.02	0.02
28.	चंडीगढ़	1.60	16.40	18.00	0.00	4.54	4.54
29.	दादर और नगर हवेली	0.30	2.20	2.50	0.23	1.56	1.79
30.	दमन और दीव	0.10	1.90	2.00	0.15	0.35	0.50
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17
32.	पांडिचेरी	0.00	7.50	7.50	0.00	0.13	0.13
	जोड़	2613.11	5583.10	8196.20	2138.93	4466.22	6605.16

विवरण-IX

1998-99 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर अप्रैल 1998 से विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र ... गए चावल और गेहूं के अतिरिक्त आवंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल											
		अप्रैल 1998	मई 1998	जून 1998	जुलाई 1998	अगस्त 1998	सित. 1998	अक्तूबर 1998	नवम्बर 1998	दिसम्बर 1998	जनवरी 1999	फरवरी 1999	मार्च 1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश										50.000		
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
3.	असम	15.000	15.000	35.000*	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	बिहार												
5.	दिल्ली								10.000				
6.	गोवा	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	गुजरात			20.000%									
8.	हरियाणा												
9.	हिमाचल प्रदेश	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	जम्मू एवं कश्मीर	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	कर्नाटक	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
12.	केरल	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	25.000	20.000	20.000
13.	मध्य प्रदेश								5.000				
14.	महाराष्ट्र	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	मणिपुर	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	6.040	5.840	7.000	7.000	5.840	5.840	5.840
16.	मेघालय	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
17.	मिजोरम	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083
18.	नागालैण्ड	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	उड़ीसा	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	पंजाब												
21.	राजस्थान	#3.890	0.000	3.890	3.890	0.100	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
22.	सिक्किम	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.	तमिलनाडु	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	26.000	25.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
24.	त्रिपुरा	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	7.270	4.770	4.770
25.	उत्तर प्रदेश	$				25.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	पश्चिम बंगाल	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	अं. व निकोबार द्वीप समूह				5.000								
28.	चंडीगढ़	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110
29.	दादर एवं नगर हवेली	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
30.	दमन एवं दीव	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.470
31.	लक्षद्वीप												
32.	पांडिचेरी	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	2.060	2.060	1.060	1.060	1.061
	योग	152.851	154.461	138.351	164.351	199.561	208.551	235.351	280.511	255.511	260.851	203.351	203.351

(हजार टन में)

		गेंहू											
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अप्रैल 1998	मई 1998	जून 1998	जुलाई 1998	अगस्त 1998	सित. 1998	अक्तूबर 1998	नवम्बर 1998	दिसम्बर 1998	जनवरी 1999	फरवरी 1999	मार्च 1999
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.	अरूणाचल प्रदेश												
3.	असम	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4.	बिहार						0.00		20.000				
5.	दिल्ली	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
6.	गोवा	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	गुजरात												
8.	हरियाणा	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	हिमाचल प्रदेश	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
10.	जम्मू एवं कश्मीर	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540	21.540
11.	कर्नाटक	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12.	केरल	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
14.	महाराष्ट्र		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	मणिपुर	0.990	0.990	0.990	1.190	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990	0.990
16.	मेघालय	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17.	मिजोरम	0.950	0.950	0.950	0.950	1.490	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
18.	नागालैण्ड	1.000	1.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	उड़ीसा	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	पंजाब												
21.	राजस्थान	15.000	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
22.	सिक्किम	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790	0.790
23.	तमिलनाडु	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24.	त्रिपुरा	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520
25.	उत्तर प्रदेश					30.000	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26.	प. बंगाल	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27.	अ. एवं नि. द्वीप समूह												
28.	चडीगढ़	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170
30	दमन एवं दीव	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
31.	लक्षद्वीप												
32.	पांडिचेरी	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730	0.730
	योग	150.280	135.280	172.280	173.480	210.820	283.280	253.580	310.280	280.280	240.280	240.280	240.280

1. असम—जून, 1998 में 20.000 टन चावल का अतिरिक्त कोटा और बाढ़ राहत असम को गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर अक्तूबर, 1998 में 25,000 टन चावल (फिलहाल रोका हुआ)
2. गुजरात—जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए निर्धारित साधारण चावल के मूल्य (5.50 रुपये प्रति किग्रा.) पर चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20,000 टन चावल का अतिरिक्त विशेष आवंटन।
3. राजस्थान—राजस्थान सरकार के अनुरोध पर 15,000 टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन को वापस ले लिया गया है।
4. उत्तर प्रदेश—बाढ़ राहत के लिए उत्तर प्रदेश को 25,000 टन चावल और 30,000 टन गेहूं का आवंटन किया गया।
5. मणिपुर—पांचवें राष्ट्रीय खेलों के लिए मणिपुर को जुलाई में 200 टन गेहूं और सितम्बर में 200 टन चावल।
6. नागालैंड—जुलाई, 1998 में नागालैंड को 1,000 टन चावल और 1,000 टन गेहूं का विशेष आवंटन और अक्तूबर, 98 में क्रिसमस के 300 टन गेहूं का आवंटन किया गया।
7. बिहार—बाढ़ राहत के लिए सितम्बर, 98 में 50,000 टन गेहूं और नवम्बर, 98 में 30,000 टन गेहूं।
8. कर्नाटक—त्यौहार मौसम के लिए कर्नाटक को सितम्बर, 98 से दिसम्बर, 98 तक प्रतिमाह 10,000 टन चावल आवंटित किया गया।
9. पश्चिम बंगाल—बाढ़ राहत के लिए पश्चिम बंगाल को सितम्बर, 98 से नवम्बर, 98 तक प्रत्येक माह में 10,000 टन चावल आवंटित।
10. मेघालय—बाढ़ राहत के लिए मेघालय को 2,000 टन चावल आवंटित किया गया।
11. पांडिचेरी—बाढ़ राहत के लिए पांडिचेरी को नवम्बर, 98 और दिसम्बर, 98 प्रत्येक माह में 1,000 टन चावल आवंटित।
12. मिजोरम—जनवरी, 99 से अप्रैल, 99 तक प्रतिमाह 5,000 टन की दर पर 20,000 टन चावल का अग्रिम आवंटन। इसका समायोजन जून, 1999 से अक्तूबर, 99 में 4,000 टन प्रतिमाह की दर पर किया जाना है।
13. अरुणाचल प्रदेश—9,000 टन चावल और 40, टन गेहूं का अग्रिम आवंटन जिसका समायोजन सितम्बर, 99 से नवम्बर, 99 में 3,000 टन चावल प्रतिमाह और गेहूं के लिए सितम्बर और अक्तूबर, 99 में 15 टन गेहूं प्रतिमाह तथा नवम्बर, 99 में 10 टन गेहूं प्रतिमाह के हिसाब से किया जा रहा है।

जनवरी, 99 में, आंध्र प्रदेश और केरल को आर्थिक लागत पर किये गये क्रमशः 50,000 टन चावल और 5,000 टन चावल के अलावा अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्य पर किये जाते हैं।

केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग

120. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी खाद्य पदार्थों में व्यापक मिलावट और जहरीले सरसों के तेल से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग के गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ता उत्पादों में मिलावट के खतरे से सख्ती से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) दिल्ली सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि विभिन्न संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के 12 मंत्रियों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए जिसके [illegible] मंत्री हों अथवा कोई वरिष्ठ मंत्री। यह प्रस्ताव [illegible] सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

क्रैच केन्द्र

121. **श्री रामपाल सिंह :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री तेजवीर सिंह :

डा. अशोक पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समूचे देश में क्रैच केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सरकार ने विभाग की निम्नलिखित 2 स्कीमों के अन्तर्गत पूरे देश में शिशुगृह केन्द्र स्वीकृत किए हैं :—

(1) कामकाजी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृहों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम

(2) राष्ट्रीय शिशुगृह कोष स्कीम

(ख) दोनों स्कीमों के अन्तर्गत राशि की उपलब्धता के अनुसार कुल 14,925 शिशुगृह केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृहों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की स्कीम 1975 से चलाई जा रही है और राष्ट्रीय शिशुगृह कोष स्कीम, जो 21.3.1994 को तैयार की गई थी, 1995-96 से कार्यान्वित की जा रही है।

राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां

122. **डा.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पड़ोसी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नक्सलवाद-विरोधी अभियानों के लिए, पुलिस को गतिशीलता प्रदान करने, पुलिस कार्मिकों को सुरंगों/विस्फोटों से बचाने संचार प्रणाली का उन्नयन करने, पुलिस कार्मिकों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग करते हुए 36.63 करोड़ रुपए की एक कार्य योजना भेजी है।

(घ) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्टॉफ को सीट देने के लिए मानदंड

123. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न मान्यता प्राप्त संघों को जेसीएम में स्टाफ की सीटें देने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या वर्तमान वितरण उन मानदंडों के अनुरुप हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त परामर्शी तन्त्र की

योजना के अनुसार, स्टाफ परिषद में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से मान्यताप्राप्त संघों द्वारा स्टाफ पक्ष की ओर से नामजद किए जाने वाले अधिकतम 7 सदस्य होंगे। इन संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सदस्यों की अंकीय संख्या के अनुसार निम्नलिखित ढंग से 7 स्थानों का विभाजन किया जा सकता है :—

(1)	शिक्षक संघ	04
(2)	शिक्षणेतर स्टाफ संघ	02
(3)	मुख्यालय स्टाफ संघ	01
	कुल	07

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति

124. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

डा. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को राज्यों को आंतरिक विद्रोह और सार्वजनिक जीवन में होने वाली भारी अव्यवस्था से बचाने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में होने वाली इन गतिविधियों पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि उनके अनुसार कानून और व्यवस्था का मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघीय सरकार को यह व्यादेश प्राप्त है कि वह प्रत्येक राज्य की अन्दरूनी गड़बड़ी से रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार, संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था और देश के सुरक्षा परिवेश का विश्लेषण और आंकलन करना केन्द्र सरकार में सतत् प्रक्रिया है।

इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के कार्यक्षेत्र, प्रयोज्यता और व्याख्या पर अन्तर-राज्य परिषद की बैठक में चर्चा होनी चाहिए। तदनुसार, इस मामले पर दिनांक 19.12.1998 को हुई अन्तर-राज्य परिषद की स्थाई समिति की छठी बैठक में तथा अन्तर राज्य परिषद की 22.1.1999 को हुई पांचवीं बैठक में चर्चा हुई थी।

हिरासत में बलात्कार

125. **श्री पी. शंकरन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जेलों में बड़ी संख्या में बलात्कार होते हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार ड्यूटी पर तैनात कर्मियों द्वारा ही 50 प्रतिशत से अधिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो जेलों में होने वाले अपराधों को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार "पुलिस" और "जेल" राज्य के विषय हैं। जेल में और जेलों के बाहर पुलिस और जेल कार्मिकों द्वारा किए अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, उनका पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

तथापि, केन्द्र सरकार हिरासत में किए गए अपराधों सहित महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखती रहती है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों/दिशा-निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है—महिलाओं के प्रति अपराधों की जांच करते समय अभी स्तरों पर पुलिस और पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाना और हिरासत में बलात्कार का अपराध करने वालों को अविलम्ब और उचित दण्ड देना। उन जेलों, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों रखे जाते हैं और उनमें महिला कैदियों को रखने के लिए अलग बाड़े हैं, के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में महिला कैदियों के लिए ही जेलें बनी हुई हैं।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्त्री शिक्षा

126. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयासों हेतु कितना व्यय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित ढंग से महिला शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कदम उठाए :—

(1) बालिका/महिला छात्र ट्यूशन फीस "बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा" की योजना के अंतर्गत समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(2) सुदूर क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र विशेष रूप से अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(3) एक प्रणाली अनुसंधान परियोजना, मुक्त अध्ययन ...नी के जरिए बालिकाओं/ महिलाओं के लिए ...वायिक तथा उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन के लिए कार्य ढांचे के मानकीकरण के संबंध में शुरू की जा रही है;

(4) एक महिला परियोजना सैल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(5) कतिपय पाठ्यक्रम जो महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक हैं, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए है;

— प्रारंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

— पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा;

— खाद्य तथा पोषण में प्रमाण-पत्र; और

— पोषण तथा बाल देखभाल में प्रमाण-पत्र

महिलाओं की शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं पर वहन किए जाने वाला अनुमानित खर्च 12.10 करोड़ रु. है।

राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कार्यालय

127. **श्री ए. सी. जोस :**

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री फ्रांसिस्को सारदीना :

डा. संजय सिंह :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए सरकारी कार्यालय खोले जाने की क्या नीति है;

(ख) राजधानी में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खोले गए नए कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी से कुछ सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) सरकार की मौजूदा नीति का उद्देश्य दिल्ली में नए कार्यालय स्थापित होने से रोकना है। तथापि, मामले के गुण-दोष पर विचार करके केवल आवास संबंधी संसदीय समिति के पूर्व अनुमोदन से किसी कार्यालय को दिल्ली में अवस्थित किया जा सकता है। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अवस्थित किए गए कार्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित केन्द्र सरकारी कार्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

समय-समय पर स्थानांतरण की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा संबंधित कार्यालयों को समुचित रूप से अनुस्मरण कराया जाता है।

विवरण

I. उन कार्यालयों का विवरण, जिन्हें आवास संबंधी संसदीय समिति ने दिल्ली में अवस्थित करने का अनुमोदन किया था

क्र.सं.	वर्ष	कार्यालय का नाम
1	2	3
1.	1996	वेज बोर्ड फार वर्किंग जर्नलिस्ट्स एवं नान-जर्नलिस्ट्स न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसिज एम्प्लाईज, श्रम मंत्रालय
2.	1996	इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (आई डी एस ए), रक्षा मंत्रालय
3.	1996	नेशनल कन्ज़ूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
4.	1996	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय
5.	1997	डिस-इंवेस्टमेंट कमीशन, लोक उद्यम विभाग (केवल 3 वर्षों के लिए स्थापित)

1	2	3
6.	1997	नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
7.	1997	राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
8.	1997	इंटर-स्टेट काउंसिल सैक्रेटेरियट, गृह मंत्रालय
9.	1998	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, वित्त आयोग (यूटी), दमण व दीव, दादर व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप
10.	1998	पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
11.	1998	सीमा सुरक्षा बल सिगनल प्रशिक्षण स्कूल

II. दिल्ली से बाहर स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित केन्द्र सरकारी कार्यालयों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जहां स्थानांतरित करना है
1	2	3
1.	तट रक्षक (मुख्यालय)	नोएडा (पहले गाजियाबाद)
2.	अनुसंधान व विकास केन्द्र, डाक विभाग	गाजियाबाद
3.	निरीक्षक निदेशालय, नार्थ सर्कल, आपूर्ति विभाग	गाजियाबाद
4.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय	कोई दिल्ली मैट्रोपोलिटन कस्बा
5.	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत विभाग	नोएडा
6.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एम्प्लायमेंट सर्विस, श्रम मंत्रालय	नोएडा
7.	भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग	गुड़गांवा जैसा कोई उचित स्थान
8.	प्रकाशन विभाग	फरीदाबाद
9.	नेशनल अकादमी ऑफ कस्टम, एक्साइज एंड नारकोटिक्स	फरीदाबाद
10.	आल इंडिया सोयल एंड लैंडयूज सर्वे, कृषि एवं सहकारिता विभाग	नोएडा
11.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	नोएडा

शहरी सुविधाओं हेतु धन

128. **श्री के. येरननायडू** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी सुविधाओं के लिए धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला

129. **श्री डी. एस. अहिरे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों ने गुजरात में अल्पसंख्यकों पर आक्रमण से संबंधित मुद्दे उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हमारी तरह के लोकतंत्र में धार्मिक कट्टरता और साम्प्रदायिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी समुदाय के प्रति, देश में कहीं भी और किसी भी प्रकार की हिंसा के कृत्यों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

शैक्षिक संस्थानों के पुराने भवनों के लिए अनुदान

130. **श्री एस. सुधाकर रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सैकड़ों वर्ष पहले बने शैक्षिक संस्थानों के पुराने भवनों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

रायगढ़ जिले में उर्वरक संयंत्र

131. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार केन्द्र सरकार के कितने उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इस प्रक्रिया में कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ग) उर्वरक संयंत्र द्वारा इन विस्थापित लोगों के कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या इस संयंत्र में प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोटा निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक एकक

132. **श्री मित्रसेन यादव :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कार्यरत उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये एकक अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) से (ग) इस समय उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की एककवार क्षमता और वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता संतोषजनक है।

(घ) सरकार की उदारीकरण की नीति के भाग के रूप में नया उर्वरक संयंत्र लगाने अथवा वर्तमान संयंत्र के विस्तार के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किसी संयंत्र की क्षमता में विस्तार के लिए कदम परियोजना की प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के आधार पर प्रोमोटरों द्वारा उठाया जाता है।

विवरण

1997-98 और 1998-99 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख उर्वरक एककों की एककवार स्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोगिता

नाइट्रोजन

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	31.3.98 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	1997-98		अप्रैल, 98-जनवरी, 99	
			उत्पादन (एल एमटी)	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता	उत्पादन (एलएमटी)	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता
1.	इफको : फूलपुर	2.3	2.6	114.0	2.1	112.4
2.	इफको : फूलपुर विस्तार	3.3	1.1	126.2	3.2	114.3
3.	इफको : आंवला	3.3	3.9	115.9	3.3	119.0
4.	इफको : आंवला विस्तार	3.3	3.8	114.4	3.5	124.5
5.	डीआईएल : कानपुर	3.1	3.4	108.7	2.8	110.0
6.	आईजीएफसीसी : जगदीशपुर	3.3	4.3	128.6	4.0	145.1
7.	टीसीएल : बबराला	3.4	4.7	137.5	3.3	116.2
8.	ओसीएफ : शाहजहांपुर	3.3	4.3	128.1	3.6	129.2

* जनवरी, 1998 से वाणिज्यिक उत्पादन

[अनुवाद]

दौरों पर खर्चे

133. **डा. उल्हास वासुदेव पाटील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों के विदेश दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके साथ कितने लोग गये और इस प्रकार प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च हुआ;

(ग) प्रत्येक यात्रा का कारण और उसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की किसी प्रस्तावित यात्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रद्द किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

घटिया वस्तुओं की बिक्री

134. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजार घटिया वस्तुओं, खासकर घटिया इलैक्ट्रानिक वस्तुओं से भरे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार/भारतीय मानक ब्यूरो ने घटिया वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसी वस्तुओं खासकर इलैक्ट्रानिक वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए कोई छापा मारा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ङ) इलेक्ट्रानिकी मदें, इलेक्ट्रोनिकी विभाग के कार्य क्षेत्र में आती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो संगत भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों पर आई.एस.आई. चिह्न का इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस देने की प्रमाणन स्कीम चलाता है। यह स्कीम 135 मदों, जिनके लिए प्रमाणन अनिवार्य है, को छोड़कर अन्य सभी मदों के लिए स्वैच्छिक स्वरूप की है। किसी भी इलेक्ट्रानिकी मद के लिए अनिवार्य प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रानिकी मदों के लिए लाइसेंस दिए जाने का संबंध है, उनमें से किसी मद के घटिया किस्म के होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

गैर-आई.एस.आई. उत्पादों का विनिर्माण तथा बिक्री, ब्यूरो के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। जब भी आई.एस.आई. चिह्न के अनधिकृत इस्तेमाल का कोई मामला ब्यूरो के ध्यान में आता है, उसकी जांच की जाती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसमें दोषी पार्टियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दायर करना शामिल है। गत तीन वर्षों के दौरान ब्यूरो द्वारा आई.एस.आई. चिह्न के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने के लिए मारे गए छापों के बारे में सूचना संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न के कथित दुरुपयोग के लिए की गई जब्ती और तलाशियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

(1998-99 के आंकड़े 31 जनवरी, 1999 तक है)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	की गई जब्ती तथा तलाशियों की संख्या		
	1996-97	1997-98	1998-99
आंध्र प्रदेश	1	-	5
चंडीगढ़	-	-	1
दमण	1	2	1
दिल्ली	4	6	3
गुजरात	8	4	5
कर्नाटक	1	1	6
महाराष्ट्र	-	1	2
पंजाब	-	11	-
राजस्थान	-	4	1
तमिलनाडु	-	-	5
उत्तर प्रदेश	10	5	1
पश्चिम बंगाल	2	-	-
योग	27	34	30

उपर्युक्त मामलों में कोई भी इलेक्ट्रानिक उत्पाद शामिल नहीं है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना

135. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या राज्यों में भी इस तरह की परिषदों का गठन किया गया है; और

तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन **विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बना रही है। इन कार्यक्रमों में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न संचार प्रणालियों को विकसित करना, अपनाना तथा प्रोत्साहित करना और लोगों के बीच वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाना शामिल है। इन कार्यक्रमों में वे परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आम लोगों को सहभागी बनाया गया है, उदाहरणस्वरूप भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था-1992, एकलिप्स-1995 कार्यक्रम, रेडियो एवं टी वी सीरियल्स, विज्ञान प्रदर्शनियां तथा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अधिकाधिक वर्गों तक पहुंचना तथा वैज्ञानिक चेतना का सृजन करना सम्भव हो सका है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों में अपने कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों तथा देश भर में फैले 100 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भी किया जाता है। राज्यों में भी उनकी अपनी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें हैं, जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ विभिन्न कार्यों का निष्पादन भी करती हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे/गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए वस्तुओं की कीमतें

136. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. सुशील इन्दौरा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आम उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और चीनी निर्धारित मूल्य की तुलना में बढ़ी हुई कीमतों पर मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ये मदें किस दर पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय की जा रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण के माध्यम से वितरण करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करती है। तथापि, उचित दर दुकानों के स्तर पर खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिए गए हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए अंतिम खुदरा निर्गम मूल्य को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक न हो। जहां तक गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए मूल्यों का संबंध है, राज्य "मार्जिन" को ढुलाई, उचित दर दुकान के व्यापारियों आदि के कमीशन पर होने वाले वास्तविक खर्च तक सीमित कर सकते हैं।

जहां तक चीनी का संबंध है, केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश में उचित दर दुकान स्तर पर अंतिम खुदरा निर्गम मूल्य एक-समान निर्धारित करती है।

हाल में केन्द्रीय निर्गम मूल्य में किए गए संशोधन के पश्चात सम्पूर्ण देश में चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम, निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में हाल में की गई वृद्धि के पश्चात् गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए उचित दर दुकान के स्तर पर खुदरा मूल्यों में संशोधन करने के संबंध में अब तक हरियाणा और त्रिपुरा राज्यों तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र ने सूचना भेजी हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के लिए निर्धारित उचित दर दुकान के मूल्य संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(ग) उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की जा रही अतिरिक्त राशि के ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग.रे.नी.		ग.रे.उ.	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल ग्रेड ए
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश *	–	3.50	5.00	7.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.00	4.00	5.00	उ.न.
3.	असम +		3 88–4.00	5.91–6.18	7.75–8.63
4.	बिहार	3.00	4.00	5.12	उ.न.
5.	दिल्ली	–	–	5.00	उ.न.
6.	गोआ	–	3.95	4.80	उ.न.
7.	गुजरात *	2.00	–	5.20	8.00
8.	हरियाणा	3.00	–	7.00	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3.00	–	5.50	उ.न.
10.	जम्मू व कश्मीर +	3.00	4.00	4.30–4.55	उ.न.
11.	कर्नाटक	2.50	3.50	5.00	7.60
12.	केरल	–	3.90	5.00	7.50
13.	मध्य प्रदेश +	3.00	4.00	5.15–5.25	7.70–7.80
14.	महाराष्ट्र +	3.00	4.00	5.00	5.50–7.90
15.	मणिपुर	3.00	4.00	5.00	उ.न.
16.	मेघालय	3.00	4.00	उ.न.	उ.न.
17.	मिजोरम	3.00	4.00	5.28	7.50
18.	नागालैण्ड	3.00	4.00	5.10	उ.न.
19.	उड़ीसा	–	2.00–4.00 $	5.50	7.85
20.	पंजाब	2.58	3.61	4.58	7.25
21.	राजस्थान	3.00	4.00	5.10	8.10
22.	सिक्किम	3.00	4.00	उ.न.	उ.न.
23.	तमिलनाडु *	–	2.00–3.75 @	5.00	उ.न.
24.	त्रिपुरा	3.00	4.00	7.25	7.70–10.00**
25.	उत्तर प्रदेश	3.00	4.00	5.00	8.00
26.	पश्चिम बंगाल	3.00	4.00	5.55	7.90
27.	अं. निकोबार द्वीप समूह	3.00	4.00	5.10	7.80

1	2	3	4	5	6
28.	चंडीगढ़	2.78	3.77	4.87	उ.न.
29.	दादरा नगर हवेली	3.00	4.00	5.00	7.50
30.	दमन व दीव	3.00	4.00	7.60	10.35
31.	लक्षद्वीप	3.00	4.00	5.10	7.90
32.	पांडिचेरी	–	4.00	5.00	उ.न.

ल.सा.वि.प्र. दिल्ली और लखद्वीप में शुरू नहीं की गई है।

उ.न. उपलब्ध नहीं (राज्य सरकार द्वारा सूचित किए जाने हैं)

* राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी वहन की जाएगी,

\+ क्षेत्र-दर-क्षेत्र में भिन्न होते हैं

$ पूर्व की सं.सा.वि.प्र. के ब्लाकों में 2.00 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 4.00 रुपये
चावल साधारण - 2.00 रुपये, चावल बढ़िया - 3.75 रुपये
चावल साधारण - 7.70 रु., चावल बढ़िया - 10.00 रुपये।

[अनुवाद]

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा

137. श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;

(घ) कितने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिए कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) दिल्ली में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या साधन जुटाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजधानी में यातायात की स्थिति

138. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में यातायात की स्थिति में सुधार करने के संबंध में निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने राजधानी में सड़कों पर दुर्घटनाओं, मौतों को रोकने और अस्त-व्यस्त वाहन यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों को दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस ने धौला कुआं, पूसा रोड, रामा रोड जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कुछ कम लागत वाली यातायात प्रबंधन योजनाएं शुरू की हैं। इसी प्रकार की योजनाएं कनॉट प्लेस, चांदनी चौक और कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों में चल रही हैं। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न नियंत्रक उपायों के कारण, पिछले साल के मुकाबले 1998 में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में प्रत्यक्ष कमी आई है।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन

139. श्री अरविन्द काम्बले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उर्वरक-उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई उर्वरक नीत लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति के कब तक कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) निजी उर्वरक निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (ग) उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति (एच पी सी) ने नई उर्वरक नीति के संबंध में सिफारिश की है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में उद्योग के साथ अन्तर्मंत्रालीय परामर्श और वार्ता की गई है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात नई उर्वरक नीति की घोषणा की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की नियमित आपूर्ति

140. **श्री रामपाल उपाध्याय** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन की दुकानों को चीनी, गेहूं और चावल की आपूर्ति नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इन वस्तुओं की नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी, गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की संयुक्त जिम्मेदारी केन्द्रीय और राज्य सरकार की है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार इन जिन्सों की खरीदारी करती है और इन्हें सब्सिडि प्राप्त मूल्यों पर बल्क में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है तथापि उचित दर दुकानों के नेटवक्र के माध्यम से कार्डधारकों को इनके वितरण का कार्य राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

वसूली और सब्सिडी संबंधी बाधाओं के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूर्णतया पूरा करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा लगभग 4.50 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी बृहद प्रणाली की आपूर्तियों में आकस्मिक विघ्न होने से पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी, गेहूं और चावल की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन जिन्सों का मासिक आवंटन अग्रिम रूप से एक माह से भी ज्यादा दिन पहले किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रिक्त पद

141. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्यापकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) इस समय स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के करीबन 1500 पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही उन्नत अवस्था में है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के संबंध में विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मकानों का निर्माण

142. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में समाज के वित्तीय रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मकानों के कब तक बन जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के आवास बोर्ड का चण्डीगढ़ के सैक्टर 52 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 144 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) मकानों के वर्ष 2000 में पूरा होने की संभावना है।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

143. **श्री यू. वी. कृष्णमराजू :**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में नक्सलवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे नक्सवादी दलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा इनसे निपटने हेतु कठोर कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत एक वर्ष के दौरान नक्सलवादी दलों से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं तथा सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को क्या सहायता पहुंचायी गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो देश के विभिन्न भागों में सभी नक्सलवादी को कब तक समाप्त कर दिए जाने की संभावना

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों (1996 और 1997) की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर, देश में नक्सलवादी हिंसा में सूचित घटनाओं की संख्या और हिंसा की गहनता में कमी आई है। हिंसा की घटनाओं के राज्य-वार आंकड़ों (कोष्टक में दिए गए आंकड़े मृत्यु से संबंधित हैं) के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

राज्य	1996	1997	1998
आंध्र प्रदेश	933 (186)	863 (234)	736 (205)
बिहार	564 (320)	470 (325)	373 (206)
मध्य प्रदेश	113 (23)	102 (14)	179 (59)
महाराष्ट्र	39 (11)	35 (9)	43 (13)
उड़ीसा	23 (-)	24 (-)	11 (5)

(ग) से (च) इस खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें संबंधित राज्यों और केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना और जांच एजेन्सियों के साथ समन्वय बैठक करना सम्मिलित हैं। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और हथियारों की आपूर्ति के लिए किए गए आबंटन के अलावा वित्तीय सहायता भी दी गई है। नक्सलवादी-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। केन्द्र सरकार ने, संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके, इस संबंध में एक कार्य-योजना तैयार की है, जिसमें सम्मिलित हैं :—

(1) पुलिस स्टेशनों, विशेष रूप से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(2) एक संयुक्त संचार प्रणाली।

(3) प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।

(4) संयुक्त गश्त।

(5) राज्यों के बीच, क्षेत्र प्रभुत्व कार्यक्रम चलाना।

(6) संबंधित राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना।

(7) नक्सलवाद-विरोधी अभियानों में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण।

इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने 15.6.1998 को हैदराबाद में इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायी थी। इस बैठक में, निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) संबंधित राज्य सरकारें, वर्तमान कानूनों, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू करना जारी रखेगी। साथ ही साथ, उग्रवादी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें पृथक कानून बनाने पर भी विचार करेगी।

(2) विकासात्मक गतिविधियों और गहन सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए राज्यों द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(3) कार्य-योजना की प्रगति की पुनरीक्षा करने और राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हैदराबाद में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, और चार राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।

राज्य सरकारों से, कार्य-योजना को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। 26.6.1998 को एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई है।

(छ) और (ज) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नक्लसवादियों ने वर्ष 1998 में 1351 हिंसक घटनाओं में 489 व्यक्तियों को मारा। प्रभावित राज्य, नक्सलवाद के शिकार हुए परिवारों को राहत देता है।

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय है अतः इस संबंध में विभिन्न तरीके खोजना और ठोस कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों का बंद किया जाना

144. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चीनी निगम के अंतर्गत कितनी चीनी मिलें इस समय बंद पड़ी हैं;

(ख) इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को चीनी प्रौद्योगिकी मिशन से बंद पड़ी चीनी मिलों के संबंध में रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि. की दो चीनी मिलें हैं यथा—महीदपुर रोड तथा जौरा। उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि. की महीदपुर रोड इकाई वर्तमान पेराई मौसम तथा 1996-97 एवं 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) चीनी मौसम के दौरान कार्यरत नहीं थी। संबंधित चीनी मिल अथवा राज्य सरकार से इसके बन्द होने के विशिष्ट कारणों को बताने वाली कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, इसके बन्द होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे—गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अव्यवहार्य आकार, पुरानी मशीनरी तथा प्लांट, तकनीकी तथा प्रबंधकीय अक्षमता, गन्ने का अत्यधिक मूल्य जो बिक्री से प्राप्त होने वाली वसूली के अनुरूप न हो, आदि।

(ग) और (घ) चीनी प्रौद्योगिकी मिशन के अनुसार बन्द पड़ी चीनी मिलों से किसी भी उद्देश्य के लिए कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सौराष्ट्रीय समुदाय के लोग

145. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सौराष्ट्रीय समुदाय के लोगों को मंडल आयोग की सूची में पिछड़ा वर्ग समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या उन्होंने यह अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें अब अत्यधिक पिछड़ा वर्ग समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय, किसी समुदाय को अत्यधिक पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है।

पंचायतों के चुनाव

146. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री पवन सिंह घाटोवार :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज निकायों के चुनाव सभी राज्यों में नियमित रूप से कराए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो चुनाव नियमित रूप से न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछेक राज्यों ने पंचायती राज के निकायों को आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां नहीं प्रदान की हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) जी हां। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन निम्नांकित अपवादों तथा कारणों के साथ लागू होता है :—

(1) अरुणाचल प्रदेश : चूंकि अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं।

(2) बिहार : बिहार पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है तथा मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के विचाराधीन है इसलिए राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं।

(3) असम : अक्तूबर, 1997 में पंचायत की अवधि की समाप्ति के बाद पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य सरकार कई कारणों का उल्लेख करती रही।

(4) पांडिचेरी : चूंकि पांडिचेरी पंचायती राज अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी इसलिए इस संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं। चेन्नई हाई कोर्ट का फैसला प्राप्त हो चुका है तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसके निहितार्थ की जांच कर रहा है।

(ग) और (घ) वे सभी राज्य जहां पंचायतें कार्य कर रही हैं वहां पंचायतों को वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन उनमें बहुत भिन्नता है। केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों ने पंचायतों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किए गए हैं कि पंचायतों को स्व-शासन संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार दे।

(ङ) और (च) जी हां। राज्य सरकार ने पंचायतों के कार्य तथा संरचना का अध्ययन करने के लिए एक कार्य-बल गठित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ कार्य बल से अपेक्षा है कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाएं।

[हिन्दी]

मिर्जा गालिब का मकबरा

सैयद **अली अशरफ फातमी** : क्या मानव ससाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजधानी में सुप्रसिद्ध भारतीय उर्दू कवि मिर्जा गालिब का मकबरा जीर्णावस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो इसका जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) मिर्जा गालिब के मकबरे का रखरखाव अंजुमन तरक्की उर्दू-हिन्दी और गालिब अकादमी द्वारा किया जाता है। यह जीर्णावस्था में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अधिकार प्रदान करने हेतु उपाय

148. **श्री आर. एस. गवई** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अधिकार प्रदान करने के लिए नये उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु कार्यक्रमों और नीतियों की पुनरीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिकार प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे वर्तमान अधिनियमों, कार्यक्रमों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई नए उपाय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इन कार्यकलापों को चलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग पहले की विद्यमान है।

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए झूठे दावे

149. **श्री गालासाहिब विखे पाटील** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठनों ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इन दावों को झूठा बताया है कि मॉनसांटों के 'बी टी सूत' से उत्पादन में सुधार होगा और इससे कीटनाशक के उपयोग में कमी होगी तथा 'बाल वार्म' पर नियंत्रण होगा जैसाकि 19 जनवरी, 1999 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में बताया गया है;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी सगंठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी अनुमति देने के पहले भी मॉनसांटों काटन पर अवैध अथवा लुक-छिपकर परीक्षण चल रहे थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महोदय, बिजनेस स्टैन्डर्ड में दो गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दिये गये बयान वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं। इस समय प्रयोगात्मक आंकड़े सृजित करने के लिए 40 अवस्थितियों में बी टी सूत का प्रयोग करके मैसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कं. लिमि. (माहिको) द्वारा केवल अनुसंधान खेत परीक्षण आयोजित किये गये हैं। इन प्रयोगों का उद्देश्य पराग निकास के विस्तार, रूपांतरित पादपों में पराजीनी विशेषता की स्थिरता, गैर-पराजीनी पादपों में यदि आकृतिमूलक भिन्नता और पराजीनी पादपों में आक्रामकता हो तो उनका हल ढूंढ़ना था। आंकड़ों से संकेत मिला कि पराग प्रवाद या गैर-बी टी पादपों के साथ संकरण अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक ही होता है और बी टी सूत से होने वाले किसी खतरे को नहीं दर्शाया है। सभी अवस्थितियों पर संग्रहीत प्रारंभिक औसत आंकड़ों ने बी टी रूपों की गैर-बी टी रूपों से तुलना करने पर 37 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की उपज वृद्धि दर्शाई। सभी बी टी संकरों का औसत उपज निष्पादन सभी गैर-बी टी संकरों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक था।

चूंकि बी टी सूत चूसने वाले कीटों के प्रति सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराते, अफाइड्स, जासिड्स और व्हाइटफ्लाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरत आधारित छिड़काव किया गया।

(ख) से (घ) मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कं मुम्बई द्वारा किये गए परीक्षण कम्पनी को अनुमति मिलने के बाद ही किए गए थे। जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति और विशेषज्ञ मानिटरिंग समिति ने सभी वैज्ञानिक प्रयोगों की विस्तार से समीक्षा की है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों का सर्वेक्षण

150. श्री राम नारायण मीणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, बलात्कार तथा अन्य अपराधों के संबंध में राज्य-वार कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों में राज्य-वार कितने प्रतिशत दोष सिद्धि के मामले दायर किए गए अथवा निपटाये गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति हुए अपराध और विशेष रूप से बलात्कार की घटनाओं के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान, पी.सी.आर. अधिनियम और अनु. जाति अनु. जन. जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत, मामलों में दोषसिद्धि की दर संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित उपबंधों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराधों को दर्ज करना, जांच करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, अनु. जातियों अनु. जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर अधिक ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रहती है।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों के प्रति हुई बलात्कार और अन्य अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनु. जाति के प्रति अपराध की कुल घटनाएं			अनु. जाति के प्रति बलात्कार की कुल घटनाएं			अनु. जाति के प्रति अन्य अपराधों की घटनाएं			1998 के आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं।
		1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1629	1880	1530	50	59	46	1579	1821	1484	अक्टूबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अक्टूबर
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अक्टूबर
4.	बिहार	810	710	उ.न.	27	20	उ.न.	783	690	उ.न.	उ.न.
5.	गोआ	1	2	2	0	0	0	1	2	2	नवम्बर
6.	गुजरात	1764	1831	1720	15	21	18	1749	1810	1702	नवम्बर
7.	हरियाणा	63	93	146	11	12	21	52	81	125	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	66	61	56	11	3	7	55	58	49	नवम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू और कश्मीर	17	8	13	0	2	0	17	6	13	अक्टूबर
10.	कर्नाटक	1089	1227	1024	6	5	9	1083	1222	1015	नवम्बर
11.	केरल	640	755	690	29	76	74	611	679	616	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	4075	4269	3650	271	315	254	3804	3954	3396	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	1352	831	683	48	35	37	1304	796	646	
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	486	678	522	8	15	17	478	663	505	अगस्त
19.	पंजाब	12	11	23	3	3	4	9	8	19	
20.	राजस्थान	6623	5624	5275	127	158	130	6496	5466	5145	नवम्बर
21.	सिक्किम	14	18	2	0	2	1	14	16	1	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	1812	1403	1719	19	9	3	1793	1394	1716	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	10963	500	5508	324	302	202	10639	8194	5306	अक्टूबर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
	कुल (राज्य)	31416	27901	22563	949	1037	823	30467	26864	21740	
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	चंडीगढ़	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
28.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
30.	दिल्ली	11	19	11	0	0	0	11	19	11	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	पांडिचेरी	13	23	10	0	0	0	13	23	10	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	24	43	21	0	0	0	24	43	21	
	कुल (समस्त भारत)	31440	27944	22584	949	1037	823	30491	26907	21761	

विवरण–II

अनुसूचित जन जातियों के प्रति हुई बलात्कार और अन्य अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनु. जन जाति के प्रति अपराध की कुल घटनाएं			अनु. जन जाति के प्रति बलात्कार की कुल घटनाएं			अनु. जन जाति के प्रति अन्य अपराधों की घटनाएं			1998 आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं
		1996	1997	1998	1996	1997	1998	1996	1997	1998	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	252	236	314	13	15	31	239	221	283	अक्टूबर
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	5	0	0	अक्टूबर
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अक्टूबर
4.	बिहार	190	158	उ.न.	12	4	उ.न.	178	154	उ.न.	उ.न.
5.	गोआ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	नवम्बर
6.	गुजरात	369	384	370	15	19	24	354	365	346	नवम्बर
7.	हरियाणा	1	5	28	0	1	0	1	4	28	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	1	1	0	0	2	1	1	नवम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	6	11	0	0	2	0	6	9	0	अक्टूबर
10.	कर्नाटक	180	78	67	4	1	1	176	77	66	नवम्बर
11.	केरल	122	139	129	11	22	20	111	117	109	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1466	1400	1471	166	180	204	1300	1220	1267	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	337	189	153	34	16	11	303	173	142	
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	1	13	0	0	0	0	1	13	0	अगस्त
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	उड़ीसा	179	238	192	7	10	4	172	228	188	अगस्त
19.	पंजाब	1	0	2	1	0	0	0	0	2	
20.	राजस्थान	1393	1445	1061	41	41	28	1352	1404	1033	नवम्बर
21.	सिक्किम	46	31	32	1	0	0	45	31	32	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	85	227	27	0	2	2	85	225	27	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	उत्तर प्रदेश	336	86	97	8	1	4	328	85	93	अक्टूबर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
	कुल (राज्य)	4972	4641	3945	314	314	327	4658	4327	3618	
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	0	2	0	0	1	0	0	1	0	
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	दादर और नगर हवेली	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	पांडिचेरी	0	0	4	0	0	0	0	0	4	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	3	5	0	1	0	1	2	5	
	कुल (समस्त भारत)	4973	4644	3950	314	315	327	4659	4329	3623	

विवरण–III

1996 और 1997 के दौरान पी.सी.आर. अधिनियम और अनु. जाति/अनु. जन. जाति (नि.) अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पी.सी.आर. अधिनियम		अनु जाति/अनु. जनजाति (नि.) अत्याचार अधिनियम	
		1996	1997	1996	1997
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.77	14.22	8.73	25.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–
4.	बिहार	53.49	58.82	40.00	26.88
5.	गोआ	100.00	–	–	–
6.	गुजरात	3.20	5.13	8.39	10.19
7.	हरियाणा	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	16.67	.00	.00	11.11
9.	जम्मू और कश्मीर	50.00	.00	–	.00

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	1.85	.28	2.40	.67
11.	केरल	66.67	.00	18.75	5.81
12.	मध्य प्रदेश	25.41	40.57	26.57	31.66
13.	महाराष्ट्र	4.19	5.66	5.96	7.02
14.	मणिपुर	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	.00	.00	7.25	6.25
19.	पंजाब	–	–	–	–
20.	राजस्थान	19.64	79.17	29.59	25.92
21.	सिक्किम	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	24.43	10.45	16.35	14.47
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	57.57	75.32	55.75	44.04
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
	कुल (राज्य)	24.02	27.05	38.14	31.42
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	.00
28.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	उ.न.	उ.न.
30.	दिल्ली	–	–	50.50	100.00
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	11.11	63.64	–	–
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	11.11	63.64	50.00	50.00
	कुल (समस्त भारत)	23.93	27.21	38.14	31.43

स्रोत : भारत में अपराध आंकड़े।

टिप्पणी : 1. 1997 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु होस्टल और स्कूल

151. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए अब तक राज्य वार होस्टलों का निर्माण करने और स्कूल स्थापित करने के क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में उक्त योजनाओं के लिए [illegible] खर्च की गई;

[illegible] -वार ऐसे होस्टलों और स्कूलों की संख्या कितनी ह: आर

(ङ) सरकार द्वारा चालू वर्ष 1999 के दौरान राज्य-वार उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने होस्टल और स्कूलों का निर्माण और मरम्मत किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से होस्टलों के निर्माण तथा स्कूलों की स्थापना/चलाने के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय रूप से सहायता दी जाती है। अनुसूचित जातियों (लड़कों और लड़कियों) के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/राज्य लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार गणना किए गए होस्टल निर्माण संबंधी व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर शेयर किया जाता है परन्तु संघ राज्य क्षेत्र 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। इस योजना में राज्य सरकारों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को अपने वर्तमान होस्टलों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है जिसके लिए उन्हें केवल 10 प्रतिशत अंशदान करना होता है और शेष राशि को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच साथ-साथ शेयर किया जाता है। इस योजना में, जैसा कि यह 1998-99 से संशोधित की गई है, ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तक तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता का प्रावधान भी है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों (लड़कों और लड़कियों) के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत होस्टलों के निर्माण संबंधी कुल व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर शेयर किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्र 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। अत्यंत कम साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, जिला परिषदों को उन जिलों में कक्षा-1 के लिए निःशुल्क आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाता है जहां 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता 2 प्रतिशत से भी कम है। इसी तरह, आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना में स्वायत्त निकायों, शैक्षिक और अन्य संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान है। आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की अन्य योजना में राज्य लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार, शिक्षा के प्राइमरी, मिडिल, सेकेण्डरी तथा सीनियर सेकेण्डरी स्तर के आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए समान आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है और इसमें वर्तमान आश्रम स्कूलों के उन्नयन के साथ-साथ उपकरण, फर्नीचर, सजावट तथा पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद भी शामिल है। क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की दो अन्य अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत ऐसे संगठनों द्वारा संचालित होस्टलों और स्कूलों के रख-रखाव के लिए प्रस्तावित व्यय के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निम्नलिखित योजनाओं के तहत और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कूल चलाने हेतु वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 (अब तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/गैर-सरकारी संगठन को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

1. अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	50.50	20	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा	4.00	1	शून्य	शून्य
3.	जम्मू व कश्मीर	19.51	2	शून्य	शून्य
4.	मध्य प्रदेश	666.75	बकाया	574.43	बकाया
5.	उड़ीसा	30.00	2	शून्य	शून्य
6.	पंजाब	30.00	2	शून्य	शून्य
7.	राजस्थान	129.66	बकाया	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	20.00	बकाया	शून्य	शून्य

2. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98		1998–99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल
1.	आंध्र प्रदेश	44.90	24	266.00	बकाया
2.	असम	9.00	20	शून्य	शून्य
3.	कर्नाटक	24.36	8	194.51	15
4.	मध्य प्रदेश	182.74	बकाया	शून्य	शून्य
5.	तमिलनाडु	339.00	26	शून्य	शून्य
6.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	10.00	बकाया
7.	राजस्थान	शून्य	शून्य	84.15	26

3. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98		1998–99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45.45	3	49.00	4
2.	असम	16.00	29	50.00	1
3.	हिमाचल प्रदेश	15.00	1	शून्य	शून्य
4.	मणिपुर	13.00	1	शून्य	शून्य
5.	मेघालय	13.75	5	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
6.	उड़ीसा	35.00	8	शून्य	शून्य
7.	राजस्थान	159.55	46	158.77	57
8.	त्रिपुरा	15.25	1	35.86	1
9.	कर्नाटक	27.50	4	29.44	3
10.	महाराष्ट्र	12.50	5	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	100.00	9
12.	बिहार	शून्य	शून्य	75.00	3

4. अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु. लाख में)

	क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	60.20	4	12.25	1
2.	असम	16.00	30	50.00	1
3.	हिमाचल प्रदेश	15.00	1	शून्य	शून्य
4.	मणिपुर	3.00	1	शून्य	शून्य
5.	मेघालय	13.75	5	शून्य	शून्य
6.	उड़ीसा	45.00	11	शून्य	शून्य
7.	राजस्थान	150.165	46	37.40	4
8.	त्रिपुरा	17.25	बकाया	51.64	बकाया
9.	कर्नाटक	15.00	2	शून्य	शून्य
10.	महाराष्ट्र	10.00	4	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	100.00	34
12.	बिहार	शून्य	शून्य	75.00	3
13.	उत्तर प्रदेश	11.165	1	शून्य	शून्य
14.	दमन व दीव	20.00	1	शून्य	शून्य

5. अत्यंत निम्न साक्षरता स्तरों की अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत होस्टल
1.	बिहार	शून्य	शून्य	1.42	1
2.	मध्य प्रदेश	6.08	बकाया	3.51	बकाया
3.	राजस्थान	4.25	बकाया	1.12	1
4.	उत्तर प्रदेश	1.42	बकाया	शून्य	शून्य

6. आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत शैक्षिक परिसर	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत शैक्षिक परिसर
1.	आंध्र प्रदेश	1.42	1	2.54	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	3.31	1
3.	बिहार	20.65	4	5.13	3
4.	गुजरात	11.17	5	16.55	5
5.	मध्य प्रदेश	60.10	16	11.92	4
6.	महाराष्ट्र	4.59	1	9.33	4
7.	उड़ीसा	59.38	15	46.61	14
8.	राजस्थान	51.35	12	11.00	5
9.	उत्तर प्रदेश	18.09	4	64.26	14

7. आदिवासी उपयोजना में आश्रम स्कूलों की स्थापना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत आश्रम स्कूल	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्वीकृत आश्रम स्कूल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	218.46	7	113.00	3
2.	असम	शून्य	शून्य	25.20	2

1	2	3	4	5	6
3.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	मणिपुर	3.00	1	शून्य	शून्य
5.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	उड़ीसा	50.00	4	40.00	4
7.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	93.46	1	35.44	बकाया
9.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	महाराष्ट्र	104.50	88	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	100.22	9
	ात	शून्य	शून्य	175.29	बकाया

9. अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98				1998-99			
		होस्टल		स्कूल		होस्टल		स्कूल	
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	होस्टलों की संख्या	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्कूलों की संख्या	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	होस्टलों की संख्या	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	स्कूलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11.86	4	127.16	19	43.83	6	134.81	32
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.44	2
3.	बिहार	शून्य	शून्य	17.57	5	शून्य	शून्य	30.10	4
4.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.37	3
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	151.05	25	शून्य	शून्य	155.90	29
6.	केरल	1.45	1	शून्य	शून्य	1.78	1	शून्य	शून्य
7.	मध्य प्रदेश	4.90	1	3.34	1	2.72	1	1.97	1
8.	महाराष्ट्र	7.88	2	24.39	6	2.70	1	23.11	7
9.	मणिपुर	शून्य	शून्य	2.63	1	शून्य	शून्य	9.16	1
10.	उड़ीसा	3.15	1	26.06	6	शून्य	शून्य	93.01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	राजस्थान	शून्य	शून्य	11.80	4	शून्य	शून्य	29.83	10
12.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16.76	2
13.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.25	1
14.	उत्तर प्रदेश	4.60	1	102.75	18	4.60	1	232.00	40
15.	पं. बंगाल	7.38	2	31.22	11	3.47	1	54.55	14
16.	दिल्ली	13.42	2	72.24	16	15.65	2	59.12	16

* विभिन्न राज्यों में हरिजन सेवक संघ, दिल्ली द्वारा संचालित स्कूल भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

साक्षरता-उत्तरवर्ती अभियान

152. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री मदन पाटील :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता अभियान पर आज तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या साक्षरता-उत्तरवर्ती अभियान ने अपने मुख्य उद्देश्य हासिल कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अभियान के अन्तर्गत कितने जिले शामिल किए गए, वर्ष 1999-2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाने की सम्भावना है और नौवीं योजनावधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(च) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के ठीक प्रकार से कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पूर्ण साक्षरता अभियान और साक्षरता उत्तरवर्ती कार्यक्रमों को शुरू करने की दिशा में निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना संबंधी योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 531.15 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) से (घ) साक्षरता उत्तरवर्ती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवसाक्षरों की सतही साक्षरता क्षमता को बढ़ाना है। अब तक 280 जिलों में जो काम शुरू किए गए हैं, उनकी प्रगति संतोषजनक है जिसका तारीखवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूरे देश में 165 जिलों को साक्षरता उत्तरवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 30 अन्य जिलों को भी शामिल किया जाना है, जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों अर्थात 2000-2001 से 2001-2002 तक लगभग 70 जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने का विचार है।

(च) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने तथा नए ढंग से संचालित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को अधिकाधिक शामिल करना, राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक विद्यापीठों को खोलना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारों को विकेन्द्रित करना, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा आदि कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से बेहतर अनुवर्ती तथा समेकन की कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है।

विवरण

अब तक मंजूर साक्षरता-उत्तरवर्ती अभियान का राज्यवार-ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	7
3.	बिहार	13

1	2	3
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	कर्नाटक	18
8.	केरल	14
9.	मध्य प्रदेश	33
10.	महाराष्ट्र	19
11.	उड़ीसा	12
12.	पंजाब	3
13.	राजस्थान	29
	[illegible]नाडु	20
		4
16.	उत्तर प्रदेश	29
17.	पश्चिम बंगाल	14
18.	चंडीगढ़	1
19.	दमन और दीव	1
20.	पांडिचेरी	4
	कुल	280

गुजरात में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल

153. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में क्रिसमस की पूर्वसंध्या पर हुई हिंसा की जांच करने के लिए भेजे गए केन्द्रीय दल ने न तो प्रभावित क्षेत्रों, मिशनों और संस्थानों का दौरा किया है और न ही वह हिंसा पीड़ित व्यक्तियों से मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) ईसाईयों और उनके संस्थानों पर सूचित हुए हमलों के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने तथा स्थिति को काबू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल को गुजरात भेजा गया था। स्थिति को तनाव मुक्त करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्दता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय दल ने अनेक विश्वास निर्माण उपायों की सिफारिश की है। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर समुचित अनुदेश जारी किए गए हैं।

मंदिरों आदि की अपर्याप्त सुरक्षा

154. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों और अन्य भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के प्राचीन मंदिरों एवं स्मारक स्थलों से महत्वपूर्ण मूर्तियों और वस्तुओं की बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो उन मंदिरों और स्मारकों के नाम क्या है जहां से पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी और चोरी की रिपोर्टें मिली हैं;

(ङ) सरकार द्वारा बरामद की गई मूर्तियों की संख्या कितनी है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए ठोस उपाय क्या हैं तथा इस चोरी में शामिल लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास अपने सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकृत स्टाफ अपर्याप्त है।

(ग) सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे मन्दिरों एवं स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में 35 मूर्तियां बरामद की गई हैं।

(च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्व आसूचना, सीमा शुल्क निदेशालय तथा राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तन एजेन्सियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी केन्द्रों पर चौकसी केन्द्रों पर चौकसी बरतने एवं गहन छानबीन कर पुरावशेषों की चोरी एवं उनकी तस्करी रोकने के साथ-साथ पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम,

1972 को सख्ती से लागू करने के कड़े उपाए किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों में राज्य सशस्त्र पुलिस एवं निजी सुरक्षा एजेन्सियों के कर्मी भी तैनात किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में हुई चोरियों के विशेष मामलों की जांच की जा रही है। तथापि उनके पूरा होने की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान जिन मन्दिरों और स्मारकों में चोरी की सूचना प्राप्त हुई, उनके नामों को प्रदर्शित करने वाली सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	मन्दिरों और स्मारकों के नाम
1.	कर्नाटक	पाल गुणेश्वर मन्दिर, चित्र दुर्ग किला, जिला चित्र दुर्ग।
2.	मध्य प्रदेश	वैराटेश्वर मन्दिर, सोहागपुर, जिला शहडोल।
3.	–वही–	–वही–
4.	–वही–	मामलेश्वर मन्दिर, दंधाता, जिला खण्डवा
5.	उड़ीसा	उदयगिरि, जिला–जाजपुर में उत्खनित विहार का मन्दिर
6.	–वही–	बाहरी गोपाल जी मन्दिर, जिला सोनेपुर (तत्कालीन जिला बोलंगरि)
7.	राजस्थान	अतरु में मन्दिर, जिला बारन
8.	–वही–	–वही–
9.	–वही–	–वही–
10.	–वही–	–वही–
11.	–वही–	हरशत माता का मन्दिर, अबनेरी जिला दौसा
12.	राजस्थान	सोमनाथ मन्दिर, देव सोमनाथ जिला डूंगरपुर
13.	–वही–	थानेश्वर मन्दिर, बावली, जिला चित्तौड़गढ़
14.	उत्तर प्रदेश	मॉडल रुप, रेजीडेन्सी, लखनऊ
15.	–वही–	केसरबाग द्वार, लखनऊ
16.	–वही–	दरगाह शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा
17.	पश्चिमी बंगाल	हजार द्वारी महल संग्रहालय मुर्शिदाबाद
18.	मध्य प्रदेश	जैन मन्दिर, गोलाकोट, जिला शिवपुरी

निर्माण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

155. डा. सरोजा वी. : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) और निर्माण उद्योग विकास परिषद निर्माण से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण कर्मियों के कौशल विकास के लिए एन बी सी सी और सी आई डी सी ने एक समझौता ज्ञापन किया है। वे सी आई डी सी द्वारा मान्य पाठ्यक्रम के आधार पर ट्रेड–कोर्स चलाते हैं और सी आई डी सी द्वारा अनुमोदित मानकों के दक्षता प्रमाण पत्र देने के लिए परीक्षण और परीक्षाएं आयोजित करते हैं। सी आई डी सी द्वारा एन बी सी सी के महरौली–गुड़गांव रोड पर स्थित कर्मचारी विकास केन्द्र को भारत के उत्तरी क्षेत्र के निर्माण कर्मियों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान के रूप में चुना गया है।

(ग) निर्माण ट्रेडों/निर्माण कंपनियों में नियुक्त कर्मी जिन्हें–न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और जिनकी सिफारिश उनके नियोक्ताओं द्वारा की गई हो वे इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में चुने जाने के पात्र हैं।

खेलकूद संस्थान

156. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे सरकारी और गैर–सरकारी खेलकूद संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संस्थान निजी संस्थानों से भी सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे सहायता प्राप्त संस्थान गत तीन वर्षों से अनुदानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) सरकार ने इन खेलकूद संस्थानों द्वारा अनुदान राशियों के दरूपयोग को रोकने और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) केन्द्र सरकार देश में खेलकूद के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को पूरा करती है। पिछले तीन

वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी खेल संस्थाओं को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं जिनमें उन्हें निजी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी गयी हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अनुदान स्वीकृत करने की शर्तों में से एक शर्त केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करे।

विवरण-I

1995-96 से 1997-98 तक खेल अवस्थापना के सृजन हेतु - के अंतर्गत स्वीकृत सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12,50,000	21,50,000	45,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	20,65,000	-	-
3.	असम	46,20,000	8,00,000	33,00,000
4.	बिहार	25,92,400	-	-
5.	गोआ	-	-	-
6.	गुजरात	5,17,242	2,16,613	7,12,000
7.	हरियाणा	38,88,000	98,33,400	51,94,500
8.	हिमाचल प्रदेश	1,86,000	89,10,400	95,05,275
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	38,90,000
10.	कर्नाटक	64,34,300	8,37,94,558	73,24,850
11.	केरल	6,00,100	31,26,132	40,99,170
12.	मध्य प्रदेश	70,00,000	-	21,60,000
13.	महाराष्ट्र	18,00,000	15,80,000	2,00,000
14.	मणिपुर	-	43,50,000	10,00,000
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	-	1,07,74,500	89,19,600
17.	नागालैण्ड	-	30,00,000	40,00,000
18.	उड़ीसा	4,95,000	90,00,000	-
19.	पंजाब	-	2,50,000	-
20.	राजस्थान	8,25,000	13,30,000	8,21,200
21.	सिक्किम	-	9,68,454	8,10,000
22.	तमिलनाडु	3,32,925	35,15,575	25,52,400
23.	त्रिपुरा	-	14,50,000	1,23,67,500
24.	उत्तर प्रदेश	54,39,488	8,00,000	21,50,000
25.	पश्चिम बंगाल	5,86,490	35,00,000	-
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
2.	चंडीगढ़	1,75,500	1,75,000	17,50,000
3.	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-
4.	लक्षद्वीप	-	-	-
5.	दमन व दीव	-	-	2,82,000
6.	दिल्ली	-	12,50,000	-
7.	पांडिचेरी	-	-	-

विवरण-II

खेल क्लबों को अनुदान की योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान संस्थानों को स्वीकृत किए गए अनुदानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राही क्लब/केन्द्र का नाम	स्वीकृत अनुदान की राशि 1995-96
1	2	3
1.	स्वामी दयानन्द युवा क्लब (हरियाणा)	27,000/-
2.	आदर्श युवा खेल क्लब, ब्लाक सोनीपत (हरियाणा)	29,995/-
3.	लाल बहादुर क्लब, पी. ओ. कुलाश्री, जिला कटक, उड़ीसा	15,000/-
4.	नानीमां युवक संघ, गोडाल, वाया सीनापाली (विभाग नांदुडा) उड़ीसा	30,000/-

1	2	3
5.	गोपीनाथ युवक संघ, उड़ीसा	25,000/-
6.	कुलुमा युवक संघ, ब्लाक कनिका, उड़ीसा	30,000/-
7.	बोस वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, जिला खुर्द, उड़ीसा	30,000/-
8.	सत्य निरंजन सेवा संघ, क्योंझर, उड़ीसा	20,000/-
9.	पालसा पैली उन्नयन समिति, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	30,000/-
10.	चाक महावाया संघ क्लब, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	30,000/-
11.	इकारा पालीमोंगल समिति, वीरभूम, पश्चिम बंगाल	18,000/-
12.	जुगाबारी खेल क्लब, कुछीमीघाटा, वीरभूम, पश्चिम बंगाल	30,000/-
13.	गामीला बानीना संघ, जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल	30,000/-
14.	नवभारत स्पोर्टिंग क्लब, जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल	30,000/-
15.	बालूरघाट टाउन क्लब, दीनाजपुर पश्चिम बंगाल	30,000/-
16.	पारघाटी संघ, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
17.	अमर सबाई, ब्लाक आई.डी.आसग्राम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
18.	निहारिका संघ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	30,000/-
19.	यंग रेजिमेंट, ब्लाक आई.डी. हावा, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	30,000/-
20.	तरूण संघ, ब्लाक औसाराम, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल	30,000/-
21.	मनूसर साबे, अमर साबे, पश्चिम बंगाल	30,000/-
22.	रंजीत मेमोरियल क्लब, चौगांवां, पंजाब	30,000/-
23.	देश भारत खेल क्लब, फरीदकोट ब्लाक, मोगा 2 पंजाब	30,000/-
24.	अटा भोकारारी सोसायटी डवलपमेंट एसोसिएशन, बावपेटा, असम	30,000/-
25.	गाराइवारी यूनाइटेड क्लब, जिला कारबी एंगलोंग, असम	30,000/-
26.	पारघाटी संघ पी.ओ. अरालिया, पी.ओ. पूर्वी अगरतला त्रिपुरा	30,000/-
27.	फाइव स्टार क्लब, भा.खे.प्रा., नई दिल्ली	30,000/-
28.	कॉसमॉस कला एवं खेल क्लब, थीरूवेमपेडी, केरल	30,000/-
29.	नवोदयम कला एवं खेल क्लब, नीरावील, पी.ओ. कोलाम, केरल	30,000/-
30.	विक्टरी कला एवं खेल क्लब कोझीकोडे केरल	8,000/-
		8,32.995/-

क्र.सं.	अनुदानग्राही क्लब/केन्द्र का नाम	स्वीकृत अनुदान की राशि 1996-97
1	2	3
1.	निर्माण भारती, बिहार	22,500/-
2.	धाहाती खेल क्लब, पंजाब	30,000/-
3.	तारापोर, बर्निंग स्टार क्लब, पश्चिम बंगाल	30,000/-
4.	कॉसमॉस कला एवं खेल क्लब, केरल	30,000/-
5.	रतनपुर देशप्राण संगाश्री, पश्चिम बंगाल	30,000/-
6.	कुमार चाक शक्ति संघ, पश्चिम बंगाल	30,000/-
7.	विवेकानंद एक्जीलरी संघ, उड़ीसा	30,000/-
8.	बारागढ़ हितैषी संघ, पश्चिम बंगाल	45,000/-
9.	मिदनापोर नेताजी ग्रामीण महिला विकास सोसायटी, पश्चिम बंगाल	45,000/-
10.	पठाइगोन सुबाज संघ, पश्चिम बंगाल	30,000/-
11.	अम्बेडकर ग्रामीण ओलम्पिक एसोसिएशन, उड़ीसा	30,000/-
12.	श्री नारायण रिक्रिएशन क्लब, केरल	30,000/-
13.	उन्नयन युवक संघ, उड़ीसा	30,000/-

1	2	3
14.	जुविनाइल खेल क्लब, केरल	30,000/-
15.	कोस्टल रिक्रिएशन क्लब, केरल	30,000/-
16.	परादबारा बाजार, आंचलिक क्लब, असम	30,000/-
17.	जोगेश्वर युवक संघ, असम	30,000/-
18.	सुभद्रवा महिला समिति, उड़ीसा	25,000/-
19.	श्री विवेकानन्द कला एवं खेल क्लब, केरल	30,000/-
20.	गौन उन्नयन समिति, असम	30,000/-
		6,17,500/-

	ाही क्लब/केन्द्र का नाम	स्वीकृत अनुदान की राशि 1997-98
1	2	3
1.	भारतीय आर्ट्स क्लब, केरल	30,000/-
2.	कुकरमारा मिलन संघ, असम	30,000/-
3.	दक्षिण सेवा संघ, असम	30,000/-
4.	यंग स्टार मुसलियमगहोपा, असम	30,000/-
5.	दहारा नवज्योति संघ, असम	30,000/-
6.	बालीस्तरा आंचलिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन, असम	15,000/-
7.	पिलकोग विक्टोरिया क्लब, असम	10,000/-
8.	टी.पी. जिम्नाजियम, केरल	30,000/-
9.	रवोईराबाड़ी क्लब, असम	30,000/-
10.	फ्रेंड्स क्लब, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	30,000/-
11.	नेशनल यूथ सेंटर, आन्ध्र प्रदेश	15,000/-
12.	भंडरा तारा एथलेटिक क्लब, पश्चिम बंगाल	30,000/-
13.	नवरूप गोष्ठी, असम	30,000/-
14.	जमालपुर नेताजी एथलेटिक क्लब, पश्चिम बंगाल	15,000/-
15.	ब्वायज रिक्रिऐशन क्लब, पश्चिम बंगाल	20,000/-
16.	पीसबर्ड ऑफ कैपेबिलिटी, उड़ीसा	15,000/-
17.	टाऊन स्पोर्ट्स क्लब, उड़ीसा	15,000/-
18.	बिशनपुर तरूण संघ, असम	20,000/-
19.	यंग-चैलेंजर्स स्पोर्ट्स क्लब, कर्नाटक	30,000/-
20.	स्नेहा स्पोर्ट्स क्लब, कर्नाटक	30,000/-
21.	कल्याणी बाल कल्याण केन्द्र, असम	15,000/-
22.	संध्या स्पो'्स क्लब, केरल	20,000/-
23.	मिदनापुर नेताजी ग्रामीण महिला विकास सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	5,000/-
		रु. 5,35,000/-

[हिन्दी]

लेवी चीनी की छूट

157. **श्री रामशकल :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नई चीनी मिलों को लेवी चीनी पर सात वर्ष की छूट दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त छूट वापिस ले ली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) भारत सरकार ने नई चीनी मिलों तथा 31.3.1994 के बाद लाइसेंस प्राप्त विस्तार परियोजनाओं के लिए पिछली प्रोत्साहन योजना 28.2.1997 को घोषित की थी। चीनी मिलों को प्रोत्साहन 60 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे के अलावा अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के रूप में दिया गया है। नई चीनी मिलों को अन्य वसूली क्षेत्रों में 8 वर्षों के लिए तथा उच्च वसूली क्षेत्रों में 5 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत के दर पर सामान्य कोटे सहित खुली बिक्री कोटा प्रदान किया गया है।

(ख) से (च) प्रोत्साहन योजना 1997 वर्तमान में भी जारी है तथा इस प्रोत्साहन योजना को वापिस लेने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार

158. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं चावल तथा चीनी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या इस प्रणाली में जम्मू और कश्मीर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवारों को जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विशिष्ट राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों को जारी करने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 6.17 लाख है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 4.96 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिवारों को जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	राशन कार्ड (लाख में)			दी गई सूचना के अनुसार
		ग.रे. से नीचे	ग.रे. से ऊपर	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	113.02	51.53	164.55	नवम्बर 98
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.78	2.73	3.51	सितम्बर 98
3.	असम	18.72	23.62	42.34	अगस्त 98
4.	बिहार	84.26	88.74	173.00	नवम्बर 97
5.	गोआ	0.07	2.90	2.97	नवम्बर 98
6.	गुजरात	33.62	67.59	101.21	जून 98
7.	हरियाणा	5.62	28.52	34.14	नवम्बर 98
8.	हिमाचल प्रदेश	2.84	8.96	11.80	मई 98
9.	जम्मू व कश्मीर	4.96	10.12	15.08	फरवरी 99
10.	कर्नाटक	62.55	44.63	107.18	अक्टूबर 98
11.	केरल	20.60	40.48	61.08	नवम्बर 98
12.	मध्य प्रदेश	42.68	91.13	133.81	सितम्बर 98
13.	महाराष्ट्र	57.70	133.15	190.85	अगस्त 98
14.	मणिपुर	1.13	0.67	1.80	जून 97
15.	मेघालय	0.97	0.98	1.95	मार्च 97
16.	मिजोरम	उ.न.	1.64	1.64	फरवरी 97
17.	नागालैण्ड	0.96	1.05	2.01	नवम्बर 97
18.	उड़ीसा	42.21	38.80	81.01	अगस्त 98
19.	पंजाब	4.88	45.64	50.52	जुलाई 98
20.	राजस्थान	21.16	76.58	97.74	सितम्बर 98

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	0.66	अक्टूबर 97
22.	तमिलनाडु*	55.00	88.43	143.49	नवम्बर 98
23.	त्रिपुरा	2.31	4.48	6.79	मई 98
24.	उत्तर प्रदेश	95.48	159.96	255.44	जुलाई 98
25.	पश्चिम बंगाल	47.07	106.41	153.48	अप्रैल 98
26.	अंडमान निकोबार	0.12	0.73	0.85	सितम्बर 98
27.	चंडीगढ़	0.00	1.97	1.97	अक्टूबर 98
28.	दादरा नगर हवेली	0.17	0.32	0.49	नवम्बर 98
29.	दमन व दीव	0.02	0.25	0.27	फरवरी 98
30.	दिल्ली**	0.00	30.51	30.51	दिसम्बर 96
	[illegible]द्वीप	0.00	0.12	0.12	नवम्बर 98
	[illegible]	0.89	1.62	2.51	नवम्बर 98
	जोड़	719.79	1154.26	1874.71	

उ.न.- उपलब्ध नहीं

* तमिलनाडु में राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर दोनों परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर के लिए लागू दरों से कम मूल्यों पर खाद्यान्न मुहैया कर रही है।

** दिल्ली और लक्षदीप में अभी तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित नहीं की है।

दिल्ली पुलिस में भर्ती

159. **प्रो. पी. जे. कुरियन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में भर्ती संबंधी आदेशों में किए गए हाल के परिवर्तनों के कारण दक्षिणी राज्यों के लोग दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नए अनुदेशों/आदेशों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि विभिन्न राज्यों के लोग भी दिल्ली पुलिस में भर्ती हो सकें?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार देश के सभी भागों के उम्मीदवार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं यदि वे, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी राज्य के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं।

चंदन शहीद पहाड़ियों में चट्टान की गुफाएं

160. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सासाराम जिले की चंदन शहीद पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक चट्टान गुफाओं का पता चला है, जिनमें से एक गुफा में चित्रकारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटक स्थलों के रूप में इन गुफाओं का संरक्षण करने और उन्हें विकसित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक दल द्वारा नवंबर, 1998 में बिहार के सासाराम जिला स्थित चंदन शहीद पहाड़ियों में एक पेन्टिंग सहित चार शैल आश्रयों का पता लगा है। इस पेन्टिंग में लाल रंजक से खींची गई मानव एवं जानवरों के कुछ चित्र शामिल हैं। सम्बद्ध पुरातत्वीय उपकरणों के अभाव में सांस्कृतिक सम्बन्ध का निर्धारण कर पाना कठिन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित नहीं है।

विश्वविद्यालयों को धनराशि का आबंटन

161. **श्रीमती कमल रानी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार व राज्य-वार वस्तुतः कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या आबंटित धनराशि के दुरुपयोग विशेषकर उत्तर प्रदेश में किए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई जांच करायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रवासी कश्मीरी पण्डितों हेतु पुनर्वास कार्यक्रम

162. **श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद :**

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक कश्मीर से पलायन जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ और जम्मू कश्मीर सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी नकद सहायता, राशन और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या प्रवासियों की वापसी और उनके पुनर्वास हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त लोगों के संबंधित स्थानों पर पुनर्वास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू डिवीजन में 1455 प्रवासी परिवारों ने पंजीकरण करवाया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवासी परिवारों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को उपलब्ध कराई गई निधियां इस प्रकार हैं :—

1995-96	2836.76	लाख रुपये
1996-97	3044.22	लाख रुपये
1997-98	3383.86	लाख रुपये
	9264.84	लाख रुपये

(घ) से (च) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी का मुद्दा उनकी कार्यसूची में सबसे ऊपर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार ने संपूर्ण मुद्दे की जांच करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है जिसमें राजस्व, कानून, और पर्यटन मंत्री हैं और इस बीच एक सामाजिक सम्पर्क कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसके अधीन प्रवासियों के दलों ने घाटी के विभिन्न जिलों का दौरा किया है तथा प्रवासियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्थानीय जनता से बातचीत की है।

15-सूत्री कार्यक्रम

163. **श्री ई. अहमद :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने 15-सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण सहित अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई शिक्षा सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करते रहे हैं।

(ख) 15-सूत्री कार्यक्रम में उपायों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात (1) जान और माल की सुरक्षा (2) राज्यों और केन्द्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तथा (3) सामाजिक-आर्थिक विकास। भारत सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से

प्राप्त अर्द्ध वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम को मानीटर करती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना को समेकित किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को उपचारी कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई प्रगति की मानीटरिंग राज्य स्तर पर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्रियों द्वारा और जिला स्तर पर उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती है।

(ग) भारत सरकार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम मदरसाओं और मकतबों के आधुनिकीकरण तथा सामुदायिक पोलीटेक्नीकों की योजनाओं को कार्यान्वित करती रही है।

वर्ष 1997-98 के व्यय का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम

निर्मुक्त अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख में)

		(1997-98)
1.	आन्ध्र प्रदेश	42.910
2.	असम	37.500
3.	हरियाणा	15.075
4.	कर्नाटक	76.765
5.	केरल	117.980
6.	मध्य प्रदेश	9.300
7.	राजस्थान	55.600
8.	उत्तर प्रदेश	597.870
9.	पश्चिम बंगाल	146.000
	कुल	1099.00

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

निर्मुक्त अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

	राज्य का नाम	1997-98 निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)
	1	2
1.	उत्तर प्रदेश	78.84
2.	मध्य प्रदेश	24.43
3.	पश्चिम बंगाल	10.04
4.	सिक्किम	0.26
5.	राजस्थान	13.71
6.	आन्ध्र प्रदेश	0.30
7.	बिहार	12.57
8.	महाराष्ट्र	1.58
9.	कर्नाटक	29.98
10.	उड़ीसा	1.32
11.	हिमाचल प्रदेश	0.51
	कुल	173.54

[हिन्दी]

आवश्यक खाद्य वस्तुओं का आबंटन

164. **श्री अजीत जोगी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात खुलकर सामने आयी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये मुश्किल से 5 से 10 प्रतिशत तक ही आवश्यक खाद्य वस्तुएं वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप अत्यंत विशाल है और इसका 4.50 लाख उचित दर दुकानों का नेटवर्क है और इसके अधीन जिन्सों की आपूर्ति की एक लम्बी श्रृंखला है। इस कारण से इसके प्रचालन में जिन्सों का कुछ विपथन हो जाता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार कुछ आवश्यक जिन्सों अर्थात चावल, गेहूं, चीनी , खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की वसूली करती है और इन्हें सब्सिडि प्राप्त मूल्यों पर बल्क में राज्यों को उपलब्ध कराती है लेकिन उपभोक्ताओं को उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से इनका वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि वे

विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करें, कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से लेकर निरीक्षक स्तर तक निरीक्षण अनुसूची तैयार करें और इस प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय करें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए "मॉडल सिटीजन चार्टर" भी तैयार किया गया है और इसे अपनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पद

165. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने हेतु नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रकार भरे गए पदों की संख्या क्या है;

(घ) इस प्रकार के कितने पद विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि सामान्यतः विश्वविद्यालय आरक्षण नीति कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वित करने के लिए बल दे रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वियन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्थायी समिति भी गठित की है।

उ.प्र. और जम्मू-कश्मीर में आई.एस.आई. की गतिविधियों पर अंकुश

166. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई., उ.प्र. में भारत-विरोधी बयानों की एक किताब की प्रतियां प्रकाशित कर रही है और कश्मीरी युवाओं को गुमराह करने के लिए इन्हें घाटी में चोरी-छुपे पहुंचा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस किताब में भारतीय सुरक्षा बलों पर बलात्कार और अन्य अत्याचारों के गन्दे आरोप लगाकर उनके खिलाफ जहर उगला गया है; और

(ग) यदि हां, तो आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, "संगे-ए-मील" नामक एक पुस्तक, 1996-97 में किसी समय उत्तर प्रदेश में लिखी, प्रकाशित और मुद्रित हुई थी। बताया जाता है कि इस पुस्तक की कुछ प्रतियां इसके लेखक द्वारा कश्मीर में अपने मित्रों को वितरित की गई थी। तथापि, यह पता नहीं लगा सका है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पीछे पाकिस्तान की आई.एस. आई. का हाथ था।

(ख) इस पुस्तक, जोकि कल्पना पर आधारित है और न कि ऐतिहासिक वास्तविकता पर, का उद्देश्य कश्मीरी पण्डितों और मुसलमानों के बीच खाई चौड़ी करना है। इसके पृथकवादी और राष्ट्र-विरोधी अभिभाव हैं तथा इसमें सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीरी-मुसलमानों की हत्याओं को कथित रूप से उजागर किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से इस पुस्तक के लेखक और प्रकाशक के खिलाफ कानून के संगत प्रावधानों के अधीन उचित कार्रवाई करने हेतु पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत धनराशि

167. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत गुजरात को कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस राशि का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 8,73,27,600 रु. की धनराशि जारी की गई है। आशा है कि राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त निधियों का उपयोग कर लेगी।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र हेतु मार्गनिर्देशों में संशोधन

168. **श्री गुरुदास कामत :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास क्षेत्र में प्रवेश हेतु वर्तमान मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैस पीड़ितों के लिए कार्य योजना

ील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव के मामलों से संबंधित कार्य योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कार्य योजना में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य योजना के लिए आबंटित की गई धनराशि में केन्द्र तथा राज्य सरकार की कितनी-कितनी भागीदारी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) भोपाल गैस पीड़ितों के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के लिए कुल 258.00 करोड़ रु. का परिव्य अनुमोदित किया गया था। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है और यह व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाना है। वर्ष 1998-99 के दौरान कार्रवाई योजना के लिए 27.13 करोड़ रु. का बजट प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। तथापि यह राशि अभी तक जारी नहीं की जा सकी। केन्द्र सरकार द्वारा पहले जारी की गई धनराशि के अनुसार राज्य सरकार ने अपना भाग अभी तक खर्च नहीं किया है।

[अनुवाद]

कुतुब मीनार का मरम्मत कार्य

170. **डा. शकील अहमद :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुतुब मीनार के मरम्मत कार्य में वहां अंकित मूल लिपि को बरकरार नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मूल लिपि को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुतुब मीनार की ऊपरी सतह के मुलम्मा पत्थर पर सजावटी सुलेख कार्य के लिए उसे संरक्षण-प्रक्रिया के समय नहीं बदला गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुतुब मीनार परिसर के रखरखाव, संरचनात्मक संरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1995-96	14,10,691/- रुपये
1996-97	11,47,100/- रुपये
1997-98	14,65,908/- रुपये

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इण्डस्ट्री लिमिटेड

171. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इण्डस्ट्री लिमिटेड" सिन्दरी को नोएडा और बड़ौदा स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान में प्रोजेक्ट्स एण्ड डेलवपमेंट इंडिया लिमिटेड को सिन्दरी से नोएडा और बड़ौदा स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार ने अप्रैल, 1997 में पी डी आई एल की पुनर्वास स्कीम को अनुमोदित करते समय यह आवश्यक समझा कि पी डी आई एल का मुख्यालय नोएडा रखा जाए जबकि पंजीकृत कार्यालय, ई एण्ड सी डिविजन उत्प्रेरक एवं अनुसंधान व विकास को सिन्दरी में रखा जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी में भूमि अधिग्रहण

172. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में आवास समस्या को कम करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा इस हेतु क्या अधिसूचना जारी की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को उनकी भूमि के लिए वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 23.1.1989 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रादेशिक योजना 2001 को अधिसूचित किया है। इस योजना में नियोजित, विशेषतः संपूर्ण क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा समीपवर्ती राज्यों हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का 3000 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य दिल्ली से बाहर जनसंख्या तथा आर्थिक कार्यकलापों का विस्तार कर दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करना है।

(ग) से (ङ) चूंकि भूमि राज्य का विषय है अत एंव किसानों को दी जाने वाली मुआवजे की दर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों तथा नियमों के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित की जाती है।

बंगलादेश के नागरिकों की पहचान

173. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार उन बंगला देश के नागरिकों की पहचान करने में विफल रही है, जिन्होंने राज्य में घुसपैठ की है;

(ख) यदि हा, तो क्या उन लोगों ने राशन कार्ड भी प्राप्त कर लिये हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिये गये हैं और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक हलफनामा भी दायर किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) नागरिक स्वतंत्रता के लिए आल इंडिया लॉयर्स फौरम द्वारा दायर रिट याचिका सं. 125/98 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामें में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकार किया है कि लगभग 10.24 लाख बंगलादेशी राष्ट्रिक, वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद ठहरे और वैध कागजातों के बिना प्रवेश करने वाले बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या काफी अधिक होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि अनेक अवैध आप्रवासियों ने राशन कार्ड प्राप्त कर लिए हैं और उनके नाम मतदाता सूचियों में भी लिखे गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं कि विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के उपबन्धों और उसके तहत बनाए गए जिन नियमों (असम के मामले में अधिनियम 1983) के अन्तर्गत उनका पता लगाया जाये और उन्हें वापस भेजा जाये।

चीनी का उत्पादन

174. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी वर्षा और बाढ़ के कारण गन्ने की फसल बरबाद हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे चीनी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को किसी भी राज्य सरकार से भारी वर्षा तथा बाढ़ से गन्ने की फसल के बरबाद होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चीनी के उत्पादन का साप्ताहिक निरीक्षण किया जा रहा है जिसके अनुसार चीनी का उत्पादन वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 1998-99 (15 जनवरी तक) 51.72 लाख टन (अनंतिम) था, जबकि पिछले चीनी मौसम की इसी अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन 46.62 लाख टन (अनंतिम) था।

[हिन्दी]

उर्वरक सहायता

175. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्पादकों को उत्पादन लागत के आधार पर उत्पाद मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास राज-सहायता को उचित सीमा के भीतर रखते हुए समर्थन मूल्य पर किसानों को उर्वरक प्रदान करना रहा है।

(ग) और (घ) यूरिया का मूल्य सांविधिक रूप से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनियंत्रित फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरक सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य (एम आर पी) के अनुसार बेचे जाने आवश्यक हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

176. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण भारत में आवास समस्या को हल करने के लिए इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

पोटाश का आयात

177. **श्री महबूब जहेदी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पोटाश आयात करने के कारण कृत्रिम कमी उत्पन्न हो गई जिसके चलते कृषक उच्च मूल्यों पर पोटाश खरीदने को बाध्य हो गए;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित पोटाश की सारी मात्रा सरकार द्वारा व्यापारियों को सौंप दी गई;

(ग) यदि हां, तो क्या आई.पी.एल. जैसे केन्द्रीय संगठनों अथवा सहकारी संगठन "बेनफेड" ने पोटाश की कोई मात्रा प्राप्त की है जिसे कृषक उचित मूल्य पर खरीद सके; और

(घ) यदि हां, तो इनको पोटाश की कितनी मात्रा आबंटित की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) को अगस्त, 1992 से अनियंत्रित कर दिया गया है और इसके आयात जून, 1993 से असरणीबद्ध है। सरकारी खाते में एम ओ पी का कोई आयात नहीं किया गया है ना ही तब से एम ओ पी का कोई आबंटन किया गया है। आयात कृषि एवं सहकारिता विभाग की रियायत योजना के भीतर निजी व्यापार खाते में मुक्त रूप से किए जाते हैं।

चालू रबी मौसम के दौरान, लगभग 14.93 लाख मीट्रिक टन (एल एम टी) एम ओ पी का आयात किया गया है। इसमें से 6.40 लाख मी. टन इंडियन पोटाश लि. (आई पी एल) द्वारा लाया गया है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य किसी राज्य से एम ओ पी की कमी की सूचना नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर चक्रवातीय तूफान के कारण नवम्बर, 98 में थोड़े समय के लिए कमी महसूस की गई थी जिससे विजाग पत्तन से एम ओ पी का निकास तथा प्रेषण प्रभावित हुआ।

मृत सुरक्षा कर्मियों के परिवारों का पुनर्वास

178. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेवा के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए;

(ख) इन कर्मियों के कितने आश्रितों को रोजगार और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कितने आवेदन पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं; और

(घ) उन्हें निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मरे सुरक्षा कर्मियों की संख्या इस प्रकार है :—

1996	-	1069
1997	-	1195
1998	-	1315

(ख) 781 आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(ग) रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या 897 हैं।

(घ) आश्रितों को रोजगार, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार दिया जाता है।

उड़ीसा में आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत विकसित नगर

179. **श्री रंजीब बिस्वाल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आठवीं योजनावधि के दौरान छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों का समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों को लाया गया है;

(ग) क्या नौवीं योजना में राज्य में मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए कोई छोटा अथवा मध्यम दर्जे का नगर चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित छोटे एवं मझौले शहरों की समेकित विकास योजना (आई डी एस एम टी) के तहत उड़ीसा राज्य को 22 शहरों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 412.00 लाख रुपये दिए गए हैं।

(ख) छोटे एवं मझौले शहरों की समेकित विकास योजना के प्रारम्भ से उड़ीसा राज्य के 41 छोटे एवं मझौले शहर कार्यक्रम के अधीन लाए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नौवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात वर्ष 1997-98 और 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित शहरों को अवस्थापना विकास के लिए 106.74 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही जारी कर दी गई है। जिनसे उड़ीसा में चालू परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	1997-98	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1.	तरपा	12.00
2.	पुरी	29.00
3.	नीलगिरी	3.00
4.	अथमलिक	4.00
		48.00
	1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक)	
5.	जयपुर	32.74
6.	अथगढ़	26.00
		58.74
	कुल	106.74

विवरण

उड़ीसा में छोटे एवं मझौले शहरों की समेकित विकास योजना के तहत आने वाले छोटे एवं मझौले शहरों की सूची

1. पुरी
2. सम्बलपुर
3. बालेश्वर
4. राउरकेला
5. जेपुर
6. धेनकनाल
7. किर्योझर
8. बारोपाडा
9. बलंगीर
10. पराद्वीप
11. कोरापट
12. पुलावनी
13. भवानीपटना
14. केन्द्रपाड़ा
15. अनुगुल
16. जयपुर रोड
17. बारगढ़
18. रायगढ़
19. गोपाल पुर
20. भदरक
21. सुन्दरगढ़
22. जगतसिंघपुर
23. जजपुर
24. बसुडेबपुर
25. अथगढ़
26. झरसगुडा
27. दिगपहन्डी

28. भंजनगर

29. तितलागढ़

30. उमरकोट

31. चांदवर

32. तरभा

33. छतरपुर

34. परलखेमुन्डी

35. कामकशेनगर

36. नवरंगपुर

37. ब्रह्मपुर

38. कोनार्क

40. नीलगिरी

41. अथमलिक

भारत–पाक वार्ता के मुद्दे

180. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पारस्परिक हित के क्षेत्रों को पाकिस्तान के साथ मतभेद के मुद्दों से अलग रखने का भारत का संकल्प दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन क्षेत्रों में भारत–पाकिस्तान संबंध बनाये रखने पर समहत हैं; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत ने पाकिस्तान के साथ सदैव शांति, मैत्री और सहयोग पूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की है। भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों और दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच जुलाई, 1998 में कोलम्बो और सितम्बर, 1998 में न्यूयार्क में हुई अनेक बैठकों के परिणामस्वरूप, 15 अक्तूबर, 1998 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें जम्मू व कश्मीर और विश्वास पैदा करने के उपायों समेत शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। नवम्बर, 1998 के पूर्वार्द्ध में नई दिल्ली में तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट, सियाचिन, सरक्रीक, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान–प्रदान बढ़ाने जैसे विषयों पर चार्च जारी रही। इन चर्चाओं के फलस्वरूप, भारत और पाकिस्तान ने मानवीय मुद्दों, जैसे कि मछुआरों और सिविल कैदियों की रिहाई से संबंधित मुद्दों पर सफलतापूर्वक विचार किया। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के क्षेत्र में, दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत के दो दौर हुए हैं जिनमें पाकिस्तान से बिजली खरीदने की संभावनाओं पर चर्चा हुई तथा बातचीत अभी चल रही है। दिल्ली–लाहौर बस सेवा चलाने के समझौते पर 17 फरवरी, 1999 को हस्ताक्षर किए गए। रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों द्वारा विशेषज्ञ स्तर की बातचीत किए जाने की संभावना है। बीजा प्रणाली को लचीला बनाने पर भी चर्चा की गई है। संयुक्त वार्ता जारी रहेगी तथा इसका दूसरा दौर नई दिल्ली में होगा, जिसके लिए राजनैयिक चैनलों के माध्यम से तारीखें निश्चित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

मैथिली भाषा

181. **श्री राजो सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनहित में मैथिली बोली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी एक अथवा अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित करने का है। मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर प्रस्तावित निकाय द्वारा तैयार किए गए मानदण्डों के आधार पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता

182. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को 100 रु. प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता देने के लिए किए गए निर्णय को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनभोगियों पर लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता देने के लिए सरकारी आदेश लागू करने के संबंध में मामले की जांच की जा रही है।

उर्वरक उद्योग को राजसहायता

183. **श्री सतनाम सिंह कैंथ :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को गत तीन वर्षों के दौरान राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार की राजसहायता में दीर्घावधि आधार पर कमी किए जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजसहायता उर्वरकों का उपभोग करने वालों को प्राप्त हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान नियंत्रित उर्वरकों पर अदा की गई राजसहायता तथा नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर रियायत इस प्रकार है :—

वर्ष	नियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता (रु. करोड़ में)	नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर रियायत (रु. करोड़ में)
1995-96	5235.00	500.00
1996-97	5906.08	1671.77
1997-98	7307.00	2596.00

(ख) और (ग) राजसहायता को यथोचित सीमाओं के भीतर रखते हुए किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक मुहैया कराना सरकार का प्रयास रहा है। राजसहायता प्रक्रिया के माध्यम से हालांकि किसानों को उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि से अलग रखा जाता है फिर भी निर्माताओं/आयातकर्ताओं को उस कम मूल्य के लिए मुआवजा दिया जाता है जिस पर उससे सांविधिक रूप से निर्धारित फार्मगेट मूल्य पर यूरिया प्राप्त करने वाले किसानों को इन उर्वरकों को बेचने की अपेक्षा की जाती है। उर्वरकों पर राजसहायता से उर्वरकों की उच्च खपत को प्रोत्साहन मिलता है जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होती है। खाद्यान्नों की अतिरिक्त उपलब्धता का लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलता है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति

184. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री नरेश पुगलिया :
डा. शकील अहमद :
श्री ए.सी. जोस :
श्री विलास मुत्तेमवार :
डा. विजय सोनकर शास्त्री :
श्री यू.वी. कृष्णमराजु :
श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी :
श्री रवि सीताराम नायक :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री तारिक अनवर :
श्री दत्ता मेघे :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अमन कुमार नागरा :
श्री बैजनाथ रावत :
श्री मुन्नूलाल मोहले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से दिल्ली और अन्य महानगरों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है और अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान और अब तक राज्यवार और अपराधवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषरूप से दिल्ली में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) वर्ष 1998 के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर महीनों के दौरान अपराध शीर्षों के अंतर्गत अर्थात् हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण और व्यपहरण और हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता अपराध की घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस अवधि के दौरान चार महानगरों में कुल भारतीय दंड संहिता अपराधों संबंधी

सूचना नीचे दी गई है :—

महानगर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
दिल्ली	6071	5827	3957
कलकत्ता	933	959	उ.न.
चेन्नई	उ.न.	उ.न.	उ.न.
मुम्बई	2847	2641	2795

(ग) से (च) दिल्ली में कानून और व्यवस्था का स्थिति की समय-समय पर उच्चतम स्तरों पर समीक्षा की जाती है। एक पेशेवर अधिवक्ता, श्री राजीव अवस्थी द्वारा दाखिल एक सिविल रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में पहले से ही संस्वीकृत 17 पुलिस स्टेशनों में काम शुरू करवाना और दिल्ली पुलिस की जनशक्ति आवश्यकताओं को देखने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित करना। 17 नए संस्वीकृत पुलिस स्टेशनों ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस की जनशक्ति आवश्यकताओं के संबंध में एक अध्ययन करवाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण

अक्टूबर से दिसम्बर, 1998 के दौरान हत्या की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल (कॉलम 3 से 5)
	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	232	उ.न.	उ.न.	232
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	उ.न.	उ.न.	7
3.	असम	177	उ.न.	उ.न.	177
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
5.	गोआ	5	5	उ.न.	10
6.	गुजरात	112	89	उ.न.	201
7.	हरियाणा	60	66	उ.न.	126
8.	हिमाचल प्रदेश	8	13	उ.न.	21
9.	जम्मू और कश्मीर	53	उ.न.	उ.न.	53
10.	कर्नाटक	121	124	उ.न.	245
11.	केरल	29	32	उ.न.	61
12.	मध्य प्रदेश	250	183	उ.न.	433
13.	महाराष्ट्र	250	236	245	731
14.	मणिपुर	20	16	उ.न.	36
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	3	0	उ.न.	3
17.	नागालैण्ड	6	8	12	26
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	75	67	45	187
20.	राजस्थान	145	106	उ.न.	249
21.	सिक्किम	2	0	उ.न.	2

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	151	142	उ.न.	293
23.	त्रिपुरा	27	19	22	68
24.	उत्तर प्रदेश	860	उ.न.	उ.न.	860
25.	पश्चिम बंगाल	179	171	उ.न.	350
	कुल (राज्य)	2770	1277	324	4371
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	1	2	1	4
27.	चंडीगढ़	3	2	0	5
28.	दादरा और नगर हवेली	0	2	0	2
29.	दमन और दीव	उ.न.	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	52	41	50	143
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	उ.न.	2	2
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	56	47	53	156
	कुल (समस्त भारत)	2826	1324	377	4527

अक्टूबर से दिसम्बर, 1998 के दौरान डकैती की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल (कॉलम 3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	29	उ.न.	उ.न.	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	उ.न.	उ.न.	6
3.	असम	82	उ.न.	उ.न.	82
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
5.	गोआ	3	0	उ.न.	3
6.	गुजरात	34	26	उ.न.	60
7.	हरियाणा	5	23	उ.न.	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	उ.न.	0
9.	जम्मू व कश्मीर	2	उ.न.	उ.न.	2
10.	कर्नाटक	28	27	उ.न.	55
11.	केरल	6	9	उ.न.	15
12.	मध्य प्रदेश	11	11	उ.न.	22

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	52	36	39	127
14.	मणिपुर	1	0	उ.न.	1
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	0	1	उ.न.	1
17.	नागालैण्ड	2	1	2	5
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	5	4	4	13
20.	राजस्थान	5	4	उ.न.	9
21.	सिक्किम	0	0	उ.न.	0
22.	तमिलनाडु	12	14	उ.न.	26
23.	त्रिपुरा	10	5	5	20
[illegible]	[illegible]श	87	उ.न.	उ.न.	87
25.	पश्चिम बंगाल	37	48	उ.न.	85
	कुल (राज्य)	417	189	50	656
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	1	0	1
28.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	1
29.	दमन और दीव	उ.न.	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	5	4	2	11
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	उ.न.	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	5	6	2	13
	कुल (समस्त भारत)	422	195	52	669

अक्टूबर से दिसम्बर, 1998 के दौरान बलात्कार की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल (कॉलम 3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81	उ.न.	उ.न.	81
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	उ.न.	उ.न.	0
3.	असम	77	उ.न.	उ.न.	77

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
5.	गोआ	1	1	उ.न.	2
6.	गुजरात	38	23	उ.न.	61
7.	हरियाणा	29	33	उ.न.	62
8.	हिमाचल प्रदेश	12	4	उ.न.	16
9.	जम्मू और कश्मीर	14	उ.न.	उ.न.	14
10.	कर्नाटक	23	25	उ.न.	48
11.	केरल	61	50	उ.न.	111
12.	मध्य प्रदेश	253	194	उ.न.	447
13.	महाराष्ट्र	83	101	116	300
14.	मणिपुर	1	1	उ.न.	2
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	5	6	उ.न.	11
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	18	10	12	40
20.	राजस्थान	99	76	उ.न.	175
21.	सिक्किम	0	0	उ.न.	0
22.	तमिलनाडु	30	27	उ.न.	57
23.	त्रिपुरा	5	2	5	12
24.	उत्तर प्रदेश	133	उ.न.	उ.न.	133
25.	पश्चिम बंगाल	62	56	उ.न.	118
	कुल (राज्य)	1025	609	133	1767
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	1	0	0	1
27.	चंडीगढ़	0	0	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	2
29.	दमन और दीव	उ.न.	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	30	27	22	79
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	उ.न.	0	1
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	33	28	23	84
	कुल (समस्त भारत)	1058	637	156	1851

अक्टूबर से दिसम्बर, 1998 के दौरान अपहरण और व्यपहरण की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल (कॉलम 3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	93	उ.न.	उ.न.	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	उ.न.	उ.न.	5
3.	असम	123	उ.न.	उ.न.	123
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
5.	गोआ	1	2	उ.न.	3
6.	गुजरात	110	87	उ.न.	197
7.	हरियाणा	47	33	उ.न.	80
8.	हिमाचल प्रदेश	10	15	उ.न.	25
९	जम्मू और कश्मीर	38	उ.न.	उ.न.	38
		56	43	उ.न.	99
...	केरल	29	20	उ.न.	49
12.	मध्य प्रदेश	28	75	उ.न.	103
13.	महाराष्ट्र	85	103	91	279
14.	मणिपुर	10	7	उ.न.	17
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	0	0	उ.न.	0
17.	नागालैण्ड	4	3	4	11
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	30	23	25	78
20.	राजस्थान	234	207	उ.न.	441
21.	सिक्किम	0	0	उ.न.	0
22.	तमिलनाडु	68	85	उ.न.	153
23.	त्रिपुरा	21	21	11	53
24.	उत्तर प्रदेश	290	उ.न.	उ.न.	290
25.	पश्चिम बंगाल	73	80	उ.न.	153
	कुल (राज्य)	1355	804	131	2290
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	1	0	0	1
27.	चंडीगढ़	7	1	3	11
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
29.	दमन और दीव	उ.न.	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	119	89	82	290
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	2	उ.न.	1	3
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	129	90	86	305
	कुल (समस्त भारत)	1484	894	217	2595

अक्टूबर से दिसम्बर, 1998 के दौरान हत्या की कोटि में न आने वाली आपराधिक मानव वध की माहवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/शहर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	कुल (कॉलम 3 से 5)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	उ.न.	उ.न.	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	उ.न.	उ.न.	1
3.	असम	8	उ.न.	उ.न.	8
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.
5.	गोआ	1	1	उ.न.	2
6.	गुजरात	2	7	उ.न.	9
7.	हरियाणा	10	2	उ.न.	12
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	उ.न.	0
9.	जम्मू और कश्मीर	4	उ.न.	उ.न.	4
10.	कर्नाटक	5	4	उ.न.	9
11.	केरल	4	5	उ.न.	9
12.	मध्य प्रदेश	40	14	उ.न.	54
13.	महाराष्ट्र	22	19	17	58
14.	मणिपुर	0	0	उ.न.	0
15.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
16.	मिजोरम	0	0	उ.न.	0
17.	नागालैण्ड	1	0	0	1
18.	उड़ीसा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
19.	पंजाब	6	6	8	20
20.	राजस्थान	4	7	उ.न.	11

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	0	0	उ.न.	0
22.	तमिलनाडु	6	20	उ.न.	26
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	125	उ.न.	उ.न.	125
25.	पश्चिम बंगाल	69	58	उ.न.	127
	कुल (राज्य)	321	143	25	489
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	1	1
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	उ.न.	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	8	8	4	20
[illegible]	[illegible]द्वीप	0	0	0	0
		0	उ.न.	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	8	8	5	21
	कुल (समस्त भारत)	329	151	30	510

डिब्रूगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय

185. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये विद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) डिब्रूगढ़ और शिव सागर में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे, वर्तमान मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की उपलब्धता, इस संबंध में विहित शर्तों का पूरा किया जाना, बजट का आवंटन और विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित अनुमोदन बजटीय आवंटनों और अपेक्षित अनुमोदन के अभाव में वर्ष 1998-99 के दौरान कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया।

[हिन्दी]

राज्यों को धनराशि

186. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री पवन सिंह घाटोवार :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को उनके विकास हेतु योजनावार तथा राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजनाओं पर निगरानी रखने हेतु संबंधित संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस मद में अत्यधिक धनराशि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों द्वारा धनराशि का पूर्ण उपयोग किए जाने हेतु उन्हें क्या निदेश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना, ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना, इंदिरा आवास योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम है जो सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

1998-99 के दौरान राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिक निधियां विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) सांसद और विधायक जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के शासी निकायों के सदस्य होते हैं। जिला वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले इनको जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद के शासी निकाय से अनुमोदित कराना होता है। सांसद तथा विधायक जिला और ब्लाक स्तर की सतर्कता तथा निगरानी समितियों के सदस्य होते हैं। इन समितियों को इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने, सतर्कता बरतने तथा निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। राज्य स्तर की सतर्कता और निगरानी समितियों में राष्ट्रीय स्तर की प्रत्येक पार्टी का एक प्रतिनिधि सदस्य होता है। सांसद और विधायक जिला और ब्लाक सुनिश्चित रोजगार योजना समितियों के भी सदस्य होते हैं। इन समितियों को अपने कार्यक्षेत्र के अन्दर सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया है।

(ग) और (घ) जनवरी, 1999 के अंत तक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्यों के पास खर्च न की गयी शेष राशि विवरण-II में दी गई है। सभी राज्यों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि राशियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।

विवरण-I

केन्द्र सरकार द्वारा 1998-99 के दौरान उपलब्ध (रिलीज) कराई गई कुल निधियों का राज्यवार और योजनावार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल केन्द्रीय रिलीज							
		जवाहर रोजगार योजना	इंदिरा आवास योजना	दस लाख कुओं की योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना	ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7022.38	5859.29	1266.20	16740.00	315.82	226.91	2865.02	9920.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	129.88	26.54	25.11	10.79	3.68	6.75	166.11	2160.82
3.	असम	4011.71	4507.76	723.35	7248.001	280.60	303.35	3808.10	4077.17
4.	बिहार	23004.46	21901.77	3709.45	13666.00	380.02	300.87	4501.98	0.00
5.	गोआ	2756.73	3089.71	608.91	2500.00	151.77	79.10	1061.43	6326.35
6.	गुजरात	103.32	29.21	0.00	180.00	1.51	2.29	24.43	0.00
7.	हरियाणा	1555.13	1815.19	125.44	440.00	39.94	33.88	514.38	2025.04
8.	हिमाचल प्रदेश	710.02	546.45	118.09	1240.00	15.88	11.51	213.23	1773.62
9.	जम्मू व कश्मीर	856.15	396.00	140.01	4760.00	17.64	15.15	271.52	2886.45
10.	कर्नाटक	5584.13	4811.86	953.63	9720.00	158.19	92.75	1439.74	8000.00
11.	केरल	2536.58	2644.70	483.23	3141.00	62.60	63.91	9658.87	3144.95
12.	मध्य प्रदेश	14777.45	13051.67	1904.71	21213.00	358.22	251.58	4320.56	11063.07
13.	महाराष्ट्र	10482.27	11303.23	1884.03	6080.87	310.78	232.15	3657.47	13293.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मणिपुर	155.56	135.27	32.21	370.00	4.10	0.00	58.17	666.74
15.	मेघालय	301.75	33.92	57.71	150.00	21.92	7.62	114.14	1347.80
16.	मिजोरम	116.10	58.18	25.14	800.00	4.28	5.33	104.26	621.66
17.	नागालैण्ड	206.69	221.72	37.27	1980.00	0.00	6.86	86.70	796.90
18.	उड़ीसा	8628.67	7513.82	1448.27	11332.00	248.66	172.95	2469.17	3518.75
19.	पंजाब	1013.01	649.49	0.00	320.00	22.18	12.95	329.19	1380.55
20.	राजस्थान	4039.82	3718.28	203.28	7105.00	0.00	4095.00	1311.54	10941.63
21.	सिक्किम	77.20	92.02	13.92	220.00	0.00	1.39	90.57	401.12
22.	तमिलनाडु	10348.85	7387.92	2239.19	18720.00	361.41	154.92	3258.66	9922.51
23.	त्रिपुरा	807.68	578.80	172.04	1440.00	68.04	13.10	620.57	1262.00
24.	उत्तर प्रदेश	36538.31	22195.18	5957.10	33914.83	1372.08	819.08	12862.91	16297.06
		8148.18	4770.91	1052.63	6440.00	57.33	217.58	1485.06	4826.90
	द्वीप समूह	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26	0.00
27.	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	46.69	0.00	6.74	0.00	0.00	2.30	21.88	0.00
29.	दमन और दीव	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	82.14	39.60	0.00	0.00	0.00	2.49	29.93	0.00
	कुल	144117.60	117388.52	23195.66	170790.70	4262.55	7130.01	46680.85	116658.52

विवरण–II

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खर्च न की गयी कुल शेष राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23999.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	4067.55
3.	असम	26140.48
4.	बिहार	69172.61
5.	गोआ	14312.69
6.	गुजरात	196.28
7.	हरियाणा	8228.48
8.	हिमाचल प्रदेश	4057.60
9.	जम्मू व कश्मीर	8342.93
10.	कर्नाटक	2405.08
11.	केरल	11609.50
12.	मध्य प्रदेश	51489.90
13.	महाराष्ट्र	19398.92

1	2	3
14.	मणिपुर	2559.58
15.	मेघालय	2889.97
16.	मिजोरम	433.12
17.	नागालैण्ड	3180.84
18.	उड़ीसा	26203.57
19.	पंजाब	3376.83
20.	राजस्थान	36342.58
21.	सिक्किम	713.81
22.	तमिलनाडु	12815.31
23.	त्रिपुरा	2905.11
24.	उत्तर प्रदेश	105682.10
25.	पश्चिम बंगाल	43470.98
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	200.20
27.	चंडीगढ़	3.86
28.	दादरा और नगर हवेली	225.58
29.	दमन और दीव	47.48
30.	दिल्ली	51.96
31.	लक्षद्वीप	142.87
32.	पांडिचेरी	286.56
	कुल	484651.73

*जनवरी, 1999 के अंत तक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

[अनुवाद]

व्यावसायिक कालेज

187. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1999-2000 के शिक्षा सत्र के के दौरान देश में नये व्यावसायिक कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में नए व्यावसायिक कालेज खोलने के लिए प्रति वर्ष आवेदन अमंत्रित करती है। शैक्षिक वर्ष 1999-2000 के लिए परिषद को विभिन्न राज्यों से कुल 1553 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अ.भा.त.शि. परिषद द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिए इंजीनियरी, फार्मेसी एम ।., वास्तुकला एम.बी.ए. तथा एम.सी.ए. कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त किए गए प्रस्ता वितरण

क्षेत्र		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरी		फार्मेसी		एमएमसीटी	वास्तुकला		एमबीए	एमसीए
			डिग्री	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा	डिप्लोमा	डिग्री	डिप्लोमा		
दक्षिण	1.	आंध्र प्रदेश	45	07	10	–	05	–	–	–	25	101
	2.	तमिलनाडु	101	32	20	–	07	07	03	–	31	51
	3.	पांडिचेरी	03	–	02	–	01	–	–	–	–	–
दक्षिण-पश्चिम	4.	कर्नाटक	19	20	05	01	03	01	01	–	53	67
	5.	केरल	22	11	05	–	03	04	–	–	14	17
मध्य	6.	उड़ीसा	31	14	05	02	02	02	01	–	07	23
	7.	मध्य प्रदेश	11	02	08	–	04	–	–	–	13	18
पूर्वी	8.	पश्चिम बंगाल	17	04	01	–	–	14	–	–	15	10
	9.	सिक्किम	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–
	10.	मिजोरम	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–
	11.	असम	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
उत्तर	12.	उत्तर प्रदेश	30	07	18	01	07	03	03	–	35	44
	13.	बिहार	03	01	02	–	–	02	–	–	05	05
पश्चिम	14.	गुजरात	03	07	04	–	04	01	–	01	05	04
	15.	महाराष्ट्र	59	28	28	04	06	07	11	–	24	31
	16.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर-पश्चिम	17.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–
	18.	दिल्ली	14	04	02	–	02	01	02	–	25	11
	19.	हरियाणा	15	02	–	–	–	–	02	–	15	19
	20.	हिमाचल प्रदेश	01	–	–	–	–	–	–	–	01	–
	21.	जम्मू और कश्मीर	01	–	–	–	–	01	–	–	–	01
	22.	पंजाब	15	01	05	–	01	–	01	–	21	06
	23.	राजस्थान	05	–	02	–	–	–	02	–	03	03
		कुल	396	142	120	8	48	45	26	01	354	413

वर्ष 1999-2000 के लिए इंजीनियरी, फार्मेसी, एम.एम.सी.टी., वास्तुकला, एमबीए तथा एमसीए के संबंध में प्राप्त कुल प्रस्ताव = 1553

[हिन्दी]

ईसाईयों पर हमला

188. **श्री जी.एम. बनातवाला :**
श्री वी.वी. राघवन :
श्री एम. सेल्वारासु :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री सोढे रमैया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से ईसाई मिशनरियों और उनके पूजास्थलों पर हुए हमलों के संबंध में 1998-99 से आज तक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो घटनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में आयोग के मुख्य निष्कर्ष, टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जहां तक मामले का संबंध राज्य सरकार से है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त रिपोर्टों को उचित कार्रवाई के लिए गुजरात सरकार को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के तहत, धारा 9(1)(ग) के अंतर्गत राज्य सरकार को की गई सिफारिशों को की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। उक्त रिपोर्टों में निहित केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9(2) के तहत, धारा 9(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। इन रिपोर्टों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, यथा समय संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार नीति

189. **श्री विठ्ठल तुपे :**
श्री डी.एस. अहिरे :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मलिन बस्तियों वाले क्षेत्र के लिए कोई राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार नीति का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता से कोई परियोजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी नहीं। अभी तक कोई ऐसी नीति तैयार नहीं की गई।

(ग) और (घ) वर्तमान में चार विदेशी सहायता प्राप्त स्लम सुधार परियोजनाएं, डी एफ आई डी-यूके के तहत कलकत्ता (प. बंगाल), कटक (उड़ीसा), कोचीन (केरल) और जीटी जेड (जर्मन सरकार) के तहत नागपुर (महाराष्ट्र) में कार्यान्वयनाधीन है। पहले, डी एफ आई डी-यूके के तहत विशाखापट्टनम हैदराबाद, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) व इंदौर (मध्य प्रदेश) और डच सहायता के तहत बंगलूर में स्लम सुधार परियोजनाएं ली गई थी।

[अनुवाद]

शिक्षा के लिए धन

190. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
श्री के. येरननायडु :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री गंगाचरण राजपूत :
श्री अभयसिंह एस. भोंसले :
श्री थावरचंद गेहलोत :
श्री माधवराव पाटील :
श्रीमती भावना कर्दम दवे :
श्री खारबेल स्वाइन :
श्री के.पी. नायडू :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1999 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'मनी इज देअर बट गवर्नमेंट नीड्स द बिल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बुनियादी शिक्षा पर कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या भारत में शिक्षा संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा विभाग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा के लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में और साथ ही गैर-औपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन इन [illegible] द्वारा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर की गई [illegible]त किये गये हैं। यह रिपोर्ट अनुसंधान कर्ताओं [illegible] दल ने तैयार कर जनवरी, 1999 में प्रकाशित की।

समाचार-पत्र में छपी खबर के सन्दर्भ में इस विभाग की प्रारंभिक प्रतिक्रिया निम्नवत है :

(1) देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास पर धनराशि की कमी के कारण अंकुश लगा है।

(2) यद्यपि सभी राज्य सरकारों ने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान कर दी है, तथापि स्कूल की अन्य लागतें बच्चों के अभिभावकों को पूरा करनी पड़ती हैं। छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था करके इनमें कमी की गई है।

(3) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को औपचारिक स्कूलों के पूरक के रूप में विचार किया गया है न कि एवजी के रूप में।

(4) संपूर्ण साक्षरता अभियान संबंधी प्रोब की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों में इन अभियानों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया गया था, उन क्षेत्रों में लाखों लोग पढ़ने तथा लिखने में सक्षम हो गए हैं। रिपोर्ट ने संपूर्ण साक्षरता अभियानों की गति शिथिल होने से संबंधित टिप्पणी से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आ रही कठिनाई से संबंधित हो सकती है। इन क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को पका-पकाया गरम भोजन देना था। खाद्यान्नों को पके-पकाए भोजन के रूप में परिवर्तित करने का खर्च राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाना है। किन्तु संसाधन उपलब्ध न होने के कारण केवल छह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस योजना के अन्तर्गत पका-पकाया गरम भोजन प्रदान कर रहे हैं। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पात्र बच्चों को खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रारंभिक शिक्षा पर कुल योजनागत तथा योजनेतर बजट व्यय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमशः 12638.94 करोड़ रु., 15740.05 करोड़ रु. तथा 18285.42 करोड़ रु. था।

(घ) प्रोब रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग ने आंकलन किया है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अगले पांच वर्षों तक भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा।

(ङ) जी, हां।

(च) शिक्षा विभाग के लिए नौवीं योजना (1997-2002) का परिव्यय 20381.00 करोड़ रु. है।

दिनांक 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में पेश किए संविधान (तिरासीवें संशोधन) विधेयक के अनुसार, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

प्राथमिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में वर्ष 1987-८८ से अनौपचारिक शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

आदर्श गांव

191. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के रूप में विकसित गांवों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1998-99 के दौरान इस कार्यक्रम पर कितना व्यय हुआ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के आठ गांवों और मध्य प्रदेश में तीन गांवों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकारों ने 1998-99 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किसी तरह के व्यय की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष आधार पर प्रवेश

192. श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में 27.8.98 तक विशेष आधार पर प्रवेश देने के लिए जो निर्णय लिए गए थे वे लागू किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) दिनांक 20.8.98 तक समिति द्वारा अनुमोदित दाखिले और जिन दाखिलों की सूचनाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिनांक 28.8.98 के पहले ही विद्यालयों को भेज दी गई थी, उनके संबंध में प्रत्येक मामले पर योग्यता के आधार पर विचार करते हुए दाखिला करने का आदेश कर दिया गया है।

विशेष कृतक बल

193. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री रवि सीताराम नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक के दौरान अन्तर्राज्यीय अपराधों को रोकने और आतंकवादियों तथा अपराधी गिरोहों द्वारा उत्पन्न की जा रही समस्याओं से निपटने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए एक विशेष कृतक बल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को अन्तर्राज्यीय एजेंसियों की स्थापना करने और संयुक्त रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.1.1998 को दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्य अपराधियों के विरुद्ध समन्वित आपरेशनों के लिए आतंकवादियों और अपराधी गिरोहों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने, आसूचना और रणनीति का व्यापक समन्वय करने, अपराधियों द्वारा अपनाई गई चालों का कारगरता के साथ मुकाबला करने हेतु पुराने कानूनों में संशोधन करने और राज्य पुलिस बल आदि को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने की सिफारिश की गई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के लिए सहायता

194. श्री पी. शंकरन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने हेतु राज्य सरकारों को बाजार हस्तक्षेप के अभियान के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी राशि निश्चित की गई;

(ग) क्या सभी राज्यों ने आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिबंधों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जल्दी खराब हो जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के संबंध में बाजार दखल कार्रवाई के लिए अंतिम उपाय के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) 27.11.1998 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में से एक निर्णय यह था कि राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की अन्तःराज्यीय आवाजाही पर लगाए गए अनौपचारिक प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। कुछ राज्यों ने

आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं। सरकार ने शेष राज्यों से भी प्रतिबंधों को यथाशीघ्र हटाने का अनुरोध किया है।

किराया नियंत्रण अधिकरण

195. **श्री ए.सी.जोस :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों से अपने-अपने किराया अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन करके किराया नियंत्रण अधिकरण स्थापित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) जी, हां। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों को अपने किराया नियंत्रण विधान में उपयुक्त संशोधन करने के लिए लिखा है। मानक विधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजा गया था। मानक विधान में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिए गए कि किराया नियंत्रकों तथा अधिकरणों के साथ न्याय करने के लिए "दो टायर प्रणाली स्थापित की जाए तथा एक वर्ष के अन्दर विवादों के निपटान के लिए तत्काल सरलीकरण प्रक्रिया बनाई जाए।" राज्यों से कहा गया है कि मानक विधेयक के आधार पर राज्य विधानों के संशोधन की प्रगति को समय-समय पर दर्शाएं। पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने इस संबंध में पहले से ही कदम उठाए हैं तथा अन्य राज्यों को अनुस्मरण कराया जा रहा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान

196. **श्री के. येरननायडू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश से अनुदान प्राप्त कर रहे संस्थानों का ब्यौरा, साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक संस्थान को दिए जा रहे अनुदान की राशि कितनी है;

(ख) बोर्ड द्वारा किस प्रयोजन के लिए अनुदान दिया गया;

(ग) क्या अनुदान की राशि का समुचित उपयोग किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित हुए लोगों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

निरक्षरता

197. **श्री डी.एस. अहिरे :**

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी भी निरक्षर लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या 11 वर्ष की आयु वर्ग के एक तिहाई बच्चे अब तक विद्यालय नहीं गए हैं और 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में निरक्षरता का प्रतिशत 47.79 है।

(ख) और (ग) प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध नौंवी योजना के कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 6-11 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 3 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। 11-14 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में 1.71 लाख उच्च प्राथमिक स्कूल हैं।

प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें राज्यों द्वारा स्कूलों की स्थापना करना तथा उनका दर्जा बढ़ाना, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनौपचारिक शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना, उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान करना तथा मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा यूनिफार्म जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना

198. **श्री एस. सुधाकर रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में

शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में घोर असंतुलन है जिसके परिणाम-स्वरूप देश के कतिपय क्षेत्रों में शैक्षणिक पिछड़ापन बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि के लिए स्कूली सुविधाओं के संबंध में यह मानदंड तय किया गया है कि एक कि.मी. की पैदल दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल तथा तीन कि. मी. की पैदल दूरी के भीतर एक उच्च प्राथमिक स्कूल हो। अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्रों के मामले में इन मानदंडों को और भी कम किया गया है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1993), एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार 82.5 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में 1 कि.मी. की दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल हैं जबकि 75.3 प्रतिशत बस्तियों में 3 कि.मी. की दूरी के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। भिन्न-भिन्न स्तर की शैक्षिक संस्थाओं की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है। शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि जैसे अनेक केन्द्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न वर्षों की मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

राज्य-वार शैक्षिक संस्थाओं की संख्या-1997-98

	राज्य का नाम	विश्व-विद्यालय	सम विश्व-विद्यालय	इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	कला, विज्ञान वाणिज्य कॉलेज	इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी कॉलेज	चिकित्सा एम.बी.-बी.एस./ आयुर्वेद कॉलेज	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15	3	2	855	42	31	74
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	6	1	0	0
3.	असम	5	0	2	268	3	7	24
4.	बिहार	15	2	2	742	11	31	15
5.	गोआ	1	0	1	33	2	8	2
6.	गुजरात	10	1	1	317	23	43	42
7.	हरियाणा	4	1	1	169	16	5	24
8.	हिमाचल प्रदेश	3	0	1	66	1	6	1
9.	जम्मू और कश्मीर	3	0	1	38	1	3	8
10.	कर्नाटक	12	3	2	653	49	206	70
11.	केरल	7	0	1	251	11	20	45
12.	मध्य प्रदेश	16	1	1	413	25	25	20
13.	महाराष्ट्र	15	8	1	826	124	166	244
14.	मणिपुर	2	0	2	56	2	1	4
15.	मेघालय	1	0	1	30	0	0	1
16.	मिजोरम	0	0	1	27	0	0	2

	1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैण्ड	1	0	1	33	0	0	1
18.	उड़ीसा	5	0	2	497	10	23	19
19.	पंजाब	4	1	1	190	11	19	18
20.	राजस्थान	6	4	1	267	9	24	43
21.	सिक्किम	1	0	0	2	0	0	1
22.	तमिलनाडु	13	4	2	340	74	78	22
23.	त्रिपुरा	1	0	1	16	1	0	2
24.	उत्तर प्रदेश	22	5	1	623	18	36	121
25.	पश्चिम बंगाल	10	1	2	389	12	22	32

	राज्य का नाम	डिग्री पूर्व/ जूनियर कॉलेज	उच्चतर माध्यमिक 10+2 स्कूल	हाई/ बेसिकोत्तर स्कूल	मिडिल/ सीनियर बेसिक स्कूल	प्राथमिक/ जूनियर बेसिक स्कूल	शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल	पॉलिटेकनिक संस्थाएं	तकनीकी औद्योगिक कला एवं शिल्प स्कूल
	1	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	2231	95	8287	8142	49919	25	77	459
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	69	93	311	1264	0	1	2
3.	असम	69	599	3565	6730	30140	1	9	32
4.	बिहार	537	223	3952	13753	53692	95	15	51
5.	गोआ	0	10	300	96	1036	1	6	15
6.	गुजरात	0	1797	4112	19739	14593	79	36	102
7.	हरियाणा	0	950	2523	1735	10134	21	26	67
8.	हिमाचल प्रदेश	0	328	1011	1056	7732	11	8	30
9.	जम्मू और कश्मीर	0	237	1114	3104	10483	14	12	37
10.	कर्नाटक	360	1497	8168	23579	23321	135	172	117
11.	केरल	169	481	2655	2964	6717	102	42	518
12.	मध्य प्रदेश	0	3778	3656	20076	81198	53	49	69
13.	महाराष्ट्र	567	2834	10647	21790	41722	289	179	1902
14.	मणिपुर	0	60	516	611	2547	0	3	19
15.	मेघालय	0	29	417	913	4336	10	1	3
16.	मिजोरम	0	18	345	733	1318	1	1	1

1	9	10	11	12	13	14	15	16
17. नागालैण्ड	3	10	282	470	1469	2	1	3
18. उड़ीसा	440	231	5967	12096	42104	69	21	6
19. पंजाब	0	1142	2163	2538	12590	22	18	109
20. राजस्थान	0	1706	3839	14893	34527	46	24	89
21. सिक्किम	0	27	72	122	504	1	0	1
22. तमिलनाडु	0	2975	3765	5473	30796	88	168	157
23. त्रिपुरा	0	198	383	414	2065	2	1	4
24. उत्तर प्रदेश	0	4398	2737	20436	92554	121	105	122
25. पश्चिम बंगाल	0	1566	5028	2906	51021	55	41	160

[हिन्दी]

उ.प्र. में ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

199. श्री मित्रसेन यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितना अंशदान दिया जा रहा है तथा इन योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन-प्रबंधन और मूल्यांकन में भागीदारी करने से जन-प्रतिनिधियों को वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को दी गई निधियां नीचे दर्शायी गई हैं :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1996-97	1130.02
1997-98	1406.72
1998-99 (जनवरी, 1999 तक)	1429.48

इन योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन और मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अन्य विशिष्ट अध्ययनों के जरिए मूल्यांकन किया जाता है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करता है।

(ख) से (घ) योजना के दिशानिर्देश कार्यक्रम की प्लानिंग, कार्यान्वयन और निगरानी में चुने गए प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्य और विधायकों की भागीदारी का प्रावधान करते हैं। संसद सदस्य और विधायकगण जिला ग्रामीण विकास एर्जेसियों/जिला परिषदों के शासी निकाय के सदस्य हैं जो जिला वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करते हैं। ये संसद सदस्य और विधायक गण जिला तथा ब्लाक स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों के भी सदस्य हैं जिन्हें मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने सतर्कता रखने तथा कार्यक्रम की निगरानी करने के अधिकार दिए गए हैं। राज्य स्तरीय सतर्कता तथा निगरानी समिति में प्रत्येक राष्ट्रीय दल का एक प्रतिनिधि सदस्य होता है।

[अनुवाद]

मानवाधिकार शिक्षा का विषय

200. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर "मानवाधिकार" को एक विषय के रूप में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार का इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) मानवाधिकार को स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है लेकिन इसे अलग विषय के रूप में नहीं रखा गया है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के विभिन्न विषयों की पाठ्यचर्या में मानवाधिकार को शामिल किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने/सेमिनार/कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित करने के लिए न कि उक्त पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। मानवाधिकार शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देने के लिए यह समिति काम करेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक दृष्टिकोण-पत्र तैयार किया है जिसमें मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1× योजना दृष्टिकोण को उजागर किया गया है तथा इस संबंध में विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता देने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

अनुसंधान परियोजनाएं

201. **श्री विजय गोयल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा कितनी अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया गया और इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के संबंध में निजी कम्पनियों का कितना योगदान था?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या तथा इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी अनुदान राशि (निजी फर्मों के अंशदान सहित) इस प्रकार से है :—

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (रु. में)
1996	81*	979,43,312
1997	33	346,67,249**
1998	36	320,67,600
1999	शून्य	शून्य

* इसमें पिछले वर्षों की चालू परियोजनाएं शामिल हैं।

** इसमें हिन्दुस्तान लीवर अनुसंधान फाउंडेशन से प्राप्त 17,52,430 रु. का एक अनुदान शामिल है।

परिवर्तन और परिवर्धन कार्य

202. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 10 प्रतिशत के प्रभार पर परिवर्तन और परिवर्धन के कार्य को 31.12.98 से 31.3.99 तक रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को आरम्भ करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या 10 प्रतिशत प्रभार के अन्तर्गत किये गये कार्य का समुचित रखरखाव नहीं किया जाता है और यह कार्य तुरंत नहीं किये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पूछताछ लिपिकों द्वारा ऐसे कार्यों संबंधी शिकायतों को दर्ज करने और अन्य शिकायतों की तरह इन पर भी विचार करने की दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं।

[हिन्दी]

नए संयंत्र की स्थापना

203. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बंद पड़े

उर्वरक कारखाने के स्थान पर एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है; और

(घ) इस संयंत्र का निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) से (घ) उर्वरक विभाग ने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सहकारी समिति "कृषक भारती कोआपरेटिव लि." ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के गोरखपुर एकक के मौजूदा स्थल पर 1479 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 7.68 लाख मी. टन यूरिया की क्षमता का एक नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री की सलाहकार समिति

204. श्री सत्यपाल जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र से संबंधित गृह मंत्री की सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति के कब तक पुनर्गठित हो जाने की उम्मीद है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के संबंध में गृह मंत्री की सलाहकार समिति में, अन्य के साथ-साथ, जिला परिषद के सभी सदस्यों में से निर्वाचित जिला परिषद के पांच सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। चण्डीगढ़ प्रशासन अभी तक जिला परिषद का गठन नहीं कर पाया हैं क्योंकि जिला परिषद के चुनाव परिणामों की घोषणा पर पहले तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी तथा बाद में जब तक इसे हटाया गया और जब तक जिला परिषद का गठन किया जाता, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। यहां ये उल्लेख करना संगत होगा कि जिला परिषद में, अन्य के साथ-साथ, पंयाचत समिति के अध्यक्ष शामिल होते हैं जिनका चुनाव पंचायतों के सभी सरपंचों में से किया जाता है।

पंचायती चुनाव अब हो चुके हैं तथा नये सरपंचों ने शपथ ले ली है। इससे चण्डीगढ़ प्रशासन अब पंचायत समिति का गठन कर सकेगा और जिसके आगे जिला परिषद का गठन हो सकेगा जिससे कि जिला परिषद के सभी सदस्यों में से निर्वाचित पांच सदस्यों को गृह मंत्री की सलाहकार समिति में नामांकित किया जा सके और इसकी बैठक बुलाई जा सके।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि

205. श्री कांति लाल भूरिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/विधवाओं/विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े तथा अत्यधिक पिछड़े वर्गों की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं में कितने परिवार तथा व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग व्यक्तियों/अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में निर्मुक्त कुल धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि (रु. करोड़ में)
1996-97	163.63
1997-98	172.79

इस मंत्रालय द्वारा विशेषतौर पर विधवाओं के लिए कोई कल्याण योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) योजनाओं के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लक्षित समूह के अंतर्गत "पिछड़े" या "अत्यंत पिछड़े" वर्गों का कोई वर्गीकरण नहीं है।

(घ) एक साथ सभी योजनाओं के संबंध में लाभार्थियों की कुल संख्या के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

क्षारीय भूमि का आबंटन

206. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन/गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली क्षारीय भूमि को सहकारी आवास समितियों को देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

...य ने उद्योग मंत्रालय से 98 एकड़ भूमि का
...भूमि का उपयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए

अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करना

207. **श्री आर.एस. गवई :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से विभिन्न जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग और खानाबदोश जनजाति सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सभी आयोग के सुझावों के परिदृश्य में, कतिपय पिछड़ी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने और सूची से निकालने की महाराष्ट्र सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में राज्य सरकारों से जातियों/समुदायों सहित जातियों/समुदायों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किए जाते हैं और आयोग की सलाह के आधार पर सरकार केन्द्रीय सूची में संशोधन अधिसूचित करती है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से कोई ऐसी सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

208. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1999 के "द हिन्दू" में "एन. जी. ओज. नीड फॉर अ कोड ऑफ इथिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) देश में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की निगरानी हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नशामुक्ति

209. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान नशामुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त नशामुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्यवार कितना धन खर्च किया गया है;

(ग) नशामुक्ति कार्यक्रम के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) मंत्रालय द्वारा "मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना" नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें जागरूकता सृजन, परामर्श, नशामुक्ति और व्यसनियों के पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, जो धनराशि वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (17.2.1999 तक) खर्च की गई है वह क्रमशः 11.00 करोड़ रुपए, 9.57 करोड़ रुपए, 11.52 करोड़ रुपए तथा 12.42 करोड़ रुपए है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (30.12.1999 तक)

गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई राज्यवार राशि विवरण-I में है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (30.9.98 तक) के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के साथ विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकृत किए गए राज्यवार व्यसनियों की संख्या विवरण-II में है।

(घ) से (ङ) वर्ष 1985-86 में 7 केन्द्रों से आरम्भ करते हुए, जब यह योजना शुरू की गई थी, वर्ष 1997-98 के अंत में देश भर में 370 केन्द्र चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लगभग 2.5 लाख से 3 लाख व्यसनियों ने अपने आपको स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत करवाया, जो सरकार के नशामुक्ति/पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता का एक स्पष्ट संकेत है।

विवरण-I

मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (31.12.98 तक) गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार निर्मुक्त की गई अनुदान सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (31.12.98) तक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	10.57	7.05	3.13	17.75
2.	आंध्र प्रदेश	14.85	19.04	28.15	15.66
3.	बिहार	103.69	74.71	108.35	28.56
4.	गोवा	6.41	16.49	9.22	3.73
5.	गुजरात	33.55	30.14	48.19	31.70
6.	हरियाणा	46.69	44.59	57.16	60.94
7.	जम्मू और कश्मीर	6.13	3.35	10.59	3.27
8.	कर्नाटक	19.66	23.74	31.32	32.53
9.	केरल	83.56	91.80	113.59	72.29
10.	मध्य प्रदेश	21.67	15.18	12.57	22.54
11.	महाराष्ट्र	55.69	59.14	59.91	160.52
12.	मणिपुर	86.72	77.13	67.98	28.78
13.	मेघालय	3.37	4.72	2.18	6.82
14.	मिजोरम	29.64	26.30	26.43	39.90
15.	नागालैंड	13.38	3.41	18.84	26.37
16.	उड़ीसा	60.20	37.27	61.52	75.53
17.	पंजाब	37.98	36.78	51.72	58.60
18.	राजस्थान	45.26	35.52	42.82	53.69
19.	सिक्किम	0.56	1.20	2.06	-
20.	तमिलनाडु	90.70	72.77	80.61	50.14

1	2	3	4	5	6
21.	त्रिपुरा	1.90	2.78	5.01	7.03
22.	उत्तर प्रदेश	133.76	118.66	149.55	191.20
23.	पश्चिम बंगाल	80.90	63.49	62.10	60.50
	संघ राज्य क्षेत्र				
24.	चंडीगढ़	8.37	8.14	7.93	9.97
25.	दिल्ली	105.89	44.06	98.91	38.17
26.	पांडिचेरी	2.52	1.33	5.17	5.67

विवरण–II

मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए राज्यवार व्यसनियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

	नाम	पंजीकृत व्यसनियों की संख्या			
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99 (30.09.98) तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,670	1,956	3,718	207
2.	असम	297	1,556	998	946
3.	बिहार	22,869	20,767	12,843	7,895
4.	गोवा	3.648	2,910	551	194
5.	गुजरात	14,756	19,173	15,944	11,564
6.	हरियाणा	15,623	22,095	11,227	11,668
7.	जम्मू और कश्मीर	187	221	165	–
8.	कर्नाटक	1,308	3,086	2,562	596
9.	केरल	29,376	17,880	27,923	11,862
10.	मध्य प्रदेश	10,577	9,656	10,582	3,397
11.	महाराष्ट्र	13,589	11,079	9,283	2,813
12.	मणिपुर	7,770	6,035	6,773	4,615
13.	मिजोरम	2,225	3,698	482	156
14.	नागालैंड	1,041	1,834	2,702	1,154
15.	उड़ीसा	9,165	13,907	1,743	635
16.	पंजाब	18,714	22,613	14,142	6,132
17.	राजस्थान	6,385	6,099	19,739	9,425
18.	सिक्किम	1,063	183	6,024	2,878

1	2	3	4	5	6
19.	तमिलनाडु	16,667	13,464	447	363
20.	त्रिपुरा	436	1,323	23,076	14,014
21.	उत्तर प्रदेश	53,442	60,824	3,507	4,317
22.	पश्चिम बंगाल	17,039	17,107	42,329	19,705
23.	मेघालय	248	1,174	12,454	6,586
24.	चंडीगढ़	2,202	40,149	2,551	1,374
25.	दिल्ली	28,626	331	16,199	7,843
26.	पांडिचेरी	2,343	468	1,084	–
	कुल	2,82,266	3,05,098	2,49,048	1,29,639

[अनुवाद]

अनौपचारिक शिक्षा

210. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के एक अध्ययन से यह पता चला है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के लिए छात्रों के नामांकन में अत्यधिक गिरावट आई है और निरक्षरता के उन्मूलन के उपाय के रूप में अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के प्रचार-प्रसार में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए कितना आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में संबंधित उपलब्ध सूचना के अनुसार, 42 जिलों के नामांकन संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1995 तथा 1998 के बीच प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के वास्तविक नामांकन में वृद्धि हुई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों और जिन बस्तियों में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं, उन क्षेत्रों के बच्चों, कामकाजी बच्चों, बेसहारा बच्चों तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके बच्चों को वैकल्पिक स्कूल की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

आठवीं योजना के दौरान 2.79 लाख केन्द्रों में लगभग 70 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना का विस्तार किया गया था।

(ग) नौवीं योजना की कार्यनीति में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने तथा समेकित करने की परिकल्पना की गई है। नौवीं योजना के लिए इसका अनन्तिम आबंटन 1865.42 करोड़ रु. है।

राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

211. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए और उपलब्ध कराए गए स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम (1998 का 13) दिनांक 26.6.1998 के अधीन स्थापित किया गया था।

(ग) अधिनियम के पैरा 7 के अनुसार संस्थान के कार्य विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यह संस्थान पंजाब राज्य के रोपड़ जिले के एस ए एस नगर (मोहाली), सेक्टर 67 में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दी गई 130 एकड़ भूमि पर स्थित है।

(ङ) परियोजना की कुल लागत 99 करोड़ रुपए होगी।

विवरण

संस्थान के कृत्य :

संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(1) औषध शिक्षा और अनुसंधान में क्वालिटी और विशिष्टता को विकसित करना और उनका संप्रवर्तन करना,

(2) औषध शिक्षा में मास्टर की उपाधि, चिकित्सीय और चिकित्सीयोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान पर संकेन्द्रण करना,

(3) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां प्रदान करना,

सार या अन्य उपाधियां प्रदान करना,

(5) ऐसा शैक्षिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या भागतः संस्थान के उद्देश्यों के समरूप हैं, संकाय के सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान करके और साधारणतया ऐसी रीति से, जो उनके समान उद्देश्य के लिए सहायक हों, सहयोग करना,

(6) अध्यापकों, औषण-प्रौद्योगिकीविदों, सामुदायिक और अस्पताल भेषजज्ञों तथा अन्य वृत्तिकों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करना,

(7) औषध और संबंधित विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में विश्व साहित्य का संग्रह करना और उसे बनाए रखना जिससे कि देश के भीतर और विकासशील विश्व में, अन्य संस्थाओं के लिए अपने किस्म का एक सूचना केन्द्र विकसित किया जा सके,

(8) संस्थान के भीतर और बाहर अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए औषध साधन विनियोग और विश्लेषण के एक केन्द्रीय संकाय का सृजन करना,

(9) औषध-शिक्षण की कला या विज्ञान में प्रयोग करने तथा नव परिवर्तन लाने के लिए और अध्यापकों तथा अन्य कर्मकारों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र रखना,

(10) औषध क्षेत्रों में, राष्ट्रीय, शैक्षिक, वृत्तिक और औद्योगिक वचनबद्धता पर संकेंद्रण करते हुए, नव ज्ञान के सृजन और विद्यमान जानकारी के पारेषण के लिए एक विश्व स्तरीय केन्द्र विकसित करना,

(11) औषध-जनशक्ति के अनुसंधान और प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने में बहुअनुशासनिक अभिगम का विकास करना जिससे कि वृत्ति, अकादमी और औषध-उद्योग के व्यापक हितों को बेहतर ढंग से लाभ पहुंचाया जा सके और औषध कार्य संस्कृति को विकसित किया जा सके जो औषध शिक्षा और अनुसंधान की परिवर्तनशील विश्व प्रवृत्तियों और पैटर्नों के अनुरूप हो,

(12) औषध-शिक्षा के चुने हुए क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना,

(13) विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना,

(14) संस्थान तथा उद्योग के बीच वैज्ञानिकों और अन्य तकनीकी कर्मचारीवृन्द के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके और संस्थान द्वारा, प्रायोजित तथा निधियित अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाओं को हाथ में लेकर अकादमी तथा उद्योग के पारस्परिक प्रभाव के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करना, और

(15) देश में सामाजिक-आर्थिक वर्णक्रम को ध्यान में रखते हुए औषधियों के वितरण और ग्रामीण जनता द्वारा प्रयोग संबंधी अध्ययनों पर सम्यक ध्यान देना।

तमिलनाडु में अल्पसंख्यक

212. डा. सरोजा वी. : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा कितनी धनराशि खर्च की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार देश भर में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है :—

(1) आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना।

(2) अल्पसंख्यकों के लिए 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने की योजना।

(3) स्वरोजगार संबंधी कार्यकलापों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं।

(4) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम।

(5) मदरसा और मकतब के आधुनिकीकरण की योजना।

(6) सामुदायिक और पॉलीटेक्नीको की योजना।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	2.00	1.31	2.00	0.28	2.50	0.82
2.	बहु क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करना	0.50	0.41	0.50	0.46	6.28	0.19
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	39.00	39.00	36.00	36.00	41.00	शून्य
4.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	2.20	2.20	2.20	2.20	10.00	10.99
5.	मदरसाओं का आधुनिकीकरण	1.22	1.20	2.44	2.41	3.42	1.73
6.	सामुदायिक पालिटेक्निकों की योजना	31.90	27.12	31.90	19.66	69.75	19.24

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र

213. **श्री अशोक प्रधान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र तथा आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना के पश्चात आज की तारीख तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आतंकवादी संगठनों को विदेशी सहायता

214. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से चल रहे आतंकवादी सगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक द्वारा विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(ग) इन संगठनों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालय में कितने आरोप पत्र जारी किए गए; और

(घ) उन मुकदमों में क्या परिणाम निकला और कितने लोगों को दोषी पाया गया?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न पृथकतावादी

नेताओं और संगठनों द्वारा कानून का उल्लंघन करके विभिन्न माध्यमों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने की रिपोर्टें मिली हैं। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, के तहत इसमें संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों को, जहां कहीं संभव हुआ है, नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफ.ई.आर.ए.) और अन्य संबद्ध कानूनों का उल्लंघन करने पर संबंधित एजेन्सियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इस अवस्था में और ब्यौरे बताना चल रही जांच पड़ताल/पूछताछ के हित में नहीं होगा।

ताजमहल को पास से देखने हेतु उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का अनुरोध

215. **श्री सुरेश वरपुडकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

...र को उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को ...ा पश्चात् चन्द्रमा की रोशनी में पास से देखने हतु पयटका का अनुमति देने की स्वीकृति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जिला कलक्टर, आगरा से ताजमहल को चन्द्रमा की रोशनी में समीप से देखने के लिए पुनः खुला रखने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

युवाओं के लिए होस्टल

216. **श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राज्यों में स्थापित किए गए युवा होस्टलों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन होस्टलों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन सुविधाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) युवा छात्रावासों की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) युवा छात्रावासों की स्थापना युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की जाती है। जबकि केन्द्र सरकार निर्माण की लागत वहन करती है, राज्य सरकारें पानी और बिजली कनैक्शन, छात्रावास के स्थान तक सम्पर्क मार्ग तथा अनिवार्य स्टाफ के लिए आवास सहित पूर्णरूप से विकसित निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराती हैं। वे छात्रावास की आरंभिक परिचालन लागत को भी वहन करती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा फर्नीचर/साज-सामान के लिए 1,60,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(ग) अपने शैक्षणिक भ्रमणों पर यात्रा करने वाले अनेक युवाओं को इन छात्रावासों से युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों, एकता शिविरों तथा अन्य विभिन्न युवा संबंधी गतिविधियों से असीम लाभ होता है जिनमें अपेक्षित सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ उचित दर पर स्थान उपलब्ध करवाया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पूरे किए गए तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहीत किए गए युवा छात्रावासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	बिहार	1
5.	गुजरात	1
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	जम्मू व कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	3
10.	केरल	3
11.	महाराष्ट्र	1
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	2
14.	मध्य प्रदेश	2

1	2	3
15.	नागालैण्ड	2
16.	मिजोरम	1
17.	पंजाब	3
18.	राजस्थान	2
19.	तमिलनाडु	4
20.	उत्तर प्रदेश	4
21.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
22.	पश्चिम बंगाल	1
23.	पांडीचेरी	1
24.	त्रिपुरा	1
25.	उड़ीसा	4
26.	गोवा	2
27.	सिक्किम	1
	कुल	56

[अनुवाद]

चौपालों को नष्ट करना

217. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1998 से देश के विभिन्न भागों में कितनी चौपालों को आग लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने चौपालों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चौपालों को बदमाशों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। "चौपालों" को नष्ट करने संबंधी घटनाओं और इन घटनाओं में संलिप्त लोगों के संबंध में प्रश्न में मांगी गई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में भवनों को गिराना

218. **श्री प्रदीप कुमार यादव :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान दिल्ली में बिना किसी पूर्व सूचना दिए बड़ी संख्या में भवनों को तोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडलवार ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में मुआवजा प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भोपाल गैस त्रासदी

219. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय सदस्यों ने गृह मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री से कई बार यह अनुरोध किया है कि पूरा भोपाल यूनियन कार्बाइड की गैस से प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो पूरे भोपाल को गैस प्रभावित क्षेत्र न घोषित किये जाने के पीछे क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1985 में विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने भोपाल के 36 वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था। किए गए अध्ययन में मृत्यु और रुग्णता संबंधी आंकड़ों के आधार पर आई. सी.एम.आर. ने 36 वार्डों को गंभीर रूप से प्रभावित, मध्यम तौर पर प्रभावित और मामूली रूप में प्रभावित के रूप में उप-वर्गीकृत किया है। अतिरिक्त वार्डों के शामिल करने के मामले में राज्य सरकार के परामर्श से जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि उस मामले पर और आगे विचार नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की जर्जर स्थिति

220. डा. शकील अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐतिहासिक लाल किले के दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की जर्जर स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इसके रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस संबंध में समुचित रखरखाव के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च की क्या भावी योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) दिल्ली में स्थित लाल किला के दीवान-ए-आम एवं दीवान-ए-खाव स्मारक परिरक्षण की अच्छी हालत में हैं और उनका नियमित रखरखाव एवं अनुरक्षण किया जाता है। इसके अलावा, उनके पर्यावरण को भी अच्छी तरह विकसित किया जाता है और रखरखाव किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दो स्मारकों के संरक्षण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1995-96	59,544	रुपये
1996-97	4,75,225	रुपये
1997-98	1,44,058	रुपये

(ङ) भविष्य में इन स्मारकों पर व्यय निधियों की उपलब्धता के अधीन उनकी रखरखाव एवं संरक्षण सम्बन्धी वास्तविक जरूरतों पर निर्भर करेगा।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा कार्यक्रमों हेतु ऋण

221. श्री यू.वी. कृष्णमराजु : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी सुविधा कार्यक्रमों हेतु ऋण स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण बुनियादी सुविधा कार्यक्रमों के लिए कोई ऋण प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने बुनियादी सुविधा कार्यक्रमों के लिए किसी भी राज्य को कोई भी ऋण मंजूर नहीं किया है।

[हिन्दी]

पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से बी.एड.

222. श्री जय सिंह जी चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रहे स्नातक सहायक अध्यापकों को पत्राचार के माध्यम से बी.एड. कराने की सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं और उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जहां से बी.एड. शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं;

(घ) पिछले कई वर्षों से सहायक अध्यापकों को यह सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अर्हता प्राप्त सहायक शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह उनके अनुरोध पर उच्चतर अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि अध्ययन पाठ्यक्रम उनके कार्य की प्रकृति के अनुरूप हो और ऐसी अनुमति से उनके कार्य सम्पादन में बाधा नहीं पहुंचती हो। यह सुविधा ऐसे शिक्षकों को पहले भी उपलब्ध रही है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कम से कम दो वर्षों के शिक्षण अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्कूलों के पूर्णकालिक नियमित शिक्षक अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

नागरिक पंजिका योजना

223. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नागरिक पंजिका योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सभी नागरिकों/गैर-नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण और 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने का एक प्रस्ताव है। इस बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

224. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
डा. टी. गोविन्दन :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्मित/निर्माणाधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की स्थानवार और क्षमतावार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में और अधिक गोदाम बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) केरल में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के निर्मित और निर्माणाधीन गोदामों की स्थानवार और क्षमतावार संख्या क्रमशः विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित गोदामों के स्थानवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र.सं.	केन्द्र	क्षमता (हजार टन में)
1	2	3
I.	**भारतीय खाद्य निगम**	
1.	पय्यानूर	30.00
2.	चिंगावनम	10.00
3.	तिरुनावाया	25.00
II.	**केन्द्रीय भण्डारण निगम**	
1.	त्रिवेन्द्रम	10.00
2.	कोची	10.00
3.	अलेप्पी	10.00
4.	कासरगोड	10.00

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केरल में भारतीय खाद्य निगम के निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों की संख्या बताने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	गोदामों की संख्या	क्षमता (हजार टन में)
मौजूदा गोदाम			
1.	अल्लेप्पी	1	10.00
2.	मावेलीकारा	1	20.00
3.	तिकोडी	1	45.00
4.	वेस्ट हिल (कालीकट)	1	36.48
5.	कुट्टीपुरम	1	5.00
6.	मीनानगडी	1	5.00
7.	चिंगावनम	1	15.65
8.	मुजपुलंगद	1	12.56
9.	नीलेश्वर	1	10.00
10.	अंगदीपुरम	1	10.00
11.	ओलवाकोट (पालाघाट)	1	17.02
12.	अवनेश्वरम	1	10.00
13.	करुंगापल्ली	1	30.00
14.	किलीकोलूर	1	5.00
15.	क्विलोन	1	13.18
16.	चलाकुडी	1	10.00
17.	मुलाकुन्नतुका	1	50.25
18.	कजहाकुट्टम	1	35.34
19.	वैलाथुरा (टी.वी.एम.)	1	33.76
		19	529.52
निर्माणाधीन गोदाम			
1.	अराकुलम	1	5.00

विवरण–II

केरल राज्य में केन्द्रीय भंडारण निगम के निर्मित/निर्माणाधीन भांडागारों की संख्या बताने वाला विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	भांडागारों की संख्या	क्षमता (हजार टन में)
मौजूदा गोदाम			
1.	कांचीन–1	1	12.25
2.	कोचीन–2	1	5.00
3.	एर्नाकुलम	1	13.40
4.	कोझीकोडे/कालीकट	1	12.25
5.	त्रिचूर	1	25.00
		5	67.90
निर्माणाधीन गोदाम			
		शून्य	

(हिन्दी)

नेत्रहीन लड़कियों के बारे में प्रस्ताव

225. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत जबलपुर की नेत्रहीन लड़कियों के संबंध में स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (श्री मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए "विकलांग एवं दृष्टिहीन विद्यार्थी कल्याण संघ", जबलपुर नामक गैर सरकारी संगठन के प्रस्ताव को भेजा था। वित्तीय वर्ष 1998–99 के लिए प्रस्ताव नवंबर, 1998 में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव की जांच की गई तथा शिक्षा विभाग के संस्वीकृति पत्र सं.–14–21/98–आई.ई. दिनांक 20 जनवरी, 1999 के जरिए 1998–99 के लिए पहली किस्त के रूप में 156750 लाख रु. की राशि जारी की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में घुसपैठ

226. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में असम समझौते के अनुसार यथानिर्धारित घुसपैठियों द्वारा सीमा पार करने अथवा किए जाने के प्रयास को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) असम समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उपयुक्त स्थानों पर दीवारें, कंटीले तारों की बाड़ तथा अनरू रूकावटों जैसे भौतिक अवरोध खड़े करके इसे भविष्य में होने वाली घुसपैठ से सुरक्षित बनाया जाये। इसके अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत–बंगलादेश सीमा के साथ–साथ 2704 कि.मी. सड़कों और 896 कि.मी. में बाड़ लगाने के कार्य को स्वीकृति दी गई थी।

31.12.98 तक 2149 कि.मी. सीमा सड़क बना दी गई है तथा 789 कि.मी. में बाड़ लगा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने 1990 से 1998 तक की अवधि के दौरान असम सेक्टर में 12895 बंगलादेशी नागरिकों को रोका। असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 28440 मामले अवैध प्रवासी अवधारण अभिकरणों को भेजे गए हैं तथा 1455 अवैध प्रवासियों को स्वदेश वापस भेजा गया है। विदेशी नागरिकों की घुसपैठ की रोकथाम संबंधी योजना के तहत असम के लिए वर्ष 1987 में 1280 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए थे। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत बल की कुल संख्या बढ़ाकर 3154 कर दी गई थी। यह बल घुसपैठियों के खिलाफ दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है तथा इसका संपूर्ण खर्चा, केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

ऐतिहासिक स्थल विलुप्त होने के कगार पर

227. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10.1.99 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "हिस्टोरिकल साइट्स इन रुयिन्स एस आंध्रा ए.एस.आई. टर्नड ए ब्लाइंड आई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने आंध्र प्रदेश में इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस कार्य के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) समाचार में दी गई जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के, विशेष रूप से जिला गुन्टूर, पश्चिम गोदावरी, प्रकाशन एवं नेल्लोर स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक परिरक्षण की अच्छी हालत में है। इसके अलावा पुरातत्वीय सिद्धान्तों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास किया जा रहा है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 85,55,000 रुपये का आबंटन किया गया है।

पश्चिमी तटीय जिलों का विकास

228. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य के पश्चिम तटीय जिलों के विकास हेतु वित्त पोषण करने के लिए एशियाई विकास बैंक को कर्नाटक सरकार की सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक ने परियोजना के लिए वित्त पोषण करने के संबंधों में अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरणीय प्रबंध परियोजना का उद्देश्य, मानव की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक शहरी अवस्थापना और सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देकर और शहरी प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल नीतिगत सुधारों द्वारा पश्चिमी कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में अधिकतम सामाजिक और आर्थिक विकास करना है।

(ग) एशिया विकास बैंक के स्मरण पत्र के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 251.4 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) और (ङ) एशिया विकास बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। अंतिम निर्णय एशिया विकास बैंक से बातचीत और करार के हस्ताक्षर होने पर निर्भर करेगा।

निधियों का आबंटन

229. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान राज्यों को राज्यवार कितना-कितना आबंटन किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान राज्यों को आबंटित कुल धनराशि विवरण में दी गई है :

(ग) और (घ) राज्यों को निधियों का कुल आबंटन संबंधित योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्यों को आवंटित धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	48064.72	68578.15	64831.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	1957.85	4121.15	5596.70
3.	असम	14124.95	23831.56	29995.75
4.	बिहार	83556.64	103742.02	124219.65
5.	गोआ	20584.47	24105.7	18929.98
6.	गुजरात	602.40	790.90	715.95
7.	हरियाणा	5589.74	8832.07	9251.84
8.	हिमाचल प्रदेश	3232.03	5847.35	6032.84
9.	जम्मू व कश्मीर	7952.80	13086.08	13931.84
10.	कर्नाटक	34184.26	46210.03	42331.63
11.	केरल	12925.00	17939.53	19366.54

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	58292.27	82162.88	86287.20
13.	महाराष्ट्र	53535.28	64838.54	66362.82
14.	मणिपुर	1246.69	2186.87	3224.01
15.	मेघालय	1384.32	1745.05	3265.67
16.	मिजोरम	698.92	1584.77	2253.09
17.	नागालैण्ड	1181.33	3319.35	4200.77
18.	उड़ीसा	34853.55	50352.69	53257.89
19.	पंजाब	3790.60	5968.82	5525.47
20.	राजस्थान	34337.20	41405.03	36374.21
21.	सिक्किम	632.34	865.82	1095.10
22.	तमिलनाडु	41199.17	62832.56	57685.70
		1503.02	3088.01	5491.24
		108365.41	143909.31	163053.38
25.	पश्चिम बंगाल	39510.48	48733.78	53448.57
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	291.08	363.38	290.28
27.	चंडीगढ़	28.43	15.59	22.68
28.	दादरा नगर हवेली	136.52	165.47	208.93
29.	दमन व दीव	111.82	111.75	92.80
30.	दिल्ली	352.74	256.27	256.27
31.	लक्षद्वीप	100.75	119.51	96.71
32.	पांडिचेरी	270.98	322.52	290.73
	कुल	614597.76	831533.71	877987.95

इच्छुक कैदियों की शिक्षा

230. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी जेलों में इच्छुक कैदियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों का काम है कि वे कैदियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा प्रदान करने जैसे उपाय करें। केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से उपर्युक्त दिशा में उनके प्रयासों में मदद करने हेतु राज्य सरकारों को सलाह भेजती रहती है और वित्तीय सहायता प्रदान करती रहती है।

बिहार में रणवीर सेना द्वारा लोगों की हत्या

231. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

डा. विजय सोनकर शास्त्री :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री तारिक अनवर :

श्री शकुनी चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है जहां हाल ही में रणवीर सेना द्वारा कई दलितों और आदिवासियों को गोली मार दी गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बिहार में स्थिति के अध्ययन हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्य में रणवीर सेना की गतिविधियों पर प्रतिबंध लागने के लिए सरकार को बिहार के लोगों से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ज) यदि नहीं, तो राज्य में दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ज) बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले कुछ समय से चिन्ता का विषय रही है, विशेषकर लक्ष्मणपुर बाथे की घटना के बाद जिसमें 1 दिसम्बर, 1997 को 58 व्यक्ति मारे गए थे। पटना में श्री ब्रिज बिहारी प्रसाद, विधान सभा सदस्य और पुर्णिया में श्री अजीत सरकार, विधान सभा सदस्य की हत्या के पश्चात् राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए 17 जून, 1998 को केन्द्रीय अधिकारियों का एक तीन सदस्यीय दल बिहार भेजा गया था। केन्द्रीय दल ने यह महसूस किया था कि बिहार में स्थिति बेहद खराब है और लोग, कुल मिलाकर, डर और असुरक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

2. 25 जनवरी, 1999 को शंकरबीघा तोला के हत्याकांड, जिसमें 22 व्यक्तियों की जानें गई थीं, के पश्चात जहानाबाद में स्थिति का मौके पर आकलन करने क लिए 1 से 3 फरवरी, 1999 तक एक केन्द्रीय दल ने बिहार के दौरा किया। केन्द्रीय दल ने यह महसूस किया कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और चल रही हिंसा को रोकने के लिए यदि बहुविध उपाय न किए गए तो ऐसे हत्याकाण्डों के होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय दल के ध्यान में यह भी लाया गया था कि लक्ष्मण बाथे हत्याकाण्ड के पश्चात् रणवीर सेना के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने काम ही शुरू नहीं किया। रणवीर सेना को पहले ही विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया जा चुका है।

3. भारत के संविधान की धारा 356 के अंतर्गत बिहार राज्य के संबंध में एक घोषणा-पत्र जारी किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

232. **श्री राजो सिंह :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा बिहार सहित देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के साथ उनकी समीक्षा स्थिति का ब्यौरा विवरण-I से VII में है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की योग्यता के उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम से सर्वतोमुखी (चौतरफा) विकास करने के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करके उनकी योग्यता का उन्नयन करना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना में दसवीं कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उपचारात्मक तथा विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। यद्यपि उपचारात्मक कोचिंग का लक्ष्य स्कूल के विषयों में कमियों (त्रुटियों) को दूर करना है, परन्तु इंजीनियरी तथा मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने की दृष्टि से विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना 1987-88 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में शुरू की गई थी। यह योजना 1993-94 के मध्य में कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भाषाई सुविज्ञता, विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों की कोचिंग दी जाती है।

इस योजना को 1998-99 से संशोधित किया गया है तथा संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वयं अपने विवेक पर योजना में शामिल किए जाने वाले स्कूलों की संख्या तथा स्थल के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

(2) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पुरस्कारों की संख्या का निर्धारण योजना में दिए अनुसार किया जाए लेकिन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम 5 पुरस्कार होंगे।

(3) प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिवर्ष 15,000 रु. का पैकेज अनुदान दिया जाएगा।

(4) उपर्युक्त (3) के अलावा, विकलांग छात्र योजना में यथा उपलब्ध अतिरिक्त अनुदान पाने के हकदार होंगे।

विवरण-II

बहुत कम साक्षरता वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

इस योजना में संबंधित जिला परिषदों के माध्यम से नि:शुल्क आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की परिकल्पना है जिससे अनुसूचित जाति की केवल पहली कक्षा की लड़कियों के लिए निवेश के पैकेज की व्यवस्था की जाएगी तथा दूसरी कक्षा अथवा उसके बाद की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता-अनुदान नहीं दिया जाएगा। यह योजना 48 ऐसे जिलों में लागू है जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 2 प्रतिशत लड़कियां साक्षर हैं तथा ये सभी जिले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में हैं। जो जिला परिषदें इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक हैं तथा सक्षम हैं और योजना के विनियमों को स्वीकार करती हैं, ऐसी जिला परिषदों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहचान की जाएगी तथा निर्धारित प्रोफार्मा में जिला परिषदों के सहमति पत्र के साथ उनके द्वारा इस मंत्रालय को इनके बारे में सिफारिश की जाएगी। जिला परिषद को प्रदान की जाने वाली समस्त सहायता अनुदान राशि केवल कक्षा 1 में प्रति वर्ष प्रति छात्र 11,340 रुपए की दर से होगी तथा यह दो भागों में बांट दी जाएगी। छात्रों को

प्रत्यक्ष सुविधाएं देने के प्रथम भाग की राशि प्रति वर्ष/प्रति छात्र 4900 रुपए होगी तथा इसमें गद्दे, कोट, बर्तन, फर्नीचर, शिक्षण यंत्र, माता-पिता को प्रोत्साहन, भोजन, वर्दी तथा कपड़े जैसी प्रत्यक्ष सुविधाएं शामिल होगी। स्टाफ सहित अवसंरचना और परिचालन लागत के लिए दूसरे भाग की राशि प्रति वर्ष/प्रति छात्र 6440 रुपए होगी तथा इसमें मुख्य अध्यापिका व होस्टल वार्डन व अध्यापक, कुक, परिचर, चौकीदार, पानी तथा लाइट प्रभार, स्कूल का किराया, स्कूल फुटकर खर्च, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर द्वारा छात्रों की चिकित्सा-जांच, प्रशासनिक व्यय आदि के लिए प्रावधान करना शामिल होगा। प्रत्येक स्कूल में पहली कक्षा से 25 लड़कियां होंगी तथा आई.आर.डी.पी. के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के रूप में पहचान किए परिवारों के प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं तथा भर्ती में प्राथमिकता अनुसूचित जातियों में से अलाभान्वित लड़कियों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विवरण-III

अनुसूचित जातियों के कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य समूह अर्थात् अनुसूचित जातियों की शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल करना है ताकि अनुसूचित जाति के लोग स्वयं अपने आय सृजक कार्य शुरू करने तथा किसी क्षेत्र अथवा अन्यत्र अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को बढ़ा सकें। इस योजना को तैयार करने के पीछे मार्गदर्शी सिद्धान्त यह रहा है कि अच्छे स्वैच्छिक संगठनों की न केवल सहायता की जानी चाहिए अपितु इनको जागरूकता के साथ भी बनाया जाना चाहिए।

2. कार्यक्षेत्र

2.1 इस योजना के अंतर्गत सहायता पैरा 2.2 में यथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पात्र स्वैच्छिक संगठनों को दी जाएगी।

2.2 इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र बनने के लिए एक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :—

(1) यह —

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, अथवा

(ख) कुछ समय के लिए लागू नियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास; अथवा

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्त धार्मार्थ कम्पनी; अथवा

(घ) भारतीय रेड क्रास सोसायटी अथवा इसकी शाखाएं; और/अथवा

(ङ) अपना स्वयं कानूनी दर्जा रखने वाला कोई अन्य सार्वजनिक निकाय अथवा संस्थान।

(च) योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करते समय स्वैच्छिक संगठन कम से कम दो वर्ष तक पंजीकृत होना चाहिए। तथापि, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपवादात्मक मामलों में छूट दी जा सकती है और इसके कारण लिखित में रिकार्ड करने चाहिए।

(छ) अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(ज) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संगठन।

(2) इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

3. शामिल किए गए कार्यकलापों का स्वरूप

3.1 इस योजना के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करने तथा सेवाओं के विकास के लिए सहायता स्वीकार्य हैं जिससे कि अनुसूचित जातियां अपने कौशल उन्नयन द्वारा या तो स्व-रोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के माध्यम से आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए तैयार हो सकें। मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है:

1. होस्टलों तथा आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों को खोलने के लिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कला और शिल्प केन्द्र या कोई अन्य आय सृजक योजना के लिए।
2. अनुसूचित जातियों के अलाभान्वित बच्चों की देखभाल के लिए बालवाडियों या बाल केन्द्रों अर्थात शिशु गृह को खोलने के लिए।
3. अस्पतालों या सचल औषधालयों के माध्यम से अनुसूचित जातियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए।
4. कानूनी सहायता, छात्रवृत्तियां, ऋण तथा विभिन्न अनुदान आदि और अन्य ग्राहक सेवाओं जैसे सरकार की विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सरकार के कार्यक्रमों और सुविधाओं के बारे में चेतनासृजन।

5. उचित न्यायिक तथा प्रशासनिक मंचों पर शिकायत निवारण के लिए सहायता प्रदान करना।

6. विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा टैस्टों तथा अन्य सेवा संबंधी प्रतियोगी परीखाओं जो परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना में शामिल नहीं है, के लिए कोचिंग केन्द्र।

मानव अधिकार संबंधी मुद्दों, पर्यावरण संबंधी मुद्दों तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण से संबंधित मुद्दों को उठाना तथा

7. गैर-सरकारी संगठनों को लेखा, प्रबंधन और आवेदन करने के तरीके आदि में प्रशिक्षण।

8. ऐसे सभी और संबंधित कार्यकलाप जो ऊपर सूचीबद्ध उद्देश्यों के समान हैं।

4. ग्राह्य मुद्दे

4.1 इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों के लिए सहायता स्वीकार्य है :—

(क) भवन के लिए किराया जिसमें परियोजना को चलाया जा रहा है।

(ख) फर्नीचर खरीदने के लिए।

(ग) उपस्कर तथा मशीनों की खरीद।

(घ) कर्मचारियों को मानदेय।

(ङ) छात्रों तथा प्रशिक्षुओं को वजीफा।

(च) कौशल सीखने तथा चेतना सृजन में प्रयुक्त सामग्री।

(छ) लेखन सामग्री; और

(ज) आकस्मिक व्यय जिसमें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा ऐसे अन्य व्यय।

(झ) कोई ऐसी अन्य मद जिसका अनुमोदन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया हो।

4.2 उपर्युक्त मदों की सूची व्यापक नहीं है बल्कि मात्र विवरणात्मक है जिसके लिए सहायता दी जा सकती है। भारत सरकार के लिए यह खुला होगा कि वह उपर्युक्त पैरा 3.1 में संदर्भित कार्यकलापों से संबंधित अन्य उद्देश्य के लिए सहायता दे सकती है।

5. सहायता की सीमा

5.1 सहायता की सीमा का निर्धारण प्रत्येक मामले में गुण दोष पर किया जाएगा। तथापि भरत सरकार उपर्युक्त पैरा 4.1 तथा 4.2 में वर्णित कोई या सभी मदों के लिए अनुमोदित व्यय 90 प्रतिशत वहन कर सकती है। शेष व्यय को संबंधित स्वैच्छिक संगठन द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना होता है।

5.2 भवन निर्माण के लिए सहायता के घटक को योजना से अलग रखना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अन्य योजनाओं में उद्देश्य के लिए निर्धारित विस्तृत पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए हर मामले के आधार पर स्थायी वित्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

6. सहायता निर्मुक्ति के लिए मानदंड

6.1 विकलांगता वाले अनुसूचित जातियों के लिए इस योजना में सभी सहायता की मदों के लिए सहायता अनुदान स्वीकार्य होगा जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग विकास प्रभाग की सहायता अनुदान की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य है। सहायता की पात्रता मानदंड, निरीक्षण की प्रतिक्रिया तथा अन्य सभी ब्यौरे या तो विकलांगता विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं में निहित हैं या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी विकलांग अनुसूचित जातियों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा।

6.2 यह प्रभाग विख्यात और स्थापित गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करेगा जिन्हें उन क्षेत्रों और ग्रामीण और अन्य दुर्गम क्षत्रों में या तो स्वयं अथवा गैर-सरकारी संगठनों की साझेदारी में सुविधाएं स्थापित करने के लिए कहा जाएगा जहां अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। ये गैर-सरकारी संगठन नए गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य गैर-सरकारी संगठनों के परीक्षण देने संबंधी कार्य को कर सकते हैं।

विवरण-IV

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान

इस मंत्रालय द्वारा उन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के उस विस्तृत दायरे पर विचार किया जाता है जो आदिवासियों के सीधे लाभ के लिए हैं। इन परियोजनाओं में आवासीय स्कूल, छात्रावास, चिकित्सा एकक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एकक, शार्ट हैंड और टाइपिंग प्रशिक्षण एकक, बालवाड़ी/शिशु गृह (आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम द्वारा शामिल न किया गया क्षेत्र) शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तकालय तथा दृश्य प्रचार एकक शामिल हैं। यह अनुदान परियोजना की अनुमोदित कुल लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित है, शेष 10 प्रतिशत अनुदान दाता संगठनों के द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 1998-99 के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था।

विवरण–V

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना

क्षेत्र और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन तथा इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा सहायता के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र होंगी :—

(1) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

(2) सरकार द्वारा किसी स्वायत्त निकायों के रूप में कानून के अधीन अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित संस्थाएं या संगठन।

निकायों और सहकारी सोसाइटियों के समान और अन्य संस्थाएं।

(4) निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करने वाले गैर–सरकारी संगठन :—

(क) उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत यह एक पंजीकृत निकाय हो ताकि इसे निगम का दर्जा और कानूनी महत्व मिले तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक सामूहिक दायित्व निर्धारित किया जा सके;

(ख) इसका एक समुचित प्रशासनिक ढांचा और विधिवत रूप से गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो;

(ग) संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य तथा उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के कार्यक्रम पक्के तौर पर निर्धारित हों;

(घ) संगठन का आरंभ किया गया हो और किसी बाहरी नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित हो।

विवरण–VI

आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर की योजना

क्षेत्र और पात्रता

इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यधीन तथा इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। सहायता के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र होंगी :—

(1) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

(2) सरकार द्वारा किसी स्वायत्त निकायों के रूप में कानून के अधीन अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 या अन्यथा के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित संस्थाएं या संगठन।

(3) स्थानीय निकायों और सहकारी सोसाइटियों के समान शैक्षिक और अन्य संस्थाएं।

(4) निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करने वाले गैर–सरकारी संगठन :—

(क) उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत यह एक पंजीकृत निकाय हो ताकि इसे निगम का दर्जा और कानूनी महत्व मिले तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक सामूहिक दायित्व निर्धारित किया जा सके;

(ख) इसका एक समुचित प्रशासनिक ढांचा और विधिवत रूप से गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति हो;

(ग) संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य तथा उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के कार्यक्रम पक्के तौर पर निर्धारित हो;

(घ) संगठन का आरंभ किया गया हो और किसी बाहरी नियंत्रण के बिना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित हो।

विवरण–VII

ग्राम अन्न बैंक योजना

पोषण स्तर में गिरावट के कारण सुदूर और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मौत को रोकने के सरकार के प्रयास के एक भाग के रूप में ग्राम अन्न बैंक की योजना वर्ष 1996–97 के दौरान आरम्भ की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा माध्यम एजेंसी के रूप में ट्राइफेड के जरिए ऐसे क्षेत्रों में आदिवासियों के प्रति परिवार को एक क्विंटल की दर से अन्न की खरीद, अन्न के लिए भंडार सुविधा तथा माप तौल की खरीद के लिए एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। बैंकों का प्रबंधन स्वयं उन लाभार्थियों द्वारा चुनी गई ग्राम समितियों द्वारा किया जाएगा, जो बैंक सदस्यों के रूप में अभाव के समय में अन्न बैंकों से अनाज उधार ले सकते हैं।

वर्ष 1996–97 में 234 अन्न बैंक स्थापित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए जबकि वर्ष 1997–98 में 281 खाद्यान्न बैंक स्थापित करने के लिए 1.80 करोड़ रुपए निर्मुक्त हुए। वर्ष 1998–99 के लिए आबंटन 3.00 करोड़ रुपए है।

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेशी अभिदान अधिनियम, 1976, इत्यादि की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 1998 जो 4 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 8 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2417/99]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1999 जो 2 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 55 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2418/99]

कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, सुपर बाजार, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, सुपर बाजार, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, सुपर बाजार, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2419/99]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2420/99]

(3) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2421/99]

(5) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2422/99]

(7) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2423/99]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री किशन सिंह सांगवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 2 दिसम्बर, 1998 को सभा को दी गई सूचना के बाद से पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक, 1998;

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998;

(3) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1998;

(4) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1998;

(5) विनियोग (रेल) (संख्यांक 4) विधेयक, 1998;

(6) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1998; और

(7) आय-कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1998

मैं, संसद के पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक, 1998;

(2) कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक, 1998;

(3) अधिक मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक, 1998;

(4) रेल दावा अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998; तथा

(5) संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधायें) विधेयक, 1998

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से घोषणा होनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

सभापति तालिका के लिए नाम-निर्देशन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत, मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है :

1. श्री खगपति प्रधानी
2. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय
3. प्रो. रीता वर्मा
4. श्री के. येरननायडू
5. श्री वी. सत्यमूर्ति
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
8. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री पी.सी. चाक्को

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04$^{1}/_{4}$ बजे

लोक लेखा समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) संयुक्त उद्यम संचालन (ज्वांइट वेंचर आपरेशन) से हुई भारी हानि के संबंध में लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सत्रहवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) संघ सरकार विनियोग लेखे (1994-95)-डाक सेवाओं के संबंध में लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त से सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 15.12.1998 के संकल्प संख्या 9-1/97-ईएण्डई, के पैरा-1 के उपबन्ध अठारह के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिनांक 15.12.1998 के संकल्प संख्या 9-1/97-ईएण्डई, के पैरा-1 के उपबन्ध अठारह के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्प 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 2.01$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, श्री रामदास आठवले, श्री दरोगा प्रसाद सरोज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

(व्यवधान)

न सिंह सांगवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामला

विद्युत उत्पादन करने के लिए चीनी मिलों की क्षमता का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : भारत में चीनी उद्योग द्वारा बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अल्ट्रा मॉडर्न हाई प्रेसर एवं मल्टी फ्यूल्लर वाइलर की स्थापना के पश्चात जिस मिल की पेराई क्षमता 25 हजार क्विंटल गन्ना प्रतिदिन है, उसमें 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रतिदिन है तथा जिस मिल की पेराई क्षमता 50 हजार टन क्विंटल गन्ना पेराई क्षमता प्रतिदिन है वह 50 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकती है। इसी प्रकार एक लाख क्विंटल गन्ना प्रतिदिन पेराई कराने वाली मिल 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन एक दिन में कर सकती है। इसी प्रकार से हमारे देश में चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है और चीनी मिलों द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत भी बहुत कम आती है, क्योंकि गन्ना की बगास से ही वाईलर चलेगा। इससे देश में विद्युत उत्पादन की जो कमी है उसे दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से दो अनुरोध करता हूं :—

1. जो चीनी उद्योग 25 मेगावाट विद्युत या इससे अधिक का उत्पादन करेगा उसे सरकार केन्द्रीय करों में 10 प्रतिशत राहत देने का विचार करे, इससे कम पर नहीं।
2. भारत सरकार चीनी उद्योगों द्वारा उत्पादित विद्युत को सीधे केन्द्रीय ग्रिड द्वारा खरीदने की व्यवस्था करे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अपने-अपने स्थानों पर जाने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को निपटाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। सभा में बात करने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास काफी कार्य निपटाने के लिए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं। आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 24 फरवरी, 1999/5 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।